खण्ड–493, अंक–9
गुरुवार, 05 चैत्र, शक संवत् 1937
(26 मार्च, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 493 में 09 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर–31 मार्च, 2014 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	7
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ–हानि खाता 2011–2012 (सदन के पटल पर रखा गया)	7
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड डुमरियागंज में सोनहटी चौराहे से बांसी कस्बे तक की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण कार्य एवं ग्राम भालूकोनी गांव के पास स्थित कुआनो नदी पर बगहवा गांव के पास राप्ती नदी पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री घिसियावन यादव आदि निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	7
उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित)	7–8
उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास वार्ड विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित)...	8
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित)...	8
जनपद इलाहाबाद के नैनी लोकपुर में हरिश्चन्द्र पुत्र महेन्द्र की भूमिधरी जमीन पर अपराधियों द्वारा अवैध कब्जे का विरोध करने एवं उसकी हत्या किये जाने से सम्बन्धित नामजद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने के उपरान्त भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल आदि द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	8–10
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	10–19
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के ग्राम सीकीकला में स्थापित क्रेशर प्लाण्ट को स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	19–20
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद तथा भावरकोल में समाजवादी पेंशन योजना के क्रियान्वयन में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	20
जनपद सहारनपुर में नागल कस्बा से ग्राम गागलहेड़ी तक के अधूरे मार्ग का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301	20–21

के अन्तर्गत सूचना ... ...

जनपद बाराबंकी के ग्राम गढ़ी मजरे के गाटा संख्या–833 का नक्शा सही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 21

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खलसा स्थित जलालाबाद खलसा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	21
जनपद इलाहाबाद के कतिपय क्षेत्रों के मार्गों का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने व जल भराव समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	21–22
जनपद अलीगढ़ स्थित किरन देवी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वामौती के प्रबन्धक के खिलाफ लम्बित जांच का त्वरित निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	22
जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर सहित पूरे प्रदेश में राजकीय कृषि भण्डार द्वारा बीज व खाद के वितरण में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	22
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती रचना शुक्ला के प्लाट को अवैध रूप से सील किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	22–23
जनपद बलरामपुर के ब्लाक श्रीदत्तगंज में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	23
जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला लोधीपुर में मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	23
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला के ब्लाक मझगवां स्थित तालाब की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	23
जनपद गोरखपुर महानगर के देवरिया मार्ग पर स्थित भारत मौसम विभाग से बुर्रा नाले तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	24
गोरखपुर रामगढ़ ताल परियोजना के अन्तर्गत की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	24–25
वाराणसी स्थित वरुणा नदी के बराबर में पाथ–वे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	25
जनपद फतेहपुर में हुई अतिवृष्टि के पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	25–26
जनपद गोरखपुर के हाबर्ट बांध को रिंग बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	26
जनपद बिजनौर में नूरपुर स्थित बस अड्डे को डिपो बनाये जाने के	26

सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद आगरा की राधा विहार कालोनी के अन्तर्गत कमलानगर की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	26–27
कानपुर में निर्मित ओवर हेड टैंक से पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	27
सहारनपुर महानगर स्थित इन्दिरा गांधी मलिन बस्ती में सड़क व नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	27–28
जनपद अलीगढ़ में स्थित सोमना खैर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	28
जनपद मथुरा के अन्तर्गत मथुरा–राया मुख्य मार्ग के समीप राया बाईपास मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	28–29
जनपद अलीगढ़ की विधान सभा क्षेत्र इगलास के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	29
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के लोहिया ग्रामों का समग्र विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	29–30
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन अन्तर्गत ग्राम बाबरी के मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	30
नगरपालिका बीसलपुर में व्याप्त घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	30–31
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	31
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नबाबान एवं कटरा मानराय की गलियों में आर0सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद बहराइच के प्रमुख कच्चे एवं क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	31–32
जनपद मेरठ के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–235 का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	32

आवास विकास परिषद् लखनऊ द्वारा प्रस्तावित कार्यों में सड़कों को सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 32

नगर निगम मेरठ में व्याप्त घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 33

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद फिरोजाबाद के टी0टी0जेड0 परिक्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	33–34
प्रदेश के प्रमुख महानगरों की मलिन बस्तियों का समग्र विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	34
जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में सुल्तानपुर चिलकाना को नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	34–35
जनपद आगरा स्थित एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र राजनगर में नाली खड़ण्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र मेजा में गंगा नदी से हो रहे कटान को रोके जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	35–36
जनपद सहारनपुर के समस्त 11 विकास खण्डों को घोषित डार्क जोन की सूची से बाहर निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	36
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के प्रमुख मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	36
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल स्थित कसियारा सम्पर्क मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद आगरा के ग्राम सिकन्दरपुर में व्याप्त खारे पानी की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	37
ललितपुर निवासी श्रीमती राजकुमारी द्वारा सुरेन्द्र कुमार को उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	37–38
जनपद बुलन्दशहर में व्याप्त जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	38–39
जनपद जालौन के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद इलाहाबाद में कतिपय मार्गों का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	39

जनपद सहारनपुर में स्थापित चौधरी चरण सिंह की स्थापित प्रतिमा के खण्डित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 39–40

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बस्ती के ईंट भट्ठा मालिकों से की जा रही अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसरायं में कतिपय जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	40
जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	41
होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	41
होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के नियंत्रक व रजिस्ट्रार के पद का परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	41–42
जनपद चित्रकूट में 33/44 के0वी0ए0 का सब–स्टेशन के निर्माणाधीन कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	42–43
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	43
लधु सिंचाई विभाग, जालौन में कनिष्ठ लिपिक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर में उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	44–45
जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत बाबा ब्रह्मचारी जी की कुटी से आजमगढ़ सरहद तक बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला स्थित सुअरहा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर खरीद दरौली घाट पर पुल का	45–46

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...

जनपद मथुरा स्थित स्व0 मोहन पहलवान जनपदीय स्टेडियम की जीर्ण–शीर्ण हाल सुधारे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 46–47

जनपद कुशीनगर की नगर पंचायत खड्डा के अध्यक्ष द्वारा किये गये गबन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 47

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद लखनऊ के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल संकट का निवारण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	47–48
जनपद बहराइच में रामपुर धोबियाहार को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद अमेठी की तहसील तिलोई स्थित पावर हाउस की बिल्डिंग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	48
जनपद बलिया स्थित भीमपुरा को नया ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	48–49
जनपद बुलन्दशहर के गौतमबुद्धनगर के कस्बा जेवर में तहसील कम्पाउण्ड के सामने ग्राम समाज की रिक्त भूमि पर कन्या डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद बलिया स्थित भीमपुरा नं0–1 को नया ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	49–50
जनपद लखनऊ की नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले बरावनकलां में नालियों की सफाई एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	50–51
लोक निर्माण अनुभाग–8 द्वारा लिये गये अनुचित निर्णय से कर्मियों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	51
जनपद इलाहाबाद में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	51–52
जनपद बांदा में परिषदीय विद्यालयों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त सहायक अध्यापकों को सेवायोजित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	52–53
प्रदेश में बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	53
जनपद बुलन्दशहर समेत पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये जाने हेतु कमेटियां गठित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	53–54
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा में मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विभिन्न स्थानों पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	54–55
जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र के जगदीशपुर के ब्लाक शुकुल	55

बाजार को जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद लखनऊ के ग्राम–जलौदी नगर के पास लोनी स्केप पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	55–56
जनपद कुशीनगर स्थित ग्राम–लक्ष्मीपुर, विकास खण्ड पड़रौना में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित आश्रम पद्धति विद्यालय को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	56
समाज कल्याण विभाग द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन में की जा रही अनियमितताओं को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद सिद्धार्थनगर स्थित क्षतिग्रस्त एफ0एन0बी0एस0 मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
महानगर लखनऊ के हंस खेड़ा में पारा से कृष्णानगर जाने वाली रोड पर स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	57–58
जनपद गाजियाबाद के पटेल नगर–3 के ब्लाक स्थित पार्क की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद चन्दौली स्थित शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर में स्नातकोत्तर व बी0एड0 पाठ्यक्रम आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट स्थित नौहझील के किसानों का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	58–59
जनपद हापुड़ में सरकारी भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	59
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के निवासियों को राशन सामग्री उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	59–60
जनपद गोरखपुर के दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में की गई अवैध नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	60
शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज, देवरिया में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का	60–61

किये जा रहे उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

जनपद लखनऊ अन्तर्गत नेपालगंज में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 61

विषय	पृष्ठ–संख्या
डा0 रिजवान अहमद को वरिष्ठता के आधार पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मेरठ का कार्यभार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	61–62
जनपद अम्बेडकर नगर के ब्लाक भीटी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से प्रेरणा स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ अन्तर्गत नगर पंचायत उमरी कला में पी0एच0सी0 स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	62–63
जनपद बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोठी में स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	63
गढ़मुक्तेश्वर नगरपालिका परिषद् में प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा सीवर कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	63–64
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के ग्राम–बाबा का पुरवा पो0–इटौरा में पड़ने वाले कच्चा मार्ग से दबंगों से अवैध कब्जा हटवाकर पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	64
कानपुर महानगर अन्तर्गत हरजेन्दरनगर वार्ड में एन–2 रोड एवं लाल बंगला से जी0टी0 रोड के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	64–65
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा कपिलवस्तु के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राओं को सुचारु रूप से शिक्षा संचालन हेतु छात्रावास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद आजमगढ़ के कतिपय क्षेत्रों की पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	66
जनपद गोरखपुर के तहसील मु0–गोला में दीवानी न्यायालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	66
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सिटी में नवीन ग्राम पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	66–67

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम–जहांपुर के निवासी–धनपाल पुत्र छंगालाल की हुई असामयिक मृत्यु के कारण परिवारजनों को कृषक दुर्घटना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 67

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद सीतापुर स्थित केसरीगंज से भदफर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	67–68
जिला गोरखपुर में प्रस्तावित एम्स के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	68
जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ में फैली हुई वित्तीय अनियिमतताओं को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	68–69
जनपद महोबा की सिंचाई परियोजनाओं में हुई धांधली की जांच किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	69
जनपद सीतापुर के लहरपुर से भदपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद सिद्धार्थनगर के प्रधान मंत्री सड़क योजना के कार्यों में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद लखीमपुर स्थित शारदा नदी के भैथैला घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	71–72
लखनऊ स्थित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में आरक्षित वर्ग के अधिकारियों की सुरक्षा हेतु कार्य परिषद् में प्रतिनिधियों का नामित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
कानपुर महानगर के छावनी क्षेत्र की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	72–73
उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के कार्मिकों को प्रदान की गयी पदोन्नति को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	73–74
प्रदेश में एच0सी0पी0 उप निरीक्षकों को प्रभावी भार साधक तैनात किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	74
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठैकमा ग्राम सभा कुटिहर के बी0पी0एल0 कार्डधारी श्री राम पुत्र स्व0 पल्टू को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	74–75
लखनऊ महानगर की समर विहार कालोनी में अवैध रूप से बने व्यावसायिक भवनों को ध्वस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301	75

के अन्तर्गत सूचना ... ...
जनपद इलाहाबाद के नारी–बारी से शंकरगढ़ तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 75

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुगराबाद–शाहपुर निवासी रामजस पाल की हुई असामयिक मृत्यु के कारण पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	75–6
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ग्राम–चांदपुर के प्रमुख मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	76
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग एवं अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	76–109
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (पारित)...	109–117
आज सदन में पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक, 2015, उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015, उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 के विचार एवं पारण, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 के पुरःस्थापित, विचार एवं पारण की मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	118
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित)...	118
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित)...	119
उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 (पारित) ...	119–127
उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 (पारित) ...	127–143
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित)	143–144
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित)	144–147
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम	147–148

सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित) ... ...

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं 148–160

वक्तव्यों के स्थगन एवं पढ़े हुए माने जाने के सम्बन्ध में सूचना ... 160

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद हापुड़ की तहसील व ग्राम धौलाना के खसरा संख्या–1599 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री धर्मेश सिंह तोमर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	160–161
जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर टप्पल मार्ग पर बाई पास बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	161
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत बी0आर0जी0एफ0 योजना में चयनित 14 ग्राम पंचायतों में किसी भी ग्राम पंचायत की कोई विकास परियोजनाओं का चयन वर्ष 2012 से अब तक न किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	161
शासनादेश जारी होने के बावजूद भी शहरी क्षेत्र के मा0 विधायकों की संस्तुति जल निगम, वाराणसी द्वारा हैण्डपम्प न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा'' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	162
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच सी0बी0आई0 से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य	162–163
जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत ग्राम विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा आवंटित धनराशि में पेयजल की सुविधा मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्र 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य...	163–164
जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन अन्तर्गत ग्राम निघासन में जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	165
जनपद शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–हजरतपुर के निवासी श्री महेश की दिनांक 8 मार्च, 2015 को ट्रैक्टर–ट्राली पलटने से हुई मृत्यु में कृषक दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	166

प्रदेश के अनुसूचित जाति के बाहुल्य बस्तियों में जांच में सही पाये गये 197 विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ... 166–167

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में कस्बा चिलकाना से सरसावां एवं नकुड़ से चिलकाना तक मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्म सिंह सैनी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	167–168
जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत दधेड़ खुर्द मरीला फाटक वाया हापड से तेजल हेडा चौराहा से तुगलक के ग्रामों से सड़कों की विशेष मरम्मत/नवनिर्माण व गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य...	168
जनपद बस्ती में स्थित शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज एवं ए0पी0एन0पी0जी0 कालेज में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनियमित ढंग से की गयी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	168–169
नगर निगम, झांसी में सीपरी बाजार सब्जी मण्डी के स्थान पर प्रस्तावित बहुमंजिला व्यावसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	169–170
जनपद कानपुर महानगर से महाराजपुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में लोहिया ग्राम में चयनित ग्रामों में विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य (स्थगित)	170
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एवं मेसर्स अभि बस प्रा0 लि0 की सांठ–गांठ से करोड़ों रुपये के गबन पर कार्रवाई के सम्बन्ध में श्री जन्मेजय सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य	170–171
जनपद एटा के थाना अबागड़ में दर्ज अपराध संख्या–37/15 धारा–363 व 364 आई0पी0सी0 के तहत श्री लालराम की पुत्री दुर्गेश कुमारी की बरामदी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य	171–172
जनपद कौशाम्बी में प्रस्तावित टेंवा–पश्चिम शरीरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज	172

द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ... ...

लखनऊ में जल निकासी हेतु डाली गई सीवर लाइनों को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी) द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य 172

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद आगरा की अवधपुरी कालोनी के फेस–1 व फेस–2 नगर निगम के बाहर होने के बावजूद नगर निगम द्वारा गृह कर की वसूली कराये जाने विषयक श्री योगेन्द्र उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य...	173
जनपद रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक रोहनिया ग्राम बाबा का पुरवा में निर्मित कच्चे मार्ग पर दबंगों द्वारा किये गये कब्जे को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित) ...	173
प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों को स्थायी घोषित किये जाने तथा उनके मानदेय की धनराशि बैंक खाते में भिजवाये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	173–174
जनपद उन्नाव के हसनगंज क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त कनिष्ठ लिपिक श्री दिनेश कुमार शर्मा को पिछली तैनाती के वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रजनी तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	174–175
प्रदेश में बी0टी0सी0 पत्राचार वर्ष 1996 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति/समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार ओझा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	175–176
जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर क्षेत्रान्तर्गत शनिगवां क्षेत्र के निवासियों को सीवर व पेयजल की सुविधा मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	176–177
जनपद हापुड़ में सरकारी भवनों के निर्माण एवं सरकारी वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजराज सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)	177
सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शन ...	177–190
सदन की कार्यवाही अनिश्चिकाल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	190
राष्ट्रगान	191

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–328

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय, श्री वाराणसी
5. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
6. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
13. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
15. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्रा, श्री लखनऊ
21. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री एटा
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
25. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मन्जू सिंह, श्री गोण्डा
32. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
34. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
35. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
36. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
37. आलमबदी, श्री आजमगढ़
38. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
39. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
40. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
41. आशीष यादव, श्री बदायूं
42. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
43. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
44. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
45. इकबाल, श्री बिजनौर
46. इकबाल महमूद, श्री संभल
47. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
48. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
49. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
50. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
51. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
52. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
53. उदयराज, श्री उन्नाव
54. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी

55. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
56. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
57. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
58. ओम कुमार, श्री बिजनौर
59. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
60. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
61. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
62. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
63. काली चरन सुमन, श्री आगरा
64. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
65. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67. कैलाश, श्री गाजीपुर
68. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
69. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
70. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
71. गजराज सिंह, श्री हापुड़
72. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
73. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
74. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
75. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
76. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
77. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
78. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
79. गोरख पासवान, श्री बलिया
80. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
81. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
82. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
83. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
84. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
85. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
86. जगपाल, श्री सहारनपुर
87. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
88. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
89. जफर आलम, श्री अलीगढ़
90. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
91. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
92. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
93. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
94. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
96. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
97. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
98. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
99. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
100. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
101. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
102. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
103. दलजीत सिंह, श्री बांदा
104. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
105. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
106. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
107. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
108. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
109. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
110. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
111. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
112. धर्मराज, श्री बाराबंकी
113. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
114. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
115. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
116. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
117. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
118. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
119. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़

120. नारद राय, श्री बलिया
121. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
122. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
123. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
124. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
125. पीतमराम, श्री पीलीभीत
126. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
127. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
128. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
129. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
130. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
131. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
132. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
133. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
134. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
135. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
136. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
137. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
138. फेरन लाल, श्री ललितपुर
139. 'बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
140. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
141. बदलू खां, श्री उन्नाव
142. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
143. बाबू खां, श्री हरदोई
144. बाबूलाल, श्री गोण्डा
145. बावन सिंह, श्री गोण्डा
146. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
147. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
148. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
149. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
150. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
151. बैजनाथ, श्री मऊ
152. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
153. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
154. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
155. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
156. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
157. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
158. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
159. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
160. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
161. मनबोध, श्री देवरिया
162. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
163. मनीष रावत, श्री सीतापुर
164. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
165. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
166. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
167. महबूब अली, श्री अमरोहा
168. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
169. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
170. महेन्द्र अरिदमन सिंह, श्री आगरा
171. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
172. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
173. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
174. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
175. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
176. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
177. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
178. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
179. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
180. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
181. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
182. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
183. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
184. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
185. यासर शाह, श्री बहराइच
186. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी

187. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
188. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
189. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
190. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
191. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
192. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
193. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
194. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
195. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
196. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
197. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
198. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
199. रणजीत सुमन, श्री एटा
200. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
201. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
202. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
203. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
204. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
205. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
206. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
207. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
208. 'राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
209. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
210. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
211. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
212. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
213. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
214. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
215. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
216. राजिव, श्री सहारनपुर
217. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
218. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
219. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
220. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
221. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
222. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
223. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
224. राधे श्याम, श्री अमेठी
225. राम करन आर्य, श्री बस्ती
226. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
227. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
228. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
229. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
230. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
231. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
232. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
233. राम मगन, श्री बाराबंकी
234. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
235. राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
236. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
237. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
238. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
239. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
240. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
241. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
242. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
243. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
244. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
245. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
246. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
247. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
248. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
249. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
250. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
251. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
252. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
253. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
254. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर

255. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
256. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
257. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
258. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
259. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
260. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
261. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
262. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
263. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
264. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
265. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
266. विजय सिंह, श्री रामपुर
267. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
268. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
269. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
270. 'विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
271. वीरपाल राठी, श्री बागपत
272. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
273. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
274. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
275. शकुन्तला देवी, श्रीमती शाहजहांपुर
276. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
277. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
278. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
279. शाकिर अली, श्री देवरिया
280. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
281. 'शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
282. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
283. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
284. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
285. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
286. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
287. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
288. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
289. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
290. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
291. संजय कपूर, श्री रामपुर
292. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
293. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
294. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
295. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
296. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
297. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
298. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
299. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
300. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
301. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
302. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
303. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
304. सियाराम सागर, डा0 बरेली
305. सीमा, श्रीमती जौनपुर
306. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
307. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
308. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
309. सुधाकर, श्री मऊ
310. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
311. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
312. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
313. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
314. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
315. सुरेश राणा, श्री शामली
316. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
317. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
318. सुल्तान बेग, श्री बरेली
319. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
320. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
321. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
322. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी

323. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
324. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
325. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
326. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
327. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00 बजे, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर 31 मार्च, 2014

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ–हानि खाता 2011–2012

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ–हानि खाता 2011–2012 को दि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 की धारा–31 की उपधारा (11) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–4 ।

ख11.02 बजे, जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड डुमरियागंज में सोनहटी चौराहे से बांसी कस्बे तक की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण कार्य एवं ग्राम भालूकोनी गांव के पास स्थित कुआनो नदी पर बगहवा गांव के पास राप्ती नदी पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री घिसियावन यादव आदि निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री कमाल युसूफ मलिक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड डुमरियागंज में सोनहटी चौराहे से बांसी कस्बे तक की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण कार्य एवं ग्राम भालूकोनी गांव के पास स्थित कुआनो नदी पर बगहवा गांव के पास राप्ती नदी पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री घिसियावन यादव व श्री अनीस हैदर रिजवी निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5, 6 एवं 7 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–8 ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राममूर्ति वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

जनपद इलाहाबाद के नैनी लोकपुर में हरिश्चन्द्र पुत्र महेन्द्र की भूमिधरी जमीन पर अपराधियों द्वारा अवैध कब्जे का विरोध करने एवं उसकी हत्या किये जाने से सम्बन्धित नामजद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने के उपरान्त भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न

किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल आदि द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद के नैनी लोकपुर में.....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय सदस्य श्री राजबली जैसल जी आप वक्तव्य देख लीजिएगा।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्हरिश्चन्द्र व पुत्र महेन्द्र की भूमिधरी जमीन पर अपराधियों द्वारा अवैध कब्जे का विरोध करने पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया गया और दूसरे पुत्र आशीष को गोलियों से मारकर गम्भीररूप से घायल कर दिया गया है। जिसका इलाज ज्योति हास्पिटल, द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर मु0अ0सं0–328/2015, धारा 147/148/149/302 तथा 307 भादंवि, थाना नैनी, जनपद इलाहाबाद में नामजद प्राथमिकी दर्ज है। किन्तु पुलिस द्वारा अभी तक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। इस जघन्य हत्याकाण्ड से क्षेत्रीय जनता काफी आक्रोशित व क्रोधित है। जनता कभी भी आन्दोलित हो सकती है।

इस अति अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोकर कर चर्चा की मांग की गई।

2–उक्त घटना के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद से आख्या प्राप्त की गई। आख्या में अवगत कराया गया है कि दिनांक 19–03–2015 को वादी मुकदमा श्री अमृत लाल कुशवाहा पुत्र स्व0 केदार नाथ निवासी दक्षिणी लोकपुर अरैल थाना नैनी जनपद इलाहाबाद में चल रहा है। इसमें लिप्त दोषियों के खिलाफ मु0अ0सं0–328/2015, धारा 147/148/149/302 तथा 307 भादंवि बनाम डब्बू पाण्डेय, शकील, नाजीम व 5–6 अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। सूचना में अंकित है कि मेरे बड़े भाई हरिश्चन्द्र व उनके पुत्रगण महेन्द्र व आशीष जो मेरे रिश्ते के भतीजे हैं, अपने खेत पर काम कर रहे थे तभी 5–6 लोग वहां आकर मेरे भाई व दोनों भतीजों के ऊपर गोली चलाकर भाग गये। जिससे मेरे बड़े भाई हरिश्चन्द्र व भतीजे महेन्द्र की मौके पर मृत्यु हो गई तथा आशीष घायल अवस्था में एस0आर0एन0 में भर्ती है। जमीन को लेकर डब्बू पाण्डेय, शकील, नाजीम पहले भी कई बार मेरे बड़े भाई को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं।

विवेचना प्रभारी निरीक्षक नैनी श्री सिद्धार्थ तोमर द्वारा प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान डब्बू पाण्डेय, शकील, नाजीम की नामजदगी गलत पाई गई। वादी व मुल्जिमानो के बीच जमीन सम्बन्धी कोई विवाद प्रकाश में नहीं आया बल्कि मुनगा

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(सजयन) की फली तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। अब तक की विवेचनात्मक कार्यवाही व पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त 1–मुकेश उर्फ भैरो प्रसाद पुत्र रतन लाल निषाद, 2–शिवधन निषाद पुत्र बेजू लाल निषाद, 3–बबलू निषाद पुत्र दया राम निषाद, 4–पिन्टू निषाद पुत्र हरीराम निषाद, 5–दिलीप निषाद पुत्र पिचाई निषाद निवासीगण अरैल, थाना नैनी, 6–अभिषेक उर्फ नीटू मिश्र पुत्र दिनेश चन्द्र मिश्रा निवासी सूर्यादीप अरैल थाना नैनी इलाहाबाद को दिनांक 22–03–2015 को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त असलहा व कारतूस बरामद हुआ है।

गिरफ्तार किये अभियुक्तों को दिनांक 23–03–2015 को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार नैनी भेजा गया तथा अभियोग में धारा 34 आई0पी0सी0 व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है।,

ख11.04 बजे, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 26–03–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 122 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, सभी सूचनायें स्वीकार की गईं हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

1	श्री राजबली जैसल	की	जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के ग्राम सीकी कला में स्थापित केशर प्लान्ट को स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री सिबगतुल्ला अन्सारी	की	जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद तथा भवरकोल में समाजवादी पेंशन योजना के क्रियान्वयन में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री जगपाल सिंह	की	जनपद सहारनपुर अन्तर्गत नागल कस्बा से ग्राम गागलहेडी तक के अवशेष मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री मो0 रिजवान	की	जनपद बाराबंकी के ग्राम गढ़ी मजरे के गाट संख्या–833 का नक्शा सही कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य	की	जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खलसा स्थित जलालाबाद–खलसा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्रीमती पूजा पाल	की	जनपद इलाहाबाद के कतिपय क्षेत्रों के मार्गों का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने व जल भराव की समस्या का निराकरण

			कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	की	जनपद अलीगढ़ स्थित किरन देवी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बामौती के प्रबन्धक के खिलाफ लम्बित जांच का त्वरित निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री ममतेश शाक्य	की	जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर समेत पूरे प्रदेश में राजकीय कृषि भण्डार द्वारा बीज व खाद के वितरण में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री विनय तिवारी	की	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती रचना शुक्ला के प्लाट को अवैध रूप से सील किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
10	श्री जगराम पासवान	की	जनपद बलरामपुर के ब्लाक श्रीदत्तगंज में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री सुरेश कुमार खन्ना	की	जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला लोधीपुर में मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री धर्मपाल सिंह	की	जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला के ब्लाक मझगवां स्थित तालाब की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल	की	गोरखपुर महानगर के देवरिया मार्ग पर स्थित भारत मौसम विभाग से तुर्रा नाले तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री जन्मेजय सिंह	की	गोरखपुर रामगढ़ताल परियोजना के अन्तर्गत की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री रवीन्द्र जायसवाल	की	वाराणसी स्थित वरुणा नदी के बराबर में पाथ–वे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्रीमती कृष्णा पासवान	की	जनपद फतेहपुर में हुई अतिवृष्टि के पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
17	श्री विजय बहादुर यादव	की	जनपद गोरखपुर में हाबर्ट बांध को रिंग

			बाई पास बनाये जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री लोकेन्द्र सिंह	की	जनपद बिजनौर में नूरपुर स्थित बस अड्डे को डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री जगन प्रसाद गर्ग	की	जनपद आगरा की राधा विहार कालोनी अन्तर्गत कमला नगर की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री सलिल विश्नोई	की	कानपुर में निर्मित ओवरहेड टैंक से पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।
21	श्री राजीव गुम्बर	की	सहारनपुर महानगर स्थित इन्दिरा गांधी मलिन बस्ती में सड़क व नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
22	श्री दलवीर सिंह	की	जनपद अलीगढ़ स्थित सेमना खैर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
23	श्री पूरन प्रकाश	की	जनपद मथुरा के अन्तर्गत मथुरा–राया मुख्य मार्ग के समीप राया बाईपास मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में।
24	श्री त्रिलोकी राम	की	जनपद अलीगढ़ की विधान सभा क्षेत्र इगलास के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
25	श्री रामचन्द्र यादव	की	जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के लोहिया ग्रामों का समग्र विकास कराये जाने के सम्बन्ध में।
26	श्री सुरेश राणा	की	जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन अन्तर्गत ग्राम बाबरी के मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री अगयश रामसरन वर्मा	की	नगरपालिका बीसलपुर में व्याप्त घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
28	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	की	जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में।
29	डा0 अरुण कुमार	की	जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नबावन एवं कटरा मान राय की गलियों में आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।
30	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	की	जनपद बहराइच के प्रमुख कच्चे एवं क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के

			सम्बन्ध में।
31	श्री रविन्द्र भड़ाना	की	जनपद मेरठ के राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–235 का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
32	श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''	की	आवास विकास परिषद् लखनऊ द्वारा प्रस्तावित कार्यों में सड़कों को सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में।
33	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)	की	नगर निगम मेरठ में व्याप्त घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
34	श्री मनीष असीजा	की	जनपद फिरोजाबाद के कतिपय क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
35	श्रीमती विमला बाथम	की	प्रदेश के प्रमुख महानगरों की मलिन बस्तियों का समग्र विकास कराये जाने के सम्बन्ध में।
36	डा0 धर्म सिंह सैनी	की	जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में नया विकास खण्ड बनाये जाने जाने के सम्बन्ध में।
37	डा0 धर्मपाल सिंह	की	जनपद आगरा स्थित एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र राजनगर में नाली–खड़ण्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
38	श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय	की	जनपद इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र मेजा में गंगा नदी से हो रहे कटान को रोके जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में।
39	श्री प्रदीप चौधरी	की	जनपद सहारनपुर के घोषित डार्क जोनों को सूची से बाहर निकाले जाने के सम्बन्ध में।
40	श्री कमाल युसुफ मलिक	की	जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के प्रमुख मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
41	श्री अनिल कुमार	की	जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल स्थित कसियारा सम्पर्क मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
42	श्री कालीचरन सुमन	की	जनपद आगरा के ग्राम सिकन्दरपुर में

			व्याप्त खारे पानी की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
43	श्री फेरनलाल	की	ललितपुर निवासी श्रीमती राजकुमारी द्वारा मेरा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में।
44	श्री गजेन्द्र सिंह	की	जनपद बुलन्दशहर में व्याप्त जल प्लावन की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
45	श्री संतराम कुशवाहा	की	जनपद जालौन के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
46	श्री दीपक पटेल	की	जनपद इलाहाबाद के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
47	श्री महावीर सिंह राणा	की	जनपद सहारनपुर में स्थापित चौधरी चरण सिंह की स्थापित प्रतिमा के खण्डित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
48	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	की	जनपद बस्ती के ईंट–भट्ठा मालिकों से की जा रही अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में।
49	श्री बब्बन सिंह चौहान	की	जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय जर्जर मार्गों का निर्माण कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
50	श्री अमित गौरव यादव	की	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।
51	श्री मनोज कुमार	की	होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।
52	श्री आशीष कुमार यादव	की	होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उ0 प्र0 के नियंत्रक व रजिस्ट्रार के पद का परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में।
53	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल	की	जनपद चित्रकूट में 33/44 के0वी0ए0 का सब–स्टेशन के निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
54	श्री संजय कपूर	की	जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से कराये जाने के

			सम्बन्ध में।
55	श्री सुदेश शर्मा	की	जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
56	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत	की	लघु सिंचाई विभाग, जालौन के कनिष्ठ लिपिक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
57	श्री मनबोध	की	जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर में उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
58	श्री भीम प्रसाद सोनकर	की	जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत बाबा ब्रह्मचारी जी की कुटी से आजमगढ़ सरहद तक बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
59	श्री पूर्णमासी देहाती	की	जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला स्थित सुअरहा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
60	श्री जियाउद्दीन रिजवी	की	जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर खरीद दरौली घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
61	श्री प्रदीप माथुर	की	जनपद मथुरा स्थित स्व0 मोहन पहलवान जनपदीय स्टेडियम की जीर्ण–शीर्ण हालत को सुधारे जाने के सम्बन्ध में।
62	श्री सुधाकर सिंह	की	जनपद कुशीनगर की नगर पंचायत खड्डा के अध्यक्ष द्वारा किये गये गबन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
63	प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी	की	जनपद लखनऊ के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल संकट का निवारण कराये जाने के सम्बन्ध में।
64	श्रीमती माधुरी वर्मा	की	जनपद बहराइच में रामपुर धोबियाहार को ब्लाक एवं रूपईडीहा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में।
65	श्री मो0 मुस्लिम	की	जनपद अमेठी की तहसील तिलोई स्थित पावर हाउस की बिल्डिंग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
66	श्री जय प्रकाश अंचल	की	जनपद बलिया स्थित भीमपुरा को नया

			ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में।
67	श्री बंशी सिंह पहाड़िया	की	जनपद बुलन्दशहर के गौतमबुद्धनगर में रिक्त स्थान पर कन्या डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में।
68	श्री गोरख पासवान	की	जनपद बलिया स्थित भीमपुरा को नया ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में।
69	श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी	की	जनपद लखनऊ की नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले बरावन कलां की नालियों की सफाई एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में।
70	श्री ललितेशपति त्रिपाठी	की	जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।
71	श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर'	की	लोक निर्माण अनुभाग–8 द्वारा लिये गये अनुचित निर्णय से कर्मियों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।
72	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	की	जनपद इलाहाबाद में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
73	श्री दलजीत सिंह	की	जनपद बांदा में परिषदीय विद्यालयों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त की सहायक अध्यापकों को सेवायोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।
74	श्री गयादीन अनुरागी	की	प्रदेश में बेमौसम बारिश के पीड़ित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।
75	श्री दिलनवाज खां	की	जनपद बुलन्दशहर समेत पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये जाने हेतु कमेटियां गठित किये जाने के सम्बन्ध में।
76	श्री विजय कुमार दुबे	की	जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा के मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
77	श्री अजय कुमार 'लल्लू'	की	जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विभिन्न स्थानों पर रह रहे

			लोगों को मालिकाना हक दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।
78	श्री राधे श्याम	की	जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के ब्लाक शुकुल बाजार को जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
79	श्रीमती चन्द्रा रावत	की	जनपद लखनऊ के ग्राम जलोदी नगर के पास स्केप पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
80	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	की	जनपद कुशीनगर स्थित ग्राम लक्ष्मीपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित आश्रम पद्धति विद्यालय को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।
81	श्री रविदास मेहरोत्रा	की	समाज कल्याण विभाग द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन में की जा रही अनियमितताओं को रोके जाने के सम्बन्ध में।
82	श्रीमती लालमुन्नी सिंह	की	जनपद सिद्धार्थनगर स्थित क्षतिग्रस्त एफ0एन0बी0एस0 मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
83	श्री बेचई सरोज	की	महानगर लखनऊ के हंस खेड़ा में पारा से कृष्णानगर जाने वाली रोड पर स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में।
84	श्री अमरपाल शर्मा	की	जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में।
85	श्री सुरेश बंसल	की	जनपद गाजियाबाद के पटेल नगर–3 के ब्लाक स्थित पार्क की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
86	श्री सुशील सिंह	की	जनपद चन्दौली स्थित शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर में स्नातकोत्तर व बी0एड0 पाठ्यक्रम आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में।
87	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	की	जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट स्थित नौहझील के किसानों को मुआवजा

			दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
88	श्री गजराज सिंह	की	जनपद हापुड़ में सरकारी भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
89	श्री जाकिर अली	की	जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के निवासियों को राशन सामग्री उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
90	श्री अंसार अहमद	की	जनपद गोरखपुर के दीन दयाल विश्वविद्यालय में की गई अवैध नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
91	श्री उदय राज	की	शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज, देवरिया में चतुर्थ श्रेणी के किये जा रहे उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
92	श्री सतीश कुमार निगम	की	जनपद लखनऊ अन्तर्गत नेपालगंज में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
93	श्री उदय लाल मौर्य	की	डा0 रिजवान अहमद को वरिष्ठता के आधार पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मेरठ का कार्यभार दिये जाने के सम्बन्ध में।
94	श्री शारदा प्रताप शुक्ला	की	जनपद अम्बेडकर नगर के ब्लाक भीटी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से प्रेरणा स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में।
95	श्री अनीसुर्रहमान	की	जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ अन्तर्गत उमरी कला नगर पंचायत में डाक्टर की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में।
96	श्री राममगन	की	जनपद बाराबंकी के कस्बा कोठी में स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण लगाये जाने के सम्बन्ध में।
97	श्री मदन चौहान	की	गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका परिषद् में प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा सीवर कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
98	श्री लोकेश दीक्षित	की	जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के ग्राम बाबा का पुरवा में दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति

			के सम्बन्ध में।
99	श्री सतीश महाना	की	कानपुर महानगर अन्तर्गत हरजेन्दर नगर वार्ड में एन0–2 रोड एवं लाल बंगला से जी0टी0 रोड मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
100	श्री विजय कुमार पासवान	की	जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राओं की सुचारु रूप से शिक्षा संचालन हेतु छात्रावास बनाये जाने के सम्बन्ध में।
101	श्री आलमबदी	की	जनपद आजमगढ़ के कतिपय क्षेत्रों की पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
102	श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू	की	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहरान के कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
103	श्री राजेश त्रिपाठी	की	जनपद गोरखपुर के तहसील मुख्यालय गोला में दीवानी न्यायालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।
104	डा0 रमेश चन्द बिन्द	की	जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सिटी में नवीन ग्राम पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में।
105	श्री रोशन लाल वर्मा	की	जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर निवासी धनपाल की हुई असामयिक मृत्यु के कारण परिवारजनों को कृषक दुर्घटना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
106	श्री रामहेत भारती	की	जनपद सीतापुर स्थित केसरीगंज से भदफर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
107	श्री जय प्रकाश निषाद	की	जिला गोरखपुर में प्रस्तावित एम्स के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
108	श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा	की	जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ में फैली हुई वित्तीय अनियमितताओं के दूर कराये जाने के सम्बन्ध में।
109	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज	की	जनपद महोबा की सिंचाई परियोजनाओं में हुई धांधली की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।

110	श्री मो0 जासमीर अंसारी	की	जनपद सीतापुर के लहरपुर से भदपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
111	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	की	जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
112	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	की	जनपद सिद्धार्थनगर के प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
113	श्री शमशेर बहादुर शेरू भईया	की	जनपद लखीमपुर स्थित भैथैला घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
114	श्रीमती रूबी प्रसाद	की	लखनऊ स्थित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में आरक्षित वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा हेतु कार्य परिषद् में प्रतिनिधियों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।
115	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	की	कानपुर महानगर के छावनी क्षेत्र की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
116	श्री अली युसुफ अली	की	उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के कार्मिकों को प्रदान की गयी पदोन्नति को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।
117	श्री गयाचरण दिनकर	की	प्रदेश में एच0सी0पी0 उप निरीक्षकों को प्रभारी भारसाधक तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।
118	श्री रंजीत सुमन	की	जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा ग्राम सभा कुरिहर के बी0पी0एल0 कार्ड धारी श्री राम पुत्र स्व0 पलटू को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।
119	श्री मो0 गाजी	की	लखनऊ महानगर की समर विहार कालोनी में अवैध रूप से बने व्यावसायिक भवनों को ध्वस्त किये जाने के सम्बन्ध में।
120	डा0 अजय कुमार	की	जनपद इलाहाबाद के नारी–बारी से शंकरगढ़ तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
121	श्रीमती सीमा	की	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुगराबादशाहपुर निवासी रामजस पाल की हुई

			असामयिक मृत्यु के कारण पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
122	श्री उमेश पाण्डेय	की	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ग्राम चांदपुर के प्रमुख मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के ग्राम सीकोकला में स्थापित क्रेशर प्लान्ट को स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड–कोरांव के सीकी कला ग्राम में पाल बस्ती के बगल में क्रेशर प्लान्ट लगा हुआ है। प्लान्ट लगभग 200 मी0 के अन्दर पर ही लगाया गया है जो नियमों के विरुद्ध है इतना ही नहीं इस प्लान्ट एवं ब्लास्टिंग करने से लोगों के जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलता है यहां तक ब्लास्ट करते समय कुछ दिन पूर्व 6 बकरियों की मृत्यु हो गई है और दो लोग घायल भी हो गये थे। वहां के लोगों द्वारा उपजिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को बार–बार प्रत्यावेदन देने पर भी वहां के प्लान्ट हटवाने तथा ब्लास्टिंग रोकने की कार्यवाही नहीं हो रही है। जिससे उस ग्राम के पाल समाज एवं ग्रामवासियों के लोगों में सरकार के प्रति काफी आक्रोशित एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त स्थान से क्रेशर प्लान्ट को स्थानान्तरित करने की कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद तथा भावरकोल में समाजवादी पेंशन योजना के क्रियान्वयन में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिबगतुल्ला अन्सारी–

ख्मेरे विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद जनपद–गाजीपुर के विकास खण्ड–मुहम्मदाबाद तथा भावरकोल में सरकारी महत्वाकांक्षी समाजवादी पेंशन योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। विभागीय अधिकारियों ने पात्रता सूची में अपात्र व्यक्तियों को चयनित कर लिया है तथा पात्र व्यक्ति सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित हो गये हैं। सरकार की नीतियों/योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार/क्रियान्वयन विभागीय अधिकारियों द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है परन्तु निजी हित/स्वार्थ में उनके द्वारा नियमानुसार कार्य न करने से न केवल जनहित में की गई योजनायें साकार नहीं हो पाती अपितु अपात्र लोग इसका लाभ उठा लेते हैं।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण योजना में बरती गई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई व पात्र व्यक्तियों को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ दिलाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सहारनपुर में नागल कस्बा से ग्राम गागलहेड़ी तक के अधूरे मार्ग का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगपाल सिंह–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर देहात, जिला–सहारनपुर में मुजफ्फरपुर नगर सहारनपुर रोड में नागल कस्बा से ग्राम– गागलहेडी तक की लम्बाई लगभग 14 कि0मी0 है उक्त रोड का शेष भाग अधूरा पड़ा है। इस रोड से मेरे विधान सभा क्षेत्र के काफी गांव जुड़े हुए हैं जिससे ग्रामवासियों को समय–समय पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों द्वारा कई बार वहां के अधिकारियों से उक्त सड़क को बनाये जाने का अनुरोध भी किया गया, परन्तु उक्त सड़क के शेष भाग का निर्माण नहीं हुआ। सड़क का निर्माण न होने के कारण सरकार के प्रति काफी आक्रोश है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से नागल कस्बा से ग्राम–गागलहेडी तक के शेष अधूरे सड़क का निर्माण कराने की अपेक्षित कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद बाराबंकी के ग्राम गढ़ी मजरे के गाटा संख्या–833 का नक्शा सही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 रिजवान–

ख्मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस गम्भीर विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। श्री राम मनोहर पुत्र स्व0 श्री सर्वजीत वर्मा, निवासी ग्रा0 गढ़ी मजरे मिर्जापुर परगना सतरिख, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी गाटा सं0–833, रकबा 0.903 हे0 का संक्रमणीय भूमिधर कृषक है। उक्त गाटा नम्बर जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 के मुताबिक जोत चकबन्दी आकार पत्र–45 पर नक्शा मौके के अनुसार रकबा नक्शे में कम अंकित किया गया है जिससे कृषक को काफी आर्थिक क्षति हो रही है जो अपूर्णीय है। उक्त नक्शा सही कराये जाने हेतु कृषक द्वारा न्यायालय श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी धारा–28 भू0रा0 अधिनियम के अन्तर्गत 16 सितम्बर वर्ष 2011 में वाद भी दायर किया गया है किन्तु कई वर्षों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खलसा स्थित जलालाबाद खलसा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

ख्महोदय, शाहजहांपुर के ग्राम खलसा मजरा चकचन्द्रसेन ब्लाक जलालाबाद को जाने वाला मार्ग जोकि जलालाबाद–खण्डहर मार्ग से खलसा को जाता है, अत्यन्त ही जर्जर है एवं कच्चा है जिसके कारण बरसात एवं अन्य दिनों में ग्रामीणों का आवागमन बाधित रहता है। जिससे जनता में काफी रोष है।

उक्त मार्ग पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पक्का कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद इलाहाबाद के कतिपय क्षेत्रों के मार्गों का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने व जल भराव समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती पूजा पाल–

ख्जनपद इलाहाबाद में काजीपुर, जी0टी0 रोड से उजैनी आइमा तक की 1.5 कि0मी0 कच्ची रोड का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण कराया जाना जनहित में अतिआवश्यक है। उक्त मार्ग के कच्चा होने के कारण स्थानीय निवासियों को अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इस मार्ग में दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं।

जनपद इलाहाबाद में पीपलगांव में अरावल ट्रिपल आई0टी0 तक स्थित नाला जो कि जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, के कारण उक्त स्थान पर जल भराव की समस्या बनी रहती है, उक्त नाले की विशेष मरम्मत एवं सफाई कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त नाले के जर्जर होने के कारण स्थानीय निवासियों को अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः नियम–301 के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्याओं का निराकरण कराये जाने की मांग करती हूं।,

जनपद अलीगढ़ स्थित किरन देवी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वामौती के प्रबन्धक के खिलाफ लम्बित जांच का त्वरित निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

ख्अवगत कराना है कि उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ के पत्र संख्या–स0अ0/अनु गोइन्ट–149/2009, दिनांक 26–02–2009 में की गई संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 शासन द्वारा श्री भूदेव प्रसाद शर्मा, प्रबन्धक, किरनदेवी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वामौती, अलीगढ़ व अन्य के खिलाफ खुली जांच के आदेश हुए थे। किन्तु लगभग 05 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी जांच पूरी नहीं की गई है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः नियम–301 के माध्यम से उक्त जांच को त्वरित गति से पूर्ण कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।,

जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर सहित पूरे प्रदेश में राजकीय कृषि भण्डार द्वारा बीज व खाद के वितरण में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य

ख्मान्यवर, अवगत कराना है जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर सहित पूरे जनपद में राजकीय कृषि बीज भण्डार द्वारा बीज व खाद बांटने में व्यापक रूप से धांधली की गई है। सैकड़ों किसानों को चिन्हित किये जाने के बाद केवल कुछ को ही बीज व खाद दिया गया वो भी मानक के विपरीत है। शेष किसानों को उक्त लाभ से वंचित कर दिया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि उक्त दोनों की व्यापक स्तर पर कालाबाजारी की गई है। अतः नियम–301 के अन्तर्गत उक्त किये गये घोटाले एवं अनियमितता की जांच कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।,

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती रचना शुक्ला के प्लाट को अवैध रूप से सील किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय तिवारी–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद लखनऊ की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद लखनऊ में श्रीमती रचना शुक्ला, पत्नी श्री अनिल कुमार शुक्ल द्वारा फैजाबाद रोड, गणेशपुर रहमानपुर सर्विस रोड पर प्लाट नं0 5 जिसका क्षेत्रफल 55.70 वर्ग मी0 (600 वर्ग फुट) है। जिस पर निर्माण कार्य चल रहा था। जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सील कर दिया गया है। श्रीमती शुक्ला का मकान राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण में टूट गया था। इनके द्वारा मानचित्र के लिये 10,000.00 अग्रिम शुल्क, लखनऊ विकास प्राधिकरण के कोष में जमा करा दिया गया है।

अतः उक्त अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से श्रीमती रचना शुक्ला पत्नी श्री अनिल कुमार शुक्ल के मकान का सील खुलवाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बलरामपुर के ब्लाक श्रीदत्तगंज में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगराम पासवान–

ख्सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर में ब्लाक श्रीदत्तगंज में विद्युत उपकेन्द्र बनाने के लिये शासन द्वारा पूर्व में धन आवंटन हुआ था जो

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अभी तक ब्लाक श्री दत्तगंज में विद्युत उपकेन्द्र बनना शुरू नहीं हुआ जो जनहित में बहुत आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी से सादर निवेदन है कि मेरे जनपद बलरामपुर ब्लाक श्रीदत्त में विद्युत उपकेन्द्र का जांच कराकर विद्युत उपकेन्द्र बनवाने की कृपा करें।,

जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला लोधीपुर में मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 135–शाहजहांपुर के मोहल्ला लोधीपुर में मुख्य मार्ग से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़कें अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण हालत में हैं। इसमें से कई मार्ग कच्चे हैं तथा ऊबड़ खाबड़ हैं। कई बार मांग करने के बाद भी यह बनाये नहीं जा सके हैं। इसमें से रश्मी मिश्रा के घर के सामने वाली सड़क पर मिट्टी का भराव देकर जनहित में बनना अत्यन्त आवश्यक है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सड़क से दक्षिण वाले जो कच्चे मार्ग हैं उसका निर्माण कराये जाने हेतु नगर विकास विभाग से मांग करता हूं।,

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला के ब्लाक मझगवां स्थित तालाब की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह–

ख्महोदय, विधान सभा आंवला जनपद बरेली, ब्लाक मझगवां के ग्राम अमरोली में गांव के पास में ही एक बड़ा तालाब है। पूरे गांव का पानी और नदियों का भी पानी उसी तालाब में जाता है। बरसात के दिनों में पानी गांव में भर जाता है जिससे गांव के लोगों के आवागमन में बाधा आती है।

इस तालाब के चारों ओर बाउण्ड्री वाल बनने से तालाब भी सुरक्षित रहेगा और आवागमन भी सुगम होगा।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तालाब के चारों ओर बाउण्ड्री वाल बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर महानगर के देवरिया मार्ग पर स्थित भारत मौसम विभाग से बुर्रा नाले तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

ख्गोरखपुर महानगर के पूर्वी हिस्से में भीषण जल जमाव होना, गोरखपुर के लाखों नागरिकों की नियति बन चुकी थी। सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण एयरफोर्स, गोरखपुर, देवरिया रेलवे लाइन, इंजीनियरिंग कालेज तथा नन्दानगर से लेकर

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

देवरिया मार्ग होते हुए मालवीय नगर–गोरखपुर से रामगढ़ हाता तक 2–2) फिट पानी लग जाना और लम्बे समय तक पानी लगा रास्ता, एक हर वर्ष होने वाला दुखद घटना रही है।

18 जुलाई, 2013 को 16.05 करोड़ की लागत से पारित आर्थिक लाभ योजना के तहत शासन ने गोरखपुर में शासनादेश संख्या–1081 (1)/35–4–2013, दिनांक 18 जुलाई, 2013 को 6 किमी0 नाला स्वीकृत किया गया। इस नाले के प्रथम किश्त के रूप में 642.05 लाख अवमुक्त भी हुए। लेकिन इतने लम्बे नाले के त्वरित निर्माण कराने के लिये कोई बड़ी निगोसन्स निर्माणकर्ता चुनने की जगह, मनमाने तरीके से तह0 स्तर से ही योजना के साथ ही पैकेज के रूप में 3 ठेकेदार भी आ गये और उनमें से एकाध ने तो उप ठेकेदारों को काम की बंदरबांट कर दी।

आर्थिक आधार पर मजबूत न होने तथा काम की विशेषज्ञता न होने के कारण से कि राजनैतिक सम्पर्क के आधार पर ठेका हथिया लेने के कारण अभी तक पहली किश्त का उपयोग भी 2 वर्षों में न तो ठेकेदार कर पाये और न ही उनके राजनैतिक रसूल के कारण सी0एण्ड0डी0एस0 (कार्यदायी संस्था) कोई दबाव ही बना पाया।

स्थिति इतनी दयनीय है कि यदि इसी गति से निर्माण चलता रहा तो निर्माण पूरा होने में 7–8 साल लग जायेंगे। तब तक हर वर्ष नागरिक भीषण जल जमाव झेलने के लिये तो मजबूर होंगे ही, निर्माण कार्य की लागत भी कई गुना बढ़ जायेगी।

नाले में से खोदकर निकाली गई हजारों–हजार क्यूसिक मीटर मिट्टी कहां गई तथा क्या खनन नियमों के तहत उनका डिस्पोजल किया गया यह भी जांच का विषय है।

अतः लोकमहत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय को नियम–301 के तहत सदन में उठाने तथा सरकार को जवाब देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।,

गोरखपुर रामगढ़ ताल परियोजना के अन्तर्गत की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जन्मेजय सिंह–

ख्महोदय, गोरखपुर रामगढ़ ताल परियोजना के अन्तर्गत नये/मौजूदा बन्धे पर ठेकेदार फर्म मे0 बालाजी एसोसियेट्स, गोरखपुर द्वारा कराये मिट्टी भराई कार्यों की भिन्न–भिन्न जांचों में कोई अतिरिक्त मात्रा/भुगतान न निकलने के बावजूद निर्माण इकाई गोरखपुर के परियोजना प्रबन्धक श्री एम0सी0 श्रीवास्तव द्वारा ठेकेदार से मिलीभगत कर माह नवम्बर 2014 में बिना मापांकन के रु0 50 लाख का फर्जी भुगतान कर दिया गया है।

फर्जी भुगतान किये जाने मना करने पर राजनैतिक दबाव में प्रबन्धक निदेश के माध्यम से तत्कालीन महाप्रबन्धक श्री एन0के0 गोस्वामी, परि0प्रब0 ओ0पी0 सिंह, श्री रतनसेन सिंह, श्री एन0के0 श्रीवास्तव को साजिश के तहत हटवा कर निलम्बित करा दिया गया। समय से कार्य पूर्ण कराने में असफल रहने के कारण अनुबन्ध को पुर्नजीवित

किया गया और पुनर्जीवित होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा ठीक ढंग से वांछित गति से कार्य नहीं किया जा रहा है।

बन्धे का चौड़ीकरण पुनरीक्षित स्वीकृत प्राक्कलन में भी स्वीकृत नहीं है और न अनुबन्ध में ही है। अनुबन्ध से हटकर अन्य कार्यों सहित मिट्टी भराई कार्यों का और फर्जी भुगतान किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे सरकारी राजस्व को बहुत बड़ी क्षति होगी।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराकर कठोर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।,

वाराणसी स्थित वरुणा नदी के बराबर में पाथ–वे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

ख्महोदय, वाराणसी का वरुणा नदी एक प्रमुख व सुन्दर नदी है। यह शहर के मध्य से गुजरती है तथा पर्यटन की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण केन्द्र है। इस महत्वपूर्ण नदी के बराबर में पाथ–वे का निर्माण कराने से जहां एक ओर पर्यटकों को सुविधा होगी वहीं वरुणा किनारे व्यापार करने वाले व्यापारियों को इससे काफी लाभ मिलेगा। ''पाथ–वे'' का निर्माण कराये जाने के संबंध में शासन व प्रशासन से अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका है। शास्त्री घाट से चौका घाट होते हुए पुराने पुल से होते हुए आदि केशव घाट तक पाथ–वे का निर्माण कराकर दोनों तरफ हरियाली तथा लाइटिंग करा देने से यह मार्ग गंगा नदी जाने का मुख्य मार्ग हो जायेगा तथा इससे हजारों की संख्या में नागरिकों को लाभ मिलेगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वरुणा नदी के बराबर पर पाथ–वे का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद फतेहपुर में हुई अतिवृष्टि के पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान–

ख्महोदय, जनपद फतेहपुर में माह फरवरी एवं मार्च में अतिवृष्टि के कारण किसानों की तिलहन, दलहन, गेहूं एवं आलू आदि की फसलें नष्ट हुई। वहीं 14–15 मार्च को तेज हवा एवं ओलावृष्टि होने से शेष बची गेहूं की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। इस प्रकार इस जनपद में 80 से 85 प्रतिशत किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जिससे किसान भुखमरी के कगार पर है तथा आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। जीवन यापन करना कठिन हो गया है। इसके बावजूद जनपद को आपदा राहत सूची में शामिल नहीं किया गया है। जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। मुआवजे को लेकर किसान आंदोलनरत है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद फतेहपुर को कृषि आपदा राहत सूची में सम्मिलित करने की मांग करती हूं।,

जनपद गोरखपुर में हाबर्ट बांध को रिंग बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव–

ख्महोदय, गोरखपुर में हाबर्ट बांध जो ट्रान्सपोर्टनगर, अमरूद मण्डी के पास नई फोर लेन से शुरू होकर लाल डिग्गी पार्क, इलाहीबाग, माधवपुर होते हुए मानीराम के पास गोरखपुर–सोनौली रोड को जोड़ देता है। इस रोड के बन जाने से जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, आनन्दनगर के साथ–साथ पड़ोसी देश नैपाल से आने–जाने वाले सैलानियों को काफी सुविधा मिल जायेगी तथा प्रतिदिन गोरखपुर में लगने वाले जाम से निजात मिल जायेगा। यहां तक कि जो लोग पड़ोसी देश नैपाल से रिंग रोड होकर वाराणसी तक चले जायेंगे। इस मार्ग से आम जनमानस को काफी सुविधा मिल जाने के साथ ही जाम से निजात और समय तथा धन की बचत भी होगी।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद गोरखपुर में हाबर्ट बांध को रिंग बाई पास बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद बिजनौर में नूरपुर स्थित बस अड्डे को डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेन्द्र सिंह–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नूरपुर, जनपद बिजनौर स्थित नूरपुर बस अड्डे को डिपो बना दिया जायेगा तो जनहित में उपयोगी होगा साथ ही विभाग को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए बस अड्डे पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त दिल्ली से कालागढ़ और अन्य मार्गों को जाने वाली परिवहन निगम की बसें नूरपुर शहर के बाहर से होते हए निकल जाती हैं जिससे यात्री बस अड्डे पर खड़े इंतजार करते रहते हैं और उन्हें बस पकड़ने में कठिनाई होती है। कई बार यात्रियों द्वारा बसों का आवागमन बस अड्डे होकर कराने की मांग की गयी परन्तु कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

दिल्ली से कालागढ़ जाने वाली परिवहन निगम की समस्त बसें नूरपुर बस अडडे से होकर चलेंगी तो यात्रियों को सुविधा होगी।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्याना आकृष्ट करते हुए नूरपुर बस अड्डे को डिपो बनाने तथा दिल्ली से कालागढ़ जाने वाली बसों को नूरपुर बस अड्डे से होकर चलाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा की राधा विहार कालोनी के अन्तर्गत कमलानगर की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्री जगन प्रसाद गर्ग–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान आगरा के कमलानगर क्षेत्रान्तर्गत कावेरी फेस–2 की मेन रोड एवं आन्तरिक सड़कों व जर्जर नालियों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

आगरा में कमलानगर क्षेत्रान्तर्गत कावेरी फेस–2 की मेन रोड एवं आन्तरिक सड़कों व नालियां विगत 5 वर्षों से गड्ढा युक्त हैं। क्षेत्र की जनता का पैदल, स्कूटर व कार पर निकलना दूभर हो गया है। क्षेत्र की जनता हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स समय से देती है। उसके बावजूद भी सड़कें न बनने के कारण उनमें बहुत रोष व्याप्त है जनहित में यहां की सड़कों का बनना अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।,

कानपुर में निर्मित ओवर हेड टैंक से पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सलिल विश्नोई–

ख्महोदय, कानपुर महानगर में पिछले दो सालों से दो दर्जन से अधिक पानी की टंकियां (ओवरहेड वाटर टैंक) बने खड़े हुए हैं। अभी तक उनका उपयोग पानी वितरण में नहीं किया गया है। आगे गर्मी के मौसम में कानपुर महानगर के पीने पे पानी का भीषण संकट व्याप्त होने वाला है लेकिन सरकारी मशीनरी, जल निगम, जलकल विभाग बिल्कुल उदासीन बैठे हुए हैं उन्हें कानपुर की जनता की कोई चिन्ता नहीं है। अगर इन दो दर्जन बने खड़े ओवर हेड वाटर टैंकों का सही ढंग से उपयोग कर लिया जाय और इन टंकियों की लाइन को गंगा बैराज की मुख्य लाइन से जोड़ दिया जाय तो मोहल्ले में जाने वाल पानी का प्रेशर भी बढ़ जायेगा और पानी के भीषण संकट को भी कम किया जा सकता है। इन दो दर्जन ओवरहेड वाटर टैंकों के निर्माण में 150–200 करोड़ रुपये खर्च किये जाने के बाद भी अभी तक इनका जनता के हित में प्रयोग न होना सरकारी धन का दुरुपयोग है। इसके जिम्मेदार दोषी अधिकारियों को दण्डित करके इन ओवर हेड वाटर टैंकों को चालू कराकर कानपुर में पानी संकट को दूर कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दो दर्जन ओवर हेड वाटर टैंकों को चालू कराकर कानपुर में पानी संकट को दूर कराये जाने की मांग करता हूं।,

सहारनपुर महानगर स्थित इन्दिरा गांधी मलिन बस्ती में सड़क व नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर महानगर में मलिन बस्ती इन्द्रागांधी कालोनी पेपर मिल रोड पर स्थित है जिसमें समाज के गरीब तबके के लोग निवास करते हैं। बरसात के दिनों में यहां पर कई–कई फुट पानी भर जाता है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के यहां के निवासियों का जीवन नरकीय हो गया है। कई बार स्थानीय प्रशासन से मांग करने के बाद भी आज तक उक्त सुविधायें यहां के नागरिकों को प्रदान नहीं की गयी।

इस कालोनी में सड़क, सीवर व नाली निर्माण हेतु डूडा द्वारा प्राक्कलन तैयार कराया गया था परन्तु धन का आवंटन नहीं किया गया है। राजकीय निर्माण निगम सूडा इकाई मेरठ में उपरोक्त बस्ती में विद्युतीकरण हेतु धन आवंटित किया गया था परन्तु विद्युतीकरण के नाम पर केवल खम्भे ही लगाये गये हैं जबकि तार व बिजली वायरिंग संबंधी सामान 2 वर्षों से कालोनी में है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इन्द्रागांधी कालोनी पेपर मिल रोड में सड़क व नाली निर्माण तथा उपरोक्त बस्ती में लंबित विद्युतीकरण को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ में स्थित सोमना खैर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

ख्मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ में एन0एच0–91 से सोमना खैर मार्ग वर्षों से क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग के निर्माण के संबंध में पूर्व में भी विभाग से कई बार अनुरोध किया है। यह मार्ग दो तहसीलों व राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण इस मार्ग पर स्थित दर्जनों ग्रामों व नोएडा एक्सप्रेस–वे को जाने वाले यात्रियों को भारी कठिनाई होती है। इस मार्ग के सुदृढीकरण की जनहित में अति आवश्यकता है।

अतः मै उक्त सम्पर्क मार्ग का सुदृढीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा के अन्तर्गत मथुरा–राया मुख्य मार्ग के समीप राया बाईपास मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश–

ख्जनपद मथुरा अन्तर्गत मथुरा–राया मुख्य मार्ग प्रदेश के अन्य जनपद हाथरस, अलीगढ़, बदायूं, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत आदि के लगभग 20 जनपदों को जोड़ने वाले प्रदेश के मुख्य मार्ग सं0–33 है। जोकि जनपद मथुरा से राया होकर गुजरता है तथा अन्य प्रदेश के जनपदों को जोड़ता है। राया में अत्यधिक भीड़ एवं टाऊन एरिया में बाजार बन जाने तथा बराबर रेलवे लाइन के कारण रोजाना दोनों ओर कई किलोमीटर

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

वहां पर लाइन लग जाती है। तथा 4–5 घण्टे तक जाम लगा रहता है। इस जाम से निजात पाने के लिये राया में बाई पास निर्माण की मांग कई वर्षों से चली आ रही है। इस बाई पास को बनाने के लिये राया से कैनाल से पडरारी, नगला भीमा होकर या कटेला माइनर से नगला पीता से बाई पास बनाकर मुख्य मार्ग जोड़ने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस जाम के लगने से रोजाना क्षेत्रीय एवं बाहरी जनपद के लोगों को आने–जाने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाई पास अभी तक न बनने के कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इस राया बाई पास की लम्बाई मात्र लगभग 2 किमी0 है। मा0 मुख्य मंत्री जी के अपने मथुरा भ्रमण के दौरान जनता ने बाई पास शीघ्र बनने की मांग की थी जिसके मा0 मुख्य मंत्री जी ने शीघ्र राया बाई पास बनाने का आश्वासन भी दिया था।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए राया बाई पास बनाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ की विधान सभा क्षेत्र इगलास के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम–

ख्मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास (अलीगढ़) की निम्न मुख्य सड़क बहुत ही जर्जर/गड्ढायुक्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है आये दिन दुर्घटना हो रही है जिसकी मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

1–गौण्डा खैर मार्ग से ढाटौली, दूरी 2.5 किमी0।

2–गोरई से सुदामा मार्ग दूरी 3.00 किमी0।

3–इगलास से बलीपुर तक दूरी 3.00 किमी0।

4–इगलास गोरई मार्ग अर्निया की गढ़ी से महवला तक दूरी 1.00 किमी0।

5–कैनाल मार्ग से नुनेरा, दूरी 0.8 किमी0।

6–अलीगढ़ राया मथुरा मार्ग से सतलापुर तक, दूरी 3.00 किमी0।

7–हस्तपुर पिजरी मार्ग से भौरा गौरवा तक, 3.00 किमी0।

8–अलीगढ़ राया मार्ग से पाताल खेड़िया तक, दूरी 2 किमी0।

9–इगलास सासनी से किशनपुर तक, दूरी 2.00 किमी0।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के लोहिया ग्रामों का समग्र विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्महोदय, जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में 22 विभागों के 36 कार्यक्रमों में विद्युतीकरण सी0सी0 मार्ग, सभी मजरों को पक्के मार्ग से जोड़ने का कार्य ए0एन0एम0 सेन्टर व आंगनबाड़ी भवन, इन्दिरा आवास, लोहिया आवास, सोलर लाइट की स्थापना, पेयजल हेतु हैण्डपम्प की स्थापना, निःशुल्क बोरिंग योजना व पात्रों को वंचित करना, कृषि योग्य भूमि उपलब्ध होने के बाद आवासीय व कृषि हेतु पट्टे का आवंटन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का आधा–अधूरा कर छोड़ दिये जाने से वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 के सभी ग्रामों/मजरों में विकास कार्य बाधित हो गया है। ग्राम पंचायत पारा पहाड़पुर, सरायमंझन, परसौली, हयातनगर, हलीमपुर, हसनामऊ, मीरमऊ, कोडरा, बाबूपुर, पुरांय, मांजनपुर, मानापुर, मोहम्मदपुर, दाउदपुर, उमापुर, जखौली, जमोली, हाजीपुर, सरवन टिट्ठा विधान सभा क्षेत्र रूदौली के हजारों लाभार्थी इन्दिरा, आवास लोहिया आवास, समाजवादी पेंशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित कर दिये गये हैं। लाभार्थियों द्वारा तहसील दिवस में जिले के अधिकारियों को इसकी शिकायतें भी की गई परन्तु जिले के अधिकारियों की उदासीनता के चलते उपरोक्त सभी ग्राम पंचायतों में पात्रों को छोड़ दिया गया है। जिसके कारण समग्र गांव के लाभार्थियों में आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने तथा पात्रों को समस्त योजनाओं का लाभ तत्काल दिलाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन अन्तर्गत ग्राम बाबरी के मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाभवन, जनपद शामली के अन्तर्गत गांव बाबरी से भंदौड़ा तक गढ़ीपुख्ता से मुरमाफी तक के मार्ग बेहद जर्जर हालत में हैं। हजारों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों इन सड़कों को लेकर जनता द्वारा बड़ा आन्दोलन किया गया लेकिन इन सड़कों का पुनर्निर्माण न होने के कारण जनता में लगातार आक्रोश बना हुआ है। किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त समस्त मार्गों को बनवाये जाने की मांग करता हूं।,

नगरपालिका बीसलपुर में व्याप्त घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्महोदय, जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर में व्याप्त घोटालों, अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार विषयक एक शिकायती पत्र 15 प्रस्तरी भेजा गया तथा एक दूसरा पत्र भी 17 प्रस्तरीय प्रेषित करते हुए जांच कराये जाने की अपेक्षा की गयी। दिनांक 17–02–2014 को पत्र संख्या 432–35/23–62(2013–14) आयुक्त बरेली मडल बरेली द्वारा निर्गत कर 4 सदस्यीय अपर आयुक्त (प्रशासन) बरेली मण्डल बरेली अध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी पीलीभीत सदस्य, उपजिलाधिकारी पीलीभीत सदस्य तथा तहसीलदार बीसलपुर सदस्य 4 सदस्यीय समिति का गठन किया तथा दिनांक 06.05. 2014 को तीन अभियन्ताओं को भी इस समिति में सम्मिलित किये जाने का आदेश निर्गत किया। जिस क्रम में जिलाधिकारी पीलीभीत ने दिनांक 18 जून 2014 को अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पीलीभीत, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड पीलीभीत तथा सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, जिला ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पीलीभीत भी उक्त समिति में सम्मिलित किये गये। दिनांक 17.02.2014 एवं 18.06.2014 से अब तक नगर पालिका परिषद् की उक्त गठित समिति ने कोई जांच नहीं की है जोकि नितान्त चिन्ता का विषय है और समिति का नगर पालिका परिषद् के घोटालों, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं में भागीदारी होना स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर में सिकन्द्राबाद औद्योगिक क्षेत्र है जहां काफी संख्या में औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं लेकिन अधिकतर औद्योगिक इकाइयां जनपद बुलन्दशहर के निवासी योग्य युवाओं को अपने उद्योगों में नौकरी नहीं दे रहे हैं। यहां पर गुडल पाइप लि0 नामक फैक्ट्री लगभग 6 माह पूर्व अपनी दूसरी नयी यूनिट चालू की थी जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों को उन्होंने अपनी फैक्ट्री में भर्ती किया। लेकिन स्थानीय व्यक्तियों को भर्ती नहीं किया। मेरे द्वारा उनसे सूचना भी मांगी गयी कि उन्होंने कितने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया है तो उन्होंने एक माह बाद भी उसका उत्तर नहीं दिया है। एक तरफ उक्त उद्योग स्थानीय प्राकृतिक स्रोतों जैसे जल, भूमि आदि का दोहन करते है वहीं दूसरी तरफ जल, वायु, ध्वनि आदि अनेक प्रकार के प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन स्थानीय व्यक्तियों को अपने उद्योगों में नौकरी नहीं देते हैं जिसके कारण वहां के स्थानीय व्यक्तियों में उद्योगों के प्रति गुस्सा फैल रहा है जिससे वहां कानून–व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है जिससे उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः जनहित में उक्त उद्योगों में योग्य स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देना अति आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूं।,

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नबाबान एवं कटरा मानराय की गलियों में आर0सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अरुण कुमार–

ख्महोदय, बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र गली नबाबान एवं कटरा मानराय क्षेत्र की गलियों की स्थिति काफी खराब है सड़क टूटी हुयी है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। जनता की परेशानी को देखते हुए आर0सी0सी0 रोड की आवश्यकता बनाना अति आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

जनपद बहराइच के प्रमुख कच्चे एवं क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

ख्महोदय, जनपद बहराइच के प्रमुख मार्ग कच्चे एवं जर्जर होने के कारण इन क्षेत्रों के निवासियों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिनमें–(1) विकास खण्ड फखरपुर अन्तर्गत एन.एच. 28 पर डोकरी से बटोलहा कच्चा एवं जर्जर सम्पर्क मार्ग, (2) विकास खण्ड तजवा अन्तर्गत मरौचा–खैरा मार्ग पर खैरा से बिजौव्वा सम्पर्क मार्ग, (3) विकास खण्ड फखरपुर अन्तर्गत फखरपुर–जगतापुर रोड भूपानी जाने वाला मार्ग (4) विकास खण्ड फखरपुर अन्तर्गत फखरपुर–सरदपारा मार्ग से थलिहा कच्चा एवं जर्जर सम्पर्क मार्ग (5) बेलहा वहरौली बांध पर कटेल तक अधूरे पड़े मार्ग पूरा करने का कार्य (6) एन.एच. 28 पर भरौचा से शिवपुरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। उक्त मार्गों का निर्माण न कराये जाने से आमजन को आवागमन में कठिनाई हो रही है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद मेरठ के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–235 का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भड़ाना–

ख्महोदय, जनपद मेरठ के ग्राम फफून्डा मेरठ बुलन्दशहर मार्ग के रास्ते में पड़ने वाले समस्त ग्रामों में अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) संयुक्त संगठन मेरठ एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मेरठ द्वारा जो भूमि अधिग्रहीत प्रक्रिया में है उसका उस रास्ते में पड़ने वाले समस्त ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण पुरानी अधिग्रहण भूमि प्रक्रिया को निरस्त कर नयी अधिग्रहण नीति के तहत भूमि का अधिग्रहण कराना चाहते हैं।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

आवास विकास परिषद् लखनऊ द्वारा प्रस्तावित कार्यों में सड़कों को सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष टण्डन गोपाल जी–

ख्महोदय, लखनऊ में आवास विकास परिषद् की कालोनियों – विकासनगर, इन्दिरानगर में अवस्थापना निधि से प्रस्तावित कार्यों की सूची में अनेक मुख्य सड़कों को शामिल नहीं किया गया है। इन्दिरा नगर में लेखराज मोड़ से मुंशी पुलिया, कुकरैल बैरल नं0–7 से बी–ब्लाक चौराहा, नीलगिरि चौराहे से सेक्टर–25 रिंग रोड तक, अरावली मार्ग से सी–ब्लाक चौराहा से रिंग रोड तक, आजाद मार्केट से सब्जी मण्डी से शेखर हास्पिटल तथा आवास विकास कार्यालय तक, रिंग रोड से बी ब्लाक चौराहे तक, सेक्टर–9 सेन्ट्रल एकेडमी से सेक्टर–14 होते हुए पारिजात गेस्ट हाउस तक तथा विकास नगर में शिव मूर्ति सेक्टर–1 से सेक्टर 7–8 से खुर्रम नगर मोड़ तथा शेखपुरा कालोनी में मुख्य मार्ग।

उक्त सभी सड़कें मुख्य मार्ग हैं। और काफी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। अतः आवास विकास परिषद् की अवस्थापना निधि के कार्यों में प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु आवास विकास परिषद् की अवस्थापना निधि में शामिल किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

नगर निगम मेरठ में व्याप्त घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

ख्महोदय, नगर निगम मेरठ में रोजाना नये–नये घोटाले सामने आ रहे हैं जिसमें नगर आयुक्त से लेकर नगर निगम के कर्मचारी शामिल हैं। इसका एक तत्काल उदाहरण विकलांग भर्ती घोटाला है। शासनादेश सं0 7290/नौ–4–10–29 ज/08, दिनांक 22.12.2012 के अनुपालन में राजकीय सेवाओं में विकलांगजन के चिन्हित रिक्त पदों के बैकलाग को पूर्ण किये जाने हेतु नगर निगम मेरठ द्वारा पूर्व निर्धारित कोटे के अन्तर्गत समूह–घ के पदों पर चयन समिति की संस्तुति दिनांक 01–07–2013 पत्रांक 981/अर0लि0–न0आ0–2013 के अनुसार सूची घोषित की गयी जिसकी शिकायत मेरठ दौरे पर गये नगर विकास मंत्री को की गयी जिसके संदर्भ में नगर विकास मंत्री जी द्वारा आपको जांच के आदेश दिये गये तथा मेरठ नगर निगम से संबंधित कमेटी में जो चार लोग नियुक्त थे उनके विरुद्ध भी जांच के आदेश दिये गये तथा नगर आयुक्त मेरठ को भी जांच की परिधि में शामिल किया गया तथा भर्ती कर्मचारियों को ज्वाइन करने पर

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

रोक लगा दी गयी। लेकिन मंत्री जी के आदेशों के उपरान्त भी भर्ती कर्मचारियों को ज्वाइन करा दिया गया तथा वेतन भी निर्गत कर दिया गया। सम्पूर्ण जांच के उपरान्त विकलांग कोटे के अंतर्गत भर्ती व्यक्तियों की सेवायें समाप्त कर दी गयीं लेकिन गलत भर्ती करने वाले नियुक्ति अधिकारी एवं कमेटी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। गलत नियुक्ति करने के लिए कमेटी एवं नियुक्ति अधिकारी दोषी है। इस भर्ती में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।

जनपद फिरोजाबाद के टी0टी0 जेड परिक्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा–

ख्महोदय,

जनपद फिरोजाबाद टी0टी0 जेड क्षेत्र में आता है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में टी0टी0 जेड परिक्षेत्र में 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति के आदेश हैं।

जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में सिरसागंज में निर्माणाधीन 220 के0वी0 सब स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं इसके 40 ज्ञण्टण्।ण् क्षमता के 2 ट्रांसफार्मर तथा 100 ज्ञण्टण्।ण् क्षमता का 1 ट्रांसफार्मर चार्ज होकर तैयार है परन्तु इस बिजली घर का व्यावसायिक उपयोग सब स्टेशन को जोड़ने वाली 220 के0वी0 मैनपुरी भौगांव लाइन लिलो सिरसागंज लाइन के निर्माण के बिना संभव नहीं है।

पूर्व में उक्त लाइन को डालने का कार्य कर रही फर्म मै0 हाइड्रो पावर कार्पोरेशन, गुड़गांव का कार्य संतोषजनक न होने के कारण अनुबंध मई, 2014 में निरस्त कर दिया गया था, जिससे लाइन निर्माण कार्य पूर्णतः बंद हो गया था। तत्पश्चात सितम्बर, 2014 में इस लाइन को डालने का कार्य मै0 ज्योती इंजीनियरिंग, इलाहाबाद को आवंटित कर दिया गया परन्तु इस कम्पनी के द्वारा कराया जा रहा लाइन निर्माण का कार्य अत्यन्त असंतोषजनक है एवं प्रगति न के बराबर है।

सिरसागंज 220 के0वी0 सब स्टेशन बिजली घर के व्यवसायिक उपयोग आरम्भ कराये जाने हेतु मै0 ज्योति इंजीनियरिंग इलाहाबाद द्वारा पूर्णतः समर्पित कर्मचारियों की टीम लगाकर तथा एक निश्चित समय सीमा तय करते हुये लाइन के निर्माण कराये जाने की महती आवश्यकता है।

अतः लोकमहत्व के इस अवलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद फिरोजाबाद के नागरिकों को विद्युत कटौती की भीषण समस्या से निजात दिलाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र 220 के0वी0 मैनपुरी–भौगांव लाइन लिलो सिरसागंज लाइन का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

प्रदेश के प्रमुख महानगरों की मलिन बस्तियों का समग्र विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला बाथम–

ख्महोदय, उत्तर प्रदेश के पांच महानगरों (झ।ट।स् ज्वूदे) में उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती (उन्नयन/निपातन) अधिनियम 1962 के अन्तर्गत कितनी मलिन बस्तियों का पूर्ण रुपेण निर्धारित मानकों के आधार पर अधिग्रहित कर उनका विकास और उन्नयन किया गया। इन पांच महानगरों में कानपुर भी शामिल है जहां उन्नयन की जिम्मेदारी कानपुर विकास प्राधिकरण को दी गई थी। इस अधिनियम के अन्तर्गत नगर की अनेकों मलिन बस्तियों (अहातों) को अधिग्रहित करने की कार्यवाही शुरू हुई और इन बस्तियों में रहने वाले निवासियों (किरायेदारों) को मकान और जमीन का मालिकाना हक देने का प्रलोभन दिया गया। प्राधिकरण के इन मलिन बस्तियों (अहातों) को स्वच्छ और आदर्श बनाने के मुहिम को आज 50 वर्ष हो गये किन्तु न तो वहां रहने वालों (किरायेदारों) को जमीन और मकान का मालिकाना हक मिला और न ही इन बस्तियों के मालिकों को कोई नगद मुआवजा या बदले में नगर में विकसित जमीन (प्लाट) ही मिली। मकान (अहाता) मालिकों ने जब जब अपनी अधिग्रहित जमीन (अहाता) का मुआवजा मांगा तो प्राधिकरण से अधिग्रहण की कार्यवाही अभी तक पूरी न होने का कारण बता कर मकान मालिकों की प्रार्थना रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। इस सारे मामले में सबसे ज्यादा हानि मकान मालिकों को हो रही है जिन्हें पिछले 25–30 वर्षों से मकानों का न तो किराया मिल रहा है (क्योंकि मालिकाना हक के लालच में किरायेदारों ने किराया देना बन्द कर दिया है) और न ही प्राधिकरण से अधिग्रहित भूमि व मकानों का कोई मुआवजा। सरकार और उनके अधीनस्थ अधिकारियों की घोर लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण यह सब हो रहा है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूं।,

जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में सुल्तानपुर चिलकानाओं नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्म सिंह सैनी–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र–नकुड़, जनपद–सहारनपुर में ब्लाक–सरसांवा है जिसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है उसमें पुलिस थाना, पुलिस चौकियां, डाकघर, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक बैंकों की कई शाखाएं हैं। इस ब्लाक का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण दूर–दराज के लोगों को विकास खण्ड आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विकास खण्ड–सरसांवा के सुल्तानपुर चिलकाना कस्बे के हाईस्कूल, इण्टर कालेज में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को छोटे–छोटे कामों के लिए विकास खण्ड–सरसांवा जाना पड़ता है जिसके कारण उनकी पढ़ाई बाधित होती है तथा वहां के किसानों, ग्रामिणों को भी अपने छोटे–मोटे कामों के लिए अपनी खेती–किसानी छोड़कर लगभग–20 किलोमीटर दूर विकास खण्ड के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस

---

uksV%& [ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

समस्या को झेलते हुए किसानों, ग्रामिणों एवं छात्र–छात्राओं ने धरना–प्रदर्शन से लेकर लिखित, मौखिक सभी तरह से सुल्तानपुर चिलकाना को नया विकास खण्ड बनाये जाने हेतु जनपद के उच्चाधिकारियों से कई बार अनुरोध भी किया, लेकिन उनकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया गया, जिससे वहां के रहने वाले किसानों, ग्रामवासियों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से विकास खण्ड–सरसांवा के सुल्तानपुर चिलकाना को नया विकास खण्ड बनाये जाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा स्थित एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र राजनगर में नाली खड़न्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मपाल सिंह–

ख्महोदय, उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि जनपद आगरा स्थित एत्मादपुर विधान सभा के शहरी क्षेत्र राजनगर (शाहदरा) क्षेत्र पूर्णतः मेहनत–मजदूरी कर जीवन–यापन करने वाली गरीब जनता के निवास करने वाला क्षेत्र है। कोई किसी फैक्ट्री में मजदूर है, कोई ठेल लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, घरों में झाडू–पोंछा कर महिलायें किसी तरह गुजर–बसर कर पा रहे हैं। रोज कुआं खोदकर शाम को पानी पीने वाली इस गरीब जनता की गलियों में हमेशा गंदगी भरी रहती हैं जिसे लांघकर बड़ी मुश्किल से रोज सुबह ये अपने–अपने काम के लिए जाते हैं। राजनगर (शाहदरा) में नाली–खड़न्जा का निर्माण न होने से उत्पन्न गंदगी से ये लोग आये–दिन बीमार होते हैं। ऐसी गरीब जनता द्वारा न जाने कितनी बार नाली–खड़न्जा का निर्माण कराने का अनुरोध सम्बन्धित विभागों से किया गया होगा किन्तु पता नहीं किन कारणों से नाली–खड़न्जा का निर्माण नहीं हो पाया है।

लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र मेजा में गंगा नदी से हो रहे कटान को रोके जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय–

ख्महोदय, जनपद इलाहाबाद के विधान सभा मेजा में अछोला गांव से लेकर नरवर, गभनी, उमापुर, देगुरपुर, महेवा तथा गंगा जी का कटान हो रहा है। जिसकी वजह से माण्डा रोड रेलवे स्टेशन से लेकर नरवर चौका तक रेलवे लाईन को खतरा उत्पन्न हो जायेगा।

इस कटान से आये दिन बरसात के दिनों में देगुरपुर, उमापुर, और नरवर के तमाम घर गंगा जी में प्रभावित हो चुके हैं।

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है क्या सरकार रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व गांवों के कटान रोकने हेतु कोई कार्यवाही करेगी यदि हो तो कब तक ?,

जनपद सहारनपुर के समस्त 11 विकास खण्डों को घोषित डार्क जोन की सूची से बाहर निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर में 11 विकास खण्ड आते हैं। ग्रीष्म ऋतु के समय सभी 11 विकास खण्डों को डार्क जोन में घोषित कर दिया जाता है जिससे किसानों को विद्युत कनेक्शन लेने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जाता है। इस कारण से किसानों को सिंचाई करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, इस वजह से किसानों में काफी रोष है। मेरी सरकार से मांग है कि जनपद सहारनपुर के समस्त 11 विकास खण्डों को डार्क जोन से बाहर निकाला जाय।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के प्रमुख मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल युसूफ मलिक–

ख्आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद–सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज, विकास खण्ड मिठवल के अन्तर्गत तीन सम्पर्क मार्ग ऐसी हैं जिनका पुनर्निर्माण कराया जाना व्यापक जनहित में आवश्यक है– करमा चौराहे से गौल्हौरा गांव तक विशेष मरम्मत का कार्य, गौल्हौरा के मकतव स्कूल होते हुए सेमरी गांव तक विशेष मरम्मत का कार्य, साड़ी कला से कठोलवा तक विशेष मरम्मत का कार्य, कठोलवा से साड़ी खुर्द होते हुए करही बघहीगांव तक खड़न्जे से लेपन स्तर तक का निर्माण कार्य।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह सभी मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1997–98 में हुआ था यह मार्ग आमी नदी के किनारे के हैं बरसात में बाढ़ के दौरान जल–वृष्टि के कारण सड़कें बुरी तरह से जर्जर होकर टूट गयी है आवागमन बुरी तरह से प्रभावित है जिसका पुनर्निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। इस कार्य के न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जर्जर सड़क का पुर्ननिर्माण कराये जाने का निर्देश सम्बन्धित को देने की कृपा करें।,

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल स्थित कसियारा सम्पर्क मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र–चरथावल–12, जनपद–मुजफ्फरनगर में कसियारा सम्पर्क मार्ग पर राजबाहा लुहारी खुर्द पर एक पुलिया है जो काफी समय से टूटी और क्षतिग्रस्त है। ग्राम–कसियारा मेरा पैतृक गांव है। उसके आस–पास के कई गांवों के निवासियों का उस पुल से आना–जाना रहता है जिसके कारण आने–जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उक्त पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इस पुलिया के पुनर्निर्माण के लिए किसानों, ग्रामिणों ने धरना–प्रदर्शन से लेकर लिखित, मौखिक सभी तरह से जनपद के उच्चाधिकारियों को क्षतिग्रस्त पुलिया से अवगत कराया गया परन्तु उक्त क्षतिग्रस्त पुलिया के पुनर्निर्माण की तरफ सरकार का कभी भी ध्यान नहीं गया जिससे वहां के रहने वाले किसानों, ग्रामवासियों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है।

अतः इस लोकमहत्व के विषय पर मैं सदन के माध्यम से कसियारा सम्पर्क मार्ग पर राजबाहा लुहारी खुर्द पर टूटी पुलिया के पुनर्निर्माण की अपेक्षित कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा के ग्राम सिकन्दरपुर में व्याप्त खारे पानी की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरण सुमन–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सिकन्दरपुर (विकास खण्ड विचपुरी) में खारे पानी की समस्या उत्पन्न हो गयी है तथा ग्राम सिकन्दरपुर से दूर ग्राम खासपुर में जो ओवर हैण्ड बड़ी टंकी बनी है। जो कि चालू हालात में नहीं है। पाइप लाइन टूटी हुई है। ऐसे में मीठा पानी नहीं मिल पर रहा है। और ग्राम सिकन्दरपुर, नगला तलफी, लाल धड़ी आदि गांवों को मीठे पानी के लिए पीने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। इस समस्या के समाधान हेतु ग्रामीणों द्वारा एवं मेरे द्वारा सक्षम अधिकारियों को कई बार अवगत कराया लेकिन इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है इस कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्राम सिकन्दरपुर (विकास खण्ड विजपुरी) में खारे पानी की समस्या का समाधान कराये जाने एवं ओवर हैण्ड टैंक (बड़ी टंकी) बनवाने की मांग करता हूं।,

ललितपुर निवासी श्रीमती राजकुमारी द्वारा सुरेन्द्र कुमार को उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फेरनलाल–

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्महोदय, सादर अनुरोध करना है कि श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री राजेश कुमार के द्वारा मेरे बेटे सुरेन्द्र कुमार के खिलाफ अपनी लड़की निशी द्वारा 376 सहित कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसमें मेरा बेटा करीब तीन माह से जेल में तभी से बन्द है उक्त लड़की की मां राजकुमारी व उसका भाई बृजकिशोर निवासी कुण्डेश्वर जिला–टीकमगढ़ द्वारा 50 लाख रुपये की मांग करते आ रहे हैं और कहते रहे हैं कि हम मुकदमें में राजीनाम करवा देंगे। मेरे द्वारा मांग पूरी न करने पर और मुकदमा लिखवाने की धमकी देते आ रहे हैं, कि दिनांक 4–03–2015 को राजकुमारी पत्नी राजेश कोतवाली ललितपुर पहुंची और मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए तहरीर देते हुए बोली कि मेरी लड़की निशी का फेरनलाल अहिरवार विधायक महरौनी व उनके आदमियों ने अपहरण कर हत्या कर दी है तभी पुलिस मुकदमा लिखने की तैयारी कर रही थी, कि कुछ लोक उक्त लड़की को लेकर कोतवाली पहुंचे तो सी0ओ0 सदर के समक्ष उक्त लड़की ने अपने बयान में बताया की मेरी मां राजकुमारी प्रति दिन मारती पीटती रहती है। व मर जाने के ताने देती है। आज सुबह मेरी मां ने मेरे साथ मारपीट की और घर से निकल जाने अथवा मर जाने के लिए कहा तो रोज–रोज की परेशानी से मैंने निर्णय लिया कि गोविन्द सागर बांध में डूबकर आत्महत्या कर लूं और मैं अब घर नहीं जाना चाहती हूं, यदि मैं घर जाऊगी तो मेरी मां मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना कर सकती है। उक्त लड़की की सहमति के खिलाफ उसको उसकी मां के साथ ही भेज दिया गया है। जो उसी दिन से आज तक लड़की को लेकर ला पाता है। मुझे संदेह है कि राजकुमारी व उसका भाई बृजकिशोर मिलकर के उस लड़की के साथ कोई घटना करवाकर अथवा कोई नया षडयन्त्र रचकर मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवा सकते हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनपद–ललितपुर की पुलिस को आदेशित करे कि प्रकरण की जांच कर उक्त लड़की को पुलिस अभिरक्षा में रखा जाये, जिससे उसके साथ अप्रिय घटना न हो सके तथा राजकुमारी व उसके भाई के खिलाफ आत्महत्या को प्रेरित करने व झूठा षडयन्त्र रचने के खिलाफ यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।,

जनपद बुलन्दशहर में व्याप्त जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजेन्द्र सिंह–

ख्संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला–बुलन्दशहर के मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के ब्लाक–अगौता के अन्तर्गत ग्राम खेड़ी के किसानों की लगभग तीन हजार बीघे जमीन जल मग्न रहती है, क्योंकि वहां पर पानी के निकलने के लिए कोई रास्ता न होने के कारण किसानों की पूरी भूमि हमेशा जलमग्न रहती है। जिसके कारण उक्त गांव के किसान भुखमरी के कगार पर हैं। यहां पर मात्र लगभग सात सौ मीटर नाले की आवश्यकता है। इस नाले के बनने के उपरान्त उस गांव की भूमि पर पानी नहीं रूकेगा और किसान अपनी फसल पैदा कर सकेंगे और किसान भुखमरी से उबर सकेगा। उक्त

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

गांव की भूमि पर से पानी निकासी हेतु पूर्व में शासन द्वारा नाला बनवाने के लिए जिले के अधिकारियों को आदेश किये गये थे। उक्त भूमि पर नाला बनाये जाने हेतु स्टीमेट भी बन गया था परन्तु अभी तक नाला बनाये जाने का कार्य नहीं प्रारम्भ हो सका है। जिसके लिए क्षेत्रीय जतना द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन से अनुरोध किया गया है लेकिन अभी तक शासन द्वारा नाला बनाये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्याधिक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है और स्थिति अत्यन्त विस्फोटक बनी हुई है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनिय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त गांव में वर्षा आने के पहले नाला निर्माण यथाशीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद जालौन के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संतराम कुशवाहा–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत टाऊन एरिया उमरी से धूता बहराई तक ल0 लगभग 6 कि0मी0 एवं जगम्मनपुर से कन्जौसा तक मरम्मत कार्य 5 किमी0, ग्राम राठौरनपुरा तिराहे एवं मध्य प्रदेश की सीमा से अंगदेला की मडैया और सुन्दरपुरा तक मरम्मत कार्य लगभग ल0 3 कि0मी0 आदि मार्ग अत्यन्त जर्जर हो गया है जो गहरे गढ्ढों में तब्दील हो गया है, जिसके कारण स्कूली बच्चों को क्षेत्रीय लोगों को आने–जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने अनेकों बार समाचार पत्रों के माध्यम से वार्तालाप से शासन को भी अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। जिससे क्षेत्रीय जनता को सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त निम्नलिखित मार्गों का मरम्मत/डामरीकरण का कार्य कराये जाने की कार्रवाई /वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद इलाहाबाद में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल–

ख्कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद–इलाहाबाद स्थित मेरी विधान सभा करछना, अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पर्क मार्ग गौहनियां से करछना सम्पर्क मार्ग, बेला चौराहा से जारी, चाका गेट से एफ0सी0आई0 गोदाम होते हुए मलहरा रेलवे क्रासिंग तक, करछना गौहनियां मार्ग से केशवपुर तक, पुरवा खास चौराहे से रामपुर रेलवे क्रासिंग तक की सड़कें अत्यन्त जर्जर हैं। उपरोक्त सम्पर्क मार्ग पूरे जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग हैं। इन जर्जर मार्गों पर गिरकर प्रायः लोग दुर्घटना ग्रस्त हो रहे हैं।

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपर्युक्त तथ्यों को गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए उपरोक्त सम्पर्क मार्गों को मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद सहारनपुर में स्थापित चौधरी चरण सिंह की स्थापित प्रतिमा के खण्डित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महावीर सिंह राणा–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद–सहारनपुर के अन्तर्गत बी0डी0 बाजोरिया जिला अस्पताल के चौक में स्थित पूर्व में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थापित थी जो कि एक वर्ष पूर्व मूर्ति विखण्डित हो गयी थी। जिलाधिकारी सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर में दूसरी प्रतिमा स्थापित करने के लिए शासन से संस्तुति की थी परन्तु एक वर्ष व्यतीत होने के बावजूद शासन स्तर पर दूसरी प्रतिमा की स्थापना का निर्णय विचाराधीन है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यथाशीघ्र चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थापित कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती के ईंट भट्ठा मालिकों से की जा रही अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

ख्अवगत कराना है कि जनपद बस्ती के विधान सभा 310–बस्ती सदर के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा ईंट भट्ठों, पेट्रोल पम्पों एवं टाउन एरिया के बाहर जनरल मर्चेन्ट की दुकानों से जबरन टैक्स लिया जाता है। इससे सम्बन्धित लोगों में आक्रोश है। महोदय जिला पंचायत से सम्बन्धित लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इन व्यवसाईयों के लिए जिला पंचायत द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है, केवल जबरन टैक्स वसूलने का काम करती है, जो निन्दनीय है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसरायं में कतिपय जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्अवगत कराना है कि जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड–नियामताबाद, विकास खण्ड–चन्दौली की निम्नलिखित सड़कें।

1. पड़ाव चौराहे से बहादुरपुर सकुराबाद होते हुए सहजौर तक सड़क निर्माण।

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

2. बनौली चट्टी से शाहपुर होते हुए मिश्रीपुरा नैशनल हाइवे तक सड़क निर्माण कार्य।

3. दुलहीपुर से व्यासपुर होते हुए फतेहपुर से परोरवॉ मेन रोड तक सड़क निर्माण कार्य।

4. पाण्डेयपुर चकिया रोड से चन्दाईत नहर से डुहुलिया (हसनपुर) तक सड़कें बहुत ही जर्जर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं सड़क में बहुत बड़े–बड़े गढ्ढे हैं जिससे आवागमन पूर्णता बाधित रहता है। बरसात के समय सड़क के गढ्ढों में पानी भर जाता है आवागमन बाधित होता रहता है। जिससे अनेकों दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिसके कारण से क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु एवं बरसात के समय भारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में अनेकों बार विधान सभा सत्र में प्रश्न के माध्यम से एवं पत्राचार के माध्यम से एवं वार्तालाप से शासन को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रतिभारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त विकास खण्डों की सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमित गौरव यादव–

ख्मान्यवर, प्रदेश के बहुसंख्य जनपदों में होम्योपैथिक विभाग में जिले स्तर पर कार्यवाहक व्यवस्था है जो संवेदनशील एवं प्रभावी नहीं है। कार्यवाहक व्यवस्था व्यक्ति विशेष के लिए लाभकारी हैं किन्तु यह लोकहित में नहीं है। ऐसी व्यवस्था राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के समय से खुलने, बन्द होने, अस्वस्थ्य मानवता की सेवा के प्रति सजग, सचेष्ट व संवेदनशील नहीं है। इस व्यवस्था से बदनामी हो रही है। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक से पूर्व की तैयारी के प्रति आयुष अनुभाग–2 व होम्योपैथिक निदेशालय उदासीन है फलतः अपेक्षित सूचनायें/सामग्री जिले से प्राप्त होने में भारी बिलम्व हो रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आप की अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति से नियुक्ति की मांग करता हूं।,

होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार सिंह–

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्मान्यवर, फरवरी, 2009 में सेवा नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत शासन के अनुमति से होम्योपैथी निदेशालय द्वारा किए गए विज्ञापन को 6 वर्ष बाद सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा निरस्त किया जा रहा है जो हजारों पात्र युवा बेरोजगारों की भावनाओं से खेल रहे हैं। शैक्षिक योग्यता व अर्हता परिवर्तन के प्रस्ताव की स्वीकृति की प्रत्याशा में 6 वर्ष पूर्व किये गए विज्ञापन को निरस्त किया जाना गैर कानूनी, मनमाना व उत्पीड़कारी निर्णय आदेश से आवेदक, उनके परिजन, रिश्तेदार, नातेदार व अन्य सम्बद्ध लोग कुण्ठित चिन्तिक व दुखी हैं। यह प्रकरण सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए आयुष अनुभाग–2 का शासनादेश दिनांक 26–02–2015 निरस्त किये जाने की मांग करता हूं।,

होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के नियंत्रक व रजिस्ट्रार के पद का परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार यादव–

ख्मान्यवर, बोर्ड के नियंत्रक पद पर विदेश सेवा संवर्ग के विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा काबिज हैं। नियंत्रक के रूप में नियुक्ति के समय ये आयुष अनुभाग–2 के ही विशेष सचिव थे। वर्तमान में आयुष अनुभाग–2 विशेष सचिव पद पर सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारी तैनात हैं। फिर भी नियंत्रक पद पर पूर्व विशेष सचिव ही आसीन हैं। वर्तमान नियंत्रक को आयुष से सम्बन्धित चिकित्सा पद्धतियों का कोई ज्ञान नहीं है। इनके रहते बोर्ड व होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का भविष्य व अस्तित्व खतरे में है। रजिस्ट्रार पद पर विभागाध्यक्ष/निदेशक, होम्योपैथी तथा निदेशक, होम्योपैथी शोध संस्थान लखनऊ काबिज हैं। निदेशालय व शोध संस्थान के कार्य बाधित हो रहे हैं। बोर्ड हित व कार्य हित में रजिस्ट्रार पद पर परिवर्तन अपरिहार्य है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उ0प्र0 के नियंत्रक व रजिस्ट्रार पद पर परिवर्तन की मांग करता हूं।,

जनपद चित्रकूट में 33/44 के0वी0ए0 का सब–स्टेशन के निर्माणाधीन कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर–

ख्मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद–रामपुर की तहसील–बिलासपुर में रूद्रपुर (उधमसिंह नगर उत्तरांचल) से विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न मिलने की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यह क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के रूद्रपुर देहात फीडर से आपूर्ति लेता है तथा इस क्षेत्र से जुड़े ग्रामों के साथ उत्तराखण्ड राज्य सौतेला व्यवहार कर रहा

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

है। जब चाहता है विद्युत आपूर्ति बन्द कर देता है। इस कारण यहां उत्तर प्रदेश के ग्राम खानपुर में विद्युत उपकेन्द्र विभाग द्वारा प्रस्तावित किया है जिसका प्रस्ताव विभाग में लम्बित है। यदि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अविलम्ब कार्यवाही नहीं की गई तो इस क्षेत्र के किसानों व लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जायेगी। यहां पर भी उत्तराखण्ड राज्य इसकी आपूर्ति पूर्ण रूप से बन्द कर सकता है। यहां पर 33 के0वी0 का उपकेन्द्र अविलम्ब न बनने से क्षेत्र की जनता में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

ख्कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद–चित्रकूट के सिरावल पम्प नहर राजापुर पम्प नहर 33 के0वी0ए0 सब स्टेशन के निर्माण का कार्य मे0 अक्षय सप्लायर्स प्राइवेट लि0 लखनऊ के द्वारा कराया जाना था, कार्य चालू करने की तिथि दिनांक 16–09–2010 तथा पूर्ण होने की तिथि 15–03–2011 एस0ई0 नलकूप मण्डल झांसी द्वारा अनुबन्ध गठित किया गया। लेकिन कम्पनी कार्य पूर्ण किये बिना ही भाग गई। इस प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली गई, दिनांक 19–06–2013 को अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल बांदा एवं अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल झांसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके उपरान्त दिनांक 07–12–2013 को रु0 213.01 लाख सिरावल पम्प नहर एवं 50.00 लाख रु0 राजापुर का कार्य कराने के लिए दिया गया। जिस पर विगत वर्ष से विद्युत वितरण खण्ड चित्रकूट द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों को मेरे द्वारा वार्तालाप के माध्यम से अवगत कराया गया लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते उक्त ठेकेदार के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सिरावल राजापुर पम्प नहर 33 के0वी0ए0 का फीडर लाइन सब स्टेशन का कार्य तथा फीडर लाइन एवं 33/044 के0वी0ए0 सब–स्टेशन के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराने की कार्रवाई की मांग करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा–

ख्मेरे विधान सभा क्षेत्र–मोदीनगर, जनपद–गाजियाबाद में विकास खण्ड–भोजपुर के अन्तर्गत निम्न सड़कें जीर्ण–क्षीर्ण अवस्था में हो चुकी हैं। उक्त सड़कों में बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। जिससे क्षेत्र वासियों को आवागमन में भारी कठिनाई होती है। इस मार्ग पर हाईवे की तरह अत्यधिक वाहनों का आवागमन होता है। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि इस मार्ग को अविलम्ब मरम्मत कराया जाय। यह प्रकरण जनहित से सम्बन्धित है।

1–ग्राम त्यौड़ी–13 बिस्वा में इदरीश के मकान से तलहैटा तक (सुदृढ़ीकरण)।

2–ग्राम इसापुर से ग्राम त्यौड़ी उल्लघंन सीमा तक (सुदृढ़ीकरण)।

3–ग्राम त्यौड़ी–13 बिस्वा में अब्बूबकर मस्जिद से भदोला मार्ग तक (नव निर्माण)।

4–ग्राम–त्यौड़ी–7 बिस्वा से ग्राम सरावां तक (नवनिर्माण)।

5–ग्राम किल्होरा में बम्बे की पटरी से ग्राम कस्तले तक (नवनिर्माण)।

6–मोदीनगर खन्जरपुर गढ़ी मार्ग लगभग–2 कि0मी0 (चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण)।

7–एन0एच0 58 मोदीनगर से कलछीना मार्ग लगभग–3 कि0मी0।

8–शेरपुर माइनर से सौंदा मार्ग तक लगभग–2 कि0मी0।

9–खन्जरपुर गांव से तिवड़ा पट्टी मार्ग तक डामरीकरण।

10–गांव रौरी से मोहिउद्दीनपुर खरखौंदा मार्ग तक काली सड़क 3 कि0मी0।

11–एन0एच0 58 से जलालाबाद रजवाहा की पटरी मनौटा तक 500 मीटर।

12–एन0एच0 58 कादराबाद राजवाहे से सुदामापुरी मोड़ कमल कालेज तक 500 मीटर।

13–हापुड़ मोदीनगर मार्ग से पट्टी होते हुये अमराला 2 कि0मी0।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त मार्ग का पुर्ननिर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।

लधु सिंचाई विभाग, जालौन में कनिष्ठ लिपिक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

ख्कृपया अवगत कराना है कि जनपद–जालौन में लघु सिंचाई विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत लक्ष्मी नारायण द्वारा वर्ष 1996 से 2014 तक विभाग में सरकारी धन में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करके ठेकेदारों से सांठ–गांठ करके अरबों रुपयें का बन्दरवाट किया तथा इसी पैसे से अपना पुराना मकान गिराकर हवेलीनुमा मकान बनवाया जिसकी लागत करोड़ों रुपये होगी तथा उरई एवं राजधानी लखनऊ में

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA
uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

कई आवासीय प्लाट अपने परिवार एवं रिश्तेदारों के नाम खरीदे तथा उरई में ही कई एकड़ कृषि योग्य भूमि खरीदी। इस लिपिक के कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पूर्व सपा सांसद मा0 घनश्याम अनुरागी द्वारा 17–10–2013 को एवं तत्कालीन जिलाधिकारीगण एल0 वेकटेश्वर लू द्वारा 01–06–2002 एवं रिग्जियान सैम्फिल द्वारा 24–07–2007 को एवं शेलेन्द्र विक्रम वेद द्वारा दिनांक 12–02–2015 एवं भारतीय किसान यूनियन द्वारा की शासन को की गई लेकिन लक्ष्मीनारायण द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इन शिकायती प्रार्थना पत्रों को दबवा दिया गया तथा यह अपने कार्य को बखूबी अंजाम देता रहा। वर्तमान में इस लिपिक की हैसियत एक उद्योगपति एंव आई0ए0एस0 से भी जयादा है। इस लिपिक के विरुद्ध जिले के पूर्व सांसद महोदय एवं आलाधिकारियों द्वारा भी कई बार शासन को पत्राचार किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस लिपिक के द्वारा किए गये भ्रष्टाचार की गूंज सम्पूर्ण प्रदेश में हुई थी। लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई न होने से क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अबिलम्बनीय विषय पर कार्यस्थगन के माध्यम से चर्चा करवाये जाने एवं कथित भ्रष्टाचारी लिपिक की सतर्कता जांच करवाकर जिले से अन्यत्र स्थानान्तरण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर में उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनबोध–

ख्मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर जनपद देवरिया के अन्तर्गत लार रोड़ स्टेशन है जिसके दक्षिणी ढाला रामजानकी मार्ग है जो बिहार की तरफ जाता है। आये दिन यहां ट्रेनों के आने के बाद लम्बी लाइन लग जाती है। जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में दक्षिणी ढाला पर रेलवे के उपरिगामी सेतु बनाया जाना जनहित में आवश्यक है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता द्वारा बार–बार मांग की जा रही है। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर क्षेत्रीय जनता में बड़ा आक्रोश व्याप्त है। यह प्रकरण जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है महत्वपूर्ण है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए लार स्टेशन के दक्षिणी ढाला रामजानकी मार्ग है और बिहार को जोड़ता है आवागमन में बाधा हो रही प्रकरण पर विचार करते हुए रेलवे उपरिगामी पुल बनाये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत बाबा ब्रह्मचारी जी की कुटी से आजमगढ़ सरहद तक बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

ख्मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर अन्तर्गत बाबा ब्रह्मचारी जी की कुटी से आजमगढ़ सरहद तक बन्धा का चौड़ीकरण एवं पिच कार्य का नवीनीकरण और राजेसुल्तानपुर बछुआपार के ब्रहम बाबा के स्थान से खनवा हरिजन बस्ती होते हुए ससना तक चौड़ीकरण, पिच का निर्माण तथा राजेसुल्तानपुर सिंघल पट्टी मुख्य मार्ग से तरौना बांसगांव निषाद बस्ती तमासा निषाद के घर तक सी0सी0 रोड एवं बन्धा से सुरेन्द्र यादव के घर के सामने से होते हुए प्राइमरी पाठशाला राम प्रसाद का पुरवा तक सी0सी0 रोड एवं चौड़ी पुलिया के निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त कार्यों को कराये जाने हेतु मैंने जिले के अधिकारियों को कई पत्र लिखे परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला स्थित सुजरहा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती–

ख्मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी सुजरहा घाट नवसृजित तहसील कप्तानगंज अन्तर्गत स्थित है। जिसके दोनों तरफ कई दर्जन ग्राम सभायें स्थित हैं। सुजरहा घाट छोटी गण्डक नदी पर पुल न होने के कारण जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को भी पत्र लिखा है परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए छोटी गण्डक नदी सुजरहा घाट जनपद कुशीनगर पर पक्का पुल बनाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर खरीद दरौली घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद बलिया के सिकन्दरपुर तहसील अन्तर्गत घाघरा नदी पर खरीद दरौली घाट पर पक्का पुल का निर्माण जनता के हित में बहुत अधिक ही आवश्यक है खरीद दरौली घाट जो उ0प्र0 एवं बिहार दो राज्यों को जोड़ता है पक्का पुल का निर्माण हो जाने से दोनों राज्यों की जनता को काफी सुविधा मिल जायेंगी। इस पर पीपा का पुल चल रहा है जहां से जनपद की काफी आबादी बिहार के दरौली, सिवान, मैंरवा,

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

महराजगंज आदि बिहार के जनपद को जोड़ती है। यहां पर पुल न होने से बलिया एवं बिहार की जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में नाव से हजारों लोग अपना सामान मवेशियों को लेकर आते जाते हैं इस पर पक्का पुल बन जाने से बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस कारण खरीद दरौली घाट पर पक्का पुल बनाना जनहित में आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस जनहित एवं लोकमहत्व की सूचना पर बलिया एवं बिहार को जोड़ने के लिए खरीद दरौली घाट पर पक्का पुल का तत्काल निर्माण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा स्थित स्व0 मोहन पहलवान जनपदीय स्टेडियम की जीर्ण–शीर्ण हालत सुधारे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर–

ख्जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मथुरा स्थित स्व0 मोहन पहलवान जनपदीय स्टेडियम की हालत वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण है, जिसमें वर्तमान में खेल के स्थान पर पशु घास चर रहे हैं। उक्त स्टेडियम का नाम स्व0 मोहन पहलवान की स्मृति में रखा गया है जिसमें पहलवानों के लिए एक बहुउद्देश्यीय हॉल एवं उनके प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग सेण्टर बनाये जाने का प्रस्ताव था। किन्तु इस स्टेडियम का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसमें बनाया गया हाल सीपेज के कारण अनुपयोगी हो गया है। इसके साथ ही उक्त स्टेडियम में स्विमिंग पुल, मार्ग प्रकाश की व्यवस्था, पीने हेतु स्वच्छ जल आदि की भी वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है। विगत वर्ष 2014 में मथुरा जनपद में स्व0 मोहन पहलवान स्टेडियम में बना तरणताल का उद्घाटन मा0 मुख्य मंत्री जी ने लखऊ स्थित अपने आवास से किया था, जबकि पूर्ववर्ती बसपा सरकार में बनाया गया तरणताल अभी तक चालू नहीं हो पाया है। यहां पर न तो इसका वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट ठीक है, न बोरिंग ठीक है ओर न ही उसमें विद्युत कनेक्शन है। इतने बड़े तरणताल का उपयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से यहां पर विद्युत व्यवस्था कराते हुए वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट तथा नलकूप बोरिंग ठीक कराये जायं, जिससे कि उक्त तरणताल सुचारु रूप से चालू हो सके, जिसका की आधा–अधूरा निर्माण कार्य अभी तक हुआ है। जब तक उक्त कार्य नहीं कराया जायेगा तब तक उक्त तरणताल समुचित ढंग से संचालित नहीं हो सकता। कुश्ती हेतु बना हाल भी अव्यवस्थाओं का शिकार है। रनिंग ट्रैक भी क्षतिग्रस्त है, जिसका निर्माण आवश्यक है।

इसी के साथ–साथ अवगत कराना है कि मथुरा जनपद में स्थित जनपदीय स्टेडियम में स्थान न होने के कारण उसमें लॉन टेनिस खेलने का कोई प्राविधान नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरे अनुरोध–पत्र पर मा0 मंत्री, खेलकूद द्वारा यह जवाब दिया गया कि इस हेतु भूमि नहीं उपलब्ध है, जबकि मेरी विश्वस्त जानकारी में यमुना एक्सप्रेस–वे से

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

होते हुए वृन्दावन कट से मथुरा–वृन्दावन जाने वाली सड़क पर 100 शैय्या हॉस्पिटल के पास 04–05 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसका अधिग्रहण जिलाधिकारी, मथुरा के माध्यम से कराया जा सकता है। उक्त भूमि ग्राम सभा की भूमि है। उक्त भूमि पर लॉन टेनिस के 03 कोर्ट, दर्शक–दीर्घा, वेटिंग रूम, ट्यूबवेल की बोरिंग, प्रकाश की व्यवस्था तथा मार्ग इत्यादि बनाकर एक अच्छा टेनिस स्टेडियम जनहित में बनाया जाना अति–आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए 1–स्व0 मोहन पहलवान जनपदीय स्टेडियम, मथुरा में उपरोक्त आवश्यक व्यवस्था कराकर चालू किये जाने तथा 2–यमुना एक्सप्रेस–वे से मथुरा–वृन्दावन जाने वाले मार्ग पर 100 शैय्या हास्पिटल के पास 04–05 एकड़ भूमि पर 03 कोर्ट का लॉन टेनिस का स्टेडियम सभी आवश्यक व्यवस्था सहित, को शीघ्र बनाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद कुशीनगर की नगर पंचायत खड्डा के अध्यक्ष द्वारा किये गये गबन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुधाकर सिंह–

ख्मैं आपके माध्यम से गम्भीर विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नगर पंचायत खड्डा जनपद कुशीनगर मु0स0–978/14 में नगर पंचायत अध्यक्ष शारदा तुलस्यान के द्वारा सात लाख नब्बे हजार दो सौ तिरासी रुपया (7,90,283/–) गबन किया गया है। जिसमें अधीशासी अधिकारी, अवर अभियन्ता नगर पंचायत खड्डा एवं ठेकेदार रमेश तिवारी नं0पं0 खड्डा, श्रवण अग्रवाल देवरिया, अवधेश शुक्ला नं0पं0 खड्डा, के ऊपर गबन का मुकदमा दर्ज है। अ0सं0–978/14, दिनांक 13–7–14 धारा–419, 420, 467, 468, 471 व 409 आई0पी0सी0 के तहत दर्ज प्राथमिकी अपर जिलाधिकारी, कुशीनगर के आदेशानुसार दर्ज करायेंगे। परन्तु अध्यक्ष श्रीमती शारदा तुलस्यान के ऊपर अ0दर्ज नहीं करायी गयी है। जो घोर अपराध है। जिसकी जांच कर अपराध मुकदमा मे सम्मिलित किये जाने की मांग करायी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर कार्रवाई किये जाने की मांग सरकार से करता हूं।,

जनपद लखनऊ के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल संकट का निवारण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

ख्रोटी, कपड़ा एवं मकान की तरह जीवन में पानी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिना पानी के जीवन संभव ही नहीं है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ कैण्ट जनपद लखनऊ में पीने के पानी की अत्यंत गंभीर समस्या है। जिसके कारण क्षेत्र की जनता हर रोज विभिन्न प्रकार की समस्याओं

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

से दो–चार होती है। पिछले काफी समय से मेरे पास क्षेत्र में ट्यूबवेल लगवाने हेतु आवेदन आ रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के गीतापल्ली वार्ड में कच्ची बस्ती में एक ट्यूबवेल, अर्जुन नगर मोहल्ले में तिकोनिया पार्क के पास एक ट्यूबवेल, तेजीखेड़ा कालोनी मस्जिद के पीछे एक ट्यूबवेल व गणेशगंज वार्ड में हाता मातादीन पर एक ट्यूबवेल लगवाना अत्यंत आवश्यक है। जिससे क्षेत्र की जनता को आने वाली भीषण गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी की मात्रा प्राप्त हो सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।,

जनपद बहराइच में रामपुर धोबियाहार को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी शर्मा–

ख्जनपद–बहराइच के अन्तर्गत मेरे विधन सभा क्षेत्र नानपारा के रामपुर धोबियाहार को ब्लाक बनाये जाने एवं रूपडिहा को नगर पंचायत बनाये जाने को लेकर जनता वर्षों से मांग करती चली आ रही है परन्तु जनता की मांग पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके सम्बन्ध में मैंने अपने पत्र दिनांक 20 मार्च, 2015 को रामपुर धोबियाहार को ब्लाक बनाये जाने एवं दिनांक 24 मार्च, 2015 को रूपईडीहा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र देकर ध्यान आकृष्ट कराते हुए रूपईडीहा को नगर पंचायत बनाये जाने एवं रामपुर धोबियाहार को ब्लाक बनाये जाने का जनता की मांग के अनुसार अनुरोध किया था। परन्तु अभी तक जनता की मांग का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। जिससे जनता में रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः उपरोक्त जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराकर शासन से तत्काल कार्रवाई करते हुए रूपईडीहा को नगर पंचायत बनाये जाने एवं रामपुर धोबियाहार को ब्लाक बनाये जाने की मांग करती हूं।

जनपद अमेठी की तहसील तिलोई स्थित पावर हाउस की बिल्डिंग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 मो0 मुस्लिम––

ख्सूचनीय है कि हमारी विधान सभा तिलाई जनपद–अमेठी के तहसील तिलोई के अन्तर्गत ग्राम सेमरौता एवं इन्हौंना में स्थित पावर हाउस जिसकी क्षमता 33/11 के0वी0 5 एम0वी0ए0 का पावर सब–स्टेशन स्थित है। उक्त पावर स्टेशनों की बिल्डिंग बहुत ही जर्जर हो गयी है। जिससे कर्मचारियों पर हमेशा जान–माल का खतरा बना रहता है तथा पावर हाउस के उपकरण बहुत ही पुराने तथा जर्जर हो गये हैं। उक्त पावर हाउसों की मरम्मत जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। यदि ऐसा न हुआ तो कभी भी किसी भी समय दुर्घटना व जान–माल का खतरा हो सकता है।

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं वक्तव्य/चर्चा की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया स्थित भीमपुरा को नया ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल–

ख्मैं आपके माध्यम से गम्भीर विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद बलिया स्थिति भीमपुरा को नया ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में पिछली सपा सरकार में भूमि का चयन व सर्व आदि माननीय नेता जी के निर्देश पर हो चुका है। यह ब्लाक सीयर व नगरा जो बड़े ब्लाक हैं के कुछ हिस्से निकाल कर नया ब्लाक भीमपुरा को बनाया जा सकता है पिछड़े क्षेत्र में भीमपुरा ब्लाक बनाये जाने की अतिआवश्यकता है। यह जनहित का विषय है स्थानीय लोगों से जुड़ा है और तत्काल पूर्व में की घोषणा के अनुसार भीमपुरा को ब्लाक बनाकर स्थानीय लोगों को सुविधायें दिये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के गौतमबुद्धनगर के कस्बा जेवर में तहसील कम्पाउण्ड के सामने ग्राम समाज की रिक्त भूमि पर कन्या डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

ख्महोदय, लोकमहत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि देश को 66 वर्ष की आजादी के बाद भी देश की मातृशक्ति के 49 प्रतिशत के साथ घोर अन्याय हो रहा है। कई बार सड़क जाम व धरना प्रदर्शन हो चुके हैं तथा आत्महत्या जैसी संगीन धमकियां दी जा चुकी हैं। प्रशासन व समझदार व्यक्तियों के हस्तक्षेप से मामला शान्त हुआ, मामला संगीन है और गम्भीरता से विचार करने का है कि कस्बा जेवर में तहसील कम्पाउण्ड के सामने श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (राजाबाबू) और ग्राम समाज के बीच झगड़ा और बाद में वह जमीन आज ग्राम समाज के हक में है। अभिलेखों में दर्ज है। ग्राम समाज की 30–40 बीघा जमीन शहर के नजदीक तहसील कम्पाउण्ड के पास खाली है। मैं चाहूंगा कि उक्त भूमि पर एक राजकीय कन्या डिग्री कालेज जेवर (गौतमबुद्ध नगर) में खोले जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार को पीठ से निर्देशित करने की अनुकम्पा करेंगे। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया स्थित भीमपुरा नं0–1 को नया ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्री गोरख पासवान–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र–357 बेल्थरा रोड जनपद–बलिया के अन्तर्गत क्षेत्रीय जनता की परेशानियों को देखते हुए नवीन विकास खण्ड भीमपुरा के नवनिर्माण हेतु 02 मई, 2012 को मा0 स्व0 शारदानन्द अंचल पूर्व मंत्री उ0प्र0 की पुण्य तिथि के अवसर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तत्कालीन मा0 राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी जी द्वारा विकास खण्ड–नगरा एवं विकास खण्ड–सियर के कुछ हिस्सों को काटकर बनाने की घोषणा की गयी थी। जिसमें कुछ कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी तथा भूमि विकास खण्ड भीमपुरा नं0–1 के नाम से राजस्व अभिलेखों में आरक्षित है। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2001 की जनगणना के अनुसार नये विकास खण्ड में सम्मिलित होने वाले न्याय पंचायत व ग्राम पंचायत का विवरण तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 को प्रेषित किया गया जा चुका है लेकिन उक्त के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही अब तक पूर्ण नहीं की गयी है। जिससे आम जनमानस असमन्जस्य की स्थिति में है। यह जनहित का विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में नवसृजित विकास खण्ड भीमपुरा नं0–1 की अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण कराकर विकास खण्ड को मूलभूत रूप से संचालित कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ की नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले बरावनकलां में नालियों की सफाई एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ नगर निगम सीमान्तर्गत ग्राम बरावन कलां में नाली सफाई व अतिक्रमण हटाये जाने विषयक माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 07–03–2013 को दिये गये वक्तव्य का अनुपालन नहीं किया गया फलस्वरूप–

1–जल विकास हेतु बनी नाली बन्द होने के कारण नापदान का गन्दा पानी सड़क पर बह रहा है, सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज में हो रही बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को स्वाइन फ्लू/संक्रामक रोगों को फैलने का गम्भीर खतरा बना हुआ।

2–दुबग्गा से बरावन कलां जाने वाले मार्ग पर स्थित नटवीर बाबा देवस्थान के पास सड़क से लैस गोवर का ढेर लगा रखा गया है जबकि नगर निगम की सीमा में भैंस डेयरी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। गोवर के ढेर से आने–जाने वाले कई बार उसमें गिरकर चोटिल हो चुके हैं।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में सरकार से पुनः वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।,

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेशपति त्रिपाठी–

ख्लोक महत्व एवं जनहित के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में स्थित मड़िहान तहसील में मुंसिफ कोर्ट न होने की वजह से इस तहसील क्षेत्र के निवासियों को अपने मामले की सुनवाई एवं पैरवी हेतु मिर्जापुर जनपद न्यायालय स्थित मुंसिफ कोर्ट में जाना पड़ता है। मड़िहान तहसील से मिर्जापुर की दूरी 30 से 70 कि0मी0 होने के कारण यहां के गरीब निवासियों को अपने मामले को देखने हेतु बार–बार मिर्जापुर जाने में उनका काफी धन एवं समय बर्बाद होता है। मड़िहान तहसील में मुंसिफ कोर्ट बनाये जाने हेतु क्षेत्र के स्थानीय निवासी एवं मड़िहान तहसील के अधिवक्तागण कई बार धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन दे चुके हैं। इसलिए जनहित एवं सुलभ न्याय हित में मड़िहान तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किया जाना अति–आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में स्थित मड़िहान तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

लोक निर्माण अनुभाग–8 द्वारा लिये गये अनुचित निर्णय से कर्मियों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर'–

ख्मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान, शासन के लोक निर्माण अनुभाग–8(8) के अर्धशासकीय पत्र संख्या–698/23–8–14 दिनांक 15 अप्रैल, 2014 द्वारा लिये गये अनुचित निर्णय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसके द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कार्मिकों तथा पेंशनर्स को 'पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट' के अनुसार अब तक उनका बकाया आंशिक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में राजकीय निर्माण निगम के प्रबन्धन तथा शासन के लोक निर्माण अनुभाग–(8) द्वारा परस्पर विरोधी तथ्य एवं आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं। एक ओर शासन द्वारा अपने दुराग्रह के कारण निगम के निदेशक मण्डल द्वारा विगत् पांच वर्षों से लगातार सर्वसम्मति से अनुमोदित वार्षिक बजट प्रस्तावों में अर्न्तनिहित पंचम वेतनमान के बकाया वेतन भुगतान को, वर्ष 2005–06 की अपर्याप्त लाभ की स्थिति (रु0 22.74 करोड़) दर्शाते हुए अस्वीकृत किया गया है, वहीं दूसरी ओर निगम प्रबन्धन ने निगम द्वारा अर्जित ऐतिहासिक आर्थिक सुदृढ़ता के कारण निगम का कुल संचित लाभ, जो उस समय मात्र 34.30 करोड़ रुपये था, प्रतिवर्ष निरन्तर बढ़कर अब रुपये 567.59 करोड़ से अधिक हो चुका है। निगम द्वारा तब से अब तक करीब 575 करोड़ से अधिक का भुगतान आयकर

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

विभाग को विभिनन मदों में किया जा चुका है। साथ ही निगम मुख्यालय के सौन्दर्यीकरण एवं बदलाव के नाम पर नियमों के विपरीत करीब रुपये 50 करोड़ का अनुचित भुगतान कर दिया गया है, जबकि निगम मुख्यालय में मानकों के विपरीत अपर्याप्त एवं जर्जर अग्निशमन व्यवस्था के कारण सैंकड़ों कर्मचारियों का जीवन तथा करोड़ों की सम्पत्ति ईश्वर भरोसे छोड़ दी गयी है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा बकाया वेतन के सम्बन्ध में की जा रही अनुचित अड़ंगेबाजी को तत्काल रोका जाना आवश्यक है।

अस्तु व्यापक लोक महत्व के उपरोक्त सुनिश्चित विषय पर मैं तत्काल प्रभावी कार्रवाई एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद इलाहाबाद में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्महोदय, इलाहाबाद में विद्युत तारों, खंभों, ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था बहुत की जर्जर है। इनको बदलकर सुचारु एवं अबाधित विद्युत आपूर्ति के लिए यू0पी0ए0 की भारत सरकार ने आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना चलायी थी जिसमें जर्जर विद्युत खम्भें तथा बल्लियों को बदलने, नंगे तारों को बदलकर केबिल तथा बंच कण्डक्टर लगाने, खराब ट्रांसफार्मरों को परिवर्तित कर उच्चीकृत आदि करना था। 2011–2012 में योजना कुछ दिनों चलकर बंद हो गई।

अभी भी नगर के गंगा नगर, ऊंचवागढ़ी, राजापुर, नेवादा, छोटा बघाड़ा, दारागंज, बक्शी कलां व खुर्द, स्ट्रैची,–स्टैनली रोड–सिविल लाइंस, मेंहदौरी, रसूलाबाद, शंकराघाट, सादियाबाद, मातादीन का पुरा, फाफामऊ बाईपास, ढरहरिया, चांदपुर, बाबाजी का बाग, बड़ी बगिया–लाला की सरैया, स्वराज्य नगर, भुलई का पुरा, 14 कटरा रोड, ऐलनगंज, नया कटरा, कटरा, ममफोर्डगंज तथा कर्नलगंज आदि मुहल्ले इससे ग्रसित हैं।

अतः अविलम्बनीय, लोकमहत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्बनीय आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत उपरोक्त मुहल्लों के जर्जर विद्युत खम्भों–बल्लियों, तारों आदि को बदलकर केबिल बंच कंडक्टर लगवाने की मांग करता हूं।,

जनपद बांदा में परिषदीय विद्यालयों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त सहायक अध्यापकों को सेवायोजित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह–

ख्महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि प्रदेश में वर्तमान में परिषद्ीय विद्यालयों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक के पद पर सेवायोजित किये जाने की

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

कार्यवाही प्रचलित है। किन्तु जनपद–बांदा एवं चित्रकूट के 1. बृजेश चन्द्र शुक्ला, निवासी ग्राम व पोस्ट–साडासानी, बबेरु, जनपद–बांदा, 2. वन्दना श्रीवास्तव, निवासी–ए–267, आवास विकास कालोनी, बांदा, 3. लक्ष्मी पाटकर, निवासी–कलकत्ता वाले धर्मशाला के पास, सीतापुर, चित्रकूट एवं 4. सुशील कुमारी निगम, निवासी–बडोखर बुजुर्ग, जनपद–बांदा जिन्होंने मध्य प्रदेश से बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र (बी0टी0सी0) जो कि वर्तमान में डिप्लोमा इन एजुकेशन हो गया है की प्रशिक्षण उपाधि 1993–1994 में उत्तीर्ण किया है। इन्होंने अपने सेवायोजन हेतु 12–08–1996 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा द्वारा जारी विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन किया था। चयन समिति, बांदा द्वारा दिनांक 06–11–1996 को इन लोगों का साक्षात्कार कर चयन कर लिया गया, किन्तु नियुक्ति–पत्र नहीं प्रदान किया गया। बाद में चयन समिति द्वारा यह कहकर कि ''म0प्र0 बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र की समकक्षता उ0प्र0 में नहीं है'' उक्त अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया। उक्त अभ्यर्थियों की प्रार्थना पर तत्कालीन शिक्षा निदेशक, लखनऊ एवं अचला खन्ना संयुक्त निदेशक के द्वारा पारित आदेश के क्रम में दिनांक 07–03–2011 को तत्कालीन जिलाधिकारी, बांदा के समक्ष चयन समिति ने पुनः साक्षात्कार किया। उक्त अभ्यर्थियों ने मजबूरन मा0 न्यायालय की शरण ली जिसमें इनकी समकक्षता एवं योग्यता समान मानते हुए इनकी रिट याचिका स्वीकार की गयी तथा चयन प्रक्रिया में सम्मिलित करने का आदेश पारित हुआ। किन्तु इनका प्रकरण अभी लंबित है।, जबकि उक्त अभ्यर्थियों के समान योग्यताधारी अभ्यर्थियों श्री खालिद खान, बांदा की नियुक्ति की गयी है। जिला ललितपुर में भी ऐसे 05 लोगों की नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों में समानता एवं सदृशता के आधार पर नियुक्ति न प्रदान किये जाने से शासन के प्रति रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

प्रदेश में बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयादीन अनुरागी–

ख्जनहित के महत्वपूर्ण विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बे–मौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलें पूर्णतया नष्ट हो गयी हैं। किसान बुरी तरह निराश, दुःखी एवं परेशान हैं। इस क्षेत्र में साल में एक ही बार फसल होती है, वह भी पूर्णतया नष्ट हो जाने से क्षेत्र का किसान आये दिन धरना–प्रदर्शन, रोड जाम तथा जनप्रतिनिधियों के घरों का घेराव कर रहे हैं। वैसे भी इस क्षेत्र का किसान पूर्व के कई वर्षों से कर्ज, बेरोजगारी, आगजनी, बे–मौसम बारिश, ओला, आदि प्राकृतिक आपदाओं से परेशान होकर आये दिन कोई न कोई किसान आत्महत्या करता रहता है। अधिकारियों द्वारा जो सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

है, उसमें तथ्यों को छिपाकर सत्य से परे रिपोर्ट भेजी जाती है, जिससे किसान बेहद दुःखी, निराश व आक्रोशित हैं। किसान सामूहिक आत्महत्या करने की धमकी देते रहते हैं। यहां के किसान में सरकार एवं प्रशासन के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। ऐसी स्थिति में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए किसानों की फसलों का 100 प्रतिशत हुई क्षति के मुआवजा दिया जाना अति आवश्यक है। किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाये जाने तथा सर्वदलीय कमेटी का गठन कर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों द्वारा आये दिन की जा रही आत्महत्याओं की जांच कराकर, आत्महत्याएं रोकने के उपाय किया जाना अति आवश्यक है।

अतः अति लोकमहत्व के अविलम्बनीय एवं मानवीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र मुआवजा प्रदान करने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर समेत पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये जाने हेतु कमेटियां गठित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलनवाज खां–

ख्मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि श्री अनंत देव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा जनपद के ग्रामों में आपसी साम्प्रदायिक भाईचारा कायम करने तथा वादमुक्त, अपराधमुक्त माहौल बनाने के उद्देश्य से बुलन्दशहर के ग्रामों में सभ्रान्त पुलिसमित्र बनाकर एस–7 एवं एस–10 कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक ग्राम में 07 संभ्रान्त व्यक्तियों को सदस्य के रूप में चिन्हित कर जनपद मे लगभग 15000 व्यक्तियों को पहचान–पत्र दिया है। इन सभी व्यक्तियों के साथ थाना स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गोष्ठी आयोजित की जाती है। कमेटी एस–7 एवं एस–10 का उपयोग ग्राम स्तर की समस्याओं के समाधान कराने व आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना देने, साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल बनाने तथा कानून–व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग लिया जाता है ताकि कोई समस्या उत्पन्न ना हो पाये, यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान वहीं त्वरित गति से कर दिया जाता है। श्री अनन्त देव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर की यह कार्यप्रणाली जनपद–बुलन्दशहर में बहुत सफल हुई है। जनपद में साम्प्रदायिक भाईचारे का माहौल बना है तथा ग्रामों में अपराधों में कमी भी आयी है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर कानून–व्यवस्था में सुधार लाने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने हेतु समस्त उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा उपरोक्त एस–7 व एस–10 कमेटी गठित कराने की मांग करता हूं।,

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा में मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दुबे–

ख्महोदय, जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा एवं विकास खण्ड नेबुआ नौरंगीया के अन्तर्गत निम्न गड्ढायुक्त प्रमुख मार्गों का मरम्मतीकरण एवं नवनिर्मित मार्गों का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। उक्त प्रमुख मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से न केवल किसान, बल्कि नित्य आने–जाने वाले स्कूली बच्चे दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। नवनिर्माण हेतु मार्गों का विवरणः– 1–क्रान्ति चौराहा के पंचायत भवन से छावनी टोला नहर पुल तक पिच निर्माण 1.5 कि0मी0। 2–देवतहां से बलुअहीं नहर चौराहे तक पिच निर्माण 2 कि0मी0। 3–एकडन्गा से बन्धू छपरा से होते हुए बनवारी छपरा तक 3 कि0मी0। 4–चितामन चक से दामोदरी तक पिच निर्माण 4 कि0मी0। मरम्मती हेतु विवरणः– 1–घुघली से कोटवां 14 कि0मी0। 2–जटहां मोड़ (नेबुआं) से जटहां तक 7 कि0मी0। 3–कटियाही भरपुरवां के तपसी मार्ग 1.5 कि0मी0। 4–पकड़ी भैसहां मार्ग से लक्ष्मीपुर पडरहवा होते माधी भगवानपुर तक 3 कि0मी0 है। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विभिन्न स्थानों पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू–

ख्महोदय, निवेदन है कि ग्राम सभा नन्दपुर दशहवां के टोला पुष्पक नगर में लगभग 700 परिवार लगभग 32 एकड़ जमीन पर निवास कर रहा है। इन लोगों को 1960 में जब बाढ़ आयी थी उस समय अमवाखास के टोला सौराहा, सेमरहा, भगवानपुर, रक्तइया, महुअवां, खुरहुरिया, कथवलिया, करवतही, हसुअई, किसुनवां, गोखुला, बनरही बरवा पट्टी, खैरटिया में निवास करने वाले लोगों का घर व टोला बाढ़ के कारण कट गया था। उस समय तत्कालिक अधिकारियों ने इन्हें ग्रामसभा नन्दपुर दशहवां के टोला पुष्पकनगर में लगभग 700 परिवार लगभग 32 एकड़ तथा बेरहनी टोला में 28 घर को 3 एकड़ में तत्कालिक उप जिलाधिकारी श्री पुष्पक शर्मा द्वारा बसा दिया गया। 1970 में इन लोगों को जमीन भी पट्टा किया परन्तु बाद में इस जमीन को बिना जांचें समझें वन विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया।

साथ ही साथ ग्रामसभा बासगांव खलवा टोला के लोग जो आजादी के पहले से 6 एकड़ में लगभग 170 परिवार में निवास करते हैं। जिनका 1972 में इसी जमीन पर पट्टा भी हुआ। 1979 में इनके पट्टे को खारिज कर वन विभाग में दर्ज कर दिया गया। इन लोगों को इन्दिरा आवास भी लगभग 35 की संख्या में सरकार द्वारा दिये गए लेकिन वन विभाग के उत्पीड़ात्मक कार्रवाई के कारण ये लोग अपना मकान नहीं बना पाये।

उक्त जमीन पर निवास करने वाले लोग ग्रामसभा नन्दपुर दशहवां के टोला पुष्पक नगर व बेरहनी टोला तथा बासगांव के खलवा टोला के लोग जब से इस देश में आजादी मिली तब इस जनतंत्र में वोट देने का कार्य तथा राशन कार्ड से लाभान्वित है।

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः आपसे अनुरोध है कि बाढ़ विस्थापित ग्राम सभा नन्दपुर दशहवां के टोला पुष्पक नगर जो लगभग 700 परिवार व 32 एकड़ जमीन मे स्थित है साथ ही साथ बेरहनी टोला 28 घर जो 3 एकड़ में स्थित है तथा बासगांव टोला खलवा 170 घर जो लगभग 6 एकड़ में स्थित है। इन लोगों के पास दूसरी कोई जमीन नहीं है। ये लोग काफी गरीब और असहाय हैं। रोजमर्रा की जिन्दगी जीने वाले लोग हैं। इन लोगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन लोगों को वन विभाग से मुक्त कर इनको इनकी मालिकाना हक दिलाने की कृपा करें।,

जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र के जगदीशपुर के ब्लाक शुकुल बाजार को जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधे श्याम–

ख्महोदय, जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के ब्लाक शुकुल बाजार से जैनबगंज कस्बा, सत्थिन चौराहा, रानीगंज बाजार से एन0एच0 56 वारिसगंज तक जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई 26 किलोमीटर है तथा एन0एच0 56 जगदीशपुर से ग्राम सत्थिन को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई 12 किलोमीटर है। दोनों सम्पर्क मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं जो कि मौजूदा समय में अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढायुक्त हैं। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता आये दिन दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। सड़क पर बड़े–बड़े गड्ढे होने के कारण चल पाना दूभर व मुश्किल हो गया है। दोनों सड़क की विशेष मरम्मत (नव निर्माण) किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण लोकमहत्व का है।

अतः मान्यवर उपरोक्त सड़कों/मार्गों का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है व लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ के ग्राम–जलौदी नगर के पास लोनी स्केप पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती चन्द्रा रावत–

ख्मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र 176–मोहनलालगंज के अन्तर्गत, ब्लाक–गोसाईगंज, जनपद–लखनऊ के एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। ग्राम–जलौदी नगर के पास लोनी स्केप पर एक पुल बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। वहां पर पुल न होने के कारण उस क्षेत्र के लोगों का आवागमन में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहां पुल बन जाने से ब्लाक–गोसाईगंज के सलेमपुर, लोधपुरवा, जलौदी नगर, लोनियन पुरवा, मदारपुर, सीफत नगर, बस्तौली, सिटकिहा, महुरा, चमरतलिया आदि ग्राम पंचायतों के हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सकेगी।

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः व्यापक लोकहित के इस मामले को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से ग्राम–जलौदी नगर, ब्लाक गोसाईगंज, जनपद–लखनऊ के पास लोनी स्केप पर एक पुल बनाये जाने की मांग करती हूं।,

जनपद कुशीनगर स्थित ग्राम–लक्ष्मीपुर, विकास खण्ड पड़रौना में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित आश्रम पद्धति विद्यालय को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पड़रौना, जनपद–कुशीनगर के अन्तर्गत ग्राम–लक्ष्मीपुर, विकास खण्ड–पड़रौना में समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालय लगभग तीन वर्ष पूर्व बनकर तैयार हो चुका है। किन्तु इसमें अभी तक पठन–पाठन का कार्य शुरू नहीं कराया गया है। पठन–पाठन कार्य शुरू न कराये जाने से क्षेत्रीय जनता में काफी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि जनपद–कुशीनगर स्थित ग्राम–लक्ष्मीपुर, विकास खण्ड–पड़रौना में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित आश्रम पद्धति विद्यालय को संचालित कराये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करायें।,

समाज कल्याण विभाग द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन में की जा रही अनियमितताओं को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा–

ख्महोदय, प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित विधवाओं एवं असहाय वृद्धों को 300/– रुपये मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे वह अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इन्हें 6 माह बाद पेंशन राशि दी जाती है, लेकिन बहुत सी निराश्रित विधवाओं एवं वृद्धाओं को 10–12 महीने बीत जाने के बाद भी पेशन नहीं मिली है, जिससे इनके परिवार के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है। इतनी भीषण महंगाई में 300/– रुपये मे पूरे महीने जीवन यापन करना अत्यधिक दुभर कार्य है। यह पेंशन बढ़ाकर कम से कम 600/– रुपये प्रति माह की जाये तथा इन्हें 6 माह में पेंशन राशि मिले। यह सुनिश्चित किया जाये कि लखनऊ शहर में 10 से 12 महीने पेंशन का पूरा वितरण न होने तथा इसमें होने वाली धांधली की जांच करायी जाये।

समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत 2014–15 में जो फार्म भरे गये थे उसके योग्य पात्रों की अभी पूरी सूची जारी नहीं हुई है तथा हजारों पात्रों की पेंशन राशि उनके खातों में नहीं पहुंची है।

कृपया नियम–301 के अन्तर्गत अत्यधिक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य दिये जाने के साथ मांग करता हूं कि निराश्रित विधवाओं एवं वृद्धाओं की पेंशन 300/– रुपये से बढ़ाकर कम से कम 600/– रुपये की जाये। पिछले 10–12 महीनों से जिन्हें निराश्रित विधवा एवं वृद्धों की पेंशन रुकी है उनके खाते में पेंशन भेजी जाये।

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत सभी चयनित पात्रों की पेंशन राशि उनके खातों में भेजी जाये।,

जनपद सिद्धार्थनगर स्थित क्षतिग्रस्त एफ0एन0बी0एस0 मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती लाल मुन्नी सिंह–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद सिद्धार्थनगर के एफ0एन0बी0एस0 मार्ग जो कपिया से लेकर बढ़नी वार्डर तक जाती है। जिसकी लम्बाई 30 कि0मी0 है यह सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिससे आवागमन बाधित हो गया है। सड़क के टूट जाने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। सड़क के टूटने के कारण चलने फिरने में लोगों की कई मौते भी चुकी हैं। ऐसे स्थिति में सड़क के निर्माण कार्य को कराया जाना जनहित में आवश्यक है। इसी तरह से तरणताल का जीर्णोधार कराया जाना जनहित में आवश्यक है। यह लोक महत्व का विषय है और जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए कपिया से लेकर बढ़नी जिसकी लम्बाई लगभग 30 किमी0 है, को मरम्मत कराये जाने हेतु एवं तरणताल का जीर्णोधार कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।,

महानगर लखनऊ के हंस खेड़ा में पारा से कृष्णानगर जाने वाली रोड पर स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई सरोज–

ख्मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान पूर्व में नियम–301 के अन्तर्गत लगाई गयी सूचनाएं दिनांक 10–12–2013, 26–02–2014 एवं दिनांक 02–07–2014 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, लखनऊ के हंस खेड़ा में पारा से कृष्णानगर जाने वाली रोड एवं हंस खेड़ा से मुन्नू खेड़ा के चौराहे के पास (बगल में) ही बनी मलिन बस्ती जो डूडा कालोनी के नाम से जानी जाती है, में स्ट्रीट लाइट लगाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि आज तक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जबकि बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था कर दी गयी है। उक्त दी गयी सूचनाओं के उत्तर में यह इंगित किया गया था कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का काम नगर विकास से सम्बन्धित है जिसकी सूचना उक्त विभाग को दे दी गयी है, फिर भी आज तक स्ट्रीट लाइट लगाने के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गयी है।

---

uksV%& [ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कालोनी में प्रवेश मार्ग पर सोडियम स्ट्रीट लाइट लगवाने हेतु कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाय।,

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद–गाजियाबाद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र–साहिबाबाद के अन्तर्गत हिण्डन एयर फोर्स चौक से लेकर तुलसी निकेतन भौपुरा तक ग्रीन बेल्ट पर अवैध इम्प्रोजमेण्ट के कारण वहां की सुन्दरता गायब हो रही है और आम जनता को ग्रीन वेल्ट का लाभ नहीं मिल पर रहा है। ऐसी परिस्थिति में उक्त इम्प्रोजमेण्ट को हटाकर सौन्दर्यीकरण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। इसके अतिरिक्त काला पत्थर इन्दिरापुरम् एन0एच0–24 से मंगल चौक एवं सी0एस0एफ0 शिप्रा सनसिटी से कनावली पुलिया तक का इम्प्रोजमेण्ट होने के कारण आम जनता में आक्रोश व्याप्त है। उक्त इम्प्रोजमेण्ट में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की संलिप्तता साफ जाहिर हो रही है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त इम्प्रोजमेण्ट हटाए जाने एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद के पटेल नगर–3 के ब्लाक स्थित पार्क की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल–

ख्मान्यवर,

मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत पटेल नगर–प्प्, के ब्लाक में स्थित पार्क के चारो तरफ की सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त एवं अत्यन्त जर्जर हालत में है। यहां काफी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। सड़क के जर्जर हालत में होने से यहां के निवासियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क पर चलना भी दूभर है।

अतः मैं सदन के माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद चन्दौली स्थित शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर में स्नातकोत्तर व बी0एड0 पाठ्यक्रम आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुशील सिंह–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद चन्दौली स्थित शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर जिसमें स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु विषय की मान्यता मिली हुई है जिसमें अर्थशास्त्र, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयक हेतु

---

uksV&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

प्रवक्ताओं की संख्या कम है, जिससे छात्र–छात्राओं को समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है एवं उक्त महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व बी0एड0 प्रशिक्षण की नितान्त आवश्यकता है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व बी0एड0 प्रशिक्षण एवं प्रवक्ताओं की नियुक्ति की सरकार से मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट स्थित नौहझील के किसानों का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र–माट, जिला–मथुरा के नौहझील में किसानों द्वारा खेतों में सिंचाई के लिए विद्युत की उपलब्धता न होने तथा भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आन्दोलन किया जा रहा था। आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए किसान एक मेटाडोर में बैठकर आन्दोलन स्थल पर जा रहे थे और रास्ते में पुलिस की गाड़ी तेज गति से ओवर टेक करने लगी जिससे पुलिस की गाड़ी मेटाडोर से टकरा गई और मेटाडोर पलट गई, उसमें बैठे किसान बुरी तरह जख्मी हो गये। उन किसानों को मेडिकल कालेज आगरा, जिला अस्पताल आगरा और जिला अस्पताल, मथुरा में भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा है उनमें से कइयों की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है। इस घटना के कारण क्षेत्र की जनता में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से नौहझील में पुलिस की गाड़ी द्वारा टकराने के कारण हुई दुर्घटना की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तथा घायल किसानों को मुआवजा दिये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद हापुड़ में सरकारी भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजराज सिंह–

ख्जनहित के प्रकरण पर अवगत कराना है कि जनपद हापुड़, गाजियाबाद से विभाजित होकर 03 वर्ष पूर्व नया जिला सृजित हुआ था हापुड़ मुख्यालय पर लगभग सभी सरकारी कार्यालय किराये पर और सरकारी भवनों में चल रहे हैं जो अपर्याप्त हैं। प्रशासन को इन भवनों में कार्य चलाना मुश्किल हो रहा है। जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट, न्यायालय तथा अन्य सभी विभागों के भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित कराकर प्रस्ताव सरकार को भेज दिए हैं जो काफी समय से शासन स्तर पर विचाराधीन है। सरकारी भवन न होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

---

uksV%&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः इस लोक महत्व एवं जनहित के कार्यों के लिए शासन से भवन निर्माण के लिए अविलम्बनीय धन आवंटित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नवसृजित जनपद हापुड़ के सभी सरकारी भवनों के निर्माण के लिए सरकार से धन आवंटित कराने की मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के निवासियों को राशन सामग्री उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जाकिर अली–

ख्मान्यवर,

मैं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के निवासियों को राशन, मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध न कराकर राशन माफियाओं, स्थानीय विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ब्लैक किया जा रहा है जिसके कारण लोनी के निवासियों में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश कभी भी जनआन्दोलन में बदल सकता है। क्षेत्रीय जनता अत्यधिक परेशान है परन्तु स्थानीय विभागीय अधिकारियों के ऊपर कोई असर नहीं है।

माननीय महोदय से मेरा अनुरोध है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तात्कालिक प्रभाव से राशन माफियाओं, स्थानीय विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए जनता को राशन, मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध कराये जाने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को देने की कृपा करें। जिससे वहां के आम जनता को राहत मिल सके।,

जनपद गोरखपुर के दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में की गई अवैध नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अंसार अहमद–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान मा0 उच्च न्यायालय के वाद संख्या–51617 रिट हीरालाल वर्सेज स्टेट आफ उ0प्र0 एण्ड अदर दिनांक 09 जुलाई, 2010 इलाहाबाद डेली जजमेण्ट (ए0डी0जी0) की तरफ ले जाना चाहता हूं। इस फैसले में स्पष्ट उल्लेख है कि पांच या इससे कम रिक्त पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा।

उपरोक्त का पूर्ण रूप में उल्लंघन करते हुए जनपद गोरखपुर के दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के श्री सदन राम प्राधिकृत नियंत्रक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं इनके स्टेनो श्री रविन्द्र नाथ यादव गांव के आस–पास के होने के कारण जनपद के जितने भी कालेज एवं पी0जी0 डिग्री कालेज हें उसमें तृतीय एवं चतुर्थ

---

uksV%&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्रेणी कर्मचारियों की योग्यता को ध्यान में न रखते हुए सुविधा शुल्क के माध्यम से नियुक्तियां की हैं तथा मृतक आश्रित के स्थान पर भी अन्य की नियुक्तियां करते हुए अचूक संगतियां बनायी है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो तीन बार सस्पेंड भी हो चुके हैं न जाने पुनः उसी स्थान पर बहाल होकर कार्य करने लगते हैं।

अतः ये उपरोक्त का तत्काल स्थानान्तरण करने एवं इनके क्रिया–कलापों की जांच कराकर कार्रवाई करने हेतु इसे नियम–301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज, देवरिया में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का किये जा रहे उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज बसन्तपुर घूसी, तरकुलवा, जनपद देवरिया की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है जिसमें श्री राकेश कुमार सिंह, श्री अमर द्विवेदी तथा श्री स्वर्णचन्द्र द्वारा नियुक्ति के समय से विद्यालय में निरन्तर योगदान किया जा रहा है। फिर भी इनका वेतन रोक दिया गया कई वर्षों से कार्यरत रहने के पश्चात् दिनांक 01 सितम्बर, 2010 से 31 दिसम्बर, 2013 तक इनका नाम उपस्थिति पंजी से हटा दिया गया। इसके बाद पुनः उपस्थिति पंजी में इनका हस्ताक्षर करवाये गये ऐसा क्यों और किसके आदेशानुसार तथा किन नियमों के अन्तर्गत किया गया।

उक्त के पश्चात् तीनों में से श्री राकेश कुमार सिंह की सर्विस पूरे सेवा कार्यकाल की बन गयी बाकी दोनों कर्मचारियों की पूरे कार्यकाल की क्यों नहीं बनायी गयी। इनके भुगतान की प्रक्रिया कछुये की चाल की तरह चल रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्षों से वेतन एवं एरियर भुगतान नहीं हो पा रह है।

विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार मिलने वाले समस्त लाभ में कभी पुरानी उपस्थिति पंजी नहीं मिल रही है तो कभी रिकार्ड नहीं मिल रहे इसके वेतन, डी0ए0, वेतन वृद्धि का लाभ मिलने में वर्षों लगेंगे। अतः मैं चाहता हूं कि विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु वेतन, वेतन वृद्धि, डी0ए0 सहित समस्त देयों का भुगतान एक निश्चित समय से हो जायेगा। यह मुझे अवगत कराया जाय तथा इस पूरे प्रकरण में एक उच्च स्तरीय जांच तत्काल कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये साथ ही पूर्व में मेरे द्वारा विधान सभा में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना में कब–कब क्या कार्रवाई की गयी यह भी अवगत करायें। इसीलिए यह प्रकरण नियम–301 में पुनः उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

जनपद लखनऊ अन्तर्गत नेपालगंज में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश कुमार निगम–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान जनपद लखनऊ के तेलीबाग रायबरेली रोड के नेपालगंज में टूटी नालियों, लाइट के अभाव के साथ गलियों में जाने वाले रास्ते पर स्वार्थवश लोगों द्वारा पुरानी ईंटों का चट्टा लगाकर, जनरेटर खड़ा कर उसे अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इस सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है तो लोग लड़ाई–झगड़े पर अमादा हो जाते हैं। गलियों की ट्यूब लाइटें खराब होने से अन्धेरा बना रहता है। उपरोक्त मूलभूत समस्याओं का निदान अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर उक्त समस्याओं के निस्तारण हेतु इसे नियम–301 के अन्तर्गत उठाने हेतु आपकी अवज्ञा चाहता हूं।,

डा0 रिजवान अहमद को वरिष्ठता के आधार पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मेरठ का कार्यभार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय लाल मौर्य–

ख्महोदय,

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक ज्वलन्त एवं अति संवेदनशीन प्रकरण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि निदेशक, यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 4841/यू0पि0/अधि0–214/2014–2015, दिनांक 27 अक्टूबर, 2015 द्वारा निदेशक, आयुर्वेदिक सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से डा0 रिजवान अहमद, चिकित्साधिकारी को वरिष्ठता के आधार पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मेरठ के सेवानिवृत्त होने के उपरान्त रिक्त पड़े पद पर पदभार दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने की संस्तुति करने के उपरान्त भी जिला आयुर्वेदिक प्रशासन स्तर पर डा0 रिजवान अहमद के आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता सूची में क्रमांक–32 एवं यूनानी चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता सूची में क्रमांक–29 पर वरिष्ठता का स्तर प्राप्त करने के उपरान्त भी उन्हें क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मेरठ के पद पर कार्यभार न देकर उनके स्थान पर डा0 रिजवान अहमद से कनिष्ठ डा0 मीनाक्षी गुप्ता जिन्हें आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता सूची में क्रमांक–55 एवं यूनानी चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता सूची में क्रमांक–36 पर वरिष्ठता का स्तर प्राप्त किया है उन्हें क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मेरठ के पद का कार्यभार दे दिया गया है। जिला आयुर्वेदिक प्रशासन पर शासन के आदेशों का खुला उल्लंघन किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्राथमिकता के आधार पर डा0 रिजवान अहमद को वरिष्ठता के आधार पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मेरठ के पद

---

uksV%&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

पर कार्यहित में कार्यभार दिये जाने हेतु शासन से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

जनपद अम्बेडकर नगर के ब्लाक भीटी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से प्रेरणा स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

ख्मान्यवर,

मैं सदन का ध्यान जनपद अम्बेडकर नगर के ब्लाक भीटी के ग्राम सभा जैतूपुर की श्रीमती हंसराजी देवी के पति स्व0 रामनयन सिंह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। श्रीमती हंसराजी देवी ने अपने पति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 राम नयन सिंह के प्रेरणा स्थल एवं उनकी मूर्ति एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु मांग की है। ग्राम पंचायत जैतूपुर द्वारा एक प्रस्ताव दिनांक 22–11–2014 को ग्राम पंचायत की बैठक में पारित किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 रामनयन सिंह जी डा0 राम मनोहर लोहिया के बहुत ही निकटस्थ लोगों में से थे तथा उनके साथ आजादी की लड़ाई में रहने का उन्हे सौभाग्य प्राप्त था। श्रीमती हंसराजी देवी जो कि इस समय लगभग 102 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं।

अतः इस विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 रामनयन सिंह के नाम एक प्रेरणा स्थल के लिए 5 बिस्वा जमीन व तालाब जिस पर मूर्ति लगाने एवं तालाब के सौन्दर्यीकरण की मांग करता हूं।,

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ अन्तर्गत नगर पंचायत उमरी कला में पी0एच0सी0 स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुरर्हमान–

ख्महोदय,

सादर पूर्वक मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र–25 कांठ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक बाहुल्य नगर पंचायत उमरी कला की जनसंख्या इस समय लगभग 50,000 है, परन्तु पूरी नगर पंचायत में एक भी एम0बी0बी0एस0 अथवा एम0डी, एम0एस0 डाक्टर नहीं हैं। जबकि नगर पंचायत उमरी कला में घर–घर बीड़ी बनाने का काम युद्ध स्तर पर होता है। बीड़ी बनाने में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है। नगर की साफ सफाई न होने एवं बीड़ी के कार्य में लगे रहने के कारण नगर पंचायत उमरी कला की अधिकतर जनसंख्या बीमारी से ग्रस्त रहती है। नगर पंचायत में पी0एच0सी0 न होने के कारण नगर पंचायत से 40 किमी0 दूर लोगों को दवा लेने बेहतर इलाज के लिए मुरादाबाद जाना पड़ता है। अल्पसंख्यक आबादी 98 प्रतिशत होने के कारण अधिकतर लोग गरीब हैं तथा गरीबी व मुफलसी में इलाज न करा पाने के कारण दम तोड़ देते हैं। मैं स्वयं नगर पंचायत उमरी कला में पी0एच0सी0 स्थापित कराने के लिए मा0 मुख्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं निदेशक,

---

uksV%&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

एन0एच0आर0एम0, उ0प्र0 को पत्र के माध्यम से अनुरोध कर चुका हूं। साथ ही जिला योजना की बैठक में भी इस वर्ष प्रस्ताव पास करा चुका हूं। परन्तु इतने प्रयासों के बाद भी नगर पंचायत उमरी कला में पी0एच0सी0 की स्थापना न किये जाने के कारण नगर पंचायत उमरी कला की जनता आक्रोशित है।

अतः मैं उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर नगर पंचायत उमरी कला में पी0एच0सी0 स्थापित किये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोठी में स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राममगन रावत–

ख्महोदय,

अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के विकास खण्ड सिद्धौर के कोठी कस्बा में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो ग्रामीण क्षेत्र तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान पर निर्मित है। क्षेत्रीय जनता में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण से भारी खुशी है, भारी तादाद में बीमार मरीज आते है जिससे सीधे जनता को लाभ मिल रहा है परन्तु स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण न होने से मरीजों की जांच आदि नहीं हो पाती है जिससे वहां पर कार्यरत डाक्टरों को मरीज देखने में अत्यन्त असुविधा होती है और उनका सही उपचार नहीं हो पाता है।

आपके माध्यम से सरकार द्वारा मांग करता हूं कि स्वास्थ्य सम्बन्धित उक्त नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जिन–जिन उपकरणों की आवश्यकता है वह सभी उपकरणों को लगवा कर जनता को उचित सुविधा प्रदान कराने की कृपा करें।,

गढ़मुक्तेश्वर नगरपालिका परिषद् में प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा सीवर कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान–

ख्मान्यवर,

मेरी विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में गढ़ कस्बे में यमुना प्रदूषित नियन्त्रण इकाई द्वारा सीवर एस0टी0पी0 व सड़क निर्माण का कार्य लगभग चार वर्षों से चल रहा है लेकिन लगभग 50 करोड़ लागत का यह कार्य आज तक पूर्ण नहीं कराया गया जिससे कस्बे में आम नागरिक को भारी समस्या आवागमन की पैदा हो गई है। सीवर लाइन पूर्ण न होना, सड़कों का निर्माण पूर्ण न होना, एस0टी0पी0 कार्य अधूरा होना, घटिया सामग्री का प्रयोग, पूर्व 5 वर्षों से धीरे–धीरे कार्य कराया जाना जिससे सरकारी राजस्व का घोटाला किया जा रहा है। आम जनता मार्गों के ध्वस्तीकरण से परेशान है।

---

uksV%&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः यह सूचना अत्यन्त लोकमहत्व व अविलम्बनीय है। मैं शासन की उच्च स्तरीय जांच व कार्रवाई हेतु सरकार का ध्यानाकर्षण करता हूं।,

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के ग्राम–बाबा का पुरवा पो0–इटौरा में पड़ने वाले कच्चा मार्ग से दबंगों से अवैध कब्जा हटवाकर पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेश दीक्षित–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में ब्लाक रोहनियां के अन्तर्गत ग्राम बाबा का पुरवा, पोस्ट इटौरा बुजुर्ग में गांव के दक्षिण दिशा श्री रामसुमेर वर्मा के खेत से शिवनारायन वर्मा एवं ककोरे वर्मा के खेत तक कच्चा मार्ग स्थित है। उक्त मार्ग को दबंगों द्वारा काटकर अपने खेत में मिला लिया है **जो कि राजस्व नक्शे में भी दर्ज** है। ग्राम वासियों व राहगीरों को कृषि करने हेतु व आने–जाने हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गयी परन्तु कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों में सरकार के प्रति जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उपरोक्त कच्चा मार्ग पर दबंगो द्वारा कब्जा हटवा कर पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई /वक्तव्य की मांग करता हूं।,

कानपुर महानगर अन्तर्गत हरजेन्दर नगर वार्ड में एन–2 रोड एवं लाल बंगला से जी0टी0 रोड के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर, कानपुर अन्तर्गत हरजेन्दर नगर वार्ड में एन–2 रोड एवं लाल बंगला से जी0टी0 रोड जाती सुभाष रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। यह दोनों मुख्य मार्ग हैं जिस पर बड़ी संख्या में लोग रोजाना आवागमन करते हैं। मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन कोई न कोई दुर्घटना घटित होती रहती है। मार्गों की मरम्मत के समबन्ध में कई बार स्थानीय नागरिकों द्वारा शासन–प्रशासन को अवगत कराया गया है परन्तु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। लोगों में इसको लेकर भयंकर रोष व्याप्त है। आये दिन लोग धरना–प्रदर्शन करके कार्य कराने की मांग कर रहे हैं। कई बार लिखित अनुरोध करने के बाद भी मार्ग निर्माण नहीं हो रहा है। नागरिकों की असुविधा को देखते हुए उपरोक्त मार्गों का तत्काल निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

---

uksV%&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए हरजेन्दर नगर वार्ड में एन–2 रोड एवं लाल बंगला से जी0टी0 रोड जाती सुभाष रोड की तत्काल मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राओं को सुचारु रूप से शिक्षा संचालन हेतु छात्रावास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं की सुचारु रूप से शिक्षा के संचालन हेतु कोई व्यवस्था नहीं है दूर–दूर के गांवों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाली छात्राओं के रहने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। जनपद में बालिकाओं के आवागमन एवं ठहरने की पूर्ण व्यवस्था न होने से अधिकतर बालिकाओं की शिक्षा अधूरी रह जाती है। अधिकतर बालिकायें उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती हैं। मेरे क्षेत्र की गरीब व अनुसूचित जाति की बालिकाओं के शिक्षा के विकास हेतु छात्रावास न होने से उनकी शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। छात्राओं की समुचित शिक्षा हेतु मेरे विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक नौगढ़, उस्का बाजार अथवा लोटन बाजार में से किसी एक ब्लाक में छात्रावास बनाया जाना जनहित में आवश्यक है। यह प्रकरण क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त कार्य कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।,

जनपद आजमगढ़ के कतिपय क्षेत्रों की पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी–

ख्श्रीमन्,

उपरोक्त के सम्बन्ध में मैं आप द्वारा मा0 सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए जनहित में निम्नलिखित नहरों पर पुलिया के निर्माण कार्य कराना अति आवश्यक है, इसे कराने का कष्ट करें।

1–कौड़िया बाजार से जो नहर उत्तर तरफ मद्धूपुर जाती है, चमराडीह के समीप पुलिया का नवनिर्माण कार्य।

2–उपरोक्त नहर पर किठावें यादव बस्ती के सामने बड़ी पुलिया का निर्माण।

3–फूलपुर राजवाहा रसूलपुर गांव के दक्षिण तरफ नयी पुलिया का निर्माण।,

---

uksV%&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन में कतिपय स्थानों पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू–

ख्आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र–06 रामपुर मनिहारन (जनपद सहारनपुर) में कई अति महत्वपूर्ण पुल टूटे हुए, या पुल हैं ही नहीं, इन पुलों के न बनने से सैकड़ों ग्रामों का सम्पर्क टूटा हुआ है। ग्रामीणों को बहुत लम्बी दूरी तय करके आना–जाना पड़ता है तथा बरसात में स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है, इसलिए क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है। इन पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाना नितान्त अनिवार्य है। विवरण निम्न प्रकार हैः–

1–ग्रम–दाबकी जुनारदार व ग्राम हसनपुर (भलस्वा) के मध्य हिण्डन नदी का पुल (ब्लाक–बलिया खेड़ी)।

2–ग्राम–भगवानपुर (ब्लाक–रामपुर मनिहारन) व ग्राम–चन्दैना कोली (ब्लाक–नागल) के मध्य हिण्डन नदी का पुल–यह दो विकास खण्ड क्षेत्रों को जोड़ता है।

3–ग्राम–कल्लरपुर गुर्जर व ग्राम–ढाकादेई के मध्य पूर्वी यमुना नहर का पुल।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त पुलों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर के तहसील मु0–गोला में दीवानी न्यायालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी–

ख्महोदय,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद गोरखपुर के गोला तहसील मुख्यालय पर वर्षों से दिवानी न्यायालय की स्थापना की मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त परिसर के पास ही दिवानी न्यायालय की स्थापना हेतु अनुमति की बात आयी थी। जिसमें जिला प्रशासन द्वारा आवास आदि के लिए सर्वे भी हुआ था।

उक्त गोला तहसील परिसर में दिवानी न्यायालय की अत्यन्त आवश्यकता है जिसको लेकर क्षेत्र की जनता आन्दोलित है तथा सरकार से मांग करती है कि 15–20 वर्षों से चली आ रही दिवानी न्यायालय की मांग को उच्च न्यायालय के संज्ञान में पुनः लाकर गोला तहसील क्षेत्र में दिवानी न्यायालय की स्थापना की जाए।,

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी में नवीन ग्राम पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द–

ख्मान्यवर,

---

uksV&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी के **अन्तर्गत ग्राम सभा टेढ़वां एक राजस्व गांव है, उक्त ग्राम पंचायत में ग्राम टेढ़वां, ग्राम भस्मा, ग्राम नगरवापुर शामिल थे।** जिसमें मतदाताओं की संख्या लगभग 1500 से अधिक है, परन्तु उक्त ग्राम सभा को ग्राम सभा अमोई में सम्मिलित कर दिया गया है, **ग्राम अमोई में मतदाताओं की संख्या लगभग 5000 से भी अधिक है। ग्राम अमोई में शामिल होने से ग्राम टेढ़वां, ग्राम भस्मा, ग्राम नगरवापुर के ग्रामवासियों को मतदान करने हेतु लगभग तीन किलोमीटर से अधिक दूर जाना पड़ता है।** ग्राम टेढ़वां, ग्राम भस्मा, ग्राम नगरवापुर के ग्रामवासियों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। **क्षेत्रीय ग्रामीण जनता द्वारा शासनादेश के अनुसार राजस्व ग्राम सभा टेढ़वां, ग्राम भस्मा, ग्राम नगरवापुर को एक अलग ग्राम सभा पंचायत बनाये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है** परन्तु अभी तक शासन द्वारा राजस्व ग्राम टेढ़वां, ग्राम भस्मा, ग्राम नगरवापुर को एक अलग ग्राम पंचायत बनाये जाने हेतु कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है। जिससे ग्रामवासियों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से **मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत राजस्व ग्राम सभा टेढ़वां, ग्राम भस्मा, ग्राम नगरवापुर को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाये जाने की मांग करता हूं।**,

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम–जहांपुर के निवासी–धनपाल पुत्र छंगालाल की हुई असामयिक मृत्यु के कारण परिवारजनों को कृषक दुर्घटना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्मान्यवर,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

दिनांक 17–08–2013 को जिला शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम जहांपुर के निवासी धनपाल पुत्र छंगालाल की कैमुआ नाला में डूबने से मौत हो गयी थी। वह अपने परिवार का मुख्य आदमी था जो परिवार का जीविकोपार्जन करता था, धनपाल की अचानक हुई मौत से उसका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। प्रशासन द्वारा मृतक परिवार को अभी तक कृषक दुर्घटना का लाभ भी नहीं दिया गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश एवं रोष व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से **मृतक परिवार को कृषक दुर्घटना दिलाये जाने की मांग करता हूं।**,

---

uksV&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद सीतापुर स्थित केसरीगंज से भदफर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती–

ख्कृ0 संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 147, हरगांव में केसरीगंज से भदफर रोड, जो लखीमपुर खीरी बहराइच राजमार्ग में मिलता है। सीतापुर से बहराइच जाने का एक मात्र रोड केसरीगंज भदफर ही है। यह रोड केसरीगंज से भदफर तक कम चौड़ा व क्षतिग्रस्त है। जिस कारण आवागमन में काफी परेशानी होती है। लखीमपुर तथा बहराइच का सीधा रास्ता होने के कारण बसों, ट्रकों तथा अन्य वाहनों का काफी आवागमन रहता है। रोड कम चौड़ी होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। विशेष रूप से गन्ना पेराई के सीजन में गन्ने से लदे ट्रकों व ट्रालियों के चलने से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।

अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए केसरीगंज से भदफर रोड के चौड़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जिला गोरखपुर में प्रस्तावित एम्स के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्मान्यवर,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला गोरखपुर में सरकार द्वारा एम्स **(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान)** खोला जाना प्रस्तावित है। गोरखपुर में चौरी–चौरा क्षेत्र शहीदों की धरती के नाम से विख्यात है। उन शहीदों को सम्मान देने के लिए शहीदों के नाम से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा स्थानीय अधिकारियों एवं शासन से कई बार अनुरोध किया गया, परन्तु क्षेत्रीय जनता की भावनाओं को दर किनार करते हुए अभी तक चौरी–चौरा के शहीदों को सम्मान देने हेतु उनके नाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से जनता की भावनाओं का आदर करते हुए चौरी–चौरा के शहीदों को सम्मान देते हुए उनके नाम से **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान** की स्थापना किये जाने की मांग करता हूं।,

जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ में फैली हुई वित्तीय अनियमितताओं को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा–

---

uksV&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्महोदय,

कृपया मैं सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि नगर निगम लखनऊ के अधीन जलकल विभाग द्वारा नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति तथा सीवरेज व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाती है। परन्तु वर्तमान समय में जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ में वित्तीय अनियमितता/ कुप्रबन्धन के कारण वहां के कार्मिकों का वेतन का भुगतान समय से नहीं हो रहा है तथा अन्य आवश्यक अनुरक्षण हेतु धन की कमी बताते हुए नागरिकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ में कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी पी0एफ0 की राशि तथा काटे गये वेतन अंशदान की राशि उनके खाते में जमा न करके इधर उधर खर्च कर दी जाती है जो श्रम कानून का उल्लंघन है जिसके कारण राज्य सरकार के समक्ष कभी भी विषम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका मुख्य कारण जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ में हो रही वित्तीय अनियमितता/वित्तीय कुप्रबन्धन है। **ऐसा इसलिये है कि जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ में वित्त के नियंत्रण हेतु शासन द्वारा कोई उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा का वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी नियुक्त नहीं है।**

यह उल्लेखनीय है कि महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ द्वारा अपने निजी स्वार्थवश खुद स्वयं द्वारा अकेन्द्रियत सेवा के निम्न स्तर के कर्मचारियों को प्रोन्नति देकर अथवा काम चलाऊ व्यवस्था में नियुक्त कर कार्य लिया जा रहा है जो महाप्रबन्धक के एहसानों तले दबे होने के कारण वित्त नियंत्रक की भूमिका का सम्यक् निर्वाह नहीं कर पाते हैं। **जबकि जलकल विभाग, नगर निगम इलाहाबाद एवं जलकल विभाग, नगर निगम आगरा में शासन द्वारा वित्त लेखा सेवा का मुख्य लेखाधिकारी की तैनाती की गयी है।** इस सम्बन्ध में जलकल विभाग नगर निगम लखनऊ के कर्मचारी संगठनों द्वारा भी कई बार शासन से वित्त एवं लेखा सेवा का वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी की नियुक्ति किये जाने की मांग की जा चुकी है परन्तु अभी तक वित्त विभाग द्वारा नियुक्ति नहीं की गयी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से वक्तव्य/ कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद महोबा की सिंचाई परियोजनाओं में हुई धांधली की जांच किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज–

ख्कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग से हमीरपुर, महोबा तथा झांसी जनपद अन्तर्गत पहाड़ी बांध, कबरई बांध, चन्द्रावल बांध, अर्जुन बांध, लहचूरा बांध, अर्जुन सहायक नहर परियोजना, रतौली बियर बांध, क्योलारी बियर बांध, मौदहा बांध, चौधरी चरण सिंह पम्प नहर, नहर सिल्ट सफाई, तालाबों की

---

uksV%&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

खुदाई, चैकडेम इत्यादि के निर्माण हेतु हजारों करोड़ की परियोजनायें वर्षों से संचालित की जा रही है जिसमें टेण्डर आदि की प्रक्रिया पारदर्शी न होकर गोपनीय तथा गलत तरीके अपना कर की जाती है। कोई भी कार्य मानकों के अनुरूप नहीं होता। सभी योजनायें भारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। सिंचाई के क्षेत्र में अति पिछड़े बुन्देलखण्ड के लोगों को उक्त परियोजनाओं का कोई भी लाभ आज तक नहीं मिल सका, किसान अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा के लिए आन्दोलनरत हैं, सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर राज्य सरकार से उक्त सभी परियोजनाओं में हुए भारी भ्रष्टाचार, व्यापक धांधली, मानकों एवं नियमों की अनदेखी की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद सीतापुर के लहरपुर से भदपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 जासमीर अंसारी–

ख्कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद सीतापुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के अन्तर्गत **लहरपुर से भदपुर मुख्य मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त** हो गया है। वह सड़क मुख्य मार्ग होने के कारण हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है, परन्तु उक्त सड़क के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण राहगीरों एवं जनता के साथ आये दिन सड़क दुर्घटनायें हो रही है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उक्त **क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण एवं उच्चीकरण हेतु कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है,** परन्तु शासन द्वारा क्षतिग्रस्त उक्त सड़क के निर्माण एवं उच्चीकरण हेतु कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा–

ख्मान्यवर,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद फतेहपुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र 239, बिन्दकी के **विकास खण्ड मलवां के अन्तर्गत जी0टी0 रोड से रेवाड़ी तक, बिन्दकी कुंवरपुर रोड से चकमदा जहांनपुर तक,**

---

uksV%&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

बिन्दकी ललौली रोड से डीघ तक, विकास खण्ड अमौली के अन्तर्गत सैमसी मोड़ से गगौली तक, विकास खण्ड खजुहा के अन्तर्गत जोनिहां से रहमतपुर तक, विकास खण्ड तिलिपानी के अन्तर्गत तारापुर मोड से बादलपुर तक, चखेड़ी मोड़ से झाऊ मेदनीपुर तक, जी0टी0 रोड से कोराई होते हुए कांछी तक की सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की जनता द्वारा कई बार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत किये जाने हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु अभी तक उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण/मरम्मत हेतु कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से उपरोक्त क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सिद्धार्थनगर के प्रधान मंत्री सड़क योजना के कार्यों में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

ख्मान्यवर,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद सिद्धार्थनगर में **जिला बलिया की फर्म बी0के0 इण्टरप्राइजेज को वर्ष 2005–2006 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ठेका मिला था**, जिसे चार वर्ष में पूरा किया, फर्म द्वारा घटिया सड़क निर्माण कराये जाने के कारण पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में फर्म की पांच वर्ष तक सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी होती है परन्तु अभी तक उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत उक्त फर्म द्वारा नहीं की जा रही है। जिला बलिया की फर्म बी0के0 इण्टरप्राइजेज पैकेज संख्या यू0पी0 6527 में खुनियावं व बांसी ब्लाक मिला की पांच सड़के हैं, उक्त सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं जो कि चलने लायक नहीं रह गयी हैं। जिला बलिया की फर्म बी0के0 इण्टरप्राइजेज द्वारा जिला बस्ती, जिला बलिया, जिला लखनऊ, जिला बाराबंकी, जिला बस्ती, जिला श्रावस्ती में सड़कों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जो कि मानक के अनुसान नहीं कराया जा रहा है और फर्म द्वारा समय पर कार्य भी पूर्ण नहीं कराया जा रहा है और विभाग द्वारा उक्त फर्म को लगभग चार बार समय वृद्धि भी दी जा चुकी है फिर भी अभी तक कार्य नहीं हो सका है। जिला सिद्धार्थनगर में आपके द्वारा भी उक्त फर्म के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। शासन द्वारा भी दोषी फर्म एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश भी दिये गये **परन्तु अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकी तथा समय–समय पर क्षेत्रीय जनता द्वारा भी उक्त फर्म द्वारा सड़क** निर्माण में मानक के अनुसार कार्य नहीं कराये जाने की

भी शिकायत की गयी परन्तु अभी तक शासन द्वारा उक्त फर्म द्वारा किये गये कार्यों की जांच नहीं करायी गयी और न ही उक्त फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में **अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराये जाने एवं दोषी फर्म एवं दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।**,

जनपद लखीमपुर स्थित शारदा नदी के भैथैला घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर शेरू भय्या–

ख्मान्यवर,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत शारदा नदी पर भैथैला घाट पर पुल का निर्माण नहीं होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता ने शारदा नदी पर भैथैला घाट पर पीपे के पुल के निर्माण हेतु अनेक बार मांग की जाती रही है। परन्तु घाट पर पीपे के पुल के निर्माण नहीं होने से क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से शारदा नदी के उक्त घाट पर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

लखनऊ स्थित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में आरक्षित वर्ग के अधिकारियों की सुरक्षा हेतु कार्य परिषद् में प्रतिनिधियों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रूबी प्रसाद–

ख्जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि लखनऊ स्थित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् में इन वर्ग के प्रतिनिधियों को नामित किये जाने का आदेश पारित किया गया था तथा शासन द्वारा इस तरह के सभी सरकारी उपक्रमों, कमीशनों, बोर्डों एवं कमेटियों में कम से कम एक सदस्य होना चाहिए इसी के साथ–साथ अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भी उनका समुचित प्रतिनिधित्व दिये जाने हेतु आदेश पारित किया गया था किन्तु किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा हेतु

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

कार्य–परिषद् आदि में समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी के परामर्शी द्वारा समयबद्ध दिनांक 17 जनवरी, 2014 को सम्बन्धित अधिकारी को चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किये जाने हेतु समस्त औपचारिकता पूर्ण कर दिनांक 20 फरवरी, 2014 तक मा0 मंत्रि–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु अभी तक उक्त प्रकरण पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से उक्त समुदायों में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। जनहित में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्य परिषद् में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा हेतु नामित किया जाना अति–आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।,

कानपुर महानगर के छावनी क्षेत्र की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र कानपुर कैंट की सड़कें जो क्षतिग्रस्त हो गयी हैं जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही है। मार्गों के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण चलने में कठिनाई हो रही है। श्यामनगर बाई पास सतवरी रोड, सोनी बैण्ड वाली गली, श्यामनगर बाई पास से वीरेन्द्र स्वरूप चौराहा, गिरजा नगर रेलवे लाइन की तरफ वाली सड़क, चौकी चकेरी चौराहा से के0डी0ए0 चौराहा तक, पूर्व सांसद के आवास से के0डी0ए0 चौराहा तक, ब्लाक नं0 271, 272, 273, 274, 276, पीछे एवं बगल की गलियां, बाबूपुरवा, 132/133, 132/138, 132/141, 132/147, 132/569, 132/614, 132/679, 132/668, वार्ड 96 की गलियां, बाबूपुरवा श्रम कालोनी के पीछे की 36 गलियां, बाकरगंज आजाद नगर में 130/571 से 130/576 तक शिवगोदावरी पुलिस चौकी रोड, जाज टेनरी से भल्ला स्टेट तरफ की सभी गलियां, स्टेन लाइन डब्लू 6/371 की गली तथा आस–पास की गलियां, जामऊ के0डी0ए0 कालोनी ई0डब्लू0एस0 121 से 155 वाली सड़क, हड्डी गोदाम वाली सड़क नईया टेनरी के सामने, नफीसा बानो चूड़ी वाली गली, बेगमपुरवा 131/171 के पास चाचा नेहरू विद्यालय के सामने, बेगमपुरवा 130/316 एवं 130/8.0 वाली रोड, चन्दनगर लाल बंगला सरस्वती स्कूल के सामने, चरारी मस्जिद वाली रोड, ओमपुरवा राजीव नगर, मकान नं0 90 से 100 नम्बर तक, शिवकटरा से चरारी रोड, जगईपुरवा मकान नं0 21 के सामने, मकान नं0 1/1 से 996 तक मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के कार्मिकों को प्रदान की गयी पदोन्नति को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अली युसुफ अली–

ख्मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 ने पत्र संख्या 2/9333/कर निरी0/प्रा0लि0–पदो/09 पत्र संख्या 2/26/298ज/80रिट/09, दिनांक 23–01–2015 द्वारा यह आदेश पारित किये गये थे कि उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के कार्मिको की नियुक्ति/पदोन्नति की गयी हो अथवा उन्हें कार्यवाहक अस्थायी या प्रभारी के रूप में तैनात किया गया हो तो उसे तत्काल समाप्त कर दिया जाय। उक्त आदेशों के विपरीत अभी भी अकेन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों द्वारा कर निरीक्षक–प्प की हैसियत से केन्द्रीयत सेवा के राजस्व कर निरीक्षक के पदों का कार्य किया जा रहा है जबकि नियमतः कर निरीक्षक–प्प के नाम से निकायों में कोई पद सृजित/स्वीकृत नहीं है। जो कर्मचारी उक्त कार्य कर रहे है उनमें अधिकतर कर्मचारियों की योग्यता कक्षा आठ से हाई स्कूल ही है जबकि उक्त कार्य हेतु शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित है। जारी व्यवस्था के तहत निरीक्षक श्रेणी–प्प के कार्मिकों द्वारा नगर निकाय को काफी राजस्व की हानि करा रहे है। अतः नगर निगम, लखनऊ में शैक्षिक योग्यता एवं नियमों के विपरीत हो रहे कार्य को समाप्त करते हुए उ0प्र0 नगर महापालिका सेवा आदेश–1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत निरीक्षक एवं प्रधान लिपिकों के पद पर अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा उक्त कार्य लिये जाने हेतु व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

अतः इस निश्चित विषय पर शीघ्र कार्रवाई किये जाने हेतु सरकार को निदेशित करने का कष्ट करें।,

प्रदेश में एच0सी0पी0 उप निरीक्षकों को प्रभारी भार साधक तैनात किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयाचरण दिनकर–

ख्महोदय,

कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि प्रदेश की जनता के जान, माल, ईमान व मजहब की सुरक्षा के लिए भारत का संविधान राज्य की सरकार को प्रतिबद्ध व दायित्व निभाने के लिए वाध्य करता है। वर्तमान सत्तारूढ़ दल की सरकार की भेदभाव, पक्षपात व जातिवादी सोच ने विधि व्यवस्था व उसकी धारणा को दर किनार कर प्रदेश में लूट, खसोट, अंधाधुन्ध अपराध, अवैध व अनैतिक क्रिया–कलापों की आंधी में प्रदेश की जनता के समक्ष असुरक्षा भय व आतंक का वातावरण पैदा कर दिया है। कर्मठ, योग्य व अनुभवी पुलिस निरीक्षकों को दरकिनार कर अधिकांश पुलिस स्टेशनों में कनिष्ठ, अनुभवहीन व

---

uksV%&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

एक जाति विशेष के उप निरीक्षकों को भार साधक बनाकर पुलिस प्रशासन को पंगु बनाने में कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए पुलिस स्टेशनों में अधिकतर भार साधक उच्चाधिकारियों के नियन्त्रण से बाहर अवैध व अनैतिक कमाई में मस्त हैं और कानून–व्यवस्था व शान्ति कायम करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। विधि व्यवस्था एवं उसकी धारणा के अस्तित्व के लिए यह गंभीर खिलवाड़ है। जिसके गंभीर परिणाम जनता को भोगना पड़ रहा है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय में सदन के माध्यम से उ0प्र0 सरकार को जनहित में पुलिस स्टेशनों में भेदभाव रहित योग्यता, अनुभव वरिष्ठता के आधार पर भार साधकों की तैनाती करने के आदेश देने की कृपा करें।,

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा ग्राम सभा कुटिहर के बी0पी0एल0 कार्डधारी श्रीराम पुत्र स्व0 पल्टू को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रंजीत सुमन–

ख्महोदय,

मैं सदन के माध्यम से जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड ठेकमा, ग्राम सभा कुटिहर की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। उक्त ग्राम सभा के निवासी श्रीराम पुत्र स्व0 पल्टू हैं, इनके पास रहने के लिए स्वयं का पक्का मकान नहीं है एवं ये बी0पी0एल0 कार्ड धारक, मजदूर व गरीब किसान हैं। रोजी–रोटी के लिए मजदूरी पर निर्भर हैं। स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए असमर्थ हैं जो कमाते है पूरा परिवार चलाने में ही खर्च कर देते हैं। वर्षा ऋतु के समय कच्चे मकान जो जर्जर हो चुके है कभी भी गिर सकते हैं जिससे जानमाल की हानि हो सकती है। शासन/प्रशासन से इनके द्वारा इन्दिरा आवास के निवेदन किया गया है किन्तु अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई जिससे वहां की जनता में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त गंभीर विषय पर मैं सदन के माध्यम से यथाशीघ्र कार्रवाई /वक्तव्य की मांग करता हूं।,

लखनऊ महानगर की समर विहार कालोनी में अवैध रूप से बने व्यावसायिक भवनों को ध्वस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 गाजी–

ख्मैं सदन की जानकारी में अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाना चाहता हूं। लखनऊ नगर के मोहल्ला आलमबाग में समर विहार कालोनी में मानक नगर स्टेशन के सामने बिना पार्किंग, बिना भू–उपयोग परिवर्तन के, बिना भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क चुकाये, बिना नक्शा पास कराये बहुत अधिक संख्या में व्यवसायिक निर्माण कराये गये हैं। उक्त मकानों में भारी संख्या में ए0टी0एम0, साइबर कैफे तथा अन्य व्यवसायिक निर्माण कराये गये हैं।

---

uksV&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

इन पर आने वाले उपभोक्ता अपने वाहन सड़क पर खड़ा करते हैं। सड़क संकरी होने के कारण स्टेशन पर आने–जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः आपसे उक्त सभी व्यवसायिक निर्माणों को सीज करने/ध्वस्त कराने की मांग करता हूं ताकि सामान्य जनता को आवागमन में असुविधा न हो।,

जनपद इलाहाबाद के नारी–बारी से शंकरगढ़ तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अजय कुमार–

ख्जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत विधान सभा बारा के नारी–बारी शंकरगढ़ मार्ग जिसे भारतगंज प्रतापपुर मार्ग कहते हैं। नारी–बारी से शंकरगढ़ तक सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और जनता का आना–जाना दूभर है।

यह लोक निर्माण विभाग की सड़क है। इसकी लम्बाई 18 किमी0 है। यह मार्ग दो छभ् इलाहाबाद–रीवा व झांसी–मिर्जापुर को मिलाता है। किमी0 18 पर नगर पंचायत शंकरगढ़ स्थापित है। यह मार्ग 5 वर्ष से ध्वस्त है। आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं।

यह अविलम्बनीय अति लोकमहत्व का प्रश्न है। क्या सरकार इस मार्ग नारी–बारी से शंकरगढ़ का कार्य प्रारम्भ करायेगी। यदि हां, तो कब तक।,

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबाद–शाहपुर निवासी रामजस पाल की हुई असामयिक मृत्यु के कारण पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंगराबाद शाहपुर, जनपद जौनपुर के ग्राम बनकट निवासी बंसराज पाल पुत्र श्री रामजस पाल, थाना पवांरा की दिनांक 17–03–2015 को 11 वाट की लाइन का तार टूट कर गिर जाने से दर्दनाक मौत हो गयी। यह अत्यन्त निर्धन एवं गरीब परिवार का था। जिसके सहारे भी पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। इसकी आकस्मिक मौत हो जाने के कारण परिवार भुखमरी के कगार पर है। अभी तक न तो विद्युत विभाग द्वारा न जिला प्रशासन द्वारा और न ही शासन द्वारा कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। उक्त परिवार के भरण–पोषण हेतु कम से कम 5 लाख की आर्थिक सहायता दिया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल दिये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।,

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ग्राम–चांदपुर के प्रमुख मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

---

uksV&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्री उमेश पाण्डेय–

ख्मान्यवर,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा चांदपुर स्थित है जो कि पूर्णतया अल्पसंख्यकों की ग्राम सभा है, ग्राम चांदपुर मकतब ईस्लामिया मदरसा से रामपुर होते हुए बिलौली पिच रोड तक की सड़क (लम्बाई लगभग 3.0 किमी0) अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, उक्त सड़क पर कई जगह पर बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। वर्षा के दिनों में क्षतिग्रस्त सड़क पर पैदल चलना भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। उस क्षतिग्रस्त सड़क पर हजारों ग्रामवासियों एवं वाहनों का आवागमन होता है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों के साथ आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं और राहगीर गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। जुलाई, 2011 में मण्डी परिषद् द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था परन्तु अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु सरकार द्वारा अभी तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम चांदपुर से रामपुर होते हुए पिच रोड तक (लम्बाई लगभग 2.0 किमी0) की अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

ख11.06 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,32,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,36,64,63,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मौर्या जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, खन्ना जी, कांग्रेस के नेता माथुर जी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय दलवीर सिंह जी और सभी सदस्यगण। मैं सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय सदस्यों को बहुत–बहुत धन्यवाद दूंगा कि जितने दिन सत्र चला बहुत सारे अच्छे सुझाव भी आये और राय–मशविरा भी किया गया। कई बार देखने को मिला कि सकारात्मक पक्ष में भी बातें रखी गयीं। सरकार की कोशिश रही और लगातार जितने भी बजट सरकार ने रखे उन बजटों के माध्यम से सरकार की नीतियों, कार्यक्रम और फैसलों के माध्यम से बिना भेद–भाव के सभी वर्गों तक लाभ पहुंचाया जायेगा और इस कोशिश में सरकार ने लगातार योजना भी बनाई और नये फैसले भी लिये। सरकार की तरफ से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम सरकार ने किया है। उसका उदाहरण यह भी है कि जो कई संस्थायें जो प्राइवेट हैं जो उद्योग घरानों की संस्थायें और जो आकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलायें, अल्पसंख्यक, मुस्लिम भाई उन सबके लिए योजनायें बनी हैं वहीं उत्तर प्रदेश का इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, दो पहलुओं पर सरकार ने पहले ही दिन से फैसले लेने शुरू किये एक तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवायें कैसे बेहतर हों और दूसरा सेक्टर जो है वह है सोशल सेक्टर। जिसमें तमाम योजनायें चाहे विद्या धन योजना चलाई गई हो, बेरोजगारी भत्ता कुछ समय के लिए दिया गया हो, कन्या विद्या धन दोबारा देने जा रहे है, कम्पयूटर लैपटाप दिया, समाजवादी पेन्शन दी है, किसानों को किसान बीमा दिया तो लगातार एक तरफ इन्फ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाये और दूसरी तरफ हमारी सोशल स्कीम है, जो गरीब हैं, जो पीछे रह गये हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाये और कम से कम उनकी मदद हो। जहां अमूमन सड़के बना करती थीं और सड़के बनने का तरीका एक अपना है वही सरकार ने फोर लेनिंग से कैसे जोड़ा जाये उस पर भी काम किया। इस सदन में मैं कहूंगा और इसलिए भी कहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले जब सड़क परिवहन के केन्द्रीय मंत्री आये थे तो उन्होंने सरकार की तारीफ की थी कि जो सरकार ने आगरा से लखनऊ तक सड़क बनाने का फैसला लिया है, वह एक अच्छा कदम है और बिना किसी आन्दोलन के बिना किसी किसान को तकलीफ दिये, लैण्ड एक्वीजीशन भी हो गयी। देश में लैण्ड एक्वीजीशन पर बहुत लम्बी बहस हुई है, लेकिन समाजवादियों का यह मानना है कि किसान की जमीन अगर विकास के लिए ली जा रही है तो बिना किसान की सहमति के वह जमीन नहीं ली जा सकती। उसमें समाजवादी सरकार कामयाब हुई हैं और किसानों की सहमति से हम लोगों ने काम किया है। सरकार चाहती है कि यह सड़क केवल लखनऊ तक न रुके क्योंकि तमाम अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जिस समय रफ्तार बढ़ जाती है और किसी काम की रफ्तार बढ़े चाहे वह सड़क ज्यादा बन जाय, सड़क अच्छी बन जाय, बिजली का इन्तजाम बेहतर हो जाय, स्वास्थ्य सेवायें बेहतर हो जायं, शिक्षा का स्तर बेहतर हो जाय किसी भी क्षेत्र में अगर तेजी से काम होता है तो उसका परिणाम सीधा–सीधा हमारे

उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास पर पड़ता है तो यह सड़क जो लखनऊ तक पहुंच रही है यह केवल लखनऊ तक न रहे हमारी कोशिश होगी सरकार तैयार कर रही है आगे बलिया तक कैसे जाय यह हमारे आगे तक कैसे जाय। क्योंकि सड़क बनने के बाद जहां किसानों को लाभ पहुंचेगा वहीं उद्योग कारखाने कैसे लगे उस दिशा में भी काम हो सकता है, वहीं बिजली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं। बिजली का उत्पादन बढ़े, ट्रांसमीशन लाइन बेहतर हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर हो और फिर जहां जितने घन्टे हम बिजली पहुंचाना चाहते हैं कम से कम बिजली पहुंचे। मान लीजिए हम बिजली दे रहे हैं यहां से लेकिन हमारा जो सिस्टम है ट्रांसमीशन लाइन है, डिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम है अगर नहीं बिजली ले पा रहा है तो हम कितना भी बोलें कि हम इतने घन्टे बिजली दे रहे हैं और अगर उपभोक्ता तक नहीं बिजली पहुंच रही है तो हमारी बिजली का यह नहीं माना जायेगा। बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है यह तो दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी तैयारी सरकार ने की है और मैं भरोसा दिला सकता हूं इस सदन में माननीय सभी सदस्य के सामने सरकार की यह कोशिश है कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिजली में काम हुआ है आने वाले समय में गांव को 14 घन्टे से लेकर 16 घन्टे लगातार और 22 से लेकर 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने का काम सरकार करेगी। इसीलिए सब–स्टेशन बने हैं, ट्रांसमीशन लाइन बिछायी हैं बहुत जल्दी एक जनरेशन का प्लांट हम शुरू करने जा रहे हैं 31 तारीख को एक हजार मेगावाट का। जिस–जिस क्षेत्र से बिजली का उत्पादन हो सकता है उसमें कर रहे हैं। बुन्देलखण्ड में हमे बड़ी उपलब्धि मिली है जहां पर सोलर प्लांट लगे हैं सोलर प्लांट उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं लगाया। सोलर प्लांट पहली बार लगने जा रहा है। हां, अभी किसानों के सामने संकट आया जो तूफान आया जो ओले गिरे जिससे नुकसान हुआ उसमें सरकार ने कोशिश की है और सरकार ने कामयाबी पाई कि उनकी मदद करें। जहां जो मापदण्ड है मापदण्ड के हिसाब से जो सिंचित है असिंचित है किसान की खेती होती जितना पैसा मिलता उसका दुगना करके समाजवादी सरकार ने इस बार दिया है और 200 करोड़ अलग से अपने बजट से पैसा निकाला है और केन्द्र सरकार से भी सहयोग की हम मांग करेंगे क्योकि बहुत जल्दी हम रिपोर्ट भेज रहे हैं रिपोर्ट पहुंच जायेगी, हमें केन्द्र सरकार से भी सहयोग मिलेगा। क्योंकि उसमें बुन्देलखण्ड का जयादा नुकसान हुआ है किसानों का और बुन्देलखण्ड के किसानों की मदद करने के लिए सरकार आगे आ रही है। इसी तरह स्वास्थ्य में भी बहुत उपलब्धि हुई है जहां एम्बुलेंस चलाने का काम किया है सरकार ने बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस चल रही है मैं इस सदन में माननीय सदस्यों के सामने कह सकता हूं कि जितनी भी एम्बुलेंसें चली होंगी बिना भेदभाव के उन्होंने मदद की होगी और जनता संतुष्ट है उस योजना से। कहीं भी गरीब को अगर तकलीफ है परेशानी में है वह एम्बुलेंस कम समय में पहुंचा रही है और मदद पहुंचा रही है। अस्पतालों को भी ठीक किया है वहीं रोजगार के अवसर कैसे निकले उस पर भी सरकार काम कर रही है और लगातार रोजगार देने का भी काम किया है चाहे वह सरकारी नौकरियां हों या प्राइवेट में जो संशाधन जुटे हैं जो इन्वेस्टमेन्ट हुआ है उसके बहाने नौकरियां मिली हैं तो

यह बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार भी देने का सरकार ने काम किया है और जो विषय हैं तमाम उन पर भी विकास कार्यों में कहीं पीछे समाजवादी सरकार नहीं रही है। मैं इस मौके पर क्योंकि सरकार का बजट आपके सामने रहा बहुत से बिन्दुओं पर चर्चा भी हुई, बहुत सारी और बहस हो जाती लेकिन जितना सहयोग मिलना चाहिए था वह सहयोग नहीं मिला और उसी का परिणाम है कि अखबारों में निकला है कि 40 मिनट में 41 विधेयक पास हो गये यह मंशा हमारी सरकार की कभी नहीं हो सकती हम चाहते हैं कि विपक्ष जिस तरह बहस करना चाहे हम चाहते हैं कि उन बिन्दुओं पर बहस होनी चाहिए और सकारात्मक सुझाव आयें। लेकिन पता नहीं विपक्ष के सकारात्मक सुझाव क्यों नहीं आ पा रहे हैं ? तो जहां तक निष्पक्ष काम की बात है, हमारी किसी भी योजना में किसी भी कार्यक्रम में बिना भेदभाव के, निष्पक्ष होकर सरकार ने काम किया है और हर जाति–धर्म के लोगों तक मदद पहुंचे इन योजनाओं के माध्यम से यह सरकार की कोशिश रही है बजट में। इसीलिये हमने ज्यादा से ज्यादा किसान, गरीब, नौजवान सब वर्गों तक कैसे योजना के माध्यम से पहुंचा जाये यह सरकार का प्रयास रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल कृपया आप अपना कटमोशन रखें। विधान परिषद् आज ही बन्द हो जायेगी, इसलिये हमें विनियोग विधेयक पास करके पहले भेजना होगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता भा0ज0पा0, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता लोकदल एवं सभी उपस्थित माननीय सदस्यों के बीच में आज अत्यन्त महत्वपूर्ण सामान्य प्रशासन विभाग एवं गृह विभाग का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और मान्यवर हम इसे माननीय मुख्य मंत्री जी की नादानी समझें या भोलापन समझें अथवा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की कोई लकड़ी समझें कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग पर एक शब्द अपने बजट उद्बोधन में बोला ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है और जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी की चिन्ता है, कोई भी माननीय सदस्य इससे नाइत्फाक नहीं रख सकता, सब चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर विकास हो, सारी सुविधायें बेहतर हों, हम तेजी से आगे बढ़े। मान्यवर, यह कौन नहीं चाहता, यह केवल सरकार का लक्ष्य नहीं

है। सभी माननीय सदस्यों की यह चिंता है, लेकिन आज आखिर यह संभव क्यों नहीं हो पा रहा है ? इसलिये कि आपका जो प्रशासन है, वह पंगु हो गया है। मान्यवर, आज हर जगह माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय मंत्रियों के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाला जाता है। अधिकारियों को न सरकार की हनक का ख्याल है, न सरकार के इकबाल का ख्याल है और यही कारण है कि कछुआ गति से यह सारी की सारी योजनायें सरकार के इशारे पर नहीं, बल्कि रामभरोसे चल रही हैं। अगर सरकार के इशारे पर चलती तो आपकी जो चाहत है, तो वह जल्दी पूरी होती। चूंकि रामभरोसे चल रहा है, और यही कारण है कि सारे के सारे अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे अधिकारियों की कमी है, एक से एक प्रतिभाशाली अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन उनको कानून कायदे के साथ काम करने की छूट मिलनी चाहिये। हर जगह केवल डंडे से नहीं हांका जा सकता, अगर डंडे से हांकने पर कोई बात चलेगी तो कहीं न कहीं स्वाभाविक रूप से शासन प्रशासन लंगड़ा होगा, पंगु होगा, लाचार होगा, बेचारा होगा, अराजकता बढ़ेगी और काम में ठहराव आयेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी की चिन्ता वाजिब है और किसी भी अच्छे मुख्य मंत्री की चिन्ता प्रदेश के विकास के प्रति होनी चाहिये। लेकिन आखिर आप स्थिरता तो कायम करेंगे, रोज 10–20–25 अधिकारियों का स्थानान्तरण हो रहा है। फलां जिलाधिकारी बदला गया, फलां एस0डी0एम0 बदला गया, फंला एस0पी0 बदला गया। मान्यवर, स्थानान्तरण का एक सीजन होता है लेकिन यहां बारहों महीने 365 दिन, स्थानान्तरण की सूची जारी होती रहती है और ताश के पत्ते की तरह अधिकारी फेंटे जाते हैं। जब कोई भी अधिकारी अपने जिले की समस्याओं की जब तक जानकारी ले पाता है, तब तक फरमान आ गया, कि तुम्हारा स्थानान्तरण फलां जगह हो गया। मान्यवर, जब तक आप प्रशासन को चुस्त दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक आपकी सारी सोच धराशायी हो जायेगी, इसलिये आप प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करिये और मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की कमी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी हमें तो गाना आता नहीं, लेकिन बच्चों के द्वारा सुना है कि तुम तो ठहरे परदेसी, लूट के चले जाओगे। इन्हें मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर भरोसा नहीं, देश के सभी प्रदेशों से अधिकारी आयातित किये जा रहे हैं, और जो आयातित अधिकारी है वह तो केवल उत्तर प्रदेश में इंज्वाय करने के लिये आया है और आपका वह स्वच्छ प्रशासन बनाने के लिये नहीं आया है। आपकी छवि बढ़ाने के लिये नहीं आया है, ऐसे लोग लूट का धंधा बना करके आपकी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और जब तक आपकी उन पर नकेल नहीं होगी, तब तक काम नहीं चलेगा। क्योंकि मान्यवर, सरकारें हनक से चलती हैं, इकबाल से चलती हैं और जब हनक और इकबाल सरकार का गायब हो जायेगा तो यह आयातित अधिकारी आपको चौराहे पर बेच देंगे इसलिये ऐसा मत करिये। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में कमी नहीं है उन पर भरोसा करिये, अच्छे–अच्छे प्रतिभाशाली अधिकारी हैं और मान्यवर, सरकारें तो आती जाती हैं लेकिन यह प्रशासनिक अमला निरन्तर उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति अपने तौर–तरीके से लगा रहता है। अब हम काम उससे कैसे

ले सकते हैं यह हम पर निर्भर करता है, हम अच्छा काम भी ले सकते हैं, उसको कूड़ेदान में भी डाल सकते हैं, उसको लाचार और बेचारा भी बना सकते हैं। इसलिए मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी आपके भोलेपन का फायदा कुछ आपके अतिनिकट अधिकारी उठा रहे हैं और मान्यवर, जो आपके अतिनिकट है वही आपकी सरकार की जगहंसाई भी करा रहा है। मान्यवर, नीतियॉ कितनी भी अच्छी क्यों न हों लेकिन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए नीयत भी दुरुस्त होनी चाहिए। मान्यवर, हमारी नीति बहुत अच्छी है लेकिन अगर हमारी नीयत ठीक नहीं है तो हम उसको अमलीजामा देने में कामयाब नहीं हो पायेंगे। मान्यवर, हमारी भी सरकार थी।

श्री मोहम्मद आजम खां (बैठे हुए)–

क्या कहने!

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

और उस समय बच्चे गाना गाया करते थे।

श्री मोहम्मद आजम खां (बैठे हुए)–

बच्चियां भी गाती थीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

उस समय बच्चे गाना गाया करते थे कि ''मायावती के खेल में, सारे गुण्डे जेल में''। उत्तर प्रदेश के सारे गुण्डे, माफिया, अपराधी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नजर नहीं आते थे, वह जेल की सलाखों में दिखाई पड़ते थे, वह सरकार का इकबाल था, वह सरकार की हनक थी। मा0 अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में।

(सदस्यों के टोकाटाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, कृपया शान्त रहें और मा0 नेता विरोधी दल का भाषण सुनें, उसके बाद मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उस समय पूरे प्रदेश में कानून का राज था। आज तो हम प्यार से बोलेंगे, आप सभी की भावनाओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, कानून का राज था, अराजक तत्व खौफ में थे, जेल की सलाखों में थे और मान्यवर, यही नहीं, हमारी सरकारों में कभी भी हिन्दू, मुस्लिम भाईचारे पर कोई उंगली नहीं उठा सका और यदि किसी ने उठाने की कोशिश की तो वह कितना भी बड़ा से बड़ा तुर्रम खां रहा हो वह जेल की सलाखों में दिखाई देता था। मान्यवर, यह इसलिए क्योंकि सरकार की जवाबदेही कुछ इने–गिने लोगों से नहीं होती बल्कि सरकार की जवाबदेही प्रदेश की जनता के प्रति होती है। प्रदेश की जनता ने आप पर विश्वास किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आपको पूरा का पूरा मौका दिया क्योंकि उनको मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी से बहुत उम्मीदें थीं इसलिए मान्यवर, उन उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी आपकी है और यदि कहीं कोताही रह जाती है तो इसके जिम्मेदार विपक्ष के लोग नहीं बल्कि इसके जिम्मेदार आपके अगल–बगल बैठे हुए लोग हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां (बैठे हुए)–

मैं नहीं।

(सदस्यों के टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यगण, कृपया मा0 नेता विरोधी दल का भाषण शान्ति से सुनिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज हालात क्या हैं, ''सपा राज की लूट है, लूट सको सो लूट, अन्तकाल पछताओगे जब सत्ता जायेगी छूट''। वह दौर और था, आज का दौर और है, कल का दौर और होगा, जब कहीं न ठौर होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल का दौर और था जब सारे गुण्डे, माफिया, अपराधी जेल की सलाखों में थे, प्रदेश में कानून का राज था, अमन–चैन था, हिन्दू–मुस्लिम सौहार्द था, भाईचारा था, बड़े पैमाने पर विकास के कार्य हो रहे थे और आज हालात जंगल राज का है। कल जो आने वाला है उसके बाद कहीं कोई ठौर और ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष का यह धर्म है कि सरकार को सावधान करे। मैं सावधान कर रहा हूं। मैं कोई आपकी आलोचना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप समाजवादी पार्टी में हैं और मैं बहुजन समाज पार्टी में हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो सरकार अपनी ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर नकेल कौन लगायेगा ? अगल–बगल में केवल संसदीय कार्य मंत्री जी ही नहीं आते, पूरी टीम आती है। माननीय मुख्य मंत्री जी मैंने इकबाल और हनक की बात की, यह आपने खुद इच्छा जतायी थी, यहां तक कि पुलिस के एक बड़े अधिकारी को आपने आदेश भी किया था ए0टी0एम0 लूट की घटना का खुलासा 15 दिन के अंदर, तनिष्क मामले का खुलासा एक महीने में और उसके पहले डेढ़ करोड़ की लूट इसी लखनऊ में हुई थी इसके लिए आपने स्वयं निर्देश दिये थे। आखिर मुख्य मंत्री का निर्देश जाए और 15 दिन के बाद 16वां दिन हो, आखिर क्यों ? मेरे कहने का मतलब मुख्य मंत्री कोई बेचारा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का ऐसा नेता है जिस पर लोगों ने विश्वास जताया है और उनके भरोसे पर खरा उतरने की जिम्मेदारी मुख्य मंत्री की है, उनकी सरकार की है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हालात यह है कि सभी अराजक हो गये हैं, अराजकता का माहौल है। पूरे प्रदेश में जहां भी देखिये कानून का रखवाला पुलिस, जिस पर जनता का विश्वास होता है कि हमें इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन यह चिंता का विषय है केवल सरकार के लिए ही नहीं, समूचे सदन के लिए है कि उस कानून के रखवालों के द्वारा बहिन–बेटियों की इज्ज़त लूटने की घटनायें आम होती जा रही हैं। (सत्तापक्ष से आवाज आयी कि यह झूठ है।) झूठ और सच कह देने से पर्दा नहीं डाला जा सकता, हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा तभी जा करके आप उसको ठीक कर पाओगे। मान्यवर, आज जब कोई बहिन–बेटी किसी परेशानी में पड़ती है तो थाने में जाने से डरने लगी है। कोई आम आदमी एफ0आई0आर0 कराने जाता है तो उसकी एफ0आई0आर0 लिखना तो दूर उसको धमकी मिलती है कि चले जाओ नहीं तो उल्टे तुम्हें किसी केस में फंसा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस अराजकता पर भी आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। आज आपकी सरकार में इतनी ज्यादा अराजकता बढ़ी, इतनी ज्यादा बढ़ी कि उसको देख करके दूसरे लोग भी अराजक होते जा रहे हैं। बरेली में अवारा कुत्तों के हमले में 6 बच्चे मरे। यानि कुत्ते भी अवारा हो गये, यही नहीं शेर,

चीते, बाघ भी जंगलों से निकलकर उत्तर प्रदेश की गलियों में घूमने लगे। जहां देखो वहां हमला, जहां देखो वहां हमला, कभी बिजनौर में हमला कभी मुरादाबाद में कभी पीलीभीत में कभी बाराबंकी में कभी हरदोई में कभी बागपत में कभी लखीमपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय जो कभी अराजक नहीं थे आपकी सरकार में वह भी रंग बदल लिए कुत्ते भी अवारा हो गए और साथ ही साथ शेर बाघ चीते भी अवारा होकर उत्तर प्रदेश की गली कूंचों में टहलने लगे। यहां पर आम लोगों का जनजीवन अस्त–व्यस्त कर दिया।

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (प्रो0 शिवाकान्त ओझा)–

माननीय अध्यक्ष जी नेता विरोधी दल हमारे जिले के रहने वाले हैं वहां की हथिनी बहुत बिगड़ैल हो गई है बहुत सारे लोगों को कुचल रही है उसकी भी चर्चा कर लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आपने तो सरकार की अराजकता पर खुद आरोप लगाया है सब बोलै तो बोलबै करैं चलनियौ बोलै जिसमें बहत्तर छेद आपने तो स्वयं छेद उजागर किया है मैं तो आपको बधाई देता हूं कि आपने साहस किया आपने साहस किया और अपने ही मंत्रि–मण्डल के एक मंत्री के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी यह लखनऊ है जहां पर पूरी सरकार रहती है। चिनहट कोतवाली में महिला की लाश मिली महानगर कोतवाली गोमती नदी में महिला की लाश मिली बंथरा थाना में हत्या कर फेंकी गई महिला की लाश मिली लेकिन शिनाख्त नहीं हो पायी आखिर पुलिस क्या कर रही है। आज गृह का बजट आ रहा है पुलिस के लिए आपने तमाम साज–सज्जा और बजट की बात की है। लेकिन पुलिस कर क्या रही है माननीय अध्यक्ष महोदय जी आज न्यायालय परिसर भी सुरक्षित नहीं है। जो भगवान के मंदिर से भी बड़ा मंदिर माना जाता है अगर भगवान के बारे में कोई बात है उसमें भी रिट दाखिल करना पड़ता है आदमी न्यायपलिका जाएगा माननीय जज साहब के यहां गुहार लगाएगा उनका परिसर भी सुरक्षित नहीं है। मान्यवर, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है फरवरी में मुजफ्फरनगर कोर्ट परिसर में हत्या हो गई मान्यवर मुरादाबाद में जिस तरह से कोर्ट में हत्या हो गई इलाहाबाद कचेहरी में जिस तरह से वकील की हत्या हो गई एक नई परम्परा शुरू हो रही है जिस कचेहरी में मान्यवर, अपराधी जाने से हजार बार थर्राते हैं उनके रोएं कांप उठते हैं उनके हौसले इतने बढ़ गए कि आज वहां भी गोली–बारी करने में उनको संकोच नहीं है। मान्यवर, यह बात चिंतन की है सोच की है कि आखिर इस पर कब अंकुश लगेगा आज नहीं तो कल जो भी वहां बैठेगा उसके लिए एक चुनौती होगी उस चुनौती पर कल क्यों आज ही उसको स्वीकार कर उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को कोई कार्य योजना बनानी होगी अपराधियों में इस बात का भय पैदा करना होगा कि अगर कानून को कोई हाथों में लेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। उससे नाता रिश्ता नहीं जोड़ा जाएगा जाति–पाति धर्म मजहब सबसे ऊपर उठकर हम प्रदेश की हिफाजत के लिए अराजक तत्वों पर नकेल लगाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं करेंगे। सरकार को इस बात का संकल्प लेकर इस

अराजकता को विराम देना होगा। अध्यक्ष महोदय आज हालत क्या है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आज हालात हो गए इसी अयोध्या में पिंकी गौतम लड़की थी गांव के कुछ गुंडे घुस गए उसके घर में घुसकर उससे दुराचार करने का प्रयास किया उसके गार्जियन एफ0आई0आर0 कराने गए तो दरोगा उल्टा अभियुक्त से मिलकर जो एफ0आई0आर0 दर्ज कराने गया उसके खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया फिर बाद में कहने लगे कि समझौता करो नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। कहीं न कहीं अपराधियों को शरण देने के लिए मान्यवर, आज जो होड़ लगी है इस पर आपको कड़ाई से पेश आना होगा। आप मुख्य मंत्री केवल एक पार्टी विशेष के नहीं हैं आप पूरे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं हम सबके मुख्य मंत्री हैं इस पूरे सदन के नेता हैं इसलिए अभिभावक के रूप में गार्जियन के रूप में संरक्षक के रूप में सबको समान रूप से देखते हुए सबको समान न्याय सम्मान, स्वाभिमान से जिन्दगी गुजर करने का वातावरण देने की जिम्मेदारी आपकी है। अध्यक्ष महोदय जी आज माननीय मुख्य मंत्री जी की व्यस्तता के विषय में पहले से ही जानकारी कार्य–मंत्रणा की बैठक में हो गई मैं बहुत ज्यादा लम्बा नहीं ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, कल ही महोबा में छेड़छाड़ से परेशान होकर एक लड़की ने आत्म हत्या कर ली कल ही मुजफ्फरनगर में एक किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म हुआ कल ही इटावा में खनन अधिकारी के ऊपर हमला हुआ कल ही माल थाना में चाकू के बल पर एक किशोरी से दुष्कर्म हुआ। कल ही यानी 25 तारीख को जानकीपुरम् में पी0एन0बी0 शाखा में बदमाशों ने लूट की। कल ही अम्बेडकर में गांधीनगर मोहल्ला में एक युवती के साथ बलात्कार हुआ। कल ही एक दिन की बात मैं कर रहा हूं। 25 मार्च को कानपुर में सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी का शव मिला। कल ही मेरठ में शराब के दुकान में सेल्समैन को गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। कल ही जालौन में एक मासूम बच्ची के साथ दुराचार हुआ कल ही ग्रेटर नोयडा में एक युवक को चाकुओं से गोद डाला गया। कल ही मऊ में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई यह हमारे विधायक जी ने अभी बताया। कल ही सिद्धार्थनगर में एक अपहरण किया गया। संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपने जैसा मुझे मत समझें मैं जो कुछ कहता हूं लिखकर आता हूं पूरी तैयारी के साथ आता हूं मैं पेपर पर भरोसा नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आज अच्छी–अच्छी बातें करें इसलिए मैंने कहा कि आज हम प्यार करेंगे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मौर्य जी यह और बता दें कि यह गायब कब हुए कल ही हुए या आज हुए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह सारी घटनाएं मात्र एक दिन की हैं। आज आप उठ जाएंगे नहीं तो आज की घटनाएं मैं कल बताता। अध्यक्ष महोदय जी यह आंकड़े सरकार के हैं यह आंकड़ों की इनकी पुस्तिका है जिस पुस्तिका के पेज 7 पर अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न सम्बन्धी इन्होंने आंकड़ा दिया है। अपनी ही सरकार यानी सन् 12 की तुलना में हत्या में 6.57 प्रतिशत की वृद्धि आगजनी में इन्होंने नियंत्रण किया बलात्कार में 7.63 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी गम्भीर चोट में 17.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और अन्य हस्तक्षेपीय अपराधों में 33.

27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि लाइब्रेरी का आंकड़ा है यह लाइब्रेरी का आंकड़ा नहीं है यह आपकी किताब का आंकड़ा है जिसको मैंने कापी कराकर अलग से रख लिया कि किताब न खोलना पड़े। मैं किताब वहीं खोलता हूं जहां खोलने की जरूरत पड़ती है जहां कलई खोलने की जरूरत होती है वहां कलई खोलता हूं। अध्यक्ष महोदय इसी प्रकार से इसी पेज पर महिला उत्पीड़न सम्बंधी दहेज में 10.93 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी बलात्कार में 75.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी शीलभंग में 157.3 प्रतिशत बढ़ोत्तरी अपहरण में 32.59 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी महिला उत्पीड़न में 44.66 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी अन्य महत्वपूर्ण अपराध तीन वर्ष का आंकड़ा हम केवल इनकी ही सरकार का उदाहरण दे रहे हैं। सन् 2012 की तुलना में डकैती में 2.28 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, लूट में 25.81 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, हत्या में 4.30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, बलवा में 10.74 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी इन्होंने रोड हेल्डअप और फिरौती में कन्ट्रोल किया और दहेज हत्या में 10.93 प्रतिशत बढ़ोत्तरी, बलात्कार में 75.06 प्रतिशत बढ़ोत्तरी। मान्यवर, यह आंकड़ा सरकार का है। अगर मैं कहता तो यह होता कि माननीय मुख्य मंत्री जी कहते नेता विरोधी दल ऐसा बोल रहे हैं, मैं आपका आंकड़ा बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा सोचा होगा महिलाओं की सुरक्षा के लिये। आपके इरादे तो नेक लगते हैं लेकिन मान्यवर, इरादा नेक था, इसीलिये आपने महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था की, 1090 की व्यवस्था की। लेकिन मान्यवर, केवल 1090 कर देने से उस पर नियंत्रण नहीं होगा बल्कि उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये आपको कोई ऐसी कार्य–योजना तैयार करनी होगी जिस पर प्रभावी अंकुश हो। समाज और प्रदेश में इस बात का भय हो कि अगर कोई किसी भी बहिन बेटी के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत करेगा तो जेल की सलाखों में जायेगा। यानि सरकार की हनक और इकबाल इस बात का मैसेज दे, संदेश दे, कि किसी भी महिला के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करेगा तो उसके साथ कोई माफीनामा नहीं, कोई संरक्षण नहीं, सीधे जेल की सलाखों में जायेगा और मान्यवर, आपने जो महिला हेल्पलाइन बनाया है उसमें मान्यवर, अब तक जो कुल शिकायतें आई हैं इन शिकायतों से आप यह अंदाजा लगाइये कि कितने बड़े पैमाने पर महिलाएं उत्पीड़ित होती हैं। 3,16,581 शिकायतें आपके इस महिला हेल्पलाइन पर आईं लगातार। इस हेल्पलाइन का फायदा हमें तब एहसास होता जब इसमें कमी आती। जब 2012–2013 में इस प्रकार की शिकायतें थीं 46,486 वर्ष 2013–2014 में थीं 1,45,923 और इस बार हो गई 1,70,658 यानि लगातार बढ़ रही हैं। इसका मतलब आपके हेल्पलाइन को लोगों ने मजाक बनाया। उससे जो समाज में आपकी नीयत थी, जो आपकी सोच थी कि इससे महिलाओं को सुरक्षा प्राप्त होगी, इससे गुन्डा, माफियाओं, अपराधियों पर नकेल लगेगी, इससे जो मनचले हैं, सिरफिरे हैं, उनको जेल की सलाखों में जाने का इंतजाम किया जायेगा। मान्यवर, वह सारा का सारा मान्यवर, फ्लाप हो गया और लगातार बड़े पैमाने पर अपराधों की वद्धि इस बात को इंगित करती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह भी आपके प्रश्नोत्तर काल के समय का ही उत्तर है, ऐसा आप न कह देंगे कि यह भी कहीं न कहीं पेपर का है। मान्यवर, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने सामान्य

प्रशासन और बजट भाषण में कहा कि सन् 2014 में एक दंगे हुए। माननीय मुख्य मंत्री जी..

श्री अखिलेश यादव–

आप बोलते रहिये, लोग तो आते रहेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

नहीं आना चाहिए। आज आपका बजट है।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

नहीं आना चाहिए। ऐसी दहशत होनी चाहिए कि कोई मुख्य मंत्री जी के आस–पास से भी न गुजरें।

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी, अब थोड़ा समय कम करिये। बहुत हो गया और नेताओं को भी बोलना है, टाइम भी देख लीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं यह कहने जा रहा था कि लोक सभा चुनाव के पहले दंगों की बाढ़, और लोक सभा चुनाव के बाद दंगों पर विराम। क्या हमारा जो यह आरोप था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लोक सभा चुनाव में फायदा लेने के लिये दंगे करा रही है, वह सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो लोक सभा चुनाव के पहले दंगे दर दंगे, बड़े पैमाने पर दंगों की बाढ़ क्यों ? यह इस बात को साबित करता है कि कहीं न कहीं उन दंगों में सरकार की संलिप्तता थी। दोनों ने मिली–भगत करके दोनों ने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए प्रदेश की जनता को दंगों की आग में झोंकने का काम किया।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है कि दंगे होते हैं तो एक हों, दंगे होते हैं तो पूरा का पूरा जिला उस आग की चपेट में आ जाता है। चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो, चाहे शामली का रहा हो,चाहे सहारनपुर का रहा हो एक गांव नहीं जला, एक घर नहीं जला, एक व्यक्ति नहीं जला बल्कि पूरा का पूरा जिला जला है। मान्यवर, जब सहारनपुर में दंगा हुआ तो 237 जगहों पर इस प्रकार से लोग आपस में टकराए, जिसके चलते 237 अभियोग दर्ज हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय जो पुलिस दल कानून का रखवाला माना जाता है। आज वह भी जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उसके चलते उसे भी आज जनाक्रोश झेलना पड़ता है यही नहीं, अराजक तत्व, गुण्डे, माफिया, अपराधी आज पुलिस के गिरेबान में हाथ लगाकर उसे थाने से बाहर खींचकर उसे सड़कों पर नंगा करते हैं उसे मारते–पीटते हैं। उसे गोली का शिकार बनाते हैं। मान्यवर, सरकारी आंकड़ा मेरे पास है मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने ही उसका उत्तर दिया था कि सपा सरकार में 622 हमले पुलिस पर हुए। हमने उनसे पूछा

भी था कि पुलिस पर यह जो 622 हमले हुए इसमें कितने पुलिस वाले मारे गए। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यह नहीं बता पाए थे कि कितने पुलिस वाले उसमें मारे गए। लेकिन मेरे पास आंकड़ा है अब तक 225 पुलिस कर्मी गुण्डों की गोली का शिकार हुए मौत के घाट उतारे गए। कहीं पर तस्करी करने वालों ने मारा, कहीं पर गुण्डे अपराधियों ने अपराधी को छुड़ाने के लिए थानेदार को गोली मारी। कहीं मुठभेड़ में उनको मारा, इतने कम समय में 225 पुलिस कर्मी गोली के शिकार हुए। मा0 अध्यक्ष जी, जब पुलिस सुरक्षित नहीं रहेगी तो आम जनता की रक्षा की जिस पर जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा कैसे होगी। इस पर सवालिया निशान उठता है, मा0 मुख्य मंत्री जी चिन्ता का विषय है आखिर वह कौन लोग हैं जो पुलिस बल पर हमला करते हैं वह कौन सी ताकतें हैं जो पुलिस बल पर हमला करने वालों पर मेहरबान हो करके उनको जेल की सलाखों में भेजने के बजाय उनको हीरो बनाकर सड़कों पर भेजने का काम करते हैं। इस पर जब तक आप अंकुश नहीं लगायेंगे तब तक पुलिस पर हमले होते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

बहुत समय हो गया अब आप खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आपके निर्देश का अनुपालन करते हुए बहुत ही कम समय के अन्दर अपनी बात खत्म करूंगा। लगभग एण्ड होने जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी, साइबर क्राइम आजकल बढ़ रहे हैं। आपने साइबर क्राइम को कन्ट्रोल करने के लिए कुछ कार्य योजना भी बनाई है। लेकिन वह कार्ययोजना प्रभावी जिस तरह से होनी चाहिए नहीं है। क्योंकि लगातार जो साइबर क्राइम है उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 2012 में मात्र 283 साइबर क्राइम हुए। 2013 में मात्र 613 साइबर क्राइम हुए थे और 2014 में हो गए 1,452, यानि 2012 की तुलना में लगभग छः गुना बढ़ गए। जब साइबर क्राइम सरकार की चिन्ता है आपने इस पर अलग से कार्य भी शुरू किया है। लगातार यह बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में जिस तरह से इसके बढ़ने की रफ्तार है तो विकास की रफ्तार आप नहीं बढ़ा पाओगे लेकिन इस क्राइम की रफ्तार जरूर बढ़ जाएगी। इसलिए इस पर जो आप योजना तैयार करते हैं उसके इम्पलीमेंट के लिए कोई न कोई कमेटी होनी चाहिए जो समय–समय पर उसका पूरा सर्वे करती रहे कितना प्रभावी हुआ कितना प्रभावी नहीं हुआ और कहां कमी रह गई है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए भी समय–समय पर उपाय करने चाहिए। मा0 मुख्य मंत्री जी, यह सीधे आपके संज्ञान में लाने का मामला है। पुलिस विभाग में वित्त विभाग ने पहले से यह निश्चित कर दिया है। मान्यवर, वित्त विभाग ने शासनादेश दिनांक 15–11–2014 के प्रस्तर–1(5) में व्यवस्था स्पष्ट कर दी कि केवल फार्मासिस्ट का पद नॉन फंक्शनल पद है, यानी शेष अन्य जितने भी पुलिसकर्मी हैं, वह चाहे पुलिस हो, एस0आई0 हो, इंस्पेक्टर हो या अन्य जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चाहे यू0पी0पी0 का हो, चाहे पी0ए0सी0 का हो, यह सभी फंक्शनल ग्रेड में आते हैं। वित्त विभाग की व्यवस्था होने के बावजूद भी आज उनको फंक्शनल वेतनमान का लाभ नहीं

मिल रहा है और मान्यवर, फंक्शनल वेतन के तहत उनका वेतनमान 4200 रुपये होना चाहिये, जिसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। चूंकि आज गृह विभाग का बजट है और वह विभाग भी आपके पास है। सीधे–सीधे कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है और वित्त विभाग ने सीधे स्पष्ट भी कर दिया है इसलिये मैं चाहूंगा कि पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिये, आज जो जगह–जगह उगाही करता है, अगर उसको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलता रहे तो वह पब्लिक से उगाही क्यों करेगा ? मान्यवर, आज पुलिस बल के हौसले को बढ़ाने की जिम्मेदारी है। उस पर हमले हो रहे हैं, इन हमलों को रोकने की जरूरत है, पुलिस बल को निखारने की जरूरत है। पुलिस बल को इस तरीके से मजबूत करिये कि लोगों की सुरक्षा हो सके और लोगों में पुलिस बल के प्रति जो विश्वास है वह विश्वास जिन्दा रहना चाहिये, अगर विश्वास मर गया तो पुलिस बल का कोई मतलब नहीं रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मौर्या जी, 45 मिनट से ज्यादा हो गये, अब आप समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, अब मैं अन्त में केवल इतना ही कहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी, गृह विभाग आपके पास है। हमारी भी सरकार में 36000 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुयी थी। तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने दिल्ली में बैठक बुला करके पूरे प्रदेश को अलग से एक डायरेक्शन दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया एक मॉडल के रूप में फॉलो की जाये और यहां तक कि उस समय पुलिस भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन थे बी0सी0 गोयल जी और आपके गृह सचिव सक्सेना जी भी उस समय भर्ती बोर्ड में थे और एक आई0पी0एस0 अधिकारी रेणुका मिश्रा थीं, इन तीनों लोगों को अलग से दिल्ली में बुला करके सम्मानित भी किया गया था, इनसे पूरी की पूरी जानकारी ली गयी थी और पूरे देश के पुलिस विभागों में उसको मॉडल के रूप से अपनाने के लिये डायरेक्शन भी दिया गया था। आखिर ऐसी कौन सी बाते हैं कि आज पुलिस और दरोगा भर्ती में बड़ी हाय–तौबा हो रही है? इसको आप इसलिये नहीं कि यह सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात है, इसको आप अलग से माइन्ड करिये कि आखिर कहां से यह शिकायत आयी ? क्या सरकार इससे बदनाम नहीं होती, क्या इससे सरकार पर उंगली नहीं उठती और क्या इससे सरकार के ऊपर धब्बे नहीं लगते ? तो इसलिये जब पूर्व में एक मॉडल था जिसको सराहा भी गया और यहां तक कि विश्व के तमाम देशों के लोगों ने उस प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय लिया, तो ऐसी हालत में मैं चलते–चलते, आप तमाम मा0 सदस्यों ने अपनी चिन्ता हमसे बतायी है, मैं उसका सम्मान करते हुये अन्त में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका सामान्य प्रशासन चुस्त–दुरुस्त तब होगा जब आप संतुलन बनाकर काम करेंगे और सभी सामान्य, पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक सभी वर्गों की आबादी के मुताबिक अधिकारियों के पदस्थापन में भी कहीं न कहीं अगर नीति अपनायी जायेगी तो हम समझते हैं कि यह जो अराजकता है, इस पर विराम लगेगा और यह हमारी सरकार में भी था। हमनें सभी वर्गों के, हमारी सरकार थी

तो इसका मतलब यह नहीं था कि सभी पद केवल शेड्यूल कास्ट के थे। शिड्यूल कास्ट का एक अनुपात था, पिछड़े वर्गों का एक अनुपात था, सामान्य का भी अनुपात था, अल्पसंख्यक का भी अनुपात था, समानुपातिक ढंग से अधिकारियों को हम मौका देते थे और यही कारण था कि सब ईमानदारी से काम करते थे। हमने इन सारी बातों को रखते हुए, मान्यवर, जो आज नीतियों की कमियां रहीं, विभाग की कमियां रहीं, उसको हमने इंगित किया, इसलिए नहीं कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए उस पर हथौड़ा चलायें, इसलिए कि आपके संज्ञान में आयें, आप उस पर गम्भीरता से मनन करें, इन कमियों पर नियन्त्रण कैसे हो, जो आज सरकार चाहती है, उसके इरादे लक्ष्य तक जायें। इसलिए मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपेक्षा करता हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी इस विभाग के स्वयं मंत्री भी हैं, इसका संज्ञान लेते हुए, इनका निदान करेंगे और एक रास्ता तैयार करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश में अमन–चैन, कानून का राज और अराजक तत्वों पर लगाम तथा हिन्दू–मुस्लिम सौहार्द का वातावरण पैदा हो और प्रदेश तरक्की और बेहतरी के रास्ते पर आगे बढ़े, धन्यवाद।

(श्रीमती इन्द्राणी देवी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी आप रुकिए। अभी आपको नहीं बोलना है, पहले नेता लोग बोल लें। बता रहे हैं कि उनकी बात मुख्य मंत्री जी से करा दी है, अब इसमें भाषण की बात नहीं है। उनकी मुख्य मंत्री जी से बात हो गई है, आप बैठिए।

श्रीमती इन्द्राणी देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी नेता विरोधी दल आंकड़े रख रहे थे। अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण सूचना है, जनपद श्रावस्ती में नेता विरोधी दल का प्रत्याशी असलम राइनी ने परसों 9.00 बजे रात में एक जमील खां को गोली मार दिया है, नेता विरोधी दल को इसे भी अपने आंकड़ों में रखना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, असलम राइनी ने खुले तौर पर डी0एम0 के यहां जाकर कहा है कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेज दिया जाए। मान्यवर, इसकी निष्पक्ष जांच हो।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बैठिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) पर जो मा0 नेता सदन के द्वारा आज बजट रखा गया है तथा नेता विरोधी दल के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है, उस पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने कई बार इस बात को इंगित किया है कि यह सरकार पारदर्शी है और बिना भेदभाव के काम करती है। मान्यवर, पुलिस और सामान्य प्रशासन का जनता

में पब्लिक परसेप्शन क्या है, पुलिस की वेबसाइट पर दिसम्बर, 2013 तक के आंकड़े हैं और दिसम्बर, 2013 के बाद इस पारदर्शी प्रशासन के द्वारा कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है, जिससे हम जान सकें कि क्राइम रेट क्या है और किस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है या क्राइम घट रहा है। अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश की जनता में एक मैसेज है कि यह सरकार कानून और व्यवस्था को मेनटेन करने में पूरी तरीके से असफल रही है और लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ा, क्राइम रेट बढ़ा और सरकार ने इस 03 साल के शासन में एक भी ऐसा काम नहीं किया, अपराधियों पर नियन्त्रण करने का कोई मैसेज नहीं दिया, जिससे अपराधियों का हौसला पस्त होता। जिस दिन से यह सरकार आई है ऐसा लगता है जैसे अपराधियों के लिए स्वतंत्रता दिवस आ गया हो। पूरा उत्तर प्रदेश आज अपराध की चपेट में है। चाहे छोटा अपराधी हो चाहे बड़ा अपराधी हो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जब तक सरकार के किसी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तब तक अपराध बढ़ नहीं सकता। अगर सरकार जो कहती है अपनी इच्छाशक्ति से उसको रोकना चाहे तो उसकी शैली उसके कार्य–कलाप उसका तरीका अपराधों को रोक सकता है। केवल भाषण से और केवल विधान सभा में कह देने से कि हम कानून व्यवस्था ठीक कर रहे हैं या कोई प्रगति कर रहे हैं इससे कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती। मान्यवर हमने विधान सभा में एक सवाल लगाया था इसी 9 मार्च को उसका जवाब आया है। उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि तीन साल में पुलिस के ऊपर 622 हमले हुए हैं। उसमें से 36 से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमें भी लिखे हैं। जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से आज तक कभी यह स्थिति नहीं आई कि जो दल जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया उसके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ हो। उसके बाद भी 9 मार्च का यह जवाब है और 10 मार्च और 11 मार्च। मान्यवर, यह मेरठ में 22 तारीख को मेरठ में बवाली सम्प्रेक्षण गृह में पुलिस पर हमला। 18 मार्च को पुलिस पर पथरावॉ दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मी घायल और मुजफ्फरनगर में एक सिपाही की गोली मार कर हत्या कर दी गई मान्यवर यह 09 मार्च को हुआ। उसके बाद भी यह रुक नहीं रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहते हैं कि आखिरकार वह कौन–सा दिन आएगा।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप उन्हें बोलने दीजिए। मुख्य मंत्री जी को जवाब देना है। आप क्यों परेशान हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में कई बड़ी–बड़ी घटनाएं हुईं। मा0 नेता विरोधी दल ने जो बात कही उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। फिरोजाबाद, बाराबंकी, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के पांच एस0एस0पी0 सस्पेंड हुए हैं लेकिन लखनऊ में हुसैनगंज के पास 15 जनवरी को एक करोड़ पैंतीस लाख का एक बक्सा लूटा जाता है और 27 फरवरी को तीन लोगों की हत्या करके 50 लाख का ए0टी0एम0 लूटा जाता है।

मुख्य मंत्री जी ने इसका संज्ञान भी लिया उस पर शायद डी0जी0पी0 को इन्क्वायरी भी सौंपी गई। जब इन पांच जगहों पर गम्भीर घटनाएं हुईं और इनके पुलिस अधीक्षकों के ऊपर कार्यवाही भी की गई तो आखिरकार लखनऊ में ऐसी कौन–सी बात थी जिसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई ? मान्यवर, डिस्क्रिमिनेशन एमंग द क्लास भी नहीं होना चाहिए। आज तक इन घटनाओं का खुलासा भी नहीं हुआ। एक करोड़ पैंतीस लाख रुपया ए0टी0एम से लूटा गया था उसमें से चार लाख रुपये तो बरामद हुए लेकिन आज तक जो मुलजिम उसमें शामिल थे उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। न उनको पकड़ा गया और न रुपये की बरामदगी हुई। यह अपने–आप में पुलिस की और खासतौर से ऊपर के जो लोग बैठे हैं उनकी नीयत के ऊपर संदेह व्यक्त करते हैं कि आखिरकार जब कार्यवाही नहीं हुई और एक व्यक्ति पकड़ा गया और यह बताया गया कि चार लाख रुपये उससे बरामद हुए हैं तो बाकी लोगों को गिरफ्तार न करना और बाकी लोगों से रुपये की बरामदगी न करना यह किस बात का परिचायक है ? मान्यवर, पुलिस भर्ती घोटाले पर केवल एक ही बात कहना चाहता हूं और विधान सभा में इस पर काफी बात आ चुकी है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया को सार्वजनिक करना चाहिए। पारदर्शी होना चाहिए और यह बात जो आती है कि वाइटनर लगा करके परिणाम में परिवर्तन किया गया यह उन नौजवानों के साथ उन अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है। जिन लोगों ने परीक्षा दी उनमें से कई लोगों ने आत्महत्या कर ली और कई लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। इसलिए सम्पूर्ण प्रक्रिया को मा0 मुख्य मंत्री जी को पारदर्शी करना चाहिए। तीसरी बात मान्यवर, आप आज पुलिस के लिए बजट मांग रहे हैं। मान्यवर, सी0ए0जी0 की रिपोर्ट आयी है। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट हम सबके लिए आईना है। मान्यवर, वर्ष 2013–14 में 790 करोड़ रुपया जो मूल बजट का था वह खर्च नहीं कर पाये और 192 करोड़ रुपये अनुपूरक में मांग लिया। मान्यवर, इस सरकार में केंद्र से जो आपदा राहत मिली थी, वर्ष 2012–13 में मिले थे 510.88 करोड़ जिसमें से 72 प्रतिशत रुपया आपदा राहत में खर्च नहीं किया गया। 367.98 करोड़ रुपया दूसरे कामों में खर्च कर दिया गया। मान्यवर, वर्ष 2013–14 में 656.46 करोड़ रुपया आपदा राहत में केंद्र से मिला उसमें से 386.49 करोड़ अर्थात् 56 प्रतिशत दूसरे कामों में खर्च किया। आपके पास पुलिस विभाग भी है आपके पास वित्त विभाग भी है और यह आपके लिए बहुत मार्ग–दर्शक है। आखिरकार जो आपदा राहत का पैसा है जो बाढ़ में, ओलावृष्टि में जिन लोगों के आंसू पोछने के लिए दिया गया था उसके फण्ड का डाईवर्जन करना यह फाइनेंशियल इररेगुलरटी है। यह फाइनेंशियल नोटबुक में भी है और आपके पास नियमों में भी है। जिन लोगों ने यह फण्ड का डायवर्जन किया है उन लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे ? मान्यवर, एक बात इस संबंध में और कहना चाहेंगे कि जो सड़क निधि का पैसा था उसको भी वर्ष 2012–13 में 1922 करोड़ रुपया डाइवर्ट किया गया और उसमें सड़क निधि में कोई पैसा नही जमा किया गया और वर्ष 2013–14 में 2252 करोड़ रुपया आया और जिसमें से डेढ़ सौ करोड़ रुपया जमा नहीं किया गया। जिस प्रकार से इसमें जो इररेगुलरिटी हुयी है उसका मा0 मुख्य मंत्री जी जरूर संज्ञान लेंगे हम ऐसी उम्मीद करते हैं। मान्यवर, कानून–व्यवस्था के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया

है। अगर मा0 मुख्य मंत्री जी चाहें तो उसका संज्ञान लेकर पूरे प्रदेश में उस पर एक मैसेज दे सकते हैं। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट में किशन भाई पटेल वर्सेज गुजरात स्टेट, यह जनवरी, 2014 का जजमेंट है और इस जजमेंट का निष्कर्ष यह है कि किसी भी मुकदमें में चार्जशीट जाने से पहले पब्लिक प्रासीक्यूटर को जरूर दिखाना चाहिए ताकि वह उसकी खामियों को दूर कर सके और उसके बाद जब अदालत में मामला चला जाये तो अदालत में हर व्यक्ति की अलग–अलग से रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाये। अगर वह केस एकुटल हो जाये तो। उसमें विवेचक की अलग से रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो। मान्यवर, पब्लिक प्रासीक्यूटर की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो। गवाह के लिए रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो और जिस जज ने मुकदमा छोड़ा है उसकी भी मान्यवर, स्क्रूटनी हो। यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के माध्यम से सारे स्तर पर आया और उत्तर प्रदेश में पुलिस मुख्यालय को यह बर्बर सर्कुलेट किया गया। लेकिन अपेक्षा यह थी कि अगर इस पर शासनादेश हो जाता तो बहुत कुछ इसके ऊपर अमल करके हम कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक कर सकते थे। मान्यवर, बिहार में वर्ष 2010 में जो पब्लिक प्रासीक्यूटर्स थे और खासतौर से प्रासीक्यूशन साइट से जो सख्ती हुयी तभी मान्यवर, कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाया गया। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत से झगड़े जमीन जायदाद के होते हैं, वर्षों पुराने चले आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक गांव बांडी गांव है। ग्यारह चेन मर्डर हुये एक पुलिस अधीक्षक पहुंच गये उन्होंने रात में गांव में विश्राम किया और रात में गांव में ऐसे विश्राम करने के बाद 33 प्रतिशत मर्डर मान्यवर, कम हो गये। मैं इस बात को इसलिए कोड करना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरे। लेकिन यह खाली कह देने से नहीं सुधरेगी। कोई न कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी। आखिरकार वह कौन सा दिन आएगा जब यह सरकार चेतेगी और उसके ऊपर कानून का अमल करेगी। मान्यवर, बड़े–बड़े अपराधियों का जब कद बढ़ जाता है तो दारोगा और सी0ओ0 के बस की बात नहीं होती कि वह उसको रोक पायें। उसके लिए जरूरी है कि आई0पी0एस0 अधिकारी ही किसी न किसी रूप में उनको विश्वास में लेकर चाहे उनके ऊपर सख्ती करके उसको रोक सकता है। क्योंकि दारोगा तो खुद ही उसका गुलाम बन जाता है। जो व्यवहारिक स्थिति है वह यह है और आज पूरे प्रदेश में किसी दरोगा की यह स्थिति नहीं है कि जो बड़ा अपराधी है उसके ऊपर हाथ डाल सके। क्योंकि कहीं न कहीं से उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो किशन भाई पटेल वर्सेज गुजरात स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी, 2014 में जजमेंट दिया है माननीय मुख्य मंत्री जी उसका संज्ञान लेकर उस पर एक शासनादेश जारी करने का कष्ट करें। मान्यवर, ऑन लाईन एफ0आई0आर0 की बात हो रही है, पासपोर्ट खो जाय, सशस्त्र लाईसेन्स खो जाय, हमारा ड्राईविंग लाईसेन्स खो जाय, आप ऑनलाइन एफ0आई0आर0 का प्रावीजन कर दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर एफ0आई0आर0 ऑनलाईन होगी तो निर्दोष लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। जो पुलिस की धारणा है, जो पुलिस की विवेचना की ताकत है, वह उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेगी, अगर यह ऑनलाइन प्रोवीजन हो गया और अभी जो वर्तमान प्रोवीजन है एफ0आई0आर0 का, मैं

समझता हूं कि वह ज्यादा ठीक है, वह सबसे कम गलत है, अगर सबसे अच्छा नहीं है तो मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें, 15 मिनट से ज्यादा हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हां मान्यवर, 10 मिनट तो हो ही गये हैं। मान्यवर, तीन बातें और कहना चाहता हूं, एक तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने जिन लोगों को ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ, उनका संज्ञान तो लिया, लेकिन जो मृतक हैं, जो लोग उस सदमें से मर गये हैं, जिनका हार्टअटैक हो गया या किसी तरीके से, ट्रेन के आगे कूद कर या कुएं में फांद कर या किसी तरीके से फांसी लगाकर जान दी, उसके मुआवजे के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। हम जरूर चाहते थे कि मा0 मुख्य मंत्री जी उसके बारे में कुछ कहें। दूसरी बात, बिजली का उत्पादन, आपके यहां प्लाण्ट लोड फैक्टर बहुत कम है, वह पूरी क्षमता से हो और राज्य सेक्टर में बिजली का उत्पादन बढ़े यह हम लोगों की सबकी इच्छा है, जब हम बिजली का उत्पादन बढ़ायेंगे तभी हम सब लोगों को बिजली दे पायेंगे। तीसरी बात मान्यवर, जहां–जहां पर खनन अवैध हो रहा है, उन स्थानों पर पट्टा कर दें, एक फाईनेन्शियल क्लीयरेन्स लेना है मान्यवर, जो अधिकारी स्तर की बात है, वह चाहते हैं कि ठेकेदार ले जाकर, अगर अधिकारी स्तर पर उसको फाईनेन्शियल क्लियरेन्स मिल जायेगी, नो–आब्जेक्शन मिल जायेगा मान्यवर, तो निश्चितरूप से बहुत कुछ रुक जायेगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ जायेगा। मान्यवर, अन्तिम बात, हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता जी ने आज बड़े अच्छे मूड में कहा कि आज हम प्यार करेंगे, हमारे पीछे से पर्ची आई कि इनसे कह देना कि ''आज मदहोश हुआ जाये रे मेरा मन'' मा0 अध्यक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव में गई 2006 में, तो इनका नारा क्या था, इनका नारा था कि ''चढ़ गुण्डों की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर'' और उसके बाद जब सत्ता में आ गये तो क्या किया इन्होंने कि ''गुण्डे चढ़ गये हाथी पर, गोली मारे छाती पर''। मान्यवर, यह जो अभी कह रहे थे कि इनकी और हमारी मिली–भगत से दंगे हो रहे हैं मान्यवर, इन्होंने तो पांच साल पूरे बहुमत की सरकार चलाई और बहुमत की सरकार चलाने के बाद नतीजा क्या हुआ, जनता ने क्या पैगाम दिया, कहां पहुंचा दिया। इनके कहने में और करने में बड़ा अन्तर है और इनके पास में सिवाय इसके भारतीय जनता पार्टी के अलावा इनके पास साम्प्रदायिक शक्तियों को गाली देने के अलावा और कुछ इनके पास नहीं है और जब जरूरत पड़ती है तो हाथ भी मिला लेते हैं।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई।

श्री अध्यक्ष–

शान्ति रहिये, बोलने दीजिए ताकि जल्दी खत्म हो जाय। आप लोग छेड़–छाड़ मत कीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, एक तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि, मान्यवर ईंट, सीमेण्ट की क्या कीमत हो गई, मजदूरी की भी कीमत बढ़ गई और जो विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि है, उससे उतना विकास हो नहीं पाता है, जितना हम उम्मीद करते हैं, इसलिए सम्पूर्ण सदन की हम समझते हैं सभी लोगों की इसमें सहमति है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि बढ़नी चाहिए। दूसरी बात मान्यवर नल, तीसरी बात, ग्रामों का विद्युतीकरण, चौथी बात जो अवस्थापना निधि है, उसमें किसी न किसी रूप में विधायक की सहमति जरूरी है। मान्यवर, 5–5 किलोमीटर सड़क अगर मिल जाय, क्योंकि मुख्य मंत्री जी के पिताश्री तो वर्षों तक यहां पर पांच किलोमीटर, सात किलोमीटर उस वक्त आज से दस साल पहले मान्यवर उन्होंने यह परम्परा डाली थी कि जिस समय बजट का अन्तिम दिन होता था, उस दिन कम से कम इस पर जरूर विचार व्यक्त करते थे। मान्यवर, हम चाहते हैं और हम उस पर मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। एक बात और है, पीछे से एक पर्ची आई है कि आज चन्दौली के 04 लोग मर गये, पुरुलिया बिहार में ट्रैक्टर से पलट गये। अरुणेन्द्र पाण्डेय, जय प्रकाश पाण्डेय, राम पूजन तिवारी, कैलाश चौरसिया ये जनपद चन्दौली के हैं और इनकी ट्रैक्टर पलटने से मृत्यु हो गई और बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। मान्यवर, गरीब लोग हैं, अगर इनको कुछ आर्थिक सहायता मिल जाये तो हम समझते हैं कि इनके परिवार का कल्याण हो जायेगा। मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग व अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) पर हमारे मा0 नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। मैं इस पर बल देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, बात सरकार की हो रही है, सामान्य प्रशासन की हो रही है, पुलिस की हो रही है। मुख्य मंत्री की सोच अच्छी है, चाहते हैं कि विकास हो और विकास के साथ–साथ तमाम निवेश की बात भी करते हैं। विधान सभा में इन्होंने काफी कुछ घोषणायें करी हैं और उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह प्रगति के चरण मुख्य मंत्री आगे ले जाने की बात कर रहे हैं पर ये सब कैसे होगा। यदि आप पूरे उत्तर प्रदेश को देखें पूर्वांचल से लेकर उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक तो प्रदेश में कानून–व्यवस्था को लेकर बिल्कुल त्राहि माम, त्राहि माम मची हुई है। अफसरशाही निरंकुश हो गई है, लालफीताशाही इस कदर बढ़ चुकी है कि जितने भी सम्माननीय मंत्रीगण हैं या मा0 मुख्य मंत्री जी भी हैं, उनके चाहते हुये भी ऑर्डर नीचे तक इम्प्लीमेण्ट नहीं हो पाते। कुछ हनक वाले मंत्री जो कि इस सरकार में बैठे हैं उनकी बातें तो नीचे तक इम्प्लीमेण्ट होती हैं परन्तु अन्य मंत्रियों के लेटर प्रशासनिक अधिकारी वैसे ही दबा देते हैं। आज स्थिति यह है कि किसी भी आदेश की बात देखिये या जो भी कमिटमेण्ट विधान सभा में होता है, उस कमिटमेण्ट के बारे में आप यहां बैठे हुये 400 विधायकों में से इस साइड के विधायकों से पूछ लीजिये कि एक

बात भी जमीनी स्तर तक नहीं जाती। जहां तक विकास का प्रश्न है, जो पैसा बजट में पास होता है उसको आप देखिये कि कितना बजट नीचे तक पहुंचता है, कितना पैसा नीचे तक पहुंचता है। मैं सामान्य प्रशासन की बात कर रहा हूं, उस अफसरशाही की बात कर रहा हूं जिस पर यह सरकार भरोसा करती है। मैं समझता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी को ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाम खींचनी होगी। जो भी सरकार की नीतियां हैं यदि इनको नीचे तक पहुंचाना है तो उसे कड़ाई से मॉनीटर करना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि यदि मुख्य मंत्री जी आदेश भी करते हैं तो वह लेटर विधायक प्रकोष्ठ में 10–10, 15–15 दिन तक रखे रहते हैं और हम लोग आज की तारीख में यदि मुख्य मंत्री जी से कोई आदेश कराते हैं तो सब खुशी–खुशी जाते हैं और जब विधायक देखते हैं विधायक प्रकोष्ठ में तो लेटर वहां पहुंचे ही नहीं होते। आज का वह आदेश 01 महीने बाद जाता है तो क्या उसमें विकास होगा, क्या त्वरित कार्यवाही होगी और क्या एक आम आदमी को राहत मिलेगी ? आज ये स्थितियां बहुत गम्भीर हैं। सभी विभागों के अधिकारियों को आप उठाकर देख लें ऊपर से लेकर नीचे तक तो जहां तक सामान्य प्रशासन का प्रश्न है या ब्यूरोक्रेसी का प्रश्न है जो सपने समाजवादी पार्टी ने देखे या जो मुख्य मंत्री जी चाहते हैं प्रदेश में अनुपालन के लिये वे अनुपालित नहीं हो पा रहे हैं। आप उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। आपने तमाम परियोजनाओं को घोषित किया आम जनमानस के लिये सबने उसका स्वागत किया पर जब तक बेस में वह पैसा नहीं पहुंचेगा, जब तक जिला स्तर तक नहीं पहुंचेगा, जब तक तहसील और ब्लॉक स्तर तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपकी योजनायें, सारे सपने धूल–धूसरित होते रहेंगे। मान्यवर, यह बहुत आवश्यक हो चला है कि अफसरशाही को ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट लेनी बहुत आवश्यक है जिससे कि मॉनीटरिंग हो हर जिले की कि शासन का जो पैसा है, जो विकास योजनाओं का पैसा है जिला स्तर पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, सड़कें ठीक से बन रही हैं कि नहीं बन रहीं, नहरों में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो गांवों का विद्युतीकरण है, वह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी की सारी बातें सोचने लायक हैं और देखने लायक हैं, बहुत गम्भीर हैं। इस मामले में सरकार बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है। मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक कानून व्यवस्था का मामला है, आज जैसे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने सब आंकड़े दिये, आप उठाकर देख लें कि पहले दिन से, जिस दिन से सरकार आई है उस दिन के भी मैं आंकड़े आपको बताऊं कि कितनी हत्यायें हुईं, कितनी लूट हुईं बल्कि राजधानी में ही यदि आप देखें तो जनवरी माह में ही लखनऊ में 16 हत्यायें, 12 लूट की घटनायें मान्यवर, इसी तरह से एक लम्बी फेहरिस्त है हालांकि हालत यह है कि जेल में भी अपराधी सुरक्षित नहीं हैं, जेल में भी गोली–बारी होती है, जब मथुरा में ही उस अपराधी को वहां से आगरा ले जाया जाता है तो पुलिस स्कार्ट में बदमाश और अपराधी उस अपराधी की हत्या कर देते हैं तो आम आदमी अपने आपको कैसे सुरक्षित कर सकता है ? जब पुलिस कस्टडी में आदमी को गोली मार दी जाती है तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। 1090 हेल्पलाइन आपने बनाई, आज घटनायें नेता प्रतिपक्ष ने आपको बताईं कि महिलायें कितनी सुरक्षित हैं ? सरकार की सोच अच्छी है

परन्तु क्रियान्वयन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से लोग खुले आम ए0टी0एम0 उठाकर ले जाते हैं, लाखों की लूट होती है, लेकिन अपराधियों का पता नहीं लगता। प्रदेश पूरा अपराध ग्रस्त हो गया है, हमें इस बात की चिंता है कि व्यवस्था कैसे बनेगी ? प्रदेश को आगे ले जाने की बात है। प्रदेश आगे कैसे जाएगा, जब तक कानून–व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है। जितनी निवेशकों के लिए आपने सम्मिट की, जितना पैसा लाने की बात कहीं, उन सब पैसों को निवेश कैसे होगा, कैसे लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे इण्डस्ट्रीज आएंगी, यह सब सोचने की बातें हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक गृह मंत्रालय को मामला है आज प्रदेश में दरोगाराज है। दरोगा आज इतनी बड़ी इकाई हो गई है कि वह अपने एस0एस0पी0 का भी कहना नहीं मानते, अपने डी0आई0जी0 का भी कहना नहीं मानते। हालत यह है कि उनकी कनेक्टिविटी ऊपर तक है सीधी और वह सीधे कहते हैं कि हमारा एस0एस0पी0, डी0आई0जी0, आई0जी0, डी0जी0पी0 क्या बिगाड़ लेगा और जब इन लोगों से कहा जाता है अफसरों से, बोलते हैं हम लोग हेल्पलैस हैं, हम कुछ नहीं करते, यही एक कारण है कि कानून–व्यवस्था प्रदेश में नहीं सुधर पा रही है उस दरोगाराज को यदि आप सख्ती करेंगे, खत्म करेंगे और उन दरोगाओं के तबादले के सम्बन्ध में मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उनका वर्चस्व इतना है कि अच्छे–अच्छे लोग भी उनको डिगा नहीं पाते। 2 साल और रह गए हैं यदि कानून–व्यवस्था पर सरकार को काबू करना है तो उस दरोगाराज को आपको खत्म करना पड़ेगा। इसी तरह से आप देखिए जिस तरह से अभी भर्ती हो रही है सिपाहियों की उसमें जो घोटाले हो रहे हैं, उसमें भी ट्रान्सपरेन्सी लानी होगी, जहां तक पुलिस का सवाल है पूरे प्रदेश में, पुलिस का ही मनोबल गिर चुका है आज उन्हीं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, जिस पुलिस का मनोबल गिर चुका है, वह आम आदमी की सुरक्षा कैसे कर पाएगी ? माननीय अध्यक्ष जी, यह गंभीर और चिंतन का विषय है और यह देखने वाली बात है आज स्थिति यह है कि यदि कोई बड़ा मंत्री यहां से एस0एस0पी0 को किसी काम के लिए फोन करता है, तो एस0एस0पी0 भी उसके काम को, उसकी बात को नहीं सुनता है। आज स्थिति गंभीर हो चुकी है, डि–सेन्ट्रालाइजेशन ऑफ पॉवर में, सत्ता के विकेन्द्रीकरण के मामले में आज जो अबसैन्स आई है, वह पहला काम होती है। मान्यवर, यह दोनों ही मामले गंभीर हैं और इन मामलों पर चिंतन करना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष जी। आज स्थिति सही बनाने के लिए, सही रोड पर लाने के लिए मुख्य मंत्री जी को लगाम और कसके पकड़नी पड़ेगी, और कसकर उनके ऊपर अंकुश लगाना होगा। माननीय अध्यक्ष जी, बाकी सारी व्यवस्था आंकड़ों के आधार पर कह दी गई है। मैं खन्ना जी से अपनी बात को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी काफी सहज हैं, काफी सोच वाले हैं आज वह 403 एमएलऐज के बारे में सोचेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि पिछले दो सालों से हम लोगों को किसी को भी हैण्डपम्प्स नहीं दिये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा की 200 हैण्डपम्प प्रति विधायक के हिसाब से वह यहां घोषणा करें। इसी तरह से, जो क्षेत्रीय

विकास निधि है, उसके सम्बन्ध में कहना है कि आज ईंट, सीमेंट, लोहा सब बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है और यदि आप देखें तो टोटल जो डेढ़ करोड़ की, आपकी विकास निधि मिलती है, उसमें यदि आप एक सड़क बनवाये तो डेढ़ किलोमीटर पूरी एक सड़क नहीं बन पाती है। हम लोग 100–100, 200–200 मीटर खड़न्जे या सीमेंट, कंक्रीट या इंटरलाकिंग्स टाइल्स की सड़क बनाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि 2 करोड़ की क्षेत्रीय विकास निधि बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी जाए, जिससे विधायकों को अपने क्षेत्र में कोई न कोई लाभ हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, आज सब वर्तमान में हैं, सबको पूर्व विधायक होना है, कोई भी स्थायी रूप से यहां नहीं आ पाया है, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उनकी सैलरी बहुत कम है। उनकी सैलरी बढ़ाकर प्रतिमाह 25 हजार रुपये कर दी जाए और उसके साथ–साथ प्रतिवर्ष डेढ़ हजार रुपये उसमें बढ़ोत्तरी की जाए। इसी तरह जो रेलवे के कूपन है पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया जाये और उसमें से पचास हजार तेल या डीजल का पैसा दिया जाये जिससे वह अपने क्षेत्र में भ्रमण कर सकें। इसी तरह से जो हम लोगों के रेलवे कूपन हैं जो अभी तक हम लोगों को दो लाख दिये जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना सस्ता तेल और डीजल होने के बावजूद भी डीजल और पेट्रोल के दामों में कोई कमी नहीं की है। इन्होंने आते ही साढ़े चौदह प्रतिशत रेलवे का किराया बढ़ाया उसकी मार हम सब एम0एल0ए0 के रेलवे कूपन पर पड़ी, एयर क्राफ्ट पर पड़ी और उसका री–इम्बर्समेन्ट डीजल पर पड़ी वह भी तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से जो विधायक नोएडा और लखनऊ में प्लाट दिये जाने से वंचित रह गये हैं, उनकी संख्या का आकलन कर दिया जाये, उनको नोएडा या लखनऊ में प्लाट का आवंटन किया जाये। मान्यवर, इसी तरह से पांच–पांच गावों का विद्युतीकरण, 10 किलोमीटर सड़कें दें जिससे कि उनका समुचित विकास हो। हम हमेशा कहते आये हैं कि 403 ग्राम विधान सभा क्षेत्र में होना चाहिए तभी आपका उत्तम प्रदेश बनेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत सहज हैं इनसे हम लोगों ने वेतन बढ़ाने की मांग की, हम लोगों का वेतन चीफ सेक्रेटरी के वेतन से एक रुपया ज्यादा होना चाहिए। हम लोगों को इतना कम वेतन मिलता है कि अगर हम लोगों से कोई पूछता है तो बताने में शर्म आती है। माननीय अध्यक्ष जी इसके अलावा हमारे विधान सभा में जो सचिवालय के समीक्षा अधिकारी हैं, जो सहायक समीक्षा अधिकारी हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह सब आपको मांग करने की क्या जरूरत है ?

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, यह अध्यादेश हो चुका है, इस अध्यादेश का अनुपालन किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी यहां कर्मचारी बैठे हुए हैं जो हम लोगों को सहयोग करते हैं इन सब के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की जाये। मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं और वह बहुत सहज हुआ करते थे। इतने वर्षों से हम देख रहे हैं हर बार वह बढ़ाने की बात करते थे। मैं उम्मीद करता हूं

कि माननीय मुख्य मंत्री जी बौछार कर देंगे और सभी विधायकों को अपनी सौगात से खुश कर देंगे।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मौर्या जी, खन्ना जी और माथुर साहब के साथ मैं अपने आपको सम्बद्ध करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। सदन से मेरा निवेदन है कि मेरी बात ध्यानपूर्वक और शान्तिपूर्वक सुनने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, यह सत्र आपके नेतृत्व में आपकी अध्यक्षता में आपके अनुभवों के आधार पर बहुत शान्तिपूर्वक बड़े कायदे से चला। माननीय अध्यक्ष जी, सभी विपक्ष ने अपनी–अपनी योग्यता और क्षमता से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। यह विपक्ष की जिम्मेदारी है, सरकार कोई भी हो, चाहे इनकी हो, चाहे उनकी हो, हमारी तो क्या आयेगी (हंसी) किसी की भी हो, अपनी–अपनी क्षमता से, अपने–अपने संशाधनों से कार्यक्रम बनाती है उसी हिसाब से वर्तमान सरकार ने जो कार्यक्रम बनाये हैं, सोलर लाइट, सोलर से विद्युत उत्पादन, जनेश्वर मिश्र ग्रामीण योजना, वृद्ध आर्थिक योजना, लोहिया ग्राम योजना, किसानों के लिए सोलर पम्प, वृद्धावस्था पेन्शन, स्वतंत्रता सेनानियों की पेन्शन, बीमारी के लिए लोगों को मदद, आपकी बहुत अच्छी योजना है। इससे हम सब सहमत हैं समस्या यह आ रही हे कि इन योजनाओं का इम्प्लीमेन्टेशन पारदर्शी तरीके से हो, इमानदारी से और जिस अधिकारी या विभाग की जिम्मेदारी हो सख्ती से बिना रिश्वत के लेनदेन के इन योजनाओं कार्यान्वयन करा लें। कोई भी सरकार अपनी पालसी, अपना जो इरादा होता हे सरकार का उसी हिसाब से, बहुजन समाजवादी पार्टी बनाती है उसी हिसाब से आप बनाते हैं। इसमें आपके अपने जो इरादे होते हैं उसको पूरा करने के लिए आप लोग कोशिश करते हैं। अभी कानून–व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारे साथियों ने बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है और एक एक घटना के सम्बन्ध में आपको अवगत कराया है। सौभाग्य से आप बहुत कम उम्र में मुख्य मंत्री हुए हैं अभी इस प्रदेश में आपको 50 वर्ष राजनीति करनी है। आपके पास केवल दो साल हैं तीन वर्ष जैसे भी निकले लम्थम पत्थम वह निकल गये हम सबका भी भाग्य और हम सबका भी कार्यक्रम आपसे जुड़ा हआ है। आप इस आनरेबिल सदन के नेता सदन हैं हमारे सबके संरक्षक हैं साथ–साथ पूरे प्रदेश के भी संरक्षक हैं। आपकी जितनी भी अच्छी कार्य योजना हमारे क्षेत्र में लगेगी उसका श्रेय हम लोगों को भी किसी न किसी तरह से चाहे हम विरोध करते रहें तब भी हमको मिलता है तो आप इन सब योजनाओं को पारदर्शी ढंग से लगावें मुझे आपसे ऐसी आशा है। कई चीजें जो आज सभी लोग उम्मीद ल करके बैठे हैं और पूरे प्रदेश की निगाहें, पूरे सभी विधायकों की निगाह है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक ओर वर्तमान विधायक का वेतन बहुत कम हैं। पूर्व विधायक सभी को होना है अभी हमारे माथुर साहब कह रहे हैं सभी लोग कह रहे हैं हम सभी पूर्व विधायक होंगे और सभी को पूर्व होना है तो मैं चाहूंगा आपने जो सेनानियों की पेंशन बढ़ाई है 10 हजार रुपया बढ़ाई है बहुत अच्छा काम किया है। इसमें एक कमी है जिन लोगों को 188 लग गयी थी उस वक्त उन लोगों को इससे वंचित रखा गया है। संसदीय मंत्री जी बैठे

हैं मैं चाहूंगा कि 188 वालों को, इसीलिए लगी थी उन पर धारा, उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाय और यह आपने अच्छा काम किया है इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन जब यह मुकाबला होता है पूर्व विधायकों से तो उनको बेचारों को मिलती है 7–8 हजार वह बड़े चिन्तित हैं कि सेनानियों को इतनी मिल गयी हमको बहुत कम मिली तो मैं चाहूंगा कि उनकी भी पेंशन आप बढ़वायें।

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तराखण्ड जैसे प्रदेश में विधायक निधि पौने तीन करोड़ है जबकि वहां का विधायक मात्र हमारे ब्लाक प्रमुख की हैसियत का होता है सवा डेढ़, एक लाख पर ही बन जाता है उनको इतनी विधायक निधि मिलती है और हम सब जितने बैठे हैं साढ़े तीन लाख से नीचे कोई नहीं है लगभग 4–4 लाख और गाजियाबाद में तो 7–7, 6–6 लाख वोटों पर एमएलए बनकर आता है तो विधायक निधि आप जरूर बढावें यह आपकी योग्यता कुशलता है संसदीय मंत्री जी की और माननीय शिवपाल जी की कि आप किस तरह से किन मदो ंसे काटकपट करके इस विधायक निधि को बढ़ायेंगे यह आपकी क्षमता, योग्यता है।

मान्यवर, क्षेत्र की जनता को सबसे बड़ी दिक्कत है और तो कुछ नहीं एक हैण्डपम्प होती है। आपने हैण्डपम्प पहले दिये थोड़ी जै–जैकार हो गयी हमारा भी मान सम्मान बढ़ गया हमसे भी लोग लाइन लगाकर पूछने लगे भाई विधायक जी हैण्डपम्प, हम झूठ सांच बोलते थे पिछले दो वर्ष तो हमने झूठ में ही निकाल दिये कि जैसे ही मुख्य मंत्री जी हैण्डपम्प देंगे वैसे ही हम आपको तुरन्त हैण्डपम्प देंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अब क्योंकि चुनावी ईयर ही चल रहा है इस साल में ही जो आपका काम हो जायेगा अगले साल में जो काम होगा उसका कोई पूछने वाला नहीं है इस साल में जो भी काम होगा मेरा आपको सुझाव यह है कि अगले साल वाला भी बजट अभी पास कर लो और उसको भी इसमें खर्च कर लो। (मेजों की थपथपाहट)

देखिये, अभी आपको दो वर्ष हैं काम करने को आपका यह वर्ष जो काम इस वर्ष में होगा वही काम तो किया जायेगा अगले वर्ष तो भागमभाग और दौड़मभाग होगी उस समय कोई काम तो नहीं करेगा। तो इसलिए मेरा सुझाव है जो कि व्यावहारिक नहीं है और शायद उसे कर भी नहीं पायेंगे आपको मेरा एक सुझाव है कि अगले वर्ष का भी इसी साल खर्च करा लें और यह काम हो जाय तो आपका काम दिखाई देगा। अभी हमारे माननीय एन0डी0 तिवारी के समय से ले करके माननीय मुलायम सिंह के समय से, माननीय कल्याण सिंह के समय से ले करके स्व0 वीर बहादुर सिंह के समय से ले करके आज तक जितनी भी सरकारें यहां आईं सबने विधायकों को प्लाट, फ्लैट दिये और लोग याद करते हैं कि यह तिवारी जी के समय में दिया गया था, यह माननीय मुलायम सिंह जी के समय दिया गया, यह माननीय वीर बहादुर सिंह जी के समय दिया गया यह माननीय कल्याण सिंह जी के समय में दिया गया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय में माननीय विधायकों को जो दिये गये, दुर्भाग्य से ऐसी जगह आप लोगों ने बापू धाम में दे दिये कि वहां विधायक बेचारे फंस गये। बापू धाम में जो आपने फ्लैट दिये हैं जो हमारे सब साथी बैठे हैं इनके बेचारों के पैसे भी फंस गये और उसमें किसी को कुछ

मिला भी नहीं। तो मेरा सुझाव है कि बापू धाम वाले जो फ्लैट मिले हैं उनको आप कहीं अच्छी जगह पर दे दें। इसके साथ ही मेरा कहना यह है कि आप नये विधायकों को प्लाट/फ्लैट जरूर दिलायें। देखिये, ये लोग भी यही कह रहे हैं। ये होशियार लड़के हैं, ये कह रहे हैं कि आप सब बूढ़े लोगों के पास प्लाट/फ्लैट हैं और इनकी बात भी सही है। हमारे पास प्लाट है, फ्लैट भी है गाजियाबाद में भी है और यहां लखनऊ में भी है, क्योंकि हम कई बार विधायक रहे हैं और कई सरकारों के दौरान हमको यह मिले हैं, लेकिन जो हमारे नये विधायक साथी बैठे हैं जैसे संग्राम सिंह व और भी साथी हैं, तो इनको भी आप जरूर दीजिये। माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारी विधान सभा में आज जो हमारे 403 विधायक हैं इसमें बहुत योग्य विधायक हैं चाहे बी0एस0पी0 के हों, चाहे बी0जे0पी0 के हों, चाहे कांग्रेस के हों, अपनी बात तो खैर हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब बहुत योग्य लोग आये हैं। यहां पर हमने लगभग 60 ऐसे नये लड़के देखे हैं जो बड़े अच्छे हैं, वेल क्वालीफाइड हैं। इन सबकी मांग थी कि आप बड़े–बूढ़े सब लोगों के पास तो प्लाट हैं, लेकिन हमारे पास नहीं हैं। तो हम अपने लिये तो नहीं मांगते, आप हमें न प्लाट दो और न फ्लैट दो, लेकिन जितने नये विधायक आये हैं सभी दलों में, इन सबको आप प्लाट/फ्लैट जरूर दें ताकि यह याद रखें कि माननीय अखिलेश जी के समय में हमको यह प्लाट/फ्लैट मिले थे।

श्री अध्यक्ष–

ठाकुर दलवीर सिंह जी, कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कैसे हम समाप्त कर दें। सबकी मांगों के संबंध में बोल रहा हूं। माननीय नेता जी ने अपने समय में पांच–पांच गांवों का विद्युतीकरण और पांच–पांच किलोमीटर सड़क कम से कम दी थी। वैसे तो सात किलोमीटर थी, लेकिन मैं कम से कम पांच किलोमीटर बता रहा हूं। कहीं से आप व्यवस्था करें, आपका बहुत बड़ा कोष होता है, आप पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, आप प्रधानमंत्री के बाद देश में दूसरे नम्बर के मुखिया हैं। आप कहीं से भी काट–छांट कर अपने विवेक–बुद्धि से दीजिये। आप बैठे हैं, माननीय शिवपाल जी बैठे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी खूब होशियार हैं, सब लोग बैठे हैं। कहीं से भी जुगाड़ करिये और इन विधायकों का आप काम करिये। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष को आपने किसान वर्ष घोषित किया है, मैं माननीय शिवपाल सिंह जी को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। हालांकि मैं उस दिन नहीं था, राजस्व के बजट पर आपने चौधरी साहब की सराहना की। चौधरी साहब हमारे पूरे देश के किसानों के नेता थे। आप हैं, हम हैं और मान्यवर जो आप ऊपर बैठे हैं, हम सब उन्हीं की देन हैं। मैं यह जरूर चाहूंगा कि किसानों के लिये उनके नाम पर कोई योजना चलाई जाये। इसके साथ ही किसानों के ऊपर पूरे प्रदेश में जो भी केस लगे हैं, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, चाहे गोरखपुर हो, जहां भी किसानों के ऊपर केस लगे हैं, केवल ऐसे केसों को छोड़कर जो चोरी,

डकैती, अपहरण, लूट या निकम्मेपन के जितने हों उन्हें छोड़कर, जो नेतानगरी में केस लगाये गये हैं, सब वापस लिये जाये। हम और आपमें कोई विधायक ऐसा नहीं है जिसके नेता नगरी में झंझट न होते हो। आई0पी0सी0 की धारा–332 या 353 तो हरेक पर लग जाती है, यहां जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से 90 परसेण्ट के ऊपर ऐसे झूठे केस चल रहे होंगे और जिन पर यह केस नहीं चल रहे हों वह नेता ही नहीं है। नेताओं पर केस जरूर चलते हैं, क्योंकि जनता की समस्याओं को रखने के लिये जब विधायक लोग संघर्ष करते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं और वहां थोड़ी–बहुत बहस हो जाये तो अधिकारी फौरन 332 या 353 लगा देते हैं। माननीय शिवपाल सिंह जी मेरठ में घोषणा करके आये हैं और आपसे भी मेरा निवेदन है कि जितने भी इस तरह के केस प्रदेश के अंदर लगे हैं विधायकों के ऊपर तो आपकी कलम चल जाये और एक आदेश हो जाये और आप ऐसे सभी मुकदमों को वापस करा दीजिये। अभी मथुरा में एक घटना हुई है और आपके 40 लोगों के नाम रिपोर्ट कर दी गई है। रिश्वत के लेनदेन के चक्कर में एक फौजी भिड़ गया पुलिस से, फौजी तो फौजी होता है और पुलिस से झगड़ा हो गया और उसमें तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि उसमें आप जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बस एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अलीगढ़ में बुलन्दशहर से एक बारात आई और शुद्ध मुस्लिम समुदाय के ऐसे गरीब लोगों की वह बारात थी कि वह टूटी हुई बस में आये थे और भोजपुरा वाले हमारे एम0एल0ए0 साहब बैठे होंगे। बारात आई और गरीब आदमी सात मरे हैं जिनमें 6 मुसलमान और एक पंडित जी, जो बेचारा ड्राइवरी कर रहा था उस टूटी बस की। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को आप अपने विवेक से जो भी हो सके, सहायता दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करें ।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं । हमारा काम इनका ध्यान आकर्षित करना है, वह मौर्य जी ने, खन्ना जी ने और माथुर जी ने बहुत अच्छे से आकर्षित कर लिया, अच्छाई बड़ाई तो सब इनके मत्थे मढ़ दी, सरकार तो इन्हें बढ़िया चलानी है, यह कैसे डिसीजन रखेंगे, यह इनको सोचना है। अब जैसे एक पुलिस का मैटर है, मैनें एक उदाहरण दिया था, आप इसमें कोई पारदर्शी निर्णय लें। मैं मानता हूं कि आपकी भर्ती बेशक बिल्कुल सही–सही है, लेकिन जब आरोप लग जाय तो आरोप को दूर करने के लिये आपको हिम्मत के साथ आदेश करना चाहिये ताकि सभी को न्याय मिले। मैं इन्हीं

शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, सभी लोगों ने मेरी बात सुनी और जो बातें मैंने कहीं हैं, इन पर कार्यवाही भी होना चाहिये।

(डा0 मो0 अयूब द्वारा बोलने के लिये अनुरोध किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

नहीं–नहीं डा0 साहब, अभी आप बोलेंगे तो बवाल हो जायेगा ।

श्री दलवीर सिंह–

आखिर में कहना चाहता हूं कि हमारे लोकदल के लोगों पर लाठीचार्ज हो गया, उन पर केस लग गया, मैं पूरे प्रदेश के लिये कह रहा हूं, मेरा निवेदन है कि जो केस लगे हैं, उनको आप वापस ले लें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अखिलेश यादव–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता प्रदीप माथुर जी, माननीय नेता आदरणीय दलवीर सिंह जी, आप सभी ने बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। आप लोगों ने जो सुझाव और राय रखी है, उसमें जो महत्वपूर्ण राय है, उस पर सरकार जरूर विचार करेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था, इसलिये मैं चाहता था कि बहस बहुत लम्बी न हो और कम समय में बात खत्म हो जाय और सबकी बात आ जाय, इसलिये मैं शार्ट में बोला था और यह सही है कि प्रशासन और पुलिस पर मैंने कम बात रखी, हालांकि बजट के समय पूरी बात रखी थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कहा और मैं यह कह सकता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं और जिसकी भी सरकार होगी, प्रायरिटी पर हर एक का ला एंड आर्डर रहता है और समाजवादी पार्टी की सरकार का भी, मैं भरोसा दिला सकता हूं कि हमने हमेशा ला एंड आर्डर को ही प्राथमिकता पर रखा है और हमेशा यह कोशिश की है कि ला एंड आर्डर मेन्टेन हो और जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उन पर कड़ी कार्यवाही हो, यह मैं भरोसा इस सदन में आप लोगों को दिला सकता हूं। जहां सामान्य प्रशासन में यह कहा गया कि यह सरकार कछुये की रफ्तार से चल रही है और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कह दिया कि हम लोग नादान हैं, मासूम भी हैं और भोले भी कहा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी तो जानते ही होंगे और आपने बचपन में वह कहानी जरूर पढ़ी होगी कछुआ और खरगोश की रेस की। जो ज्यादा तेज चलता है, भागता है, जरूरी नहीं कि वह जीत जाये और पूरे भारत के बच्चे जानते हैं, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, वह सब यही पढ़ते हैं कि आखिर में कछुआ जीत गया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की रफ्तार कुछ भी हो, रफ्तार जो कुछ है वह है रफ्तार, लेकिन मैं भरोसा दिला सकता हूं और इस बात को कह सकता हूं कि जिन योजनाओं को हमने लिया है, जिन योजनाओं को शुरू किया है, वही अधिकारी, उन्हीं के सहयोग से और यह भी स्वाभाविक है कि अधिकारी अच्छा काम करता है तो उसी से सरकार की छवि अच्छी बनती है। अधिकारी के कामकाज से ही सरकार की छवि अच्छी बनती है, और कोशिश की है और मैं उदाहरण पेश कर सकता हूं कि जब लैण्ड एक्वीजीशन हुआ

तो हमने आपने लैण्ड एक्वीजीशन तो किया नहीं। जो जमीन ली गयी आगरा एक्सप्रेस वे में, वह जमीन तो आखिरकार अधिकारियों ने ही दिलाई। अगर उनकी कुशलता न होती, उनकी मेहनत न होती तो मैं समझता हूं कि इतने कम समय में इसके लिये जमीन नहीं ली जा सकती थी और आपको याद होगा कि जब आपने प्रमोशन दिया था, आपने जूनियर को सीनियर कर दिया और सीनियर का पता नहीं, वह कहां चला गया, उसे जूनियर कर दिया तो आप बताइये कि इस सरकार ने कहीं भेदभाव किया हो। आपने अगर प्रमोशन दिया था तो कहीं हमने उनका डिमोशन किया, कहीं उनका मनोबल गिरने दिया। अगर कहीं मनोबल गिरने दिया हो तो हमें बता दो। लेकिन हां जिसका आपने मनोबल गिराया था, उसका तो सरकार ने मनोबल बढ़ाया और उसको प्रमोशन दिया। वहीं मा0 नेता प्रतिपक्ष कहने लगे कि अधिकारियों के प्रति व्यवहार, क्योंकि तीन साल हो चुके हैं सरकार से आप बाहर हैं लेकिन क्यों बाहर हैं आपने अभी तक उसके बारे में नहीं सोचा है। कम से कम आपको अब तो विचार कर लेना चाहिए था क्योंकि दो साल बाद फिर चुनाव में जाना है। क्या कारण था कि आप सरकार से बाहर चले गये, अगर आपका लॉ एण्ड आर्डर बेहतर था तो आप सरकार में वापस क्यों नहीं आये, अगर आपकी प्रशासन पर पकड़ थी तो आप सरकार में क्यों वापस नहीं आये और जहां आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, आप प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों का कितना सम्मान करते थे, मैं जब मुख्य मंत्री आवास में गया तो वहां पर मुझे बताया गया कि कैसे जूते और चप्पल बाहर उतार करके अन्दर जाना पड़ता था। आप बताइये, अगर ऐसा न होता रहा हो तो आप बता दें। अधिकारियों में से किसी ने फांसी तो नहीं लगाई, कारण कुछ भी हो सकता है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, हत्याएं जेलों में हुई हों या बाहर हुई हों मैं उनमें नहीं जाना चाहता क्योंकि बात पुरानी है और जांच भी उसमें चल रही है, तमाम संस्थाएं उसमें जांच कर रही हैं। क्या आपकी सरकार में इंजीनियरों की हत्या नहीं हुई, आप जानते हैं कि उसमें किसको सजा मिली है, जो डॉक्टरों की हत्या हुई आप जानते हैं कि उसमें क्या–क्या जांचें हुईं हैं, एन0आर0एच0एम0 घोटाले में आपको क्या–क्या सामना करना पड़ा है आपके कितने मंत्रियों को जेल जाना पड़ा है, तो आप अपना सब कुछ भूल गये इन तीन सालों में। मैं इन बातों में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि यह सब आप जानते हैं लेकिन अगर आप अपना आंकलन कर लेते, अपने बारे में सोच लेते तो शायद दो साल बाद आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो सकती है लेकिन आप अपने लिए भी नहीं सोचना चाहते हैं। किस तरह से पुलिस अन्याय कर रही थी उस समय और किस तरह से प्रशासन अन्याय करता था।

श्री मोहम्मद आजम खां (बैठे हुए)–

इन्हें मत समझाइये।

श्री अखिलेश यादव–

आप यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, क्या–क्या सामना नहीं करना पड़ा। आज तीन साल हो गये कोई राजनीतिक दल का बड़ा नेता मुझे बता दे कि उसके घर के आसपास कहीं भी बैरीकेटिंग हुई हो। अगर कोई भी आन्दोलन होता था तो वह जनता

के हित का होता था, आप बताइये कि कितनी बैरीकेटिंग लगाते थे। कोई घर में नहीं सो सकता था, भागते रहते थे, चुनाव हुआ करते थे बतौर चुनाव में क्या कोई घर में सो पाता था। कितने मुकदमें इन्होंने लगाये, किसानों पर कितने मुकदमें लगाये, आदरणीय दलवीर जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आप तो हमें आशीर्वाद देते हैं और ये पता नहीं क्या देते हैं। ये अपनी उम्र छिपाते हैं, आशीर्वाद देने की उम्र के लेकिन ये अपनी उम्र छिपाते हैं और उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उम्र के हिसाब से आपको हमें आशीर्वाद देना चाहिए। कांग्रेस की नेता यहां पर बैठी हैं, ये उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थीं, इसके बारे में भी कुछ कहेंगे। कैसे मुंह छिपाते हुए आपकी पार्टी के नेता लोग बाहर निकले हैं।

श्री अखिलेश यादव–

पूछा गया कि क्यों मुंह छिपाया तो बताया कि आग और धुआं से बचने के लिए, आखिर आप गये क्यों थे उस घर में, तो कैसे भूल जाते हैं आप। इसीलिए मैंने कहा और मैं कहना चाहता हूं कि कछुए की तरह रहोगे तो जीतोगे हर चीज। आप बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, बहुत जल्दीबाजी में।

श्री मोहम्मद आजम खां (बैठे हुए)–

अरे इनका कछुआ भी लंगड़ा है भाई।

श्री अखिलेश यादव–

अभी आपने कह दिया पुलिस भर्ती के बारे में और मैं देख रहा हूं कि दो दिनों से आप इस सदन में कह रहे हैं हालांकि आन्दोलन आप नहीं चलवा रहे हैं, आन्दोलन तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चलवा रहे हैं। आन्दोलन आप नहीं चलवा रहे हैं क्योंकि आपको सच्चाई पता है, अगर आपने अपने प्रोसीजर को, अपने काम करने के तरीके को लेकर कहा कि उस समय के होम मिनिस्टर ने आपकी तारीफ की। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप बताइये कि जो प्रोसीजर आपने अपनाया था उसमें कहां हमने गलत प्रोसीजर अपनाया, कहां हमारी नीयत खराब थी, बताइये। वह नौजवान जो भर्ती हो गये हैं, नौकरी पा गये हैं, कभी उनसे कोई पूछे कि आखिरकार उन्होंने मेहनत की थी या नहीं की थी। उसमें कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वर्षों लग करके तैयारी की होगी तब जाकर उन्होंने इन्ट्रेंश एग्जाम पास किया होगा, क्या इलाहाबाद में उन्होंने तैयारी नहीं की, क्या और जगह तैयारी करके उन्होंने इन्ट्रेंश एग्जाम क्वालीफाई नहीं किया। अगर आपका प्रोसीजर ठीक था, आपको तारीफ मिल रही थी तो वही प्रोसीजर तो हमने अपनाया है और जहां तक प्लाटून कमाण्डर और एस0आई0 की भर्ती का सवाल है तो वर्ष 2011 से भर्ती चल रही है देर इस बात के लिए है कि कई बार कोर्ट में सरकार को अपना जवाब देना पड़ा। कई बार सरकार को देना पड़ा, आचार संहिता लगी रही जिसकी वजह से इतनी देरी हुई। आप बताइये प्लाटून कमाण्डर और एस0आई0 की भर्ती कब शुरू हुई थी, 2011 में शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी ? हम तो उसको पूरा कर रहे हैं। पुलिस की जो भर्ती है, 42 हजार जवानों की भर्ती

पूरी निष्पक्ष हुई है, आप पर और हम पर कोई सिफारिश करने आया हो तो बता दो। फिजीकल हुआ तो कोई उंगली नहीं उठी, प्री–इन्ट्रेंस एक्ज़ाम हुआ, मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं किसी मा0 सदस्य ने शिकायत की हो तो बतायें, सेकेण्ड रिटेन एक्ज़ाम हुआ उसमें कोई मा0 सदस्य बतायें शिकायत की हो तो, यहां तो मौका दिया गया कि जिसको कोई आपत्ति हो वह शिकायत कर सकते हैं। पूरी भर्ती ट्रान्सपेरेण्ट है और ओ0एम0आर0 शीट की फोटो कॉपी उनके पास भी है। केवल यह कह देना कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है। आपकी भर्ती के प्रोसीजर को मेडल मिल रहा है और हम भर्ती कर रहे हैं वह गड़बड़ है। क्योंकि आन्दोलन आप नहीं चला रहे हैं, आन्दोलन वह लोग चला रहे हैं और वह इसलिए चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग यह समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भूल चुकी है कि मूर्तियों को इन्होंने ही दूध पिलाया था, यह वे लोग हैं जो मूर्तियों को भी दूध पिला देंगे और झूठा प्रचार करा देंगे। आप आरोप लगा रहे हैं कि इटावा में, कन्नौज में, मैनपुरी में सबसे ज्यादा भर्ती हो गयी, जिसने आंकड़ा दिया हो आपको, वह आपको गुमराह कर रहा है और इस प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं आप। नौकरी आपको भी तो देनी चाहिए, केन्द्र सरकार क्या कर रही है ? पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेण्ट है, मैं भरोसा दिला सकता हूं कि पूरी भर्ती ट्रान्सपेरेण्ट है और यही नहीं हम और भर्ती करना चाहते हैं और बहुत जल्दी ही हम 40 हजार भर्ती और निकालेंगे जिससे 40 हजार भर्ती और हो जाए। क्योंकि इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए भर्ती के लिए। बताइये प्रमोशन किया पुलिस का, कहीं कोई आरोप लगा हो, कांस्टेबिल से हेड कांस्टेबिल पर, कहीं कोई आरोप लगा हो। उनके घर कैसे अच्छे हों, चौकी कैसे अच्छी हो, पुलिस कैसे समय पर पहुंचे, क्योंकि मैंने बजट भाषण में कहा था और बजट भाषण में यह कहा था कि जिस तरह से एम्बुलेंस पहुंच जाती है समय पर, हमारी पुलिस क्यों न पहुंचे ? उसके लिए मैं स्ट्डी करा रहा हूं और इसकी रिपोर्ट भी आ गयी है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि सरकार ने तैयारी की है जब अगली बार मैं बजट पर बोलूंगा और बात रखूंगा उस समय देश की सबसे बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में पुलिस के पास संसाधन कोई होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस के पास होंगे। (सत्तापक्ष के सदस्यों के द्वारा मेजें थपथपायी गयीं।) हम खुद महसूस करते हैं, सरकार महसूस करती है कि पुलिस का काम जोखिम भरा है, सबसे जोखिम भरा काम है। पुलिस की जो कमियां हैं वह कोई समाजवादी सरकार नहीं ले करके आयी है, आपके जमाने में क्या पुलिस में कमियां नहीं थी लेकिन उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। आप बताइये कि ट्रेनिंग कैसे करानी चाहिए, आपने जो भर्ती करायी थी आपने उसकी ट्रेनिंग कैसे करायी। तो आपको ट्रेनिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी ट्रेनिंग बेहतर हो। समय के हिसाब से जो क्राइम में बदलाव आया है, आज से 10–15 साल पहले कोई ए0टी0एम0 नहीं होता था, कोई ए0टी0एम0 की चोरी नहीं करता था लेकिन ए0टी0एम0 की भी चोरी हो रही है तो कहीं न कहीं पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस को जरूर समय लगता है। आगरा का मुझे याद है कि बैंक में घटना हुई, बैंक में आग लगाकर अपराधी लूट करके चले गये, बाद में खुलासा हुआ तो दो प्रदेश के

अपराधी निकले कि नहीं निकले। इस तरह के अपराध में समय जरूर लगता है लेकिन मैं भरोसा दिला सकता हूं कि पुलिस कार्रवाई करेगी और उन तमाम मामलों का खुलासा करने का काम भी करेगी। सहारनपुर की बात आपने की, क्या आपको सच्चाई नहीं पता कि आखिरकार कहां ज्वैलरी थी ? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है ? तो यह सही है कि घटनायें होती हैं, घटनाओं पर कोई सरकार रोक नहीं लगा सकती। जो आंकड़े पेश किये जाते हैं, आंकड़े यह सही है कि जब सरकार अच्छा काम करेगी तो आंकड़े बढ़ते हुए दिखायी देंगे। आप आरोप लगा रहे हैं कि एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जा रही है लेकिन कोई एक मामला बताइये कि एफ0आई0आर0 न लिखी जा रही हो। लेकिन तमाम तरह की बातें कही गयी क्योंकि राजनीति आपको भी करनी है, राजनीति हमको भी करनी है, वोट आपको भी मांगना है, वोट हमको भी मांगना है। बी0जे0पी0 के माननीय नेता ने तो सच्चाई सामने ला दी कि जब जरूरत पड़ती है तो आप उनके साथ चले जाते हो, खड़े होकर मना ही नहीं किया इन्होंने, क्योंकि यह व्यक्ति तो अच्छे हैं। सब कुछ अच्छा है, लेकिन गलत जगह बसे हुए हैं। आज यह डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। आपने जो आरोप लगाया, वह मना नहीं कर सकते। मना करने के लिये पूछना पड़ेगा तब मना कर पायेंगें। (मेजों की थपथपाहट) जहां तक प्रशासन का सवाल है यह लगातार काम करना पड़ेगा। इसीलिये मैंने कहा कि आप बताइये लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई आरोप लगा तो सरकार पर तो बताइये। जो पास था, जो पात्र था उस तक हमने पहुंचाने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट)। इसी तरह से सरकार ने बदलाव लाने का काम किया क्योंकि भ्रष्टाचार भी बड़ा सवाल है। जो आम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है उसको भ्रष्टाचार का सामना न करना पड़े अगर वह पेंशन लेने जाय तो क्यों उसको अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े। इसलिये सरकार ने फैसला लिया कि जितनी भी पेंशनें हैं चाहे वह विकलांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, सब की सब उसके एकाउन्ट में पहुंचाने का काम करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) अब हमारे साथ मुश्किल यह है कि कर हम रहे हैं, और हम बता नहीं पा रहे हैं। मान लीजिये, किसान बीमा हम दे रहे हैं किसानों को, ऑन लाइन बीमा चला जाता है, उसके एकाउन्ट में पहुंच जाता है, लेकिन उसको जानकारी नहीं मिलती है कि हम दे रहे हैं कि सरकार दे रही है। और सरकार और पार्टी में बहुत फर्क है। वह यह महसूस करता है कि सरकार ने दिया है, पार्टी ने नहीं दिया है। इसलिये ऑन लाइन करना शुरू कर दिया है। कइयों में एफिडेविट खत्म कर दिया, खुद अपना सेल्फ अटेस्टेड दे दो। क्यों आपको अटेस्टेड कापी चाहिए ? तो जितना टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं। साइबर क्राइम है, बढ़ा है, नये तरीके का क्राइम आया है। उस पर कार्यवाही कर रहे हैं हम लोग। अभी यह 1090 है। यह पॉवर वूमेन हेल्पलाइन इसलिये बनाई कि तमाम ऐसी सूचनाएं मिलती थीं, घटनाएं होती थीं कि जहां पर अगर कोई परेशान कर रहा है लड़की को, महिला को तो आखिरकार कहां जायं ? किससे मदद मांगें ? और इसमें कोई आईडेंटिटी बताई नहीं जाती, छुपा के रखते हैं। अभी कोई माननीय सदस्य सवाल उठा सकता है कि बताइये इतनी संख्या हो गई इसमें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं

कि अगर महिला को कोई फोन पर परेशान करता है, कोई पीड़ित थी महिला, तो आपके पास क्या योजना थी ? आप किस तरह से उसकी मदद कर रहे थे ? आपकी मुख्य मंत्री तो खुद महिला थीं। आपने 1090 क्यों नहीं शुरू किया, 1090 जैसी कौन सी सेवा आपके पास थी। अगर कोई महिला पीड़ित हो रही है, परेशानी में है तकलीफ में है तो किससे मदद करते आप। कम से कम आपके पास एक व्यवस्था तो बनीं। हां उस व्यवस्था को कितना स्ट्रेन्थेन कर सकते हैं, उस व्यवस्था को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में तो हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि और बेहतर करें। जहां तक ओलावृष्टि की बात कही आपने। जो किसान का नुकसान हुआ होगा हमने उसके लिये व्यवस्था की है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मापदंड के हिसाब से जो पैसा मिलता था उसे दुगना कर दिया और पैसा हमने अपने बजट से किया (मेजों की थपथपाहट) और चिन्ता जायज़ है आपकी कि अगर किसान की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार की देखभाल मदद के लिये कोई योजना नहीं है। किसान दुर्घटना बीमा है, लेकिन इसमें कई बार ऐसे भी लोग हैं जो बटाई पर हैं, जिन पर जमीन नहीं है, ऐसे लोगों की ओलावृष्टि में मत्यु हो गई और कई हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन इसमें आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। निष्पक्ष होकर उन्हीं लोगों को दिलवायें। कई बार संख्या बढ़ाकर कुछ और चीजें आ जाती हैं इसमें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 5 लाख रुपया दिया है जो भी ओलावृष्टि से किसानों की मृत्यु हुई है। मैंने 5 लाख तो बढ़ा दिया है 2 लाख रुपया मुख्य मंत्री कोष से अलग से दूंगा। इस तरह से 7 लाख रुपया उनको मिलेगा। कुछ जगह बंटना भी शुरू हो गया। बुन्देलखंड में बंटना शुरू हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान बुन्देलखंड में हुआ। (मेजों की थपथपाहट) तो वह हम करने जा रहे हैं। आपने कानून–व्यवस्था के बारे में कहा, क्योंकि बात खत्म करने जा रहा हूं मै, बाकी घोषणा उसके बाद होगी जब स्पीकर साहब को मैं धन्यवाद दूंगा उस समय। आपने कहा कि कानून–व्यवस्था इतनी खराब हो गई है। कुत्ते का भी नाम ले लिया, जानवरों का भी नाम ले लिया पर आपने अपना चुनाव चिन्ह क्यों बचा के रखा, यह बतायें। अब देखिये, अपना चुनाव चिन्ह बचा लिया इन्होंने और सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान उसी से होता है (हंसी)। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल बतायेंगें कि उससे कितना नुकसान होता है, उस पर भी फैसला लिया सरकार ने। उस पर भी हमने फैसला ले लिया। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और तमाम एन0जी0ओज0 के संघर्ष के बाद यह तय हुआ कि कोई भी भालू का कार्यक्रम नहीं करा सकता। भालू को एक जगह पहुंचा दिया जाएगा। नेताजी ने रेस्क्यू सेन्टर बनाया है मथुरा में, कोसी के पास, दो रेस्क्यू सेन्टर बने हैं एक कोसी के पास, एक और है नेताजी ने बनवाया है। क्योंकि हाथी को भी लोग, परमिट लेकर कोई शादी में दे रहा है, कोई मेले में ले जा रहा है, कोई बिहार में पहुंचा रहा है, तो बहुत सार्टिफिकेट बनवा लिए थे अब सबके कैन्सिल करके मैं एक रेस्क्यू सेन्टर बना रहा हूं चम्बल में, इटावा में और उसकी परमीशन मैंने केन्द्र से मांगी है। आपको अब ऐसे जानवर दिखाई नहीं देंगे।

लायन्स सफारी में लायन रहेंगे, चिड़ियाघर में और रहेंगे, भालू मथुरा और आगरा में रहेंगे और हाथी जो हैं वह रेस्क्यू सेन्टर में, इटावा में रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और जो सुझाव दिए हैं प्रशासन, पुलिस पर, महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं सरकार काम कर रही है और सरकार की छवि उसी से बनती है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो सबसे पहला सवाल कानून व्यवस्था पर होता है हमें लगातार उस पर काम करना पड़ेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसे लोग जो अपराधी हैं, जो छवि खराब कर रहे हैं, मैंने अपने भाषण में अभी कुछ दिन पहले कहा, मैंने कहा, कि योजनायें एक तरफ हैं, उपलब्धियां एक तरफ हैं, लेकिन अगर हमारी भाषा और व्यवहार अच्छा होगा तो उससे भी जनता हमारे साथ खड़ी होगी। अगर हम कितनी भी उपलब्धियां दे दें, कितनी भी अच्छाइयां कर दें लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो नुकसान सरकार का होगा। इन सब बातों को आप जानते हैं मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि जहां तक कानून–व्यवस्था का सवाल है सरकार काम करेगी और कई प्रदेशों के आंकड़ों को बताया, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, मैं तुलना नहीं करना चाहता हूं कानून–व्यवस्था पर सरकार लगातार काम करेगी जो अपराधी होंगे, जो समाज के दुश्मन होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही सरकार करेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारे मा0 सदस्यों की तरह और हमारी तरह यह भी हाथी की सवारी करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस बात के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। मैं चाहूंगा कि हाथी के साथ आप हमेशा रहें, अभी तक चुपके–चुपके अम्बेडकर स्मारक में हाथी देखने जाते थे। अब मेरे हाथी से इतना मोह है कि इटावा में भी हाथी ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं इसी प्रकार से हाथी हर जगह पहुंच जाए बहुत अच्छी बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्य मंत्री जी मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा केवल एक प्रश्न करूंगा। आज चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी, सारे विपक्ष की जो भी यहां चिन्ता व्यक्त की गई थी उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए दिखे रही बात आपने पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर इशारा किया। जो कमियां आई हैं उसका अगर आप संज्ञान लेंगे तो उसका निस्तारण हो सकता है। ओ0एम0आर0 सीट बेवसाइट पर डाली जाती रही है जो इधर नहीं डाली जा रही है। दूसरी बात जितने भी प्रकार के रिजल्ट हैं वह बेवसाइट और नेट पर तत्काल डाल दिए जाते हैं। तीसरी चीज पुलिस भर्ती बोर्ड के नियमों के परिप्रेक्ष्य में यह नियम है कि किसी भी आंसर सीट पर फ्लूड या रेजर का प्रयोग होगा उसे निरस्त कर दिया जाएगा जिसका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है इसका संज्ञान ले लेंगे तो उंगलियां उठनी बन्द हो जाएंगी। माननीय मुख्य मंत्री जी जो भी हमने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से तमाम सुझाव दिए थे अब यह उसको व्यावहारिक अमलीजामा कितना दे पाते हैं इसको हम देखेंगे और दूसरी चीज, चूंकि आज बजट मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, अगर मा0 मुख्य मंत्री जी ने आज

बजट प्रस्तुत किया होता तो शायद मैं आज कटौती प्रस्ताव वापस ले लेता, लेकिन अब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का कटौती प्रस्ताव मैं कैसे वापस ले लूं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इतनी नाराजगी हमसे ? बुल्डोजर हम पर चलाये, 54 मुकदमें हम पर कायम किये, जिन लोगों ने हमारे नाम से फेसबुक पर ऐसी अभद्र भाषा डाली जिसको हम सोच भी नहीं सकते, उनकी हिमायत आपने की, लेकिन एक फायदा हुआ। मैंने जो सख्ती करायी, उस सख्ती से सोशल मीडिया के और जितने भी मीडिया के लोग हैं, वह अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के करप्शन में और सोशल मीडिया पर इस तरह के जो कमेंट्स आते थे, उनमें एकदम गिरावट आयी है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयीं) और बहुत सख्त संदेश गया है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हुआ है वह रामपुर या बरेली वाले केस का नहीं हुआ है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के कार्टून के इश्यू को लेकर वह फैसला हुआ है, लेकिन मीडिया ने उसे बिल्कुल गलत कोट किया है। अब उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके लिये हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी इंसान का अधिकार है, लेकिन दूसरे की आजादी छीनकर अपनी आजादी का इस्तेमाल करना, कानून इसकी इजाजत नहीं देगा, एक बात। दूसरी बात यह कि मौर्या जी, मैं अपनी कलम या अपनी जुबान से आपके बारे में कुछ लिख दूं तो इसमें आपकी खता नहीं है। यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। हमारे बारे में जो लिखा गया, वह किसी व्यक्ति ने अपनी तरफ से लिखकर यह कहा कि मैंने कहा। यह उस परिधि में नहीं आता जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन इस मामले से उसका कोई लेना–देना नहीं है। आप जैसा जिम्मेदार व्यक्ति, हम आपको एक अच्छा दोस्त मानते हैं और मा0 नेता सदन ने यह सही कहा कि आप एक अच्छे इंसान हैं। जरूरी नहीं है राजनीतिक दलों में काम करने वाले हम लोग तमाम खूबियों से भरे हों, मगर एक चीज को हम याद रखेंगे। "मंजिल पर न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मंजिल पर न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते और दो–चार कदम चलने को चलना नहीं कहते।" (सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयीं) मंजिल बहुत दूर होती है, हमारा रास्ता सही होना चाहिये। यह सही है कि जैसे ही समाजवादी सरकार आती है आपके पड़ोस के जिनके आपने राखी बांधी थी, वह समाज में दंगा–फसाद कराते हैं। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यह उसके एक्सपर्ट हैं और इनकी दुकान में उसके अलावा और कुछ है ही नहीं और यही हमारी बेगुनाही का सबूत है कि जब उन कमजोर और लाचारों की सरकार आती है, उन लोगों की सरकार आती है जिनके चेहरे पर दाढ़ियॉ हैं, जो बस में और ट्रेन में तहबंद बांधकर बैठते हैं, जो थाने में जाते हैं तो उनसे नाम पूछने से पहले ही उनकी शिनाख्त हो जाती है, सरकार आते ही उन्हें यह अहसास होता है कि एक ऐसी सरकार आ गयी है जिसमें मेरी दाढ़ी पर हाथ नहीं जायेगा, मेरी आस्था पर हाथ नहीं जायेगा। उस माहौल को खराब करने के लिये और सरकार की उस नेकनीयती को दागदार करने के लिये जो लोग मुजफ्फरनगर और सहारनपुर करते हैं, उनकी मदद आप उस वक्त करते हैं जब आपकी मोहतरमा गुजरात

में जा करके भारतीय जनता पार्टी का गुजराती भाषा में इलेक्शन लड़ाकर चुनाव प्रचार करती हैं। उसके नतीजे आपने देखे भी, उसके नुकसानात भी आपने देखे। इसलिये मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर मुझसे आपकी कोई नाराजगी है, अगर मुझसे कोई व्यक्तिगत नाराजगी है। मैंने एक दिन सदन में कहा था कि मैं उतना ही पैर फैलाता हूं जितनी चादर मुझे मिलती है। अगर आप कटमोशन, कटौती का प्रस्ताव वापस ले सकते हैं तो मैं सदन से संसदीय कार्य मंत्री का पद अभी छोड़ने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता हूं और संसदीय कार्य मंत्री जी की पीड़ा से मैं सहमत हूं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी, एक चीज मैं भी कहूंगा। 'क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात।'

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप एक मिनट आप तशरीफ रख लें, प्लीज।

श्री अध्यक्ष–

अब बहुत समय हो गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अध्यक्ष जी, क्योंकि पूरे देश का सोशल मीडिया इस वक्त मेरे नाम से जुड़ गया और मैं सच कह रहा हूं, आप से, दो बड़े वाकये हुए, एक नेता जी को लेकर, मा0 मुख्य मंत्री जी को लेकर और हमें लेकर, एक पोस्चरिंग हुई, उसमें भी सख्ती से काम हुआ। दूसरा हम से जोड़ कर हुआ और पूरा मीडिया जानता है कि उस सख्त कार्रवाई के बाद एकदम बदमाशों में हिम्मत नीचे आई। एक बात हम आपसे और कह दें कि जो दिल्ली में रेप हुआ था, करोड़ों लोग सड़कों पर उतर कर आए, रेपिस्ट वाज माइनर, माइनर था वह और आज यह बहस चल रही है कि हीनियस क्राइम करने वाला अगर माइनर भी होगा तो उसे मेजर पनिशमेंट दिया जायेगा। बहुत से माइनर्स ऐसे होते हैं, जिनका डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट, उनकी मानसिकता का डेवलपमेंट किसी भी मेजर से कहीं ज्यादा होता है। क्या आप उसे जुल्म करने की इजाजत देंगे ? दूसरे यह कि आप जैसा जिम्मेदार आदमी, क्षमा बड़न को चाहिए, किस गुनाह की क्षमा ? वह माइनर नहीं था, वह मेजर था और मेजर है और नेता प्रतिपक्ष जैसा जिम्मेदार व्यक्ति जानकारी के बगैर उसे माइनर कहे, यह खेदजनक है। वह छात्र न था, न छात्र है, इसके बावजूद भी आप लोग उसे छात्र कहते हैं। उसने और उसके मां–बाप ने माफी मांगी कि हमसे गलती हुई। 302 का मुजरिम अदालत में जाकर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, क्या वह काबिलेमाफी है गुनाह ? आज लोग क्या कह रहे हैं, मेरठ के फैसलों के बारे में, जबान–ए–खल्क को नक्कारा–ए–खुदा समझो, मेरठ की अदालत के फैसले पर टिप्पणी हो रही है आज, इन्साफ मांगने के लिए लोग आगे जायेंगे, अक्ले नाहक कभी रायगा नहीं जाता। इसलिए

आप एक ऐसे जिम्मेदार पद पर हैं कि अगर आप एक ऐसे वाकये जो पूरे देश को एक नया रास्ता देने वाला है और सोशल मीडिया को लगाम लगाने वाला रास्ता है। अगर आप उस व्यक्ति को माइनर कहेंगे, उसे छात्र कहेंगे तो प्रदेश की 22 करोड़ जनता आपकी नेकनीयती पर यकीनन सवाल उठायेगी और उसका नुकसान आपको होगा, राष्ट्र को भी होगा, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि 'क्षमा बड़न को चाहिए', लेकिन उस गुनाह के लिए जो गुनाह काबिलेमाफी हो। यह गुनाह उसने किया था, जिस बिनाह पर पूरा मुजफ्फरनगर जल गया था, पूरा मुजफ्फरनगर, इसी सोशल मीडिया के गुनाह की खातिर, यह भी तो सकता था, वह काम फिर हो जाता तो क्या क्षमा कर दिया जाता ? मैं चाहूंगा कि इसमें आप कम से कम इस गरीब पर तरस खायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने मुझे अवगत कराया कि वह बालिग था, अगर बालिग था तो वाकई में उसके लिए दोषी है और चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मा0 मुख्य मंत्री जी को दिल्ली भी जाना है। मैं एक निवेदन करूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप से इतना प्रेम हो गया है कि आज दिल्ली नहीं जा रहे हैं और आपके हाथियों को इटावा बुला लिया। इतना जरूर कर दें, हाथियों को इटावा भेज दें और हथिनियों को रामपुर भेज दें।

(हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहरहाल हाथी के पाले न मुख्य मंत्री जी अभी आए हैं और हाथी के पाले न अभी आप आए हैं, अगर हाथी के पाले में कोई आ गया तो आप जानते हैं, कोई बचाने वाला मिलता नहीं है। इसलिए उनके चक्कर में न पड़ें, ज्यादा अच्छा है।

मान्यवर, चूंकि इसमें ठोस कार्य योजना का अभाव है, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट केन्द्र लाया है उसको कब से लागू कर दिया जायेगा ? पूरे प्रदेश की 79 प्रतिशत ग्रामीण जनता और 64 प्रतिशत शहरी जनता को लाभान्वित करने वाला है। मान्यवरख् कई बार उसको सरकार टाइम दे चुकी है। ग्यारह राज्यों में लागू हो चुका है। यह कब से लागू कर देंगे यह बता दें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह बात तो आपने अपने भाषण में कही नहीं थी। बैठिए कुछ नहीं। अब क्या बार–बार पूछना है। यह परम्परा नहीं है आप लोग सारी परम्पराएं तोड़ रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र नियोजन और विकास बोर्ड का विधेयक वह लाए और ब्रज के विकास के लिए उन्होंने समर्पण भाव दिखाए उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

(श्री दलवीर सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह बाद में कह देना। जब आपको मौका मिलेगा तब। आप धन्यवाद दीजिएगा तब अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्चॉ 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4ॉ32ॉ16ॉ000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्चॉ 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1ॉ36ॉ64ॉ63ॉ53ॉ000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख1.20 बजे, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयकॉ 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयकॉ 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयकॉ 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयकॉ 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयकॉ 2015 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

31 मार्च, 2016 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2015–2016 के लिए 315225,94,04,000 रुपये का निकाला जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 315225,94,04,000 रुपये (रुपये तीन लाख पन्द्रह हजार दो सौ पच्चीस करोड़ चौरानबे लाख चार हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्ही सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3

अनुदान / अनधिक क्रम. संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	1566991	*2000*	1568991
		पूंजी :	31376	*ददद*	31376
02	आवास विभाग	राजस्व :	7130924	*16707*	7147631
		पूंजी :	12550000	*41657*	12591657
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	2294753	*600*	2295353
		पूंजी :	670000	*ददद*	670000
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	291720	*ददद*	291720
		पूंजी :	70900	*ददद*	70900
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	1268733	ददद	1268733
		पूंजी :	100000	ददद	100000
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	3121292	ददद	3121292
		पूंजी :	349208	ददद	349208
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	2022533	ददद	2022533
		पूंजी :	29266402	ददद	29266402
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन.सामग्री)	राजस्व :	1511228	ददद	1511228
		पूंजी :	83395	ददद	83395
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	112208745	*395264*	112604009
		पूंजी :	134021300	*365583*	134386883
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	3115429	*13971*	3129400
		पूंजी :	117543	*15*	117558
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	30437391	*1525*	30438916
		पूंजी :	8942910	ददद	8942910
1	2			3	
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं	राजस्व :	5081951	ददद	5081951
		पूंजी :	ददद	ददद	0

1	2		3		
	जल संसाधन)				
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	18268620	*1630*	18270250
		पूंजी :	102115826	०००	102115826
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	70529639	०००	70529639
		पूंजी :	6213786	०००	6213786
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	8605631	*1379*	8607010
		पूंजी :	373107	०००	373107
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व :	827970	०००	827970
		पूंजी :	510000	०००	510000
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	1023258	०००	1023708
		पूंजी :	०००	०००	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	3863158	*103151*	3966309
		पूंजी :	10401853	*104917*	10506770
19	कार्मिक वि□ाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	91764	०००	91764
		पूंजी :	1500000	०००	1500000
20	कार्मिक वि□ाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	149662	*474250*	623912
		पूंजी :	०००	*500*	500
21	खाद्य तथा रसद वि□ाग	राजस्व :	3006670	*350*	3007020
		पूंजी :	75638197	*50*	75638247
22	खेल विभाग	राजस्व :	700370	०००	700370
		पूंजी	2885618	०००	2885618
23	गन्ना विकास वि□ाग (गन्ना)	राजस्व :	1832386	*200*	1832586
		पूंजी :	700000	०००	700000
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	11063242	०००	11063242
		पूंजी :	8200000	०००	8200000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	6097718	*1000*	6098718
		पूंजी :	5658891	०००	5658891
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	124578651	*7001*	124585652
		पूंजी :	12067702	०००	12067702
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	171381	०००	171381
		पूंजी :	18200	०००	18200

1	2		3		
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	2029914	०००	2029914
		पूंजी :	3000	०००	3000
29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	०००	*127723*	127723
		पूंजी :	०००	०००	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	48428	०००	48428
		पूंजी :	०००	०००	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	13871943	०००	13871943
		पूंजी :	11489837	०००	11489837
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	48186743	*2000*	48188743
		पूंजी :	7033825	०००	7033825
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	6792588	०००	6792588
		पूंजी :	210490	०००	210490
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	3090993	०००	3090993
		पूंजी :	129783	०००	129783
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	49465910	*2600*	49468510
		पूंजी :	107397	०००	107397
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	6112363	*200*	6112563
		पूंजी :	81500	०००	81500
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	46313377	०००	46313377
		पूंजी :	15200002	०००	15200002
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	265849	०००	265849
		पूंजी :	3020100	०००	3020100
39	भाषा विभाग	राजस्व :	172868	०००	172868
		पूंजी :	०००	०००	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	2791112	०००	2791112
		पूंजी :	18824985	०००	18824985
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	1162877	०००	1162877
		पूंजी :	1	०००	1
42	न्याय विभाग	राजस्व :	14713020	*2930710*	17643730
		पूंजी :	6977098	*50000*	7027098

* Hkkfjr fofu;ksx ls lEcfU/kr Øe&la[;kA

1	2			3	
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	1797034	०००	1797034
		पूंजी :	1757654	०००	1757654
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	464595	०००	464595
		पूंजी :	1780503	०००	1780503
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	107553	०००	107553
		पूंजी :	३	०००	0
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	128968	०००	128968
		पूंजी :	140000	०००	140000
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	3048941	३	3048941
		पूंजी :	1955603	०००	1955603
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	17682408	180	17682588
		पूंजी :	10073269	०००	10073269
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	52644595	1000	52645595
		पूंजी :	1816600	०००	1816600
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	7651832	1700	7653532
		पूंजी :	2353660	०००	2353660
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	4790951	०००	4790951
		पूंजी :	225000	०००	225000
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	29401345	1877	29403222
		पूंजी :	175849	551	176400
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	17118	०००	17118
		पूंजी :	1	०००	1
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	19746123	400	19746523
		पूंजी :	०००	०००	०००
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	931650	33031	964681
		पूंजी :	813100	11100	824200
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	३	०००	0
		पूंजी :	1950000	०००	1950000
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन.सेतु)	राजस्व :	190000	०००	190000
		पूंजी :	13805602	०००	13805602
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन.सड़कें)	राजस्व :	40277345	500	40277845
		पूंजी :	79009612	100000	79109612

1	2			3	
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	1699166	०००	1699166
		पूंजी :	2741728	०००	2741728
60	वन विभाग	राजस्व :	6157075	*1370*	6158445
		पूंजी :	3385137	०००	3385137
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	101869392	*283243097*	385112489
		पूंजी :	21714005	*209325660*	231039665
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	270176017	*315137*	270491154
		पूंजी :	1000000	०००	1000000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	2674557	०००	2674557
		पूंजी :	30530	०००	30530
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प.बचत आदि)	राजस्व :	2369228	०००	2369228
		पूंजी :	500	०००	500
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	437027	*2151219*	2588246
		पूंजी :	०००	०००	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	379603	*5848*	385451
		पूंजी :	400	०००	400
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	1027436	*12489*	1039925
		पूंजी :	116779	०००	116779
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	4515436	*३*	4515436
		पूंजी :	2074872	०००	2074872
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	2152416	०००	2152416
		पूंजी :	1033780	०००	1033780
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	317580598	०००	317580598
		पूंजी :	5517305	०००	5517305
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	80291335	*270*	80291605
		पूंजी :	7347798	०००	7347798
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	20049393	*25*	20049418
		पूंजी :	3699947	०००	3699947
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व :	5807543	*३*	5807543
		पूंजी :	330987	०००	330987
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	1266563	०००	1266563
		पूंजी :	167358	०००	167358

1	2			3	
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	3813614	10	3813624
		पूंजी :	16000	०००	16000
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	746899	०००	746899
		पूंजी :	3575	०००	3575
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	6189351	०००	6189351
		पूंजी :	443600	०००	443600
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	15271876	०००	15271876
		पूंजी :	1460841	०००	1460841
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	52750553	०००	52750553
		पूंजी :	०००	०००	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	1374522	३	1374522
		पूंजी :	391938	०००	391938
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	402837	45150	447987
		पूंजी :	०००	०००	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	116128538	०००	116128538
		पूंजी :	74935595	०००	74935595
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	43216	०००	43216
		पूंजी :	०००	०००	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	54981	०००	54981
		पूंजी :	०००	०००	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	1754864	०००	1754864
		पूंजी :	240000	०००	240000
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	482184	०००	482184
		पूंजी :	21100	०००	21100
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	76842	०००	76842
		पूंजी	250000	०००	250000
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व :	5690660	654502	6345162
		पूंजी :रू	590850	०००	590850
90	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	569334	०००	569334

1	2		3		
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी :रू	ण्ण्ण	ण्ण्ण	0
91	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	2595519	*3*	2595522
	(स्टाम्प एवं पंजीकरण)	पूंजी :	95759	ण्ण्ण	95759
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	674147	*5*	674152
		पूंजी :	656154	ण्ण्ण	656154
94	सिंचाई विभाग (निर्माण	राजस्व :	27435945	*३*	27435945
	कार्य)	पूंजी :	49111660	*200000*	49311660
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	34436055	*5000*	34441055
		पूंजी :	ण्ण्ण	ण्ण्ण	0
	योग	राजस्व :	1882704964	*290555524*	2173260488
		पूंजी :	768798883	*210200033*	978998916
	महायोग :		**2651503847**	***500755557***	**3152259404**

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तकॉ अनुसूचीॉ खण्ड–1ॉ प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मेजों की थपथपाहट)

आज सदन में पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक, 2015, उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015, उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 के विचार एवं पारण, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 तथा उत्तर प्रदेश

लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण की मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

यदि सदन सहमत हो तो आज दिनांक 26 मार्चॉ 2015 को सदन में पुरःस्थापित (1) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2015ॉ (2) उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक 2015 (3) उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयकॉ 2015 के विचार एवं पारण (4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयकॉ 2015 (5) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांगॉ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयकॉ 2015 के पुरःस्थापनॉ विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायं।

(सदन ने सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015†

---

† fnukad 15 vizSy] 2015 ds vlk/kkj.k xtV ds fo/kk;h ifjf'k"V esa Nik gSA

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–17 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने और उससे संबंधित या अनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषायें

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेश्रित न हो, इस अधिनियम में–

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' का तात्पर्य धारा 5 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी से है,

(ख) ''अभिहित न्यायालय'' का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित किसी अभिहित न्यायालय से है,

(ग) ''जमा'' में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् अथवा अन्यथा नकद या वस्तु के रूप में या विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में किसी प्रसुविधा के साथ या प्रसुविधा रहित वापसी के विचार से किसी वित्तीय अधिष्ठान द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, को या पश्चात् धन की प्राप्ति या किसी मूल्यवान वस्तु का प्रतिग्रहण, सम्मिलित होगा'' किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नही हैः–

(एक) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों और बनाये गये विनियमों के अधीन आच्छादित शेयर पूंजी या डिबेन्चर, बंधपत्र या किसी अन्य लिखतों के रूप में उगाही की गयी धनराशि,

(दो) किसी फर्म के भागीदारों द्वारा पूंजी के रूप में अभिदानित कोई धनराशि,

(तीन) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी अन्य बैंककारी कम्पनी से प्राप्त कोई धनराशिः–

(चार) निम्नलिखित से प्राप्त कोई धनराशिः–

(1) कोई राज्य वित्तीय निगम,

(2) कोई अन्य संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा इसके निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट हो,

(पांच) व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में निम्नलिखित रूप से प्राप्त कोई धनराशिः–

प्रतिभूति जमा, व्यवहारी जमा, अग्रिम धनराशि या अधिदाय अथवा माल या सेवाओं के आदेश के सापेक्ष दिया गया अग्रिम,

(छः) राज्य में तत्समय प्रवृत्त साहूकारी से संबंधित किसी अधिनियमित के अधीन पंजीकृत किसी व्यक्ति या किसी फर्म या किसी व्यष्टि–संगम, जो निगमित निकाय न हो, से प्राप्त कोई धनराशि और

(सात) किसी चिट के सम्बन्ध में अभिदान स्वरूप प्राप्त कोई धनराशिः–

स्पष्टीकरण एक–''चिट'' का तात्पर्य वही होगा, जैसा कि चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (अधिनियम संख्या 40, 1982) की धारा 2 के खण्ड (ख) में इसके लिए समानुदेशित हो।

स्पष्टीकरण–दो–किसी विक्रेता द्वारा किसी सम्पत्ति (चल या अचल) के विक्रय पर क्रेता को दिये गये किसी उधार को इस खण्ड के प्रयोजनार्थ कोई जमा नही समझा जायेगा।

(घ) ''वित्तीय अधिष्ठान'' का तात्पर्य किसी योजना या व्यवस्था या किसी अन्य रूप में जमा स्वीकार करने वाले व्यक्ति से है और जिसमें नियमित अथवा अनियमित कम्पनी या संगम या व्यष्टि– निकाय सम्मिलित होगा किन्तु इसमें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित कोई निगम या सहकारी समिति अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनी सम्मिलित नही है।

वित्तीय अधिष्ठान द्वारा कपटपूर्ण व्यतिक्रम

3–यदि कोई वित्तीय अधिष्ठान परिपक्वता पर जमा का प्रतिसंदाय, ब्याज, बोनस लाभ के रूप में या यथा प्रतिज्ञात किसी अन्य रूप में प्रसुविधा सहित देने में व्यतिक्रम करता है, अथवा जमा के विरुद्व यथा निर्धारित सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऐसे वित्तीय अधिष्ठान के व्यवसाय या कार्यकलापों के प्रबंधन या संचालन के लिए उत्तरदायी संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक या कोई अन्य व्यक्ति या कर्मचारी सहित प्रत्येक व्यक्ति को सिद्धदोष होने पर दस वर्ष तक के लिए कारावास या दस लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–

इस धारा के प्रयोजनार्थ यदि कोई वित्तीय अधिष्ठान, ब्याज के रूप में प्रसुविधा के साथ किसी जमा और बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में दिये गये वचन के सहित प्रतिसंदाय करने में व्यक्तिक्रम करता है अथवा ऐसे जमा के सापेक्ष वचनबद्व कोई विनिर्दिष्ट सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहता है या किसी एक व्यक्ति को संदोष लाभ पहुंचाने एवं अन्य व्यक्ति को संदोष हानि पहुंचाने के आशय से ऐसी जमा के सापेक्ष सहमत कोई विनिर्दिष्ट सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहता है या जमा के प्रतिग्रहण के समय किये गये अव्यवहारिक या वाणिज्यिक रूप में अव्यवहारिक वचनों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अक्षमता के कारण

या जमा से अर्जित धनराशि या आस्तियों के इस रीति से अभिनियोजन से, जब उसकी आवश्यकता हो एवं उसकी वसूली में अन्तर्निहित जोखिम अन्तर्ग्रस्त हो, उत्पन्न होने वाली अपनी अक्षमता के कारण ऐसा व्यतिक्रम करता हो तो उसे कपटपूर्ण व्यतिक्रम या विनिर्दिष्ट सेवा देने में कपटपूर्ण तरीके से विफल समझा जाएगा।

जमा की वापसी में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति की कुर्की

4–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) जमाकर्ताओं से या अन्यथा प्राप्त शिकायत पर सरकार का यह समाधान हो जाये कि कोई वित्तीय अधिष्ठान निम्नलिखित को करने में विफल हो गया हैः–

(एक) परिपक्वता के बाद या जमाकर्ताओं द्वारा मांग किये जाने पर जमा वापस किया जाना,

(दो) ब्याज या अन्य आश्वासित लाभ का भुगतान किया जाना,

(तीन) ऐसी जमा के सापेक्ष वचनबद्व सेवा उपलब्ध कराया जाना, या

(ख) जहॉ सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ताओं को धोखा देने के आशय से प्रकल्पित रीति से उनके हित के विरुद्व हानिकर कार्य कर रहा है और यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसी वित्तीय अधिष्ठान द्वारा जमा के वापसी या ब्याज का भुगतान या अन्य आश्वासित प्रसुविधाओं का भुगतान अथवा जिनके लिए जमा प्राप्त किया गया हो उन सेवाओं को उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है तो राज्य सरकार कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के बाद ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में विश्वास हो कि उस वित्तीय अधिष्ठान द्वारा या तो अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम वित्तीय अधिष्ठानों द्वारा संग्रहित जमा से अर्जित किया है, को कुर्क करते हुए राजपत्र में प्रकाशित करते हुए एक आदेश जारी कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आदेश के प्रकाशित होने पर वित्तीय अधिष्ठान की समस्त सम्पत्तियॉ एवं आस्तियां तत्काल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी में निहित हो जायेगी। ये तब तक निहित रहेंगी जब तक कि अभिहित न्यायालय अन्यथा आदेश न दे दे।

(3) सम्बन्धित जिले का कलेक्टर उप धारा (1) के अधीन शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम होगा और वह यथा सम्भव शीघ्र अपनी रिपोर्ट सहित उक्त शिकायत को राज्य सरकार को प्रेषित कर देगा और वह सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को भी जॉच हेतु एक प्रतिलिपि प्रेषित करेगा।

सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति

5–(1) राज्य सरकार धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आदेश निर्गत करते समय अपने किसी अधिकारी, जो परगना अधिकारी की श्रेणी से अन्यून हो, को धारा 4 के अधीन कुर्क की गयी धनराशि एवं सम्पत्तियों पर नियंत्रण रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(2) सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसी शक्तियॉ होंगी जैसी इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

(3) सक्षम प्राधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर उन आदेशों का उल्लेख करते हुए जिन पर सरकार ने धारा 4 में निर्दिष्ट आदेश निर्गत किया है और धनराशि या अन्य सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में विश्वास किया गया है कि जमा से अर्जित की गयी है और उन व्यक्तियों का विवरण, यदि कोई हो, जिनके नाम पर उस सम्पत्ति का विनिधान किये जाने या अर्जित किये जाने का विश्वास हो अथवा धारा 4 के अधीन कुर्क की गयी किसी अन्य सम्पत्ति का विवरण अथवा ऐसे अग्रतर आदेश जो आवश्यक समझे जायें के लिए एक या अधिक शपथ पत्रों के साथ अभिहित न्यायालय में आवेदन करेगा।

अभिहित न्यायालय

6–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के संवर्ग में एक या एक से अधिक अभिहित न्यायालय का गठन कर सकती है।

(2) अभिहित न्यायालय से भिन्न अन्य किसी न्यायालय, जिसमें प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन गठित न्यायालय सम्मिलित है, को ऐसे किसी मामले के संबंध में अधिकारिता नही होगी जिसमें इस अधिनियम के उपबंध लागू होने हैं।

(3) किसी अन्य न्यायालय में लम्बित कोई मामला जिस पर इस अधिनियम के उपबंध लागू हों इस अधिनियम के प्रारंभ के दिनांक से अभिहित न्यायालय में अन्तरित हो जायेगा।

अभिहित

7–(1) धारा–5 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, अभिहित

न्यायालय की कुर्की से संबंधित शक्तियां

न्यायालय, वित्तीय अधिष्ठान या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी सम्पत्ति धारा–4 के अधीन सरकार द्वारा कुर्क की गई हो और सक्षम प्राधिकारी में निहित की गई हो, आवेदन और शपथ–पत्र और साक्ष्य, यदि कोई अभिलिखित हो, के साथ उक्त अधिष्ठान और उक्त व्यक्ति को नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व कारण बताने हेतु बुलाने के लिए एक नोटिस जारी करेगा कि कुर्की के आदेश को क्यों नही आत्यंतिक कर दिया जाय।

(2) अभिहित न्यायालय, ऐसे सभी अन्य व्यक्तियों को जो वित्तीय अधिष्ठान की संपत्ति में कोई हित या हकदारी रखता हों या संभावित दावेदार के रूप से प्रतिनिधित्व करते हों, या ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी की गई हो, को भी ऐसी नोटिस जारी करेगा जिसमें कि ऐसी नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने और ऐसी संपत्ति या उसके किसी भाग की कुर्की के प्रति, इस आधार पर कि संपत्ति या उसके भाग में उनका हित है, और यदि वे चाहें, आपत्ति करने के लिये कहा जाएगा।

(3) कुर्क की गयी सम्पत्ति या उसके किसी भाग में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि इस धारा के अधीन कोई सूचना उसे तामील नहीं की गयी है, अभिहित न्यायालय में, उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश पारित किये जाने के पूर्व, विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व किसी भी समय अभिहित न्यायालय को यथा उपर्युक्त रूप में आपत्ति कर सकता है।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन कोई कारण नही दर्शाया गया और कोई आपत्ति नही की गयी तो अभिहित न्यायालय कुर्की के आदेश को आत्यन्तिक करते हुए तत्काल एक आदेश पारित करेगा और कुर्क की गयी आस्तियों की वसूली तथा कुर्क की गयी सम्पत्ति से वसूले गये धन को जमाकर्ताओं के बीच साम्यापूर्ण वितरण हेतु यथा आवश्यक, निर्देश जारी करेगा।

(5) यदि, उपर्युक्त, रूप से कारण दर्शाया गया या कोई आपत्ति की गयी हो तो अभिहित न्यायालय उसके अन्वेषण की कार्यवाही आरम्भ करेगा एवं ऐसा करते समय पक्षकारों के परीक्षण के संबंध में एवं अन्य सभी बातों में अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन आदेश 37 में यथा अनुध्यात संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और उक्त संहिता के अधीन किसी वाद की सुनवाई में न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा आपत्ति करने वाले व्यक्ति से यह दर्शाने के लिए साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा की जायेगी कि कुर्की के दिनांक को कुर्क की गयी सम्पत्ति में उनका कोई हित था।

(6) उपधारा (5) के अधीन अन्वेषण के पश्चात् अभिहित

न्यायालय या तो धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन पारित कुर्की के आदेश को आत्यंतिक करते हुए या सम्पत्ति के किसी भाग को कुर्की से निर्मोचन द्वारा परिवर्तित करते हुए या कुर्की के आदेश को रद्द करते हुए एक आदेश पारित करेगाः

परन्तु यह कि अभिहित न्यायालय ऐसे किसी हित को, तब तक कुर्की से विमुक्त नही करेगा जिसमें उसका समाधान हो गया हो कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट वित्तीय अधिष्ठान या व्यक्ति का उस सम्पत्ति में हित है, जब तक इसका भी समाधान न हो जाये कि कुर्की के आधीन बाकी बचने वाली राशि या सम्पत्ति का मूल्य ऐसे वित्तीय अधिष्ठान के जमाकर्ताओं को प्रतिसंदाय के लिए अपेक्षित मूल्य से कम नही होगी।

असद्भावी अन्तरिती की सम्पत्ति की कुर्की

8–(1) जहां धारा–4 में निर्दिष्ट किसी वित्तीय अधिष्ठान या व्यक्ति की आस्तियां कुर्की के लिए उपलब्ध उस राशि या मूल्य से कम पायी जाये जो वित्तीय स्थापना द्वारा जमाकर्ताओ को प्रतिसंदाय के लिए अपेक्षित हो और जहां शपथ–पत्र या अन्यथा द्वारा अभिहित न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि उक्त वित्तीय अधिष्ठान ने प्रतिफल के लिए सदभावना से अन्यथा किसी भी सम्पत्ति को अंतरित (चाहे इस अधिनियम के आरम्भ होने के बाद या पहले) कर दिया है तो अभिहित न्यायालय, नोटिस द्वारा, ऐसी सम्पत्ति के किसी अंतरिती से (चाहे उसने सम्पत्ति उक्त वित्तीय अधिष्ठान से प्रत्यक्षतः प्राप्त किया हो या नहीं) सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होकर कारण दर्शाने की अपेक्षा कर सकेगा कि अन्तरिती की सम्पत्ति की उतनी मात्रा जो अन्तरित सम्पत्ति के उचित मूल्य के सम्तुल्य हो, को क्यों नही कुर्क कर लिया जाये।

(2) जहां उक्त अन्तरिती विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थिति नही हो और कारण नही दर्शाये या जहॉ धारा–7 की उपधारा (5) में उपबन्धित रीति से अन्वेषण के पश्चात् अभिहित न्यायालय का यह समाधन हो जाये कि उक्त अन्तरिती को सम्पत्ति का अंतरण सद्भावना और समुचित प्रतिफल के लिए नही किया गया था तो अभिहित न्यायालय उक्त अन्तरिती की उतनी सम्पत्ति की, जो अभिहित न्यायालय की राय में अन्तरित सम्पत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य हो, कुर्की का आदेश पारित करेगा।

कुर्की के बदले प्रतिभूति

9–किसी वित्तीय अधिष्ठान या व्यक्ति, जिसकी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गयी हो या कुर्क की जानी हो, किसी भी समय अभिहित न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के बदले प्रतिभूति देने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकेगा और जहां प्रस्तुत की गयी एवं दी गयी प्रतिभूति, अभिहित न्यायालय की राय में, संतोषप्रद एवं पर्याप्त हो तो वह यथास्थिति, कुर्की आदेश को रद्द कर सकता है या कुर्की आदेश को पारित करने से विरत हो सकता

है।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का प्रशासन

10–अभिहित न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गयी एवं सक्षम प्राधिकारी में निहित किसी सम्पत्ति के हितबद्व किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सक्षम प्राधिकारी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह निम्नलिखित के लिए न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त समझेः–

(क) ऐसी कुर्क की गयी एवं सक्षम प्राधिकारी में निहित सम्पत्ति, जिसमें आवेदक हित होने का दावा करता है, में से ऐसी राशि जो आवेदक एवं उनके परिवार के भरण पोषण और जहॉ अभिहित न्यायालय में धारा–3 के अधीन आवेदक के विरूद्व दण्ड प्रक्रिया संस्थित की गयी हो, वहॉ उसकी अपने बचाव से सम्बन्धित व्यय के लिए, जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, उपबन्ध करने हेतु।

(ख) जहॉ तक व्यवहार्य हो, कुर्की से प्रभावित किसी कारबार के हितों की, और विशिष्टतः ऐसे कारबार के भागीदारों के हितों की रक्षा करने हेतु।

अपील

11–सक्षम प्राधिकारी को सम्मिलित करते हुए कोई व्यक्ति, जो यदि अभिहित न्यायालय के आदेश से व्यथित हो, आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

विशेष लोक अभियोजक

12–राज्य सरकार अभिहित न्यायालय में मामले के संचालन के प्रयोजनार्थ एक या एक से अधिक अधिवक्ताओं को, जिनका व्यवसाय विशेष लोक अभियोजक के रूप में दस वर्षो से कम का नहीं हो, सम्बन्धित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से, आदेश द्वारा नियुक्त कर सकती है।

अपराध के संबंध में अभिहित न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियॉ

13–(1) अभिहित न्यायालय, किसी आरोपी को विचारण हेतु उसे सुपुर्द किये बिना अपराध का संज्ञान ले सकती है, और आरोपित व्यक्तियों का विचारण करते समय, अभिहित न्यायालय, वारंट मामलों के विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध जहॉ तक हो सकेगा अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू होंगे, और उक्त उपबन्धों के प्रयोजनार्थ अभिहित न्यायालय को मजिस्ट्रेट समझा जायेगा।

अधिनियम का

14–इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस

अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव

अधिनियम के उपबन्धों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधियों में इससे असंगत किसी बात या रूढ़ि या प्रथा या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रवृत्तमान कोई लिखत के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव होगा।

सद्भावना से की गयी कार्यवाही की संरक्षा

15–इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्व कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

16–इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

17–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार यथा अवसर उत्पन्न होने पर, आदेश द्वारा वह सब कुछ कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, और कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश नही किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–17 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–42 तथा खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

ब्रज विरासत के सर्वांगीण क्षेत्रों यथा सांस्कृतिक, पर्यावरणिक और स्थापत्य सम्बन्धी सौंदर्यबोध के गुणों को परिरक्षित, विकसित और अनुरक्षित करने के लिए एक योजना बनाने के लिए, इस प्रकार की योजना के समन्वय और कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए और क्षेत्र के एकीकृत पर्यटन विकास और विरासत के संरक्षण और प्रबंधन के लिए समन्वित नीतियॉ बनाने के लिए और मथुरा जनपद में किसी योजना, परियोजना या किसी विकास प्रस्ताव, जो ब्रज क्षेत्र के विरासत, संसाधनों को प्रभावित करे या जिससे प्रभाव पड़ सके, के सम्बन्ध में किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को परामर्श और दिशा–निर्देश देने के लिए और इससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए एक नियोजन और विकास बोर्ड के गठन की व्यवस्था करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के राजस्व जिले मथुरा में स्थित ब्रज क्षेत्र तक होगा।

(3) यह राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।

परिभाषाएं

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) ''बोर्ड'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित ब्रज योजना और विकास बोर्ड से है,

(ख) ''ब्रज विकास योजना'' का तात्पर्य इस अधिनियम के

अधीन, ब्रज क्षेत्र के विकास और ब्रज क्षेत्र में पर्यटन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास और मूर्त एवं अमूर्त विरासत के संरक्षण हेतु तैयार की गयी योजना से है,

(ग) ''ब्रज क्षेत्र'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्य जिले मथुरा में स्थित संपूर्ण ब्रज क्षेत्र से है,

(घ) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है,

(ङ) ''कौन्सिल'' का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित कौन्सिल से है,

(च) ''कार्यकारिणी समिति'' का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति से है,

(छ) ''कार्यदायी अभिकरण'' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा मथुरा जिले में किसी स्थानीय निकाय अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार की अधिकारिता के अधीन किसी लोक उपक्रम से है,

(ज) ''भूमि '' के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और भूमि से जुड़ी वस्तुएं या भूमि से जुड़ी हुई किसी वस्तु में स्थायी रूप से जुड़ी वस्तुएं सम्मिलित हैं,

(झ) ''स्थानीय निकाय'' का तात्पर्य विकास प्राधिकरण, नगर पालिका निकाय अथवा ब्रज क्षेत्र के शहरी विकास से संबन्धित किसी स्थानीय प्राधिकरण से है,

(ञ) ''सदस्य'' का तात्पर्य बोर्ड या कौन्सिल के सदस्य और इसमें इसके अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, से है,

(ट) ''प्रतिभागी विभाग'' का तात्पर्य राज्य सरकार के विभाग अथवा मथुरा जिले में किसी स्थानीय निकाय से है,

(ठ) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है,

(ड) ''परियोजना योजना'' का तात्पर्य ब्रज विकास योजना के एक अथवा अधिक घटकों को कार्यान्वित करने हेतु तैयार विस्तृत योजना से है,

(ढ) ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों से है,

(ण) ''नियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम से है।

अध्याय दो

ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड

बोर्ड का गठन तथा निगमन

3–(1) राज्य सरकार गज़ट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक बोर्ड का गठन करेगी, जोकि ब्रज नियोजन और

विकास बोर्ड कहा जायेगा।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा।

(3) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात :–

(क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जो कि बोर्ड के अध्यक्ष होंगे,

(ख) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन जो कि बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष होंगे,

(ग) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,

(घ) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,

(ङ) प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,

(च) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,

(छ) प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,

(ज) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,

(झ) प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,

(ञ) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन,

(ट) मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा, पदेन,

(ठ) जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा, पदेन,

(ड) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, पदेन,

(ढ) बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो कि सदस्य–सचिव होंगे,

(ण) उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा पदेन,

(त) ब्रज क्षेत्र की विरासत के संरक्षण के लिए किये गये प्रयत्नों के सम्बन्ध में ज्ञान, अनुभव, अभिज्ञता और ट्रैक रिकार्ड रखने वाले पॉच विख्यात व्यक्तियों को अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, पर्यटन तथा प्रमुख सचिव, संस्कृति के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा,

(थ) बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त 10 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक दान देने वाले दानदाता नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (त) और खण्ड (थ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के कार्यकलाप की निबन्धन और शर्ते वैसी होंगी, जैसी

विहित की जाय।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4–(1) बोर्ड का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों से अनिम्न अधिकारियों से की जायेगी।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और बोर्ड द्वारा नियुक्त समस्त अधिकारी और कर्मचारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन होंगे।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते को प्राप्त करने का हकदार होगा तथा सेवा की ऐसी शर्तों से शासित होगा जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित किया गया हो।

(4) बोर्ड के समस्त आदेश और विनिश्चय और अन्य लिखित, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत होंगे।

कार्यकारिणी समिति

5–(1) किसी आपात की स्थिति की दशा में या अन्य समय सम्वेदी मामलों में जब पूरे बोर्ड का इकट्ठा होना व्यवहारिक न हो, की स्थिति में बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग के लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी। कार्यकारिणी समिति में बोर्ड के समस्त पदेन सदस्य होंगे तथा उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(2) बोर्ड, अपनी अगली बैठक में कार्यकारिणी समिति के कार्यवृत्त की समीक्षा करेगा तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा की गयी कार्यवाहियों को उपांतरित, अस्वीकार अथवा अनुसमर्थित करेगा।

ब्रज नियोजन और विकास कौन्सिल की संरचना

6–(1) बोर्ड, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात यथाशाक्य जैसी भी स्थिति हो, बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए एक कौन्सिल का गठन करेगा, जो कि नियोजन और विकास कौन्सिल कही जायेगी।

(2) कौन्सिल निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात :–

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो कि अध्यक्ष होगा,

(ख) जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा, पदेन,

(ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा, पदेन,

(घ) उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा, पदेन,

(ड.) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कैन्टोनमेन्ट बोर्ड, मथुरा अथवा उनके द्वारा नामित, जो कि सशस्त्र सेना में कैप्टन रैंक से अनिम्न स्तर का हो, पदेन,

(च) एसोसियेट प्लानर, नगर एवं ग्राम नियोजन, आगरा, मण्डल, आगरा, पदेन,

(छ) मथुरा जिले के प्रत्येक स्थानीय निकाय के अध्यक्ष, पदेन,

(ज) मुख्य अभियन्ता, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा, पदेन,

(झ) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मथुरा, पदेन,

(ञ) अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग, मथुरा, पदेन,

(ट) अधीक्षण अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (शहरी एवं ग्रामीण), मथुरा, पदेन,

(ठ) अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मथुरा, पदेन,

(ड) जिला वन अधिकारी, मथुरा, पदेन,

(ढ) क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा, पदेन,

(ण) अधीक्षक, पुरातत्व, मथुरा, पदेन,

(त) जिला पर्यटन अधिकारी, मथुरा, पदेन,

(थ) उप निदेशक, राजकीय संग्रहालय, मथुरा, पदेन,

(द) लैण्ड स्केप डिजायनर एवं इन्टरप्रेटिव प्लानर, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे,

(ध) ब्रज क्षेत्र का अनुभव रखने वाले पर्यावरणविद्, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे,

(न) ब्रज क्षेत्र के सांस्कृतिक और पौराणिक इतिहास में अनुभव रखने वाले विख्यात इतिहासकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे,

(प) ब्रज क्षेत्र का अनुभव रखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार अथवा कलाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे,

(फ) प्रख्यात जिला अधिवक्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा,

(ब) 02 प्रख्यात जनप्रतिनिधि अथवा सामाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएगें,

(भ) बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक किन्तु 10 करोड़ रुपये से कम दान देने वाले दानदाता नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे,

(3) उपधारा (2) के खण्ड (द),(ध),(न),(प),(फ),(ब) और (भ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के कार्यालय की निबन्धन और शर्ते वैसी होंगी, जैसी विहित की जांय।

सहयोजित करने की शक्ति

7–(1) बोर्ड अथवा कौन्सिल, किसी समय और ऐसी अवधि के लिए, जिसे वे उचित समझे, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को बोर्ड अथवा कौन्सिल के सदस्य अथवा सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकते हैं,

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित कोई व्यक्ति यथा स्थिति बोर्ड अथवा कौन्सिल, के सदस्य के समस्त शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन

और प्रयोग करेगा, परन्तु मत देने का हकदार न होगा।

बोर्ड का मुख्यालय

8–बोर्ड का मुख्यालय मथुरा में होगा।

बोर्ड की बैठक

9–बोर्ड ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बैठक करेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा समय.समय पर अवधारित किया जाय।

कौन्सिल की बैठक

10–कौन्सिल ऐसे समय पर बैठक करेगी जैसा कि कौन्सिल के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय परन्तु दो क्रमिक बैठकों का समय एक कैलेण्डर वर्ष की तिमाही से अधिक न होगा।

कौन्सिल या बोर्ड की कार्यवाहियॉ, रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी

11–बोर्ड या कौन्सिल का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के होने के कारण या यथास्थिति बोर्ड या कौन्सिल के गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

अध्याय–तीन

बोर्ड और कौन्सिल की शक्तियॉ और कृत्य

बोर्ड की शक्तियॉ

12–बोर्ड की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियॉ सम्मिलित हैं:–

(क) ब्रज विकास योजना और परियोजना के बनाने, प्रवर्तन और कार्यान्वयन से संबंधित प्रतिभागी विभागों से प्रतिवेदन और सूचनाएं मॉगना,

(ख) यथा स्थिति योजना या परियोजना ब्रज संस्कृति और स्थापत्य के अनुरूप बनाने, प्रवर्तन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना,

(ग) योजना के कार्यान्वयन के चरणों को इंगित करना,

(घ) योजना और परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना,

(ङ) प्रतिभागी विभागों से प्राप्त विस्तृत परियोजना का चयन और अनुमोदन करना, प्राथमिकता विकास को मंगाना और ऐसी परियोजना के, जैसा बोर्ड उचित समझे, कार्यान्वयन के लिए सहायता देना,

(च) सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए या उनके अनुरक्षण और विकास के लिए पर्यटकों से फीस या शुल्क उदग्रहित करना,

(छ) सम्पूर्ण ब्रज क्षेत्र में किसी भाग के विकास पुनर्विकास और सौन्दर्यीकरण को बढ़ाने और सुरक्षित करने के उद्देश्य से स्वप्रेरणा से किसी कार्य या परियोजना को लेना,

(ज) किसी परियोजना की योजना के तैयार और कार्यान्वित करने के लिए कार्यदायी अभिकरण का चयन करना,

(झ) ऐसे अन्य कृत्य, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक समझे, कौन्सिल को सौंपना।

बोर्ड के कृत्य

13–बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(क) ब्रज विकास योजना की तैयारी सुनिश्चित करना,

(ख) किसी भी प्रतिभागी विभाग द्वारा परियोजना तैयार करने के लिए व्यवस्था करना,

(ग) किसी एक या अधिक प्रतिभागी विभाग या कार्यदायी अभिकरण के माध्यम से योजना या परियोजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना,

(घ) योजना में इंगित चरणों के अनुसार ब्रज क्षेत्र में परियोजना प्रतिपादन, प्राथमिकताओं का निर्धारण और पर्यटन की अवस्थापना सुविधाओं के विकास को चरणबद्ध करने और ब्रज विरासत के संरक्षण के सम्बन्ध में प्रतिभागी विभागों द्वारा समुचित और सुव्यवस्थित योजना तैयार करना सुनिश्चित करना,

(ङ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में व्यवसायिक जागरुकता बढ़ाने और रुचि जागृत करने की दिशा में और इसके सुव्यवस्थित रूप से सुरक्षा उपाय बढाने और प्रसारित करने में सामंजस्य पूर्ण प्रयत्न के लिए प्रस्ताव,.

(च) नदियों के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण और नदियों के किनारे और जलाशयों के विकास के लिए उपाय किया जाना सुनिश्चित करना,

(छ) क्षेत्र की स्थापत्य सम्पदा के अनुरूप भवनों और निर्माण में एकरूपता बनाये रखने के लिए स्थापत्य संबंधी विनियम बनाना,

(ज) सरकार विभागों स्थानीय निकायो, मन्दिर प्रबन्ध/न्यासों, स्वंय सहायता समूहों और विभिन्न साझेदारों के मध्य पर्यटन अवस्थापना के एकीकृत विकास और ब्रज क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने बचाने, संरक्षित करने और बढ़ावा देनें के लिए कार्यकलापों/परियोजनाओं में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए नीतियॉ बनाना,

(झ) राज्य निधियों और राजस्व के अन्य संसाधनों जैसे मंदिर न्यासों, दान, गैर सरकारी संगठन, कम्पनी/फर्म और पर्यटकों आदि के माध्यम से ब्रज क्षेत्र में चयनित विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने की व्यवस्था करना और पर्यवेक्षण करना,

कौन्सिल के कृत्य

14—(1) बोर्ड की सहायता करने में कौन्सिल के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(क) ब्रज विकास योजना और परियोजना को तैयार करना और उसका समन्वित कार्यान्वयन,

(ख) प्रतिभागी विभागों या कार्यदायी अभिकरण की परियोजनाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह ब्रज विकास योजना के अनुरूप है संवीक्षा करना,

(ग) बोर्ड को ऐसे संस्तुतियॉ करना जैसी वह किसी योजना को संशोधित या रूपान्तिरित करने के लिए आवश्यक समझे,

(घ) जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय और कार्यान्वयन,

(ड़) इस अधिनियम के प्रशासन के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत करना जैसा बोर्ड द्वारा सौंपे जायं,

(2) जिला में विभिन्न सरकारी विभाग जिनके पास विभागीय बजट स्वीकृतियॉ है और अन्य कार्यदायी अभिकरण अपनी–अपनी ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं जो ब्रज विकास योजना के अधीन हैं, अभिकरण और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कौन्सिल से समन्वय भी करेगी,

अध्याय–चार

ब्रज विकास योजना और परियोजना रूप रेखा

ब्रज विकास योजना की विषय वस्तु

15–(1) ब्रज विकास योजना एक लिखित विवरण होगा और इसमें मानचित्र, रेखाचित्र, दृश्यचित्र और ऐसी विस्तृत सामग्री होगी जैसा, बोर्ड योजना में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्याख्या या दृश्यचित्र के प्रयोजन से उचित समझे और ऐसा प्रत्येक मानचित्र, रेखाचित्र, दृश्यचित्र और विस्तृत सामग्री ब्रज विकास योजना का भाग समझी जायेगी,

(2) ब्रज विकास योजना वह रीति भी इंगित करेगी जिसमें ब्रज क्षेत्र में विकास सम्बन्धी कार्य कलाप चलाये जायेंगे या संरक्षित होंगे और ऐसे अन्य विषय भी होगे जो ब्रज क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर ब्रज विरासत संरक्षण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालें और ऐसे प्रत्येक योजना में निम्नलिखित भी होगे जो ब्रज क्षेत्र के पर्यटन की वृद्धि और सन्तुलित विकास के लिए आवश्यक हो, अर्थात :–

(क) भू–उपयोग और विभिन्न उपयोगों के लिए भू–आवंटन के लिए नीति,

(ख) प्रमुख नगरीय बन्दोबस्त के तरीके और स्थापत्य सम्बन्धी विनियमों के प्रस्ताव

(ग) भावी वृद्धि के लिए समुचित आर्थिक आधार प्रदान करने के लिए प्रस्ताव

(घ) परिवहन और संचार साधनों जिसमें रेलवे और क्षेत्र से होकर जाने वाले मुख्य मार्ग से सम्बन्धित प्रस्ताव,

(ङ) पेयजल की आपूर्ति और जल निकासी के लिए प्रस्ताव

(च) ऐसे क्षेत्रों को इंगित किया जाना जिन्हें ''प्राथमिकता क्षेत्रों'' के रूप में तत्काल विकसित किया जाना अपेक्षित हो,

(छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में व्यवसायिक जागरूकता बढ़ाने और रूचि जागृत करने की दिशा में और इसके सुव्यवस्थित रूप से सुरक्षा उपाय बढ़ाने और प्रसारित करने में सामांजस्यपूर्ण प्रयत्न के लिए प्रस्ताव,

(ज) ऐसे अन्य मामले जो बोर्ड द्वारा प्रतिभागी विभागों से सहमति से ब्रज क्षेत्र को बढ़ावा देने और संतुलित विकास के लिए समुचित योजना तैयार करने के लिए सम्मिलित किये जा सकें,

सर्वेक्षण और अध्ययन

16–ब्रज विकास योजना तैयार करने के लिए बोर्ड ऐसे सर्वेक्षण और अध्ययन करा सकता है जिन्हें वह उचित समझे जो ऐसे प्रतिभागी विभाग या व्यक्ति द्वारा किया जाय, जिसे इस निमित्त नियुक्त किया जाय और ऐसे विशिष्ठ मामलों जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किये जायें, के सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिए ऐसे विशेषज्ञ या परामर्शी को सहयुक्त कर सकता है।

ब्रज विकास योजना तैयार करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रकिया

17–(1) अंतिम रूप से किसी विकास योजना को तैयार करने से पहले, कौन्सिल के सहयोग से बोर्ड योजना का एक आलेख तैयार करेगा और इसकी प्रतिलिपि निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने के लिए तैयार कराकर प्रकाशित करेगा और योजना के आलेख के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से आपत्तियॉ और सुझाव मॉगने के लिए ऐसे दिनांक से पूर्व जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय एक सूचना प्रकाशित करेगा,

(2) बोर्ड प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी/विभाग, जिसके स्थानीय सीमाओं के भीतर योजना द्वारा स्पर्श की जाने वाली कोई भूमि स्थित हो, को योजना के आलेख के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्ति युक्त अवसर प्रदान करेगा,

(3) बोर्ड द्वारा प्राप्त किये गये समस्त आपत्तियों, सुझावों और प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड अंतिम रूप से ब्रज विकास योजना तैयार करेगा,

ब्रज विकास योजना के परिचालन में आने का दिनांक

18–(1) अंतिम रूप से योजना तैयार कर लिये जाने के तुरन्त पश्चात् बोर्ड, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाय, एक सूचना यह बताते हुए कि योजना इसके द्वारा अंतिम रूप से तैयार कर ली गयी है और उन स्थानों का नाम देते हुए जहॉ योजना की प्रतिलिपि का सभी युक्ति–युक्त समय पर निरीक्षण किया जा सकता है, प्रकाशित करेगा और पूर्वोक्त सूचना के प्रथम प्रकाशन के दिनांक से योजना परिचालन में आ जायेगी,

(2) धारा–17 द्वारा यथा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन के पश्चात् योजना का प्रकाशन निश्चायक सबूत होगा कि ब्रज विकास योजना सम्यक रूप से तैयार कर ली गयी है,

योजना का रूपान्तरण

19–(1) बोर्ड की उपधारा–2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने द्वारा तैयार की गयी अंतिम योजना में ऐसे उपान्तरण कर सकता है जैसा वह उचित समझे और जो उपान्तरण उसकी राय में योजना के विशेषताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन न करते हों और जो भू–उपयोग की सीमाओं या जनसंख्या घनत्व के मानकों से संबंधित न हो,

(2) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण करने से पहले बोर्ड, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय एक सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में किये जाने वाले प्रस्तावित उपान्तरण इंगित किये जायेंगे और प्रस्तावित उपान्तरणों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से ऐसे दिनांक से पूर्व जैसा सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, आपत्तियॉ और सुझाव आमन्त्रित करेगा और सभी आपत्तियों और सुझावों पर जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक से पूर्व प्राप्त हों, विचार करेगा,

(3) इस धारा के अधीन किये गये सभी उपान्तरण ऐसी रीति से जैसी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, प्रकाशित किये जायेगे और यह उपान्तरण ऐसे प्रकाशन के दिनांक को या पश्चात्वर्ती ऐसे दिनांक से जैसा बोर्ड द्वारा नियत किया जाय, प्रचलन में आ जायेगें,

(4) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि किये जाने वाले प्रस्तावित उपान्तरण ऐसे उपान्तरण हैं जो योजना के विशेषताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते है तो इसका निर्णय बोर्ड द्वारा किया जायेगा, और बोर्ड द्वारा इस पर किया गया निर्णय अंतिम होगा।

योजना की समीक्षा और पुनर्निरीक्षण

20–(1)अंतिम रूप से तैयार की गयी योजना के प्रचलन में आने के दिनांक से प्रत्येक पॉच वर्ष के पश्चात् ऐसी योजना की सम्पूर्ण रूप से समीक्षा करेगा और ऐसी समीक्षा के पश्चात् एक नई योजना द्वारा इसको प्रतिस्थापित करेगा या इसमें ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन कर सकेगा जैसा इसके द्वारा आवश्यक समझा जाय,

(2) जहॉ यह प्रस्तावित किया जाय कि योजना जो पूर्व में अंतिम रूप से तैयार की गयी थी, के स्थान पर एक नई योजना प्रतिस्थापित की जाय या जहॉ अंतिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण या परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित किया जाय, यथा स्थिति ऐसी नई योजना या उपान्तरण या परिवर्तन प्रकाशित किये जायेगें और उसी प्रकार से समझे जायेगें मानों यह धारा–17 और 18 की निर्दिष्ट योजना थी या मानो धारा–19 के अधीन बनायी योजना में उपान्तरण या परिवर्तन थे।

परियोजना की रूप रेखा तैयार करना, समन्वय और अभिसरण

21–(1) प्रतिभागी विभाग स्वंय या यथा स्थिति एक या अधिक प्रतिभागी विभागों के सहयोग से ब्रज विकास योजना की एक या अधिक विषयों के लिए परियोजना रूप रेखा तैयार करेगा,

(2) जिला में विभिन्न प्रतिभागी विभाग जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान ऋण या बजट प्रदान करते है, ब्रज विकास योजना के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं के साथ अपनी–अपनी विभागीय योजनाओं का अभिसरण/समन्वय सुनिश्चित करेगें।

अध्याय–पॉच

वित्त लेखा और संपरीक्षा

सरकार द्वारा प्रदान किये गये अनुदान और ऋण

22–राज्य सरकार, इस निमित्त विधि के माध्यम से बनाये गये विधान मण्डल द्वारा सम्यक विनियोग के पश्चात् बोर्ड को ऐसी धनराशि का अनुदान, अग्रिम और ऋण देने के लिए चाहे जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का कार्यान्वयन करने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक विचार करेगी।

निधि का गठन

23–(1)एक निधि गठित की जायेगी जो ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड निधि कही जायेगी, एवं अपने स्वंय के पृथक बैंक खाता में पोषित होगी और

(क) धारा–22 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को कोई अनुदान और ऋण देकर,

(ख) भाग लेने वाले विभाग द्वारा बोर्ड को समस्त धनराशि भुगतान करके और

(ग) इस प्रकार अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि जैसे मंदिर, ट्रस्ट, गैरसरकारी संगठनों से दान, कम्पनी, फर्म तथा वैयक्तिक इत्यादि से, और

(घ) इस प्रकार ऐसे अन्य स्रोतो से बोर्ड द्वारा प्राप्त कोई अन्य धनराशि जो बोर्ड के साथ परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा जैसा विनिश्चय किया जाय,

(2) ऐसी धनराशि जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में जमा की गयी है–

(क) बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक बैठक के लिए लागू होंगी तथा बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों की बैठक के लिए लागू होंगी।

(ख) ब्रज क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण संचालित करने, प्रारम्भिक अध्ययन संचालित करने और योजनाओं/परियोजनाओं का लेखबद्ध करने के लिए लागू होंगी,

(ग) ब्रज विकास योजना और परियोजना के क्रियान्वयन के लिए, ऐसी निबन्धन और शर्तो के अध्याधीन जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाय, भाग लेने वाले विभागों और कार्यान्वित अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू होंगी,

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन में बोर्ड द्वारा कोई अन्य व्यय उपगत करके बैठक के लिये लागू की जायेगी।

बजट

24–बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, कोई बजट, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार को अगले वित्तीय वर्ष के कम से कम 90(नब्बे) दिन पूर्व ठीक उसी तरह प्रेषित कर दिया जायेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

25–बोर्ड, उस वर्ष के दौरान अपनी क्रियाकलापों की रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष के लिए तैयार करेगा और राज्य सरकार को ऐसे प्रारूप में एवं ऐसे दिनांक को या उस दिनांक के पूर्व, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रख दिया जायेगा।

लेखा और संपरीक्षा

26–(1) बोर्ड द्वारा समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को सुरक्षित रखा जायेगा और तुलनपत्र (बैलेन्स शीट) को सम्मिलित कर लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, तैयार करेगा।

(2) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक संपरीक्षा लेखा बोर्ड के अध्यधीन होगा और/या राज्य सरकार, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक या किसी अन्य लेखा परीक्षक को, ऐसी निबन्धन और शर्तो पर संपरीक्षा के लिए सौंप सकता है जो ऐसी रीति में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय पर जैसा लेखा बोर्ड और राज्य सरकार के बीच करार पाया जाय।

(3) उपधारा–(2) के अधीन संपरीक्षा संचालित कराने वाले किसी व्यक्ति का अधिकार, प्राधिकार और सुविधाएं–

(क) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के मामले में, ठीक उसी तरह होंगी जैसी वह स्थानीय प्राधिकारी के लेखा की संपरीक्षा के सम्बन्ध में रखता है।

(ख) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या जैसी भी स्थिति हो, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के मामले में, ठीक उसी तरह होगी जैसी वह सरकारी लेखा की संपरीक्षा के सम्बन्ध में रखता है, और

(ग) किसी अन्य लेखा परीक्षक के मामले में, जैसी विहित की जाय,

(4) बोर्ड, राज्य सरकार की वार्षिकी या ऐसे समय पर जैसा उसके द्वारा निदेशित किया जाय, उसके आधार पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ ही अपने संपरीक्षा लेखा की एक प्रति देगा।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का रखा जाना

27–राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का मामला, सत्र के दौरान राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के पटल पर, उसकी प्राप्ति के पश्चात यथा शीघ्र रखा जायेगा।

अध्याय–छः

भूमि का अर्जन और व्ययन

अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन

28–(1) यदि राज्य सरकार की राय में, कोई भूमि इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षित है तो राज्य सरकार ऐसी भूमि का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन अर्जन कर सकेगी।

(2) जहॉ कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गयी हो, वहॉ वह सरकार उस भूमि पर कब्जा लेने के पश्चात उस भूमि को उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह भूमि अर्जित की गयी है, बोर्ड को, उस बोर्ड द्वारा प्रतिकर का, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन दिलाया गया हो और अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का संदाय किये जाने पर अन्तरित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा अर्जित और बोर्ड को अन्तरित भूमि को, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, ऐसा विकास कार्य लेने या कार्यान्वित करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्तियों को बोर्ड द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तो के अधीन जिन्हें वह ब्रज क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए समीचीन समझें, अन्तरित कर सकेगा।

प्रयोजन में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं

29–किसी प्रयोजन को या प्रयोजनों से सम्बन्धित अपरिवर्तन को, जो धारा–28 की उपधारा–(1) में निर्दिष्ट अधिनियम में यथा उपबन्धित है, के सिवाय, जिसके लिए भूमि को मूलतः अर्जित करने के लिए अनुमति दी जायेगी।

अनुपयोजित भूमि की वापसी

30–जब कोई भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अर्जित की जाती है तो शेष अनुपयोजित भूमि, धारा–28 की उपधारा–(1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार व्ययनित की जायेगी।

अध्याय–सात

विविध

विद्यमान विधि के अतिरिक्त उपबन्धों का होना

31–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या विधि के उपबंधों के अतिरिक्त न कि उसके अल्पीकरण में इस अधिनियम के उपबंध होगें।

राज्य सरकार के निदेश देने की शक्ति

32–राज्य सरकार समय–समय पर ऐसे निदेश बोर्ड को दे सकता है, जैसा वह इस अधिनियम के कुशल प्रशासन हेतु उपयुक्त समझें और बोर्ड ऐसे निदेशों के अनुपालन के लिए बाध्य होगा।

बोर्ड/कौन्सिल को प्राविधिक सहायता

33–(1) राज्य सरकार बोर्ड को ऐसे प्राविधिक सहायता प्रदान करने के लिए अपने विभागों को निदेश ऐसे निबन्धन और शर्तो पर देगा जिस पर आपस में सहमति बना हो और जैसा वह इसके लिए आवश्यक समझें।

(2) सामर्थ्यकारी कौन्सिल अपने कृत्यों को उन्मोचन करने की दृष्टि से, बोर्ड उप–धारा(1) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त प्राविधिक सहायता में से कौन्सिल को ऐसे प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेगा जैसा कौन्सिल अपेक्षा करें।

बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों

34–(1)राज्य सरकार दो उपयुक्त व्यक्तियों को क्रमशः बोर्ड के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी जो ऐसे शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे जैसा विनियमों द्वारा विहित किये जायें या बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किये जायें।

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्बंधन के अधीन जैसा राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विहित किया जाय, बोर्ड अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की ऐसी संख्या को नियुक्त कर सकता है, जैसा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कुशल उन्मोचन के लिए आवश्यक हो और किसी नियमावली के अधीन जो इस निमित्त बनाया जा सके, ऐसे पदों पर नियुक्त कर सकता है और यथा नियुक्त व्यक्तियों के पद नामों और श्रेणियों को विहित कर सकता है।

(3) अर्हता, सेवा के नियम और शर्ते और उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा कर्मचारियों के कृत्यों और कर्तव्यों, ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

(4) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी और बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों बोर्ड के निधि से ऐसे वेतन और भत्तों को प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

प्रतिनिधायन

35–बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित कर सकता है कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन अपने द्वारा निष्पादित कृत्यों या प्रयुक्त शक्तियों (विकास योजना को स्वीकृत करने और विनियम बनाने की शक्ति से भिन्न शक्ति), या कृत्य कर्तव्यों का निष्पादन, प्रयोग या उन्मोचन, ऐसी शर्तो, यदि कोई हों, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट हो, के अध्यधीन ऐसे अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकता है जैसाकि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और जहॉ ऐसी शक्ति का प्रतिनिधायन किसी अधिकारी को किया जाय वहॉ ऐसा अधिकारी, जिसे उक्त अधिकार का प्रतिनिधायन किया जाय, उन शक्तियों का निष्पादन, प्रयोग या उन्मोचन करेगा।

प्रवेश की शक्ति

36–इस निमित्त बनाये गये किसी भी नियम के रहते हुए, बोर्ड द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भूमि या परिसर में सभी युक्ति–युक्त समय पर प्रवेश कर सकता है और विधिपूर्वक किसी कार्य को करने के प्रयोजन से ऐसे कार्य जैसा आवश्यक समझा जाय, कर सकता है या इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किसी शक्ति के निष्पादन या किसी कृत्य के सम्पादन के लिए प्रारम्भिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या निरीक्षण कर सकता है,

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी व्यक्ति कब्जेदार को इस आशय की लिखित सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व दिये बिना किसी भवन या जुड़े हुए किसी मैदान या किसी रिहायशी घर से लगे हुए बाग में प्रवेश नहीं करेगा।

बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी लोकसेवक होंगे

37–बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कोई कार्य या कार्य करने के लिए तात्पर्यित होने के समय भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या–45, सन् 1860) की धारा–21 के अर्धान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों का संरक्षण

38–बोर्ड या कौन्सिल या बोर्ड के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी, जिसमें बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है, के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत के निष्पादन के या इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये किसी भी कार्य या करने के लिए आशयित कोई वाद अभियोजन या विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

39–(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोजनों को पूरा करने के लिए कोई नियम बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्तियों की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित मामलों के सभी या किसी की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात,

(क) धारा–3 की उपधारा–(4) और धारा–6 की उपधारा–(3) द्वारा यथा अपेक्षित सदस्यों के पदों के निबन्धन और शर्ते,

(ख) धारा–17 की उपधारा–(1) और धारा–19 की उपधारा–(2) के अधीन प्रकाशित की जाने वाली सूचना का प्रारूप और रीति,

(ग) धारा–18 की उपधारा–(1) के अधीन प्रकाशित की जाने वाली सूचना की रीति,

(घ) कोई अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना है या विहित किया जाय या जिसके सम्बन्ध में नियमों द्वारा व्यवस्था की जानी है या की जाय।

विनियम बनाने की शक्ति

40–(1) बोर्ड राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे विनियम बना सकता है, जो इस अधिनियम से असंगत न हो और इस अधिनियम के उपबन्धों को पूरा करने के लिए तद्धीन नियम बना सकता है।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात :–

(क) ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों जिनके लिये बोर्ड धारा–16 के अधीन किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयुक्त कर सकता है।

(ख) धारा–34 की उपधारा–(3) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन और शर्तें।

(ग) कोई अन्य मामले जिनके लिए विनियम द्वारा व्यवस्था की जानी है या की जाय।

बोर्ड का विघटन

41–(1) जब राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि जिन प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन बोर्ड गठित किया गया था उन्हें सारवान रूप से प्राप्त कर लिया गया है या बोर्ड अपने उद्देश्यों में विफल रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार की राय में बोर्ड का निरन्तर अस्तित्व में रहना आवश्यक नहीं रह गया है तो, राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि बोर्ड ऐसे दिनांक से जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, विघटित हो जायेगा, और तद्नुसार बोर्ड विघटित समझा जायेगा।

(2) उक्त दिनांक से –

(क) सभी सम्पत्तियॉ, निधियॉ और देयतायें जो बोर्ड में निहित थीं या बोर्ड से वसूली जानी थी, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी या उससे वसूली योग्य हो जायेंगी,

(ख) सभी दायित्व जो बोर्ड के विरूद्ध प्रवर्तनीय थे, राज्य सरकार के विरूद्ध प्रवर्तनीय हो जायेंगे,

(ग) किसी विकास कार्य को पूरा करने के प्रयोजन से जिसे बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से नहीं किया गया है और सम्पत्ति निधियों और देयताओं जो खण्ड–क में निर्दिष्ट हैं की वसूली के प्रयोजन से बोर्ड के कृत्यों का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि यह राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड के पुनर्गठन को रोकती है।

कठिनाईयॉ दूर करने की शक्ति

42–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय। ऐसे अनुकूलनों चाहे उपान्तरण बढ़ाये जाने या निकाले जाने के रूप में हो जैसा वह आवश्यक और समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

(2) उपधारा–(1) के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–42 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड विधेयक, 2015 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015 का जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–22, सन् 1994 की धारा–8 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की धारा–8 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

''(4) अध्यक्ष को राज्य सरकार के राज्य मंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति स्वीकृत हुआ।)

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–9 तक खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

2–यह दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–23 सन् 1980 की

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा–3 में शब्द ''आठ हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा–3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा–4 में शब्द ''बाइस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''तीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा–4 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा–5 में–

धारा–5 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

''(1) इस अधिनियम उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभा या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह धारा (2) के खण्ड (झ) में किसी पद पर आसीन हो या नहीं, 1 जून, 2015 से तीन लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के रेल कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे जो ऐसे सदस्य के द्वारा अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये रेल से किसी श्रेणी में किसी समय उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर यात्रा के लिये ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायें, उपयोग में लाये जा सकते हैं।''

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''साठ हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''अस्सी हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक में,

(1) खण्ड (क) में, शब्द 'समान मूल्य के कूपन'' के स्थान पर शब्द ''समान मूल्य के कूपन या किराये की प्रतिपूर्ति'' रख दिये जायेंगे,

(2) खण्ड (ख) में शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''अठ्ठारह हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

5–मूल अधिनियम की धारा–15 में,–

धारा–15 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द ''सात सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''चार सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (3) में शब्द ''चार सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

6–मूल अधिनियम की धारा–15–क में शब्द ''दस हजार रुपये''

धारा–15–क का

के स्थान पर पन्द्रह हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा–18–क में, खण्ड (क) में,–

धारा–18–क का संशोधन

(क) शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द बीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) शब्द ''राज्य सरकार'' के पश्चात् शब्द ''या किसी सदस्य को, उसके विकल्प पर ऐसे चिकित्सा उपचार और सुविधाओं जिसमें औषधि भी सम्मिलित है पर उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा–24 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा–24 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द ''आठ हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) परन्तुक में शब्द ''सात सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा–26–क का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा–26–क में,

(क) शब्द तथा अंक ''मृत्यु के समय उनकी जो पेंशन अनुमन्य होती हो उसकी 50 प्रतिशत के बराबर'' के स्थान पर शब्द ''मृत्यु के समय दिवंगत सदस्य को अन्यथा अनुमन्य पेंशन या रुपये दस हजार की पेंशन जो भी अधिक हो'' रख दिये जायेंगे।

(ख) ''उपधारा (2) शब्द और अंक ''जो धारा–24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेंशन का हकदार हो'' का निकाल दिया जायेगा और शब्द और अंक ''मृत्यु के समय उनको मिलने वाली पेंशन के 50ः के बराबर'' के स्थान पर शब्द ''मृत्यु के समय ऐसे पूर्व सदस्य की पेंशन या रुपये दस हजार की पेंशन, जो भी अधिक हो'' रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधानरा रख दी जायेगी, अर्थात्ः–

''(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) ऐसे पति/पत्नी जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरम्भ के दिनांक

को जीवित है, पर भी लागू होगी।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–9 तक खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) उत्तर प्रदेश अधिनियम

अधिनियम, 1993 की धारा–2 में खण्ड (ख) में, उप खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात् :–

संख्या–4, सन् 1993 की धारा–2 का संशोधन

''(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित)।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

ख1.40 बजे, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज जो नियम–51 की सूचनायें मुझे मिली थीं और कल जो आई थीं, तो जिसने डुप्लीकेट नहीं किया है, वह सब स्वीकार कर ली गईं हैं।

आज दिनांक 25 एवं 26 मार्च, 2015 को नियम–51 के अन्तर्गत समेकित कुल 180 सूचनायें प्राप्त हुईं। सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

1–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की श्री सुभाष मित्र पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मंगला प्रसाद इण्टर कालेज, बामपुर, इलाहाबाद के अवशेष वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

2–श्री अमरपाल शर्मा की गाजियाबाद के साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों पर डिस्पेंसरी खोले जाने के सम्बन्ध में।

3–श्री अमित गौरव यादव की उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कर्मियों को पंचम व छठे वेतनमान की बकाया धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

4–श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद हाथरस के ब्लाक सहायन अन्तर्गत ग्राम नगरिया पट्टी देवरी में उ0प्र0 सहकारी समिति की शाखा बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5–श्री रविन्द्र कुमार की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर के अन्तर्गत मल्हीरोड पर ग्राम रामनगर के ऊपर से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

6–श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला अन्तर्गत ग्राम गिरन्दपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।

7–श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा स्थित कमलानगर क्षेत्र के रामकुंज विमल वाटिका पार्क की बाउण्ड्रीवाल व सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

8–श्री गोरख पासवान की प्रदेश में तैनात चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा व सुविधायें दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

9–श्री रविन्द्र भड़ाना की जनपद अमरोहा की तहसील धनौरा के उप जिलाधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं को रोके जाने के सम्बन्ध में।

10–श्रीमती अराधना मिश्रा (मोना) की जनपद बस्ती में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात श्री उदयशंकर शुक्ला की नियुक्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

11–श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत जहांपुर निवासी धनपाल की हुई असामयिक मृत्यु के कारण पीड़ित परिवार को कृषक दुर्घटना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

12–श्री त्रिलोकी राम की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के गांव मोहरैनी स्थित मार्ग का नामकरण शहीद देवेन्द्र कुमार के नाम पर किये जाने के सम्बन्ध में।

13–श्री वीरपाल राठी की उ0प्र0 पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयन में की गई धांधली के सम्बन्ध में।

14–श्री रामहेत भारती की कानपुर नगर में परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की पदोन्नतियां न किये जाने के सम्बन्ध में।

15–श्री रामसरन की जनपद ज्योतिबाफूलेनगर में दिनांक 09–10–2010 को घटित सड़क दुर्घटना में मृतक आरक्षी स्व0 सुकराम पाल के आश्रितों को असाधारण पेंशन, अन्य सुविधायें मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में।

16–श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के 11 विकास खण्डों को डार्क जोन घोषित किये जाने के फलस्वरूप किसानों को विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

17–श्री भगवती प्रसाद की प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दिये गये निर्देशानुसार गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को मूलभूत सुविधायें मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में।

18–श्री संजय प्रताप जायसवाल की संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, राज्य सेतु निगम लि0, कानपुर इटावा द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

19–श्री सुधीर कुमार की निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 द्वारा विभागीय चयन समिति की संस्तुति की भांति श्री सिंहासन प्रसाद की सेवाओं को विनियमितीकरण आदि का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

20–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी की जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र की जनता के लिये सरकारी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 100 शैय्या का सामान्य अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में।

21–श्री मदन चौहान की जनपद ज्योतिबाफूलेनगर अमरोहा में ब्रज घाट पुल के पास गंगा नदी से हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में।

22–श्री वीर सिंह की जनपद चित्रकूट ग्राम बरेठी में खेरी के पुरवा से प्राथमिक विद्यालय तक विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

23–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में परीक्षा फोर लेन से जोरी बुजुर्ग होते हुए बिठरी रोड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

24–श्री राजिव गुम्बर की सहारनपुर महानगर में मलिन बस्ती नन्दीपुरी (मानक मऊ) में सड़क व सीवर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

25–श्री सिनोद कुमार शाक्य की जनपद बदायूं के थाना बिल्सी में दर्ज मु0अ0सं0– 134/15 पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

26–श्री पूर्णमासी देहाती की पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों हेतु सीटों का आरक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

27–श्री लोकेश दीक्षित की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में ब्लाक रोहनियां के अन्तर्गत ग्राम बाबा का पुरवा में रामसुमेर वर्मा एवं ककोरे वर्मा के खेत तक कच्चे मार्ग पर दबंगों द्वारा किये गये कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

28–श्री गजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूप शहर के नगर जहांगीराबाद से चादौक दोराहा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

29–श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की सीलिंग ऐक्ट के अनुसार घोषित सरकारी भूमि पर राजस्व विभाग द्वारा कब्जा न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

30–डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा में दिनांक 19–03–2015 को कालिन्दीपुरम् निवासी फतेह सिंह डेयरी संचालक मऊ रोड की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

31–श्री कृष्ण कुमार ओझा की जनपद बाराबंकी की ग्राम पंचायत बदोसराय में सार्वजनिक रास्ते पर से तत्काल अतिक्रमण हटवाये जाने के सम्बन्ध में।

32–श्री राम मगन रात की रामदेव राचत पुत्र सहज राम को लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड बाराबंकी में स्थाई नियुक्ति अथवा वर्कचार्ज पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

33–श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद बलिया में बेल्थरा रोड के तहसील क्षेत्र के सीयर सोनाडीह मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

34–श्री जगपाल सिंह की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर देहात के नागल कस्बा से ग्राम गागलहेडी तक के अधूरे शेष सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

35–श्री मो0 जासमीर अंसारी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के लखीमपुर खीरी लहरपुर मार्ग पर केसरीगंज से चम्बेनाथ पुल तक की सड़क का निर्माण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

36–श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद–चन्दौली में विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में।

37–श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद–खीरी के विकास खण्ड–ईसानगर में ग्राम–बेल्तुआ से ग्राम–उदयपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

38–श्री संजय प्रताप जयसवाल की प्रदेश में लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत आने वाले पदों पर समय से विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

39–श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय की जनपद–इलाहाबाद के मेजा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों पर रोडवेज की बस चलवाये जाने के सम्बन्ध में।

40–श्री सत्यवीर मुन्ना की जनपद–कानपुर नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को पदोन्नति न किये जाने के सम्बन्ध में।

41–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की जनपद–मेरठ के मोहल्ला–तीरगरान एवं गुदड़ी बाजार में हुई साम्प्रदायिक हिंसा में मृतकों के आश्रितों को नौकरी दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

42–श्री अनीसुर्रहमान की जनपद–मुरादाबाद के कांठ क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्थानों पर विद्युत ट्रान्सफार्मर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।

43–श्री पूरन प्रकाश की जनपद–मथुरा के ब्लाक–बल्देव, राया एवं फरह की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

44–श्री मोहम्मद गाज़ी की राज्य सम्पत्ति निदेशालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

45–श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद–मिर्जापुर के ब्लाक–राजगढ़ का विभाजन करते हुए एवं अन्य कतिपय ब्लाकों के कुछ भाग को मिलाते हुए अहरौरा को नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में।

46–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद–कानपुर के छावनी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मोहल्लों में निर्मित मार्गों के निर्माण की टी0ए0सी0 से जांच कराकर दोषियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में।

47–श्री रामचन्द्र यादव की जनपद–फैजाबाद के रुदौली क्षेत्रान्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित ग्रामों के विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

48–श्री योगेन्द्र उपाध्याय की सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग में अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2014 को लागू करवाये जाने के सम्बन्ध में।

49–श्री प्रदीप माथुर की जनपद–मथुरा व वृन्दावन धार्मिक श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु प्याऊ का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

50–श्रीमती चन्द्रा रावत की जनपद–लखनऊ के ब्लाक–गोसाईंगज, ग्राम पंचायत–रायपुर में कतिपय मार्गों का आर0सी0सी0 रोड में परिवर्तन/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

51–श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद–कुशीनगर के तमकुहीराज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय घाटों पर निर्मित बंधों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

52–श्री दिलनवाज खान की नगरपालिका परिषद्–स्याना की सीमान्तर्गत स्थित कब्रिस्तान पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम द्वारा समतलीकरण करके विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

53–श्री गयादीन अनुरागी की प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

54–श्री बंशी सिंह पहाड़िया की जनपद–गौतमबुद्ध नगर के सृजन समय परिसीमन में छूट गये कतिपय ग्राम व मजरों को शामिल करवाये जाने के सम्बन्ध में।

55–श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद–बलिया के बैरिया क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्साधिकारियों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में।

56–श्री जगपाल सिंह की सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवारका के ग्राम सलेमपुर भूखड़ी से ग्राम पीकी तक रजवाहे की पटरी पर सड़क एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

57–श्री सिबगतुल्ला अंसारी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

58–श्री राजेश यादव की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के ग्राम जलालपुर से नगला तक प्राकृतिक नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में।

59–श्री विनय तिवारी की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती रचना शुक्ला को मानचित्र शुल्क जमा कराने के उपरान्त भी सील मकान को न खुलवाये जाने के सम्बन्ध में।

60–श्री विक्रम सिंह की जिला महिला चिकित्सालय बाराबंकी में तैनात पेशेवर शिकायतकर्ता लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

61–डा0 अरूण कुमार की जनपद बरेली शहर में नैनीताल रोड निकट अल्का होटल से अलख नाथ मन्दिर तक की आर0सी0सी0 सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

62–श्री आशुतोष टण्डन गोपाल जी की लखनऊ नगर स्थित इन्दिरानगर कालोनी में मुंशीपुलिया चौराहे पर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने हेतु पालीटेक्निक चौराहे से खुर्रमनगर तक उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

63–श्री राजबली जैसल की जिला पंचायत बाराबंकी में श्री रामहर्ष की पदोन्नति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

64–श्री संजय कपूर की जनपद–रामपुर की रुद्रविलास किसान सहकारी चीनी मिल का आधुनिकीकरण व वायलर बदलवाने के सम्बन्ध में।

65–डा0 मो0 अयूब की पीस पार्टी कार्यालय हेतु भवन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

66–श्री इन्द्रपाल सिंह की कानपुर देहात की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा राजपुर बहमई होते हुए ग्राम खूजा पर यमुना नदी के अधूरे पुल निर्माण को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में।

67–श्री शारदा प्रताप शुक्ला की दिनांक 7–11–2014 को वित्त विभाग द्वारा जारी अधीनस्थ लेखा संवर्ग के संबंध में नियमावली को समरूपता से सभी विभागों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

68–श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह अन्तर्गत कतिपय सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

69–श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय अन्तर्गत वर्तमान नगर पालिका परिषद् द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

70–श्री रविदास मेहरोत्रा की लोकतंत्र सेनानियों को मूलभूत सुविधायें मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में।

71–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती सदर अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों का कैम्प लगाकर विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

72–श्री दिलनवाज खां की जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा मिट्टी के तेल को गरीबों में वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

73–श्री राधेश्याम की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के कानूनगो सर्किल हलियापुर को तहसील मुसाफिरखाना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

74–श्री कुंवर कौशल सिंह की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में श्रीमती पद्मिनी चौधरी कन्या जूनियर हाई स्कूल तरौनी के भवन निर्माण कार्य हेतु विधायक निधि से अवमुक्त धनराशि का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

75–श्री प्रदीप माथुर की यमुना नदी के दोनों तरफ मथुरा एवं वृन्दावन में तटबन्धों के सौन्दर्यीकरण एंव विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

76–श्रीमती माधुरी वर्मा की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद द्वारा लगातार की जा रही भ्रष्टाचारिता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

77–श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेरिया अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समुचित दवा एवं स्टाफ की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

78–श्री अनूप सण्डा की जनपद सुल्तानपुर के जिला चिकित्सालय में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

79–श्री सुदेश शर्मा की प्रदेश में भारी बारिश एवं ओलावृष्टि से गाजियाबाद के आस–पास किसानों को हुई क्षति का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

80–श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ स्थित ड्रेन की किमी0 38 से 121 तक सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में।

81–श्री संजय प्रताप जयसवाल की जनपद गोरखपुर के सहजनवां से उतरौला तक के मार्ग को राजमार्ग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

82–श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी की जनपद इलाहाबाद के थाना घुरपुर के ग्राम बलापुर निवासी श्रीमती गुड्डी देवी की मृत्यु डाक्टर की लापरवाही से होने एवं डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

83–श्री लोकेश दीक्षित की उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक निदेशालय द्वारा फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में।

84–श्री गयादीन अनुरागी की उ0प्र0 के 21 पान उत्पादक जनपदों के किसानों को अनुदान की स्वीकृति धनराशि को उद्यान विभाग द्वारा गबन किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

85–श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा की जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

86–श्री बंशी सिंह पहाड़िया की जनपद गौतमबुद्धनगर के कतिपय ग्रामों को जनपद बुलन्दशहर में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

87–श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ अन्तर्गत ग्राम नगला विजन से होते हुए कस्बा हसायन तक की सड़क के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

88–श्री मो0 जासमीर अंसारी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र लहर अन्तर्गत बिसवां से लहरपुर तक के सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

89–श्री अवस्थी बाला प्रसाद की लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड धौरहरा अन्तर्गत वर्ष 2009 में किये गये पट्टों पर दबंगों द्वारा किये गये कब्जों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में।

90–श्री सुरेश राणा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन अन्तर्गत ग्राम अम्बेटा याकूबपुर में पं0 जनेश्वर मिश्र योजना अन्तर्गत चयनित गांव में कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

91–श्री रविन्द्र भड़ाना की जनपद मेरठ में ग्राम फफूंदा और ग्राम गंगोल में इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में।

92–श्री पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर सरोस में तैनात ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

93–श्री राजिव गुम्बर की सहारनपुर में दिनांक 16–6–2014 को बस पलटने से 14 यात्रियों की हुई मृत्युओं के आश्रितों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

94–श्री जियाउद्दीन रिजवी की बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में अग्निशमन यंत्र का सब–स्टेशन बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

95–श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड बसखारी में 11000 वोल्ट के तार का मकान के ऊपर से निकाले जाने के सम्बन्ध में।

96–श्री गुलाब चन्द्र सरोज की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में मुख्य सड़क के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

97–श्रीमती मधुबाला की जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र औराई अन्तर्गत लुम्बनी–दुद्धी राजमार्ग पर रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में।

98–श्रीमती रूबी प्रसाद की प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) की पदोन्नति लैब टैक्नीशियन के पदों पर उनके कोटे के हिसाब से भरे जाने के सम्बन्ध में।

99–श्रीमती लालमुन्नी सिंह की जनपद–सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–मुड़िलाडीह को ग्राम सभा/नगर पंचायत में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में।

100–श्री बृजलाल सोनकर की जनपद–आजमगढ़ में ग्राम शिक्षा प्रेरकों का विनियमितीकरण तथा बकाया मानदेय का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

101–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की जनपद–वाराणसी के डिजीटेलाइज्ड राशन कार्ड बनवाने में आ रही कठिनाइयों को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में।

102–श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की जनपद–महोबा के अन्तर्गत जल निगम द्वारा जैतपुर ग्राम समूह पेयजल पुनर्गठन योजना का कार्य योजना शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।

103–श्री रामहेत भारती की जनपद–सीतापुर की तहसील–लहरपुर के ग्राम–नवीनगर में पट्टेदारों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

104–श्री महावीर सिंह राणा की प्रदेश में क्षेत्रीय विकास निधि से मरीजों के इलाज में दी जाने वाली धनराशि केवल एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

105–श्री राधेलाल रावत की जनपद–उन्नाव के मोहन क्षेत्रान्तर्गत मोहान बांगरमऊ मुख्य सड़क पर सई नई पर पुल का पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

106–श्री सुरेश बंसल की जनपद–गाजियाबाद के वार्ड संख्या–23 के कतिपय मोहल्लों में विद्युत के खम्भे लगाये जाने के सम्बन्ध में।

107–श्री जन्मेजय सिंह की जनपद–गोरखपुर में रामगढ़ताल परियोजना के अन्तर्गत नये बन्धे के निर्माण पर की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

108–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की जनपद–मेरठ में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के अन्तर्गत निर्मित भवनों में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

109–श्री गंगा सिंह कुशवाहा की स्वास्थ्य महानिदेशालय, लखनऊ के क्षय अनुभाग में तैनात संयुक्त निदेशक द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों का किये जा रहे उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

110–श्री अनीसुर्रहमान की जनपद–मुरादाबाद के कांठ क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्थानों पर विद्युत ट्रान्सफार्मर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।

111–श्री दीपक पटेल एडवोकेट की जनपद–इलाहाबाद की नगर पंचायत शंकरगढ़ में नाले की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

112–श्री संतराम कुशवाहा की जनपद–जालौन के माधौगढ़ क्षेत्रान्तर्गत कतिपय निवासियों की भूमि पर दबंगों द्वारा किये जा रहे कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

113–श्री कालीचरन सुमन की जनपद–आगरा के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत निर्मित बाई–पास के लिंक रोडों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

114–श्री अनिल कुमार की जनपद–मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

115–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी की जनपद लखनऊ के कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत गीता पल्ली वार्ड में ईको पार्क के निर्माण में ध्वस्त भूमिगत नाले का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

116–श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद–मिर्जापुर के ब्लाक–राजगढ़ का विभाजन करते हुए एवं अन्य कतिपय ब्लाकों के कुछ भाग को मिलाते हुए अहरौरा को नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में।

117–श्री गोरख पासवान की प्रदेश में तैनात ग्रामीण चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा एवं वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

118–श्री अनुग्रह नारायण सिंह की प्रदेश के सभी न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

119–श्री सन्त प्रसाद की जनपद–गोरखपुर की तहसील–खजनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–भिसियाखुर्द में स्थित हिन्दुओं के धर्मस्थल पर अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

120–श्री योगेन्द्र उपाध्याय की जनपद–लखनऊ के दुगांवा, पाण्डेगंज के पास मेसर्स शुभ इण्टरप्राइजेज द्वारा तेल तथा अन्य खाद्य सामग्रियों में की जा रही मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

121–श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा की जनपद–लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईंगंज की नगर पंचायत अमेठी के कतिपय मोहल्लों में डाली गई पेयजल पाईप लाइन को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।

122–श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद–कुशीनगर के रामकोला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

123–श्री सतीश महाना की जनपद–कानपुर नगर के महाराजपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

124–श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद–गोरखपुर के गोला क्षेत्र में बन्द पड़ी धुरियापार सहकारी चीनी मिल की भूमि पर एम्स का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

125–डा0 रमेश चन्द बिन्द की जनपद–मिर्जापुर के विकास खण्ड–सीटी के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में।

126–श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद–लखनऊ की एल0डी0ए0 की आवासीय योजना, रतन खण्ड में सीवर लाइन की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

127–श्री अलगू चौहान की जनपद–गोरखपुर के थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत श्रीमती सुमन त्रिपाठी पर प्राणघातक हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

128–श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू की जनपद–सहारनपुर के रामपुर मनिहारन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

129–श्री रविन्द्र जायसवाल की जनपद–वाराणसी के शहर उत्तरी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

130–श्रीमती कृष्णा पासवान की प्रदेश के ग्राम विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0) कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित कर समस्त सुविधायें दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

131–श्री सलिल विश्नोई की जनपद–कानपुर महानगर में सीवर की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

132–श्री लोकेन्द्र सिंह की जनपद–बिजनौर के नूरपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

133–श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद–बहराइच के कैसरगंज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में चकबन्दी का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

134–श्री ममतेश शाक्य की जनपद–एटा व कासगंज के शिक्षण संस्थाओं में अभिभावकों व छात्रों से अधिक फीस लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

135–श्रीमती पूजा पाल की जनपद–इलाहाबाद के काली मन्दिर से होते हुए उमरपुर, नीमा तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

136–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य की जनपद–लखनऊ के गोमतीनगर के विकल्प खण्ड में एल0डी0ए0 द्वारा निर्माणाधीन पंचशील योजना के आस–पास व्याप्त गन्दगी को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में।

137–श्री गेंदा लाल चौधरी की जनपद–आजमगढ़ की तहसील–लालगंज में ग्राम सभा के पोखरे पर दबंगों द्वारा किये गये अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

138–श्री भगवान सिंह कुशवाहा की उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में ज्येष्ठता के विपरीत कनिष्ठ को निदेशक बनाये जाने के सम्बन्ध में।

139–श्री रामचन्द्र यादव की जनपद–फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के सैकड़ों क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण एवं अर्द्धनिर्मित पुलों का एवं रेल उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में।

140–श्री जाकिर अली की जनपद–गाजियाबाद के विधान सभा द्वारा लोमी के निवासियों को राशन, मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

141–श्री कमाल युसुफ मलिक की जनपद–सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत के डुमरियागंज के अध्यक्ष एवं अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

142–श्री सुशील सिंह की जनपद–चन्दौली के जिला बेसिक अधिकारी द्वारा चन्दौली महोत्सव के नाम पर अवैध रसीद काटकर वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

143–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर नगर निगम बदहाल सफाई व्यवस्था तथा भीषण भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

144–कुंवर महावीर सिंह की मानक के विपरीत मोबाइल टावर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

145–श्री मनोज कुमार की प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्षों से कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं का संविदा समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

146–श्री उत्कर्ष वर्मा की प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता के रीडर व प्रो0 का संविदा समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

147–श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा नगर निगम द्वारा प्रतिष्ठानों के विज्ञापनों पर विज्ञापन करो में भारी बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।

148–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद–बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद को विभाजित करके ककोड के नाम से नया विकास खण्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होने की सूचना 2 वर्ष पहले दिये जाने के बाद भी विकास खण्ड न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

149–श्री विजय बहादुर यादव की जनपद–गोरखपुर के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ब्लाक खोराबार के ग्राम पोछिउया ब्रम्ह स्थान के पिच रोड से मिनी पुल होते हुए पिच रोड को गौर बरसाइत बन्धे से मिलाये जाने के सम्बन्ध में।

150–डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद–अलीगढ़ हाथरस तथा जनपद–आगरा की एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र होकर गुजरने वाली करबन नदी में फैले भयंकर प्रदूषण के सम्बन्ध में।

151–श्री बावन सिंह की जनपद–गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार कें जीर्ण–शीर्ण सम्पर्क मार्ग होने के सम्बन्ध में।

152–श्रीमती सीमा की जनपद–जौनपुर के मुकरा बादशाहपुर के विधान सभा क्षेत्र में नील गायों से हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

153–श्री बंशी सिंह पहाड़िया की शासन द्वारा निर्धारित सराय ऐक्ट 1867 धारा–3 का तहसील जेवर में अवैध रूप से संचालित मैरिज हाल/बैंकट हाल/फार्म हाउस द्वारा उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में।

154–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद–चित्रकूट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन से मानिकपुर से ऊंचाडीह सम्पर्क के निर्माण कार्यों में बरती जा रही अनियमितता एवं अवैध खनन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

155–चौधरी गजेन्द्र सिंह की जनपद–बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के नगर जहांगीराबाद से चादौक दोहरा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

156–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

157–श्री वीर सिंह की जनपद–चित्रकूट ग्राम बरेठी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

158–श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद–शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर के कतिपय ग्रामों में बड़ी क्षमता का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में।

159–श्री गजराज सिंह की जनपद–हापुड़ के हापुड़ शहर में टूटी पाइप लाइनें एवं पाइप बदलने के सम्बन्ध में।

160–श्री मोहम्मद मुस्लिम की जनपद–अमेठी के विधान सभा तिलोई में कतिपय जर्जर सड़कों का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

161–श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी की मा0 नगर विकास मंत्री द्वारा दिनांक 07–03–2013 को दिये गये वक्तव्य में अंकित निर्देशों का अब तक अनुपालन न होने के सम्बन्ध में।

162–श्री मो0 गाजी की राज्य सम्पत्ति निदेशालय न्यूनतम वेतन (तृतीय श्रेणी) में कार्यरत कर्मचारियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

163–श्री विजय बहादुर दुबे की पूरे प्रदेश में गाय बैल की हो रही तस्करी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

164–श्री सत्यदेव पचौरी की जनपद–कुशीनगर के कतिपय ग्रामों में सार्वजनिक भूमि से दबंगों से कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में।

165–श्री भाई लाल कोल की जनपद–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे अन्तर्गत मध्य प्रदेश के बार्डर भैसोड़ बलाय पहाड़ को वाराणसी को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

166–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की जनपद–हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के ग्राम मिलिक में राजस्व कर्मियों द्वारा नदी के कटान वाली भूमि के मुआवजे में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

167–श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के सेवरई विकास खण्ड के कतिपय ग्रामसभाओं में आई बाढ़ से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

168–श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के अस्पताल में आई0सी0सी0यू0 यूनिट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।

169–श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला में गायों की चोरी करने वालों गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

170–श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद–आजमगढ़ के मो0 रैदोपुर की दलित बस्ती नगर क्षेत्र के बीचों बीच तालाब को पाटकर हो रही अवैध कब्जों को तत्काल रोकने के सम्बन्ध में।

171–डा0 धर्मसिंह सैनी की जनपद सहारनपुर के कस्बा नकुड़ व सरसावां में उच्च शिक्षा के लिये एक–एक राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में।

172–श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद–देवरिया के बी0एस0ए0 द्वारा की जा रही घोर अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

173–श्री दलजीत सिंह की जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी में हुई बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों को दृष्टिगत रखते हुए किसानों की कर्ज वसूली रोके जाने तथा उनके पूरे कर्ज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

174–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद–कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में विधायक निधि से वर्ष 2014–2015 में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित 21 ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

175–श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के किसान सहकारी चीनी मिल लि0 मझौला के कर्मकारों को स्वैच्छिक सेवायोजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

176–श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद–शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही के कतिपय ग्रामें में खड़ी फसल की नीलामी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

177–श्री विजय बहादुर पासवान की जनपद–सिद्धार्थनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जा रही मनमानी कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में।

178–हाजी इरफान सोलंकी की जनपद–प्रतापगढ़ में विकलांग विभाग द्वारा विकलांग पेंशन में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

179–श्री फेरनलाल की लखनऊ शहर के शिवाजी मार्ग स्थित क्रिस्टल बार से लाटूश रोड चौराहे तक दोनों ओर फुटपाथ पर किये गये अवैध कब्जों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में।

180–श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक घोसी के अन्तर्गत ग्राम इटौरा नहर से जीवापार होते हुए हरनाहा नहर तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

वक्तव्यों के स्थगन एवं पढ़े हुए माने जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

ये जो नियम–51 के वक्तव्य आये हैं, इनमें मद संख्या– 23, 34, 38, 40 और 45 के वक्तव्य स्थगित हैं, शेष सभी मदों के वक्तव्य पढ़े माने जायेंगें और सभी माननीय सदस्यों को मिल जायेंगे।

जनपद हापुड़ की तहसील एवं ग्राम धौलाना के खसरा संख्या–1599 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री धर्मेश सिंह तोमर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

खनियम–51 के अन्तर्गत यह सूचित किया गया था कि जनपद हापुड़ की तहसील धौलाना में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खसरा संख्या–1599 की सरकारी बंजर जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत अनेको बार जिला प्रशासन को की गयी, जिसके पश्चात् जिला प्रशासन द्वारा उक्त जमीन की तहसील द्वारा गठित कमेटी द्वारा कई बार नपाई की गयी। नाप के पश्चात् खसरा संख्या–1599 में किये जा रहे अवैध निर्माण को एस0डी0एम0 धौलाना के आदेश दिनांक 04–03–2015 पत्रांक–1960 द्वारा ध्वस्त किये जाने के आदेश भी दिया गया, परन्तु असामाजिक तत्वों की ऊंची पहुंच के कारण जिला प्रशासन कोई भी कार्यवाही करने में अपने को असमर्थ पा रहा है। मा0 सदस्य द्वारा उच्चस्तरीय जांच कराकर सरकारी जमीन खसरा संख्या–1599 को अवैध कब्जों से मुक्त किये जाने व अवैध कब्जा किये जाने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हापुड़ से प्राप्त आख्या में सूचित किया गया है कि पूर्व में इस प्रकरण में तहसील धौलना, जनपद–हापुड़ के राजस्व कर्मियों की टीम द्वारा खसरा संख्या–1599 का स्थायी बिन्दु से पैमाइर्श/सर्वे में किये जा रहे नवनिर्माण/अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, धौलाना के पत्रांक–1960/एस0टी0–ए0डी0एम0–धौलाना, दिनांक 04–03–2015 के अन्तर्गत तहसीलदार धौलाना को निर्देशित किया गया था, परन्तु उक्त निर्देश पर श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री तोलाराम निवासी–शाहपुर फगौता तहसील–धौलाना द्वारा पैमाईश की निष्पक्षता पर आपत्ति की गयी। उक्त आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) हापुड़ के द्वारा आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1067/एस0टी0–ए0डी0एम0, दिनांक 17–03–2015 के द्वारा धौलाना स्थित खसरा संख्या–1599 की पैमाइश कराये जाने हेतु श्री कन्हई सिंह, उप जिलाधिकारी, धौलाना की अध्यक्षता में भगत सिंह तहसीलदार गढ़मुक्तेश्वर तथा विजय शंकर सिंह, चकबन्दी अधिकारी, हापुड़ की टीम गठित करते हुये मौके की पैमाइश उपरान्त आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। उप जिलाधिकारी, धौलाना द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–1246/एस0टी0–एस0डी0एम0–धौलाना/2015, दिनांक 17 मार्च, 2015 जो जिलाधिकारी कार्यालय में दिनांक 18–03–2015 को उपलब्ध करायी गयी, के द्वारा अवगत कराया गया कि गठित टीम द्वारा की गयी पैमाइश में वादग्रस्त निर्माणधीन भूखण्ड गाटा संख्या–1599 बंजर के रकबा 267.41 वर्गमीटर पर श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुन्दन लाल निवासी ग्राम धौलाना का अवैध कब्जा पाया गया। ग्राम सभा सम्पत्ति ऊसर के खसरा संख्या–1599 में पाये गये अतिक्रमण को शीघ्र विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अतिक्रमण मुक्त कराये जाने हेतु वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।,

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद गौतमबुद्धनगर को जेवर टप्पल रोड पर बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

ख्मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है कि जनपद गौतमबुद्धनगर के कस्बा जेवर की आबादी 1 लाख से अधिक है तथा इसके मुख्य चौराहे से 04 मुख्य शहरों खुर्जा, सिकन्दराबाद, अलीगढ़, पलवल के लिये सड़के जाती है तथा सर्वाधिक आवागमन जेवर टप्पल मार्ग पर होता है, जिसके कारण कस्बे में दुर्घटनाएं होती रहती है एवं जनता आक्रोशित होकर चौराहे को जाम कर देती है या बाजार बन्द करा देती है, जिससे आम जनता को कष्ट होता है। अतः गौतमबुद्धनगर में जेवर–टप्पल रोड पर बाईपास रोड बनाये जाने की मांग की गयी है।

प्रश्नगत विषय पर अवगत कराना है कि :–जनपद गौतमबुद्धनगर के कस्बा जेवर से होकर हामिदपुर–सिकन्दराबाद–कुचेसर (राज्य मार्ग–100) एवं खुर्जा–जेवर (मुख्य जिला मार्ग–70) निकलता है। उपरोक्त दोनों मार्ग 02 लेन 7.00 मीटर चौड़े हैं। जेवर के मुख्य चौराहे से 2.0 कि0मी0 दूर यमुना एक्सप्रेसवे निकलता है, जिसके दोनों ओर उतरने व चढ़ने के लिए स्लिप रोड उपलब्ध है, जिससे भारी यातायात निकलता है। जेवर के मुख्य चौराहे से टप्पल एवं खुर्जा की ओर लगभग 1.0 कि0मी0 तक मार्ग की चौड़ाई 7.00 मीटर से 10.00 मीटर तक है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। जेवर कस्बे के बाईपास के निर्माण हेतु अनुमानित लम्बाई 5.0 कि0मी0 के लिये अनुमानित लागत रु0 15.00 करोड़ (भूमि अधिग्रहण की लागत के अतिरिक्त) तथा बाईपास निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त बाईपास का निर्माण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।,

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत बी0आर0जी0एफ0 योजना में चयनित 14 ग्राम पंचायतों में किसी भी ग्राम पंचायत की कोई विकास परियोजनाओं का चयन वर्ष 2012 से अब तक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य..... .(स्थगित)

शासनादेश जारी होने के बावजूद भी शहरी क्षेत्र के मा0 विधायकों के संस्तुति पर जल निगम, वाराणसी द्वारा हैण्डपम्प न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा'', द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

ख्मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में शासनादेश जारी होने के बावजूद भी शहरी क्षेत्र के मा0 विधायकों के

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

संस्तुति पर जल निगम, वाराणसी द्वारा हैण्डपम्प न लगाये जाने उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य तथा प्रभावी कार्यवाही की मांग की गयी है।

2–उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप मा0 विधायकों को 100–100 हैण्डपम्प दिये जाने के अनुक्रम में शहरी क्षेत्रों के लिए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–14/2015/30/8–1–15–10 बजट/2015, दिनांक 23 जनवरी, 2015 द्वारा रु0 1720.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रु0 8,60,17,500 (रु0 आठ करोड़ साठ लाख सतरह हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3–सन्दर्भित शासनादेश के अनुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम को 50 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हो गई है। मा0 सदस्य, विधान सभा को इस मद के अन्तर्गत जिलाधिकारी, वाराणसी के माध्यम से 12 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के स्थल की सूची दिनांक 11–03–2015 को उ0प्र0 जल निगम के खण्डीय कार्यालय को प्राप्त हुई है। हैण्डपम्प अधिष्ठापन स्थल की जांच करा ली गई है तथा हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।,

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच सी0बी0आई0 से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य....

ख्जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच सी0बी0आई0 से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक, मा0 सदस्य वधान सभा द्वारा दिनांक 24–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना निम्नवत् है :––

आपको अवगत कराना चाहता हूं कि डुमरियागंज क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2013–14 में 2014–15 के कार्य योजना में 60–40 के अनुपातों का अनुपालन नहीं किया गया है तथा क्षेत्र पंचायत के कुछ चुनिन्दा गांवों में ही धन खर्च किया गया है बाकी ग्राम पंचायतों को मनरेगा एवं पंचायत समिति की धनराशि से वंचित कर दिया गया है जिन गांवों में पक्के कार्यो को कराया गया है वह ठेकेदारी प्रथा से कराया गया है जिससे कार्ड धारकों/नरेगा श्रमिकों को कार्य नहीं मिल पाया है जिससे श्रमिक वर्ग रोजगार के अभाव में शहर के तरफ पलायन कर रहे है। बी0आर0जी0एफ0 की धनराशि ग्राम पंचायतों को कार्यदायी संस्था न मानकर खुद जिला पंचायत को बना दिया गया है। डी0पपी0आर0ओ0 ने ग्राम प्रधानों को डरा–धमका के हस्ताक्षर कराकर एक प्रस्ताव पारित कराकर जिला पंचायत को कार्यदायी संस्था बना दिया गया है। मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि नालों का जो निर्माण कार्य किया गया है एक ही नाले को ग्राम पंचायत से भी और उसी को दूसरा नाम बदलकर क्षेत्र पंचायत निधि से भी भुगतान किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि खण्ड विकास अधिकारी, डुमरियागंज द्वारा ग्राम पंचायतों को कार्य नहीं दिया गया है जिससे ग्राम प्रधानों एवं श्रमिकों में काफी अंसतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कुछ अपने निजी ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया गया है जिससे मजदूरों को सही समय पर भुगतान भी नहीं किया जाता है और मनरेगा योजना की स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है लेकिन 2014–15 मे ऐसी भी परियोजनाएं है जिनकी स्वीकृति भी नहीं है उन कार्यों को कराकर भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। जिसकी जांच कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त वित्तीय वर्षों की जांच सी0बी0आई0 से कराये जाने का निर्देश सरकार को देने का कष्ट करें।

मा0 सदस्य द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2013–14 व 2014–15 में कराये गये कार्यों की सी0बी0आई0 से जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सदस्य द्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर प्रकरण में उल्लिखित अनियमितताओं की जांच विभागीय स्तर पर आयुक्त, ग्राम्य विकास मुख्यालय की टीएसी (विशेष सम्परीक्षा प्रकोष्ठ) से करा ली जायेगी।

प्रकरण की सी0बी0आई0 से जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।,

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत ग्राम विकास विभाग के शासनादेश, दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा आवंटित धनराशि में पेयजल की सुविधा मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्र 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

ख्मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24–03–2015 को दी गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि पानी के वगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इसीलिये कहा गया है कि 'जल ही जीवन है'। जड़ से लेकर चेतन तक सभी के जीवन का आधार पानी पर निर्भर करता है, चाहे मानव हो, पशु–पक्षी हों, अथवा पेड़ पौधे हों, पानी सभी के लिये परम् आवश्यक है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत निम्नांकित स्थानों पर फ्लोराइड एवं लवण की मात्रा अधिक होने के कारण पेयजल पूरी तरह से दूषित हो गया है, जिसके कारण पेयजल पीने के योग्य नहीं रह गया है। चूंकि सई नदी का पानी प्रदूषित हो गया है अतः मानव तो क्या पशुओं के पीने के योग्य भी नदी का पानी नहीं रह गया है। सई नदी का समीपवर्ती क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में अण्डर ग्राउण्ड वॉटर लेबल (भूमिगत जल स्तर) भी काफी नीचे है अतः हैण्ड पाइपों एवं कुओं द्वारा पीने के लिये पानी नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में पेयजल में ऐसे हानिकारक रासायनिक तत्व मौजूद है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चूंकि पेयजल में हानिकारक रासायनिक तत्व मौजूद है अतः मात्र

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

पाइप वॉटर सप्लाई के माध्यम से ही पेयजल सुलभ हो सकता है। **मेरे निर्वाचन क्षेत्र की लगभग एक लाख की आबादी पेयजल की गम्भीर समस्या से जूझ रही है–जनहित में** मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ की निम्नांकित 10 ग्रामों की जल निगम प्रतापगढ़ द्वारा पाइप पेयजल योजना तैयार कराकर मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) के पत्रांक 41/3042–0153/14 दिनांक 28–01–2014 द्वारा संयुक्त सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन को त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत धनावंटन हेतु प्रेषित की गयी थी। उक्त सभी गांवों का पानी गुणत्तः प्रभावित है। ग्राम–अमावां (ब्लाक सांगीपुर), ग्राम–उदयपुर, ग्राम–रोहाड़ा, ग्राम–हिसामपुर, ग्राम–धनाटिकरिया, ग्राम–चाहिन, ग्राम–दर्रा, ग्राम–दलालपट्टी, ग्राम–बैलहा एवं ग्राम–किशुनगढ़ के ग्रामीण पेयजल योजना स्वीकृत किया जाना अति आवश्यक है, ताकि लोगों को शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल सुलभ हो सके।

2–अवगत कराना है कि श्री प्रमोद तिवारी, मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 22–06–2013 में नियोजन विभाग द्वारा संचालित त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास, जनपद–प्रतापगढ़ के 12 ग्रामों में पाइप पेयजल योजना स्थापित करने का अनुरोध किया गया था। विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित विकास खण्डों के कुल 465 ग्रामों की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 556801 तथा वर्तमान आबादी लगभग 762815 है। इन ग्रामों में माह फरवरी, 2015 तक कुल 13500 इण्डिया मार्क–॥ हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिसके आधार पर प्रति हैण्डपम्प औसत 57 आबादी लाभान्वित हो रही है, अतः उक्त ग्राम इण्डिया मार्क–॥ हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु निर्धारित मानक के अनुसार पेयजल की दृष्टि से संतृप्त है। मा0 सदस्य के उपरोक्त पत्र दिनांक 22–06–2013 में उल्लिखित 12 ग्रामों की पेयजल योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में पाइप पेयजल योजना बनाने हेतु निर्धारित प्राथमिकताओं में नहीं आने के कारण उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या–41/2042–0153/14, दिनांक 28–01–2014 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत उक्त 12 ग्रामों में से 09 ग्रामों की पाइप पेयजल योजनाओं के आगणन विरचित कर स्वीकृति हेतु ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध कराया गया। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उक्त 09 ग्रामों की पाइप पेयजल योजनाओं के आगणन सहित पत्रावली त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु सम्बन्धित नियोजन विभाग को दिनांक 03 फरवरी, 2014 को प्रेषित किया गया। नियोजन विभाग द्वारा यह पत्रावली इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग को यथोचित निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित कर दी गयी। मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 22–06–2013 में उल्लिखित 12 ग्रामों में से 01 ग्राम (समसपुर) में पाइप पेयजल योजना पूर्व से ही निर्मित है, जिसका संचालन एवं अनुरक्षण किया जा रहा है तथा एक अन्य ग्राम (दलापट्टी) की पाइप पेयजल योजना की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत करते हुए आंशिक धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अवशेष 10 ग्रामों हेतु पाइप पेयजल योजना के लिए

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षणोपरान्त डी0पी0आर0 माह मई, 2015 तक तैयार किये जाने सम्भावित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है और लोक महत्व के इस कार्यक्रम के प्रति राज्य सरकार सजग एवं प्रतिबद्ध है।,

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन अन्तर्गत ग्राम निघासन में जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवाल वक्तव्य....

ख्जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन अन्तर्गत ग्राम सभा निघासन गाटा संख्या–2303 व 2271 जो इसरावती देवी पुत्री स्व0 हरिनाथ के नाम से जमीन दर्ज है और उक्त जमीन पर कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। एस0डी0एम0 निघासन ने अपने जांच आख्या दिनांक 1–11–13 में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि उक्त भूमियों के दर्ज कास्तकार संक्रमणीय भूमिधर हैं और उन पर किया गया कब्जा अवैध है और दूसरी तरफ फर्जी रूप से प्रलोभन में आकर एस0डी0एम0 निघासन ने उक्त भूमि पर विपक्षियों के प्रार्थना–पत्र लेकर स्थगनादेश भी दिये हैं। जो सरासर गलत हैं गाटा संख्या 2303 व 2271 जो पूर्व में प्यारा सिंह पुत्र भगवान सिंह का नाम दर्ज था और रजिस्ट्री होने के बाद नाम खारिज कर इसरावती देवी पुत्री स्व0 हरिनाथ का नाम दर्ज हुआ। मान्यवर, कब्जा करने वाले लोग पिछली सरकार के नेताओं के सह पर पूरी कार्यवाही की है, तत्काल अवैध कब्जेदारों को पुलिस बल लेकर हटाकर इसरावती देवी को कब्जा दिलाये जाने की अवश्यकता है। इस प्रकरण को लेकर एस0डी0एम0 निघासन के प्रति भी लोगों में रोष व्याप्त हैं। जिला अधिकारी, लखीमपुर को भी पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखित रूप से पत्र भेजा गया है, जिसके परिपेक्ष्य में उप जिला अधिकारी, निघासन ने दिनांक 20–09–14 को भी अपने पत्र संख्या–431/जांच आख्या दिनांक 20–09–14 द्वारा शिकायतकर्ता अशोक कुमार यादव पुत्र बंश बहादुर यादव निवासी निघासन को लिखित रूप से अवैध कब्जा होने की जानकारी दी गयी परन्तु उस पर खाली कराने के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही अभी तक जिल प्रशासन नहीं कर पाया है।

अतः इस पर तत्काल अवैध कब्जा हटाये जाने एवं दोषी लोगों को चिन्हित कर कार्यवाही किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

जिलाधिकारी, खीरी से प्राप्त आख्या के अनुसार विद्यमान राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम निघासन की गाटा संख्या 2271मि0/0.405,2303मि0/0.458है0 इसरावती देवी पुत्री हरिनाथ के नाम दर्ज है। उक्त भूमि बैनामा के आधार पर तहसीलदार,

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

निघासन के आदेश दिनांक 05–08–2014 के अन्तर्गत इसरावती को प्राप्त हुई है। जिसके नामान्तरण की जानकारी होने पर विपक्षी हरीराम पुत्र महरज्जू, रामदार पुत्र देददू निवासी नई बस्ती मजरा निघासन आदि द्वारा न्यायालय उप जिलाधिकारी, निघासन में धारा 210 के तहत अपील योजित की गयी, जिसमें उपजिलाधिकारी, निघासन द्वारा अपने आदेश दिनांक 24–09–14 द्वारा अवर न्यायालय का आदेश स्थगित कर दिया गया। इस आदेश का अमलदरामद खतौनी मे दर्ज है। प्रकरण में दिनांक 08–04–2015 की तिथि नियत है।

प्रकरण में न्यायालय का स्थगत आदेश होने के कारण प्रकीर्ण पत्र के आधार पर कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित अन्य बातें तथ्यों के अनुकूल नहीं हैं।,

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–हजरतपुर के निवासी–निवासी–श्री महेश की दिनांक 8–3–2015 को ट्रैक्टर–ट्राली पलटने से हुई मृत्यु में कृषक दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

दिनांक 08–03–2015 की रात में जिला शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक तिलहर के अन्तर्गत ग्राम हजरतपुर के निवासी–महेश पुत्र बद्री प्रसाद की डालमिया चीनी मिल, मिरिगिचा, निगोही के पास ट्रैक्टर–ट्राली पलटने से मौके पर ही मौत हो गयी। यह अपने परिवार का मुख्य आदमी था जो परिवार का जीविकोपार्जन करता था, अचानक हुई मौत से उसका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। प्रशासन द्वारा मृतक परिवार को अभी तक कृषक दुर्घटना का लाभ भी नहीं दिया गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश एवं रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से मृतक परिवार को कृषक दुर्घटना बीमा दिलाये जाने की मांग करता हूं।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार मृतक स्व0 महेश पुत्र स्व0 महेश पुत्र बद्री प्रसाद निवासी ग्राम हजरतपुर, तहसील तिलहर की मृत्यु दिनांक 08–03–2015 को ट्रैक्टर–ट्राली पलटने की दुर्घटना में हुई है। कृषक दुर्घटना बीमा की दावा पत्रावली मृतक के नाम की उद्धरण खतौनी जिसमें वह खातेदार/सहखातेदार के रूप में दर्ज हो, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा, मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं लाभार्थी का बैंक खाता संख्या आदि अन्य आवश्यक प्रपत्रों सहित तथ्यात्मक आख्या के साथ उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत की जाती है। उक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार तिलहर द्वारा कराई गई है। तहसीलदार की आख्या दिनांक 13–03–2015 के अनुसार मृतक के नाम की खतौनी,

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

वारिस दर्ज करने के साथ हितकारी का बैंक खाता, फोटो, मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वारिसान प्रमाण–पत्र आदि एकत्रित करते हुए दावा पत्रावली एक माह में प्रस्तुत की जायेगी। तहसीलदार द्वारा दावा पत्रावली उप जिलाधिकारी, तिलहर के माध्यम से प्रस्तुत करने के बाद आगामी समिति की बैठक में नियमानुसार निस्तारित हो जायेगी।,

प्रदेश के अनुसूचित जाति के बाहुल्य बस्तियों में जांच में सही पाये गये 197 विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची में लिए जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

ख्वर्ष 2007 में अनुसूचित बाहुल्य बस्तियों में 200 प्राथमिक स्कूलों को अनुदान सूची में लेने का निर्णय किया गया था। जिसे 2012 में स्थगित कर दिया गया था, जिसे पुर्नविचार करते हुए सरकार ने आवर्तक अनुदान की सूची में लेने के लिए जांच कराने का निर्णय लिया था। जिसमें लगभग 197 विद्यालयों की सूची जांचोपरान्त एक वर्ष से ऊपर से सरकार के पास लम्बित है। विलम्ब होने के कारण उम्मीद लगाये अनुसूचित बाहुल्य बस्तियों के लोगों मे निराशा एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतएव जनहित में सदन के माध्यम से प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में जांच में सही पाये गये 197 विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची में होने के लिए सरकार से वक्तव्य/कार्यवाही की मांग करता हूं।

2–वर्ष 2007 में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में 200 प्राथमिक स्कूलों को अनुदान सूची में लेने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2010–11 में शासनादेश संख्या–1965/2–2010–19(53)/2005, दिनांक 03–08–2010 द्वारा प्रदेश में निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों को प्रति वर्ष एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने सम्बन्धी योजना लागू की गयी जिसके तहत चयनित 195 संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2011–12 में रु0 6.00 लाख प्रतिवर्ष एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। शासनादेश संख्या–1316(5)/26–3–2012 दिनांक 23–05–2012 द्वारा योजना में हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण उक्त योजना समाप्त कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि शासनादेश संख्या 2547/26–2–2006, दिनांक 05–10–2006 द्वारा भविष्य में निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित नये प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान पर लिये जाने की नीति/व्यवस्था समाप्त कर दी गयी।,

जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में कस्बा चिलकाना से सरसांवा एवं नकुड़ से चिलकाना तक के मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह सैनी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

ख्मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नकुड़, जिला–सहारनपुर में कस्बा–चिलकाना से कस्बा–सरसांवा, कस्बा–सरसांवा से नकुड़ एवं नकुड़ से वाया शाहजहांपुर कस्बा–चिलकाना तक बनी सड़क बरसात के मौसम में आई बाढ़ के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। चूंकि

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

इन क्षेत्रों में रहने वाले किसान, मजदूर, व्यापारी, आम जन तथा स्कूलों/कालेजों मे पढ़ने वाले बच्चे भी अपने कार्य से ब्लाक, तहसील व जिला–मुख्यालय इन रास्तों में जाते हैं तथा इन मार्गों से हरियाणा, यमुना नगर, चण्डीगढ़, जगाधरी व हिमाचल प्रदेश जाने–आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्गों से मेरे विधान सभा क्षेत्र के काफी गांव जुड़े हुए है। वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार, वहां के उच्च अधिकारियों से, उक्त क्षतिग्रस्त तथा टूटी हुई सड़क को बनाये जाने का अनुरोध भी किया गया, परन्तु उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत न होने के कारण सरकार के प्रति काफी आक्रोश है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से कस्बा–चिलकाना से कस्बा–सरसांवाा, कस्बा–सरसांवा से नकुड़ एवं नकुड़ से वाया शाहजहांपुर कस्बा–चिलकाना तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की अपेक्षित कार्यवाही की मांग करता हूं।

कस्बा चिलकाना से कस्बा सरसांवा से नकुड़ को जोड़ने वाला मार्ग (चिलकाना–सरसांवा–नकुल मार्ग) अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई 24.12 कि0मी0 है। मार्ग की चौड़ाई 5.50 से 7.00 मी0 तक है। मार्ग वर्ष 2013–14 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका मरम्मत कार्य यातायात खोले रखने हेतु करा दिया गया था। दाग मरम्मत का कार्य समय–समय पर कराया जाता रहा है। मार्ग के सुद्ढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

नकुड़ से वाया शाहजहांपुर कस्बा–चिलकाना तक बनी सड़क(नकुड़–शाहजहांपुर–चिलकाना मार्ग) अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई 32.00 कि0मी0 है, मार्ग की चौड़ाई 7.00 मी0 है, जिसका चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वर्ष 2012–13 में पूर्ण कराया गया था। वर्ष 2013–14 में मार्ग बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया थाااا, जिसका मरम्मत कार्य यातायात खोले रखने हेतु करा दिया गया था। दाग मरम्मत का कार्य समय–समय पर कराया जाता रहा है। वर्तमान में मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत दधेडु खुर्द मरीला फाटक वाया हापाड़ से तेजल हेडा चौराहा से तुगलक के ग्रामों से सड़कों की विशेष मरम्मत/नव निर्माण व गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

ख''जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र 13, पुरकाजी में से सड़कें बहुत ही जर्जर है निम्नलिखित है :––

1–मुजफ्फरनगर रूढ़की मार्ग से मिमलाना सम्पर्क मार्ग वाया गांव शाहबुद्दीन पुर लगभग 4 कि0मी0 तक।

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

2–मुजफ्फरनगर रूढ़की मार्ग से गांव शेरपुर सदर आदि सम्पर्क मार्गों के किनारे विशेष मरम्मत/नव निर्माण वहां पानी निकासी न होने से वहां की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर सीवर का गन्दा पानी बहता रहता है। दूशित पानी सड़कों एवं आसपास के घरों में पानी भर जाता है, जिसके कारण वहां पर निवास करने वाली जनता को गन्दे पानी के भराव के कारण संक्रमण पैदा होने से आये दिन लोग भयंकर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं एवं दूषित पानी भराव के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सदस्य द्वारा जिन 02 मार्गों की विशेष मरम्मत/नवनिर्माण कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, वे दोनों मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत न तो पूर्व में निर्मित कराये गये हैं और न ही वर्तमान में निर्मित कराये जाने हेतु स्वीकृत/प्रस्तावित है।,

जनपद बस्ती में स्थित शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज एवं ए0पी0एन0 पी0जी0 कालेज मे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनियमित ढंग से की गयी नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

ख्जनपद बस्ती में स्थित शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज एवं ए0पी0एन0 पी0जी0 कालेज में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनियमित ढंग से नियुक्तियां की गयी हैं, जिनकी जांच की अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु उ0 प्र0 शासन को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। श्री सदन राम, क्षेत्रीय उच्च अधिकारी/प्राधिकृत नियंत्रक, गोरखपुर द्वारा शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज मे माह जनवरी, 2014 में 5 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं तथा ए0पी0एन0 पी0जी0 कालेज में 6 नियुक्तियां तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की गयी हैं। यह नियुक्तियां आरक्षण नियम के विरुद्ध है तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के नियमावली के भी विरुद्ध है। इन अवैध नियुक्तियों की जांच कराकर शीघ्र कार्यवाही किया जाना जनहित में न्यायसंगत है। इसलिए श्री सदन राम, क्षेत्रीय उच्च अधिकारी/प्राधिकृत नियंत्रक, गोरखपुर द्वारा शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज बस्ती एवं ए0पी0एन0 पी0जी0 कालेज, बस्ती में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अनियमित नियुक्ति किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें तत्काल पद से हटाते हुए प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने तथा दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना जनहित में अति–आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

मा0 सदस्य, विधान सभा के उक्त नोटिस पर मा0 अध्यक्ष जी ने केवल वक्तव्य दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2–इस सम्बन्ध में निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद से शासन के पत्र दिनांक 24 मार्च, 2015 द्वारा आख्या प्राप्त की गयी। निदेशक, उच्च शिक्षा ने अपने पत्र दिनांक 24–3–2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि डा0 श्याम नारायण सिंह, प्राचार्य,

पं0 रामलखन शुक्ल राजीय महाविद्यालय, आलापुर, अम्बेडकरनगर एवं डा0 ओंकार प्रसाद, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पथरदेवा, देवरिया को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें जांच आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जांच आख्या अद्यतन अप्राप्त है। जांच आख्या प्राप्त होने पर सूचना से अवगत करा दिया जाएगा।,

नगर निगम, झांसी में सीपरी बाजार सब्जीमण्डी के स्थान पर प्रस्तावित बहुमन्जिला व्यावसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण कराए जाने विषयक श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

ॐनगर निगम, झांसी द्वारा वार्ड नं0–53 आजादगंज सीपरी बाजार सब्जीमण्डी में नगर निगम की जमीन पर बहुमन्जिला व्यावसायिक काम्पलेक्स बनाये जाने हेतु नगर निगम सदन की बैठक दिनांक 18–02–13 में प्रस्ताव संख्या–13, जिसमें भूतल पर सब्जी मण्डी व प्रथम एवं द्वितीय तल पर दुकानों का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव था, सर्वसम्मति से स्वीकृति किया गया था। उक्त क्रम में नक्शा एवं डिजाइन तैयार कर लिया गया था लेकिन नगर निगम के सहायक अभियन्ता द्वारा फाइल गुम कर प्रस्ताव को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। काम्पलेक्स के निर्माण से निगम को राजस्व प्राप्ति के साथ आवंटियों एवं बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा गया था, लेकिन न तो काम्पलेक्स निर्माण के सम्बन्ध में और न ही लापरवाह सहायक अभियन्ता आरे0के0 सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई। उक्त लापरवाही एवं उदासीनता पूर्ण कार्यवाही को लेकर स्थानीय नागरिकों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। मा0 सदस्य द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य दिये जाने की मांग के साथ प्रस्तावित काम्पलेक्स का निर्माण शुरू कराये जाने एवं लापरवाह सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है।

2–मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी द्वारा अवगत कराया गया है कि वार्ड नं0–53 आजादगंज में स्थित सब्जीमण्डी में शॉपिंग काम्प्लेक्स बनाये जाने हेतु प्रस्ताव नगर निगम सदन की बैठक में प्रारित किया गया है। शॉपिंग काम्प्लेक्स बनाये जाने हेतु मानचित्र के प्रतिपरीक्षण हेतु झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी को पत्र दिनांक 30–09–14 प्रेषित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 23–12–2014 द्वारा मामले के सम्बन्ध में कतिपय अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में नगर निगम, झांसी द्वारा तहसीलदार सदर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र मांगा गया है। उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने तथा विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। जहां तक पत्रावली गुम होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध है तथा इसी पत्रावली के माध्यम से पत्राचार किये जा रहे हैं। इस कार्य में सहायक

---

uksV%&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अभियन्ता का कोई दोष नहीं है। नगर निगम सदन द्वारा जिस स्थान पर सब्जीमण्डी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, उक्त स्थल पर पूर्व से ही सब्जीमण्डी है तथा वहां से नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति होती है।,

जनपद कानपुर महानगर से महाराजपुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में लोहिया ग्राम में चयनित ग्रामों में विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य (स्थगित)

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एवं मेसर्स अभि बस प्रा0 लि0 की सांठ–गांठ से करोड़ों रुपये के गबन पर कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री जन्मेजय सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य

ख''उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने हेतु फरवरी, 2009 में मेसर्स अभि बस प्रा0 लि0 के माध्यम से हाई एण्ड ए0सी0 (वोल्वो) बसों की ऑन लाइन व काउन्टर बुकिंग करने हेतु निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार परिवहन निगम को एच0डी0एफ0सी0 बैंक में खाता खोलना था तथा ऑन लाइन बिके हुये टिकटों की धनराशि प्राप्त होनी थी मगर अनुबन्ध के अनुसार न तो परिवहन निगम ने बैंक में खाता खोला न ही मेसर्स अभि बस ने ऑन टिकटों की बिक्री से प्राप्त धनराशि परिवहन निगम को अदा किया। ऑन लाइन बुकिंग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का अनुश्रवण परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया फलस्वरूप जून, 2013 तक प्राप्त होने वाली धनराशि 6.40 करोड़ का उपयोग मेसर्स अभि बस परिवहन निगम के अधिकारियों के सहयोग से गबन की स्थिति उत्पन्न हुई है।

महालेखाकार के ड्राफ्ट पैरा में की गई आपत्ति पर परिवहन निगम की ओर से ड्राफ्ट पैरा के उत्तर के अनुसार मेसर्स अभि बस के पास वर्ष 2011–12 तक लम्बित धनराशि 4.57 करोड़ स्वीकार की है।

प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम को सम्बोधित तथा प्रमुख सचिव, परिवहन/अध्यक्ष परिवहन निगम सहित अन्य को पृष्ठांकित करते हुए यू0पी0 रोडवेज वर्क्स यूनियन के अध्यक्ष/महामंत्री के पत्र संख्या–05 दिनांक 22 जनवरी, 2014 के द्वारा मेसर्स अभि बस से 6.40 करोड़ रुपये प्राप्त करने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही करने, मेसर्स अभि बस प्रा0लि0 को ब्लैक लिस्ट घोषित करने तथा परिवहन निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की थी।

अस्तु उपरोक्त प्रकार के संरक्षित एवं प्रायोजित गबन पर कार्यवाही किया जाना जनहित में आवश्यक है।''

मा0 सदस्य जी द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में निहित बिन्दुओं के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि आनलाइन बुकिंग के लिये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एवं मेसर्स अभि बस सर्विस प्रा0लि0 के मध्य सम्पन्न अनुबन्ध के अन्तर्गत

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

निगम द्वारा एच0डी0एफ0सी0 बैंक में एक खाता खोला जाना था, किन्तु उक्त बैंक, राष्ट्रीयकृत न होने के कारण, निगम द्वारा इस बैंक में खाता खोलना उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः तात्कालिक आवश्यकता के अन्तर्गत तदर्थ व्यवस्था के रूप में मै0 अभि बस सर्विसेज द्वारा अपने गेटवे एकाउन्ट में ही आनलाइन बुकिंग की धनराशि जमा की गयी थी। बुकिंग से प्राप्त धनराशि का अनुश्रवण करने हेतु सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) लखनऊ क्षेत्र को निर्देशित किया गया था। सम्बन्धित फर्म द्वारा दिनांक 14–11–2014 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बैंक खाते में धनराशि रुपये 54,49,844/– जमा की गई है। बकाया धनराशि जमा करने तथा ब्लैक लिस्ट किये जाने के सम्बन्ध में उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार मै0 अभि बस सर्विसेज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

2–प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत पूरे मामले की शासन स्तर से जांच कराकर जांच के निष्कर्ष के अनुसार उत्तरदायी अधिकारियों तथा मेसर्स अभि बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।,

जनपद एटा के थाना अबागड़ में दर्ज अपराध संख्या–37/15 धारा–363 व 364 आई0पी0सी0 के तहत श्री लालराम की पुत्री दुर्गेश कुमारी की बरामदगी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य

ख्जनपद एटा के थाना अबागड़ में दर्ज अपराध संख्या–37/15 धारा–363 व 364 आई0पी0सी0 के तहत श्री लालाराम की पुत्री दुर्गेश कुमारी की बरामदगी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 20–3–15 पर विधान सभा सचिवालय, उ0 प्र0 (पटल कार्यालय) के पत्र सं0–913/वि0स0/प0का0/ 2014, दिनांक 23–03–15 द्वारा केवल वक्तव्य दिनांक 26–03–15 को निर्धारित हुआ है, के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आख्या प्राप्त की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 27–01–15 को वादी श्री लालाराम पुत्र श्री किशन निवासी मिर्जापुर, थाना अवागड़, जनपद एटा ने अपनी पुत्री कु0 दुर्गेश उम्र 17 वर्ष के गुम हो जाने के सम्बन्ध में गुमशुदगी दर्ज करायी गयी। जांचोपरान्त दिनांक 05–02–15 को मु0अ0सं0–37/15 धारा–363/364 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक, अवागड़ श्री दिनेश कुमार दुबे द्वारा ग्रहण कर प्रारम्भ की गयी। विचेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि आरोपित लाखन सिंह के चाचा अमर सिंह की हत्या पूर्व विधायक श्री कुवेर सिंह अंगरिया द्वारा जगत सिंह व दिनेश पाल के साथ मिलकर कर दी गयी थीं, जिसका मुकदमा चचेरे भाई ललित प्रसाद ने अ0स0 287/02 धारा–147/302/504 भादवि थाना अवागड़ पर पंजीकृत कराया था, जिसमें पूर्व विधायक श्री कुंवर सिंह अंगरिया द्वारा राजीनामा के लिये काफी

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

दबाव डाला था, किन्तु लाखन सिंह, राजीनामा के लिये तैयान न होने पर अपहरण का उक्त मुकदमा लाखन सिंह के चचेरे भाई शमशेर सिंह द्वारा दबाव बनाने को लेकर पंजीकृत कराया गया है। वादी श्री लालाराम द्वारा अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात मृतक अमर सिंह के भाई शमशेर सिंह के लड़के मुकेश, अतर सिंह एवं लाखन सिंह के विरुद्ध प्रार्थना–पत्र दिया था। अभियोग में अपहृता कु0 दुर्गेश की बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास जारी है। विवेचना प्रचलित है।,

जनपद कौशाम्बी में प्रस्तावित टेंवा–पश्चिम शरीरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

ख्जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पूर्ववर्ती सरकार ने जनहित में टेवां–पश्चिम शरीरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सड़क निधि के अनुदान संख्या–58 से स्वीकृति प्रदान किया था। प्रथम किश्त के तहत धनराशि भी स्वीकृत की गई थी, जिससे निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उक्त मार्ग का निर्माण कार्य रोक दिया है, जिससे जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सड़क नाम मात्र की रह गई हे। आवागमन पूर्णतया बाधित है जिससे क्षेत्रीय जनता में जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के उक्त विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

जनपद कौशाम्बी में टेवां पश्चिम शरीरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शासनादेश संख्या–1625 रा0स0नि0/23–1–2011, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा अनुदान संख्या–58 लेखा शीर्षक 5054–04–337–57–00–24 रा0स0नि0 योजनान्तर्गत लम्बाई 7.80 कि0मी0, लागत रु0 963.25 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2011–12 में रु0 31.95 लाख का आवंटन जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध 4.00 कि0मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण का कार्य कराया गया। शेष कार्य पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

लखनऊ में जल निकासी हेतु डाली गई सीवर लाइनों को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी) द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

जनपद आगरा की अवधपुरी कालोनी के फेस–1 व फेस–2 नगर निगम के बाहर होने के बावजूद नगर निगम द्वारा गृह कर की वसूली कराये जाने विषयक श्री योगेन्द्र उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्श्री योगेन्द्र उपाध्याय, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 24–03–2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि अवधपुरी कालोनी के फेस–1 और 2 की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण में नगर निगम द्वारा लापरवाही के सम्बन्ध में उनके द्वारा पूछे गये प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बताया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः वहां की सड़कों के निर्माण का दायित्व नगर निगम का नहीं है। उक्त उत्तर में दी गयी सूचना अगर सही ओर सत्य है तो नगर निगम, आगरा द्वारा उक्त कालोनियों के मकान मालिकों से गृहकर क्यों लिया जा रहा है ? इस प्रकार गृह कर लिया जाना अनैतिक और जनता के साथ छल है। यदि नगर निगम उक्त कालोनी के गृह स्वामियों से नियमानुसार गृहकर ले रहा है तो उसके द्वारा (नगर निगम, आगरा) सदन को गुमराह किया गया है। मा0 सदस्य द्वारा अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग की गयी है।

2–मा0 सदस्य द्वारा दी गयी प्रश्नगत सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि अवधपुरी कालोनी नगर निगम सीमा से सटी हुई कालोनी है। नगर निगम में सम्मिलित भूमि राजस्व ग्राम भोगीपुरा नगर निगम सीमा के अन्तिम छोर पर स्थित है। इस राजस्व ग्राम का सम्पूर्ण भाग नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आता है। अवधपुरी कालोनी (फेस–1 व 2) राजस्व ग्राम कलवारी एवं राजस्व ग्राम नगला अलबतिया में स्थित है, जो नगर निगम की सीमा में सम्मिलित नहीं है। जहां तक इस तथ्य का प्रश्न है कि यदि अवधपुरी फेज–1 व 2 नगर निगम में नहीं आती है तो उक्त कालोनी के गृह स्वामियों से गृहकर क्यों लिया जा रहा है इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि राजस्व ग्राम भोगीपुरा के आवासीय क्षेत्र के कुछ भागों के लोग स्वयं को अवधपुरी कालोनी में दर्शित करते हैं एवं पत्राचार आदि के लिये अवधपुरी नाम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के मकान मालिकों के द्वारा गृहकर की अदायगी भी नगर निगम को की जाती है। चूंकि यह भाग नगर निगम और ग्राम पंचायत की सीमा पर स्थित है। अतः नगर क्षेत्र से परे ग्राम पंचायत क्षेत्र अवधपुरी के कतिपय भवन स्वामियों द्वारा स्वःकर प्रणाली में त्रुटिपूर्ण गृहकर निर्धारित कर निगम निगम में जमा कराया गया है। क्षेत्रीय जनता को तथ्यों की जानकारी देने हेतु नगर निगम, आगरा द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।,

जनपद रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक रोहनिया ग्राम बाबा का पुरवा में निर्मित कच्चे मार्ग पर दबंगों द्वारा किये गये कब्जे को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों को स्थायी घोषित किये जाने तथा उनके मानदेय की धनराशि बैंक खाते में भिजवाये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

ख्केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अनिवार्य शिक्षा गारन्टी योजना/सर्वशिक्षा अभियान के तहत मिड–डे–मील योजना (मध्याह्न भोजन योजना) के अन्तर्गत उत्तर

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों का चयन कर प्रतिमाह 1000/– रुपये किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली पिछड़ी, अनुसूचित एवं सामान्य जाति के अत्यन्त गरीब, असहाय एवं विधवा महिलाओं का जीविकोपार्जन भी चल रहा है। विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के चयन प्रक्रिया को स्थाई घोषित किये जाने व मानदेय की राशि सीधे खाते में दिये जाये, रसोईयों को भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भांति राज्यकर्मी का दर्जा दिये जाने तथा रुपये पांच लाख का बीमा की धनराशि दुर्घटना पर न दिये जाने से कार्यरत प्रत्येक रसोइया काफी चिन्तित और आक्रोशित है।

मा0 सदस्य द्वारा इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष होने वाले रसोईयों के चयन पर रोक लगाने, दैनिक एवं संविदा कर्मियों की भांति मानदेय/मंहगाई भत्ता दिलाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी से वक्तव्य की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–435(1)/79–6–10 दिनांक 24–04–10 में रसोइयों के चयन उसके पाल्य की विद्यालय में अध्ययन की अनिवार्यता के दृष्टिगत रसोइयों के चयन की कार्यवाही एक शैक्षिक सत्र के लिये ही किये जाने का प्राविधान है, जिससे रसोइयों द्वारा पकाये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता बनी रहे।

भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार रु0 1000/– प्रतिमाह मानदेय दिये जाने का प्राविधान है जिसमें केन्द्रांश के रूप में रु0 750/– तथा राज्यांश के रूप में रु0 250/– अनुमन्य है।

रसोइयां मानदेय रु0 1000/– प्रतिमाह में वृद्धि किये जाने हेतु पत्र दिनांक 29–04–2013 के माध्यम से मा0 केन्द्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास परिषद्, भारत सरकार, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है।

विभिन्न रसोइयां संघों द्वारा रसोइयां मानदेय में वृद्धि हेतु की जा रही निरन्तर मांग के परिप्रेक्ष्य में रसोइयां मानदेय रु0 1000/– से बढ़ाकर रु0 2000/– प्रतिमाह किये जाने हेतु सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से पत्र दिनांक 23–03–2015 द्वारा भी अनुरोध किया गया है।,

जनपद उन्नाव के हसनगंज क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त कनिष्ठ लिपिक श्री दिनेश कुमार शर्मा को पिछली तैनाती के वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रजनी तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

ख्श्री दिनेश कुमार वर्मा, कनिष्ठ लिपिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, उन्नाव की प्रथम तैनाती जनपद–लखनऊ, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नगरीय) ऐशबाग, लखनऊ में हुई थी। श्री वर्मा का माह 05/2013 से 10/2013 एवं 05/2014 से 10/2014 के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इनके द्वारा विभागीय स्तर पर किये गये सारे प्रयास अब तक असफल रहें है। उक्त अवधि का वेतन न मिलने के कारण श्री वर्मा व इनका परिवार मानसिक रूप से पीड़ित है, किसी भी समय कोई अप्रिय

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

घटना घटित हो सकती है। मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर वक्तव्य की मांग की है।

2–इस सम्बन्ध में निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 25–03–2015 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई/उन्नाव के पत्र संलग्न कर आख्या उपलब्ध करायी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री दिनेश कुमार वर्मा, कनिष्ठ लिपिक, दिनांक 30–04–2013 से 10–11–2014 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडरपुर जनपद–हरदोई में तैनात रहे। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 के आदेश संख्या–4डी(1)/स्था0/2014/3974–6, दिनांक 31 जुलाई, 2014 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव के अधीन स्थानान्तरण किया गया। श्री दिनेश कुमार वर्मा, कनिष्ठ लिपिक की टोडरपुर तैनाती के दौरान महानिदेशक स्तर से समस्त लिपिकों के फर्जी नियुक्ति के सत्यापन/अभिलेखों के सत्यापन हेतु पी0–2 सेवा पुस्तिका, हाई स्कूल प्रमाण–पत्र, प्रथम नियुक्ति आदि प्रमाण–पत्र की मांग की गयी थी, जिसके क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के पत्र संख्या–मु0चि0अ0/लिपिक/2013/3247, दिनांक 02–09–2013 द्वारा अभिलेखों की मांग की गयी। इस सम्बन्ध में प्रभारी चिकित्साधिकारी, टोडरपुर ने अपने पत्र संख्या–पीएचसी/लिपिक 2014–15 दिनांक 20–06–2014, जो कि श्री दिनेश कुमार वर्मा द्वारा नियमित ड्यूटी न करने के कारण उक्त पत्र दिनांक 04–06–2014 को प्राप्त किया। श्री दिनेश कुमार वर्मा पत्र प्राप्त करने के उपरान्त अपनी ड्यूटी से गायब रहे। दोबारा स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने पर ही कार्यभार मुक्त होने के लिये उपस्थित हुये। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन करते हुये जनपद–उन्नाव हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया। अतः श्री दिनेश कुमार वर्मा, कनिष्ठ लिपिक द्वारा वांछित अभिलेख सत्यापन हेतु प्राप्त नहीं कराये जाने के कारण इनकी नियुक्ति को संदिग्ध मानते हुए इनके वेतन का आहरण मई, 2013 से जनपद से कार्यमुक्त किये जाने तक रोक दिया गया।

3–इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री दिनेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक ने इस जनपद में दिनांक 27–11–2014 को योगदान दिया है, इससे पूर्व वह जनपद–हरदोई में कार्यरत थे। इनके योगदान के उपरान्त इस जनपद में नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है। श्री दिनेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक की एल0पी0सी0, जो जनपद–हरदोई से प्राप्त हुयी है जिसमें लिखा है कि वेतन रूका मई, 2013 से अक्टूबर, 2013 एवं मई, 2014 से अक्टूबर, 2014, सेवा पुस्तिका एवं हाईस्कूल तथा प्रथम योगदान का आदेश न प्रस्तुत किये जाने के कारण वेतन रोका गया है। श्री दिनेश कुमार वर्मा ने पिछले वेतन भुगतान के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव के कार्यालय में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

4–मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचनाा को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई/उन्नाव की आख्या में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर श्री दिनेश कुमार वर्मा, कनिष्ठ लिपिक से वांछित अभिलेखों का सत्यापन कराने के उपरान्त वेतन भुगतान के बारे में निर्णय लिया जायेगा।,

प्रदेश में बी0टी0सी0 पत्राचार वर्ष 1996 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति/समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण

कुमार ओझा **द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य**

ख्वर्ष 1994 में जारी शासनादेश के आधार पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में बी0टी0सी0 पत्राचार का प्रशिक्षण कराया गया जिस पर वर्ष 2004 तक परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति भी की गयी किन्तु वर्ष 1996 के कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गयी तथा जनपद बांदा, चित्रकूट एवं सुल्तानपुर के प्रशिक्षण संस्थान में पंजीकृत अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भी नहीं कराया गया है। जबकि बी0टी0सी0 के पत्राचार के द्वारा ही शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण करा कर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई है तथा मोउल्लिम डिग्री/डिप्लोमा धारकों की भी नियुक्ति की गयी है। पत्राचार बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति न किये जाने से समस्त अभ्यर्थियों में भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है।

अतः मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में बी0टी0सी0 पत्राचार प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं जनपद बांदा, चित्रकूट एवं सुल्तानपुर के प्रशिक्षण संस्थान में पंजीकृत अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कराये जाने के साथ ही साथ वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई है।

शासनादेश दिनांक 6–9–1994 द्वारा उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय विद्यालय तथा सहायता प्राप्त बालक/बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यरत बी0टी0सी0 प्रशिक्षण दिलाये जाने का प्राविधान किया गया था। उसी क्रम में शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0 प्र0 को जिन अध्यापकों की अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में दिनांक 1–9–1994 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गयी हो अथवा जिनके सेवानिवृत्त में मात्र 02 वर्ष शेष रह गये हों, उनको प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करने एवं सेवारत बी0टी0सी0 पत्राचार कराये जाने के निर्देश दिये गये। शासनादेश दिनांक 13–6–96 द्वारा पत्राचार प्रणाली से बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी बी0टी0सी0 (संस्थागत प्रशिक्षण सामान्य) प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की भांति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह माना गया। इसके फलस्वरूप प्रदेश के कतिपय जनपदों में पत्राचार बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई।

तत्पश्चात् शासनादेश दिनांक 11–8–1997 द्वारा पूर्व में दी गयी बी0टी0सी0 उपाधि के समकक्ष उपाधियों की समकक्षताओं को समाप्त कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप पत्राचार बी0टी0सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति परिषदीय विद्यालयों में किये जाने का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है। तत्समय मात्र प्रशिक्षित बी0टी0सी0 तथा हिन्दुस्तानी अध्यापक प्रमाण–पत्र, जूनियर अध्यापक प्रमाण–पत्र एवं अध्यापक प्रमाण–पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों से शिक्षकों के पदों को भरे जाने की व्यवस्था की गयी।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा तत्क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली दिनांक 27–7–2011 प्रख्यापित हो चुकी है। जिसके अनुसार अन्य अर्हताओं के अतिरिक्त सहायक अध्यापक के चयन हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परिषदीय विद्यालयों में पत्राचार बी0टी0सी0 उपाधिधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है। जहां तक जनपद–बांदा, चित्रकूट एवं सुल्तानपुर के प्रशिक्षण संस्थान में पंजीकृत अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कराये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में आख्या मांगी गयी है। आख्या प्राप्त होने के उपरान्त यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।,

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर क्षेत्रान्तर्गत शनिगवां क्षेत्र के निवासियों को सीवर व पेयजल मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

ख्कानपुर महानगर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र सरसौल ब्लाक के बड़ा गांव, दीपापुर, पूरनपुर वर्ष 2013–14 में तथा नागापुर, सुनेहला, खरेपार, सलेमपुर वर्ष 2014–15 में लोहिया ग्राम में चयनित किये गये थे। परन्तु लोहिया ग्राम में चयनित होने के बाद भी न तो कोई विकास हुआ और न ही वहां पर रहने वालों को लोहिया ग्राम क्षेत्र अन्तर्गत आने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सका। उपरोक्त गांव अत्यन्त पिछड़े हुए हैं जनहित में इनका विकास होना अति आवश्यक है। मा0 सदस्य द्वारा जनपद कानपुर महानगर के महाराजगंज के क्षेत्रान्तर्गत चयनित ग्रामों में विकास कार्य पूर्ण कराये जाने का अनुरोध करते हुए वक्तव्य की मांग की गई है।

2–इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कानपुर महानगर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सरसौल के वर्ष 2012–13 में ग्राम सुन्हैला व थरेपाह, वर्ष 2013–14 में ग्राम सलेमपुर व नागापुर एवं वर्ष 2014–15 में ग्राम दीपापुर, पूरनपुर व बड़ागांव चयनित हुए हैं।

वर्ष 2012–13 में चयनित ग्राम योजनान्तर्गत सभी कार्यक्रमों से संतृप्त हो चुके हैं। वर्ष 2013–14 में चयनित ग्राम योजनान्तर्गत कार्यक्रमों से संतृप्त हो चुके हैं मात्र नागापुर में 04 विद्युत पोल राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लगाये जाने शेष हैं। किन्तु विद्युत आपूर्ति ग्राम में सुचारु रूप से हो रही है। वर्ष 2014–15 में चयनित ग्राम भी योजनान्तर्गत अधिकांश कार्यक्रमों से संतृप्त हो चुके हैं। असंतृप्त कार्यक्रमों को वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्त तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।,

जनपद हापुड़ में सरकारी भवनों के निर्माण एवं सरकारी वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजराज सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शन

श्री अध्यक्ष–

मा0 मुख्य मंत्री जी, अब आप धन्यवाद दीजिए और घोषणा कीजिए।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बी0जे0पी0, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता आर0एल0डी0 और सभी सदस्यगण, सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद दूंगा कि सदन को बहुत अच्छा चलाया है और फ्लोर पर और वेल में कितनी भी नाराजगी रही होगी, माननीय सदस्यों के चेहरों पर कितनी भी नाराजगी रही होगी, कितना भी जोर से कह रहे होंगे, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी के चेहरे पर वही मुस्कान और उसी अंदाज में और लगातार सदन बहुत अच्छा चलाया, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी का बहुत–बहुत धन्यवाद और बहुत–बहुत बधाई। मैं नेता प्रतिपक्ष का भी और नेता भारतीय जनता पार्टी का भी, नेता कांग्रेस का भी, नेता आदरणीय दलवीर सिंह जी का भी और उनके साथ–साथ अन्य मा0 सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि जब मुझे बजट भाषण देने आना था तो उससे पहले मा0 सदस्यों का जब मैंने पढ़ा है और अपने दल के लोगों का भी पढ़ा है तो कई लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दे रखे हैं। खुशी की बात इस बात को लेकर है कि मा0 सदस्य अपने क्षेत्र के बारे में सबसे ज्यादा चिन्ता करते हैं और उसी क्षेत्र को और बेहतर करने की भी कोशिश करते हैं। मैं मा0 सदस्य जिन लोगों ने सुझाव दिये हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। इससे लोकतन्त्र में जो विश्वास है और मजबूत हुआ है क्योंकि सदन चला है लगातार। यह परम्परा रही है कि सरकारें जो लोकतन्त्र में ज्यादा भरोसा करती हैं उन्होंने सदन को बहुत चलाने के लिये समय निकाला भी है और सदन चलाया भी है। यह इतना अच्छा सदन चला और बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी लिये गये। मैं समझता हूं कि जो फैसले लिये गये उससे हम सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाये। हम सब जो चुनकर के आते हैं, हमारा लक्ष्य यही है कि हर जाति, धर्म के लोग और प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाये। यहां जब देश के आंकड़े आते हैं कि यह प्रदेश बेहतर है तो हमारी भी इच्छा है कि उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश भी दिखाई दे कि आने वाले समय में सबसे बेहतर प्रदेश उत्तर प्रदेश हो और हमारा सबका मानना यही है। सरकार में रहकर कोशिश है कि सबको साथ लेकर के, सब जाति, धर्म को लेकर के निष्पक्ष होकर के कार्यवाही करें और उस पर लगातार सरकार काम कर रही है इसलिये सुझावों के लिये मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे सदस्य समय–समय पर अपनी बात रखते हैं, समय–समय पर अपने क्षेत्र की चिन्ता और विकास कैसे हो, उसकी हमेशा फिक्र करते रहते हैं। मैं मा0 सदस्यों को भरोसा दिला सकता हूं कि हमारे साथ नेता आदरणीय आजम खां साहब भी हैं और लोक निर्माण मंत्री जी भी हैं। हम दोनों का सहयोग लेकर के, पूरी सरकार की ओर से भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान करेंगे। एक बात जो हमेशा आती थी कि वेतन, भत्ते और पेंशन बढ़ाई जाये। हांलाकि कुछ सदस्य इसके पक्ष में नहीं हैं। अध्यक्ष जी, हां लगभग

सभी इसके पक्ष में हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सदस्यों का और भूतपूर्व सदस्यों का दोनों का सरकार फैसला ले रही है कि उनका बढ़ाया जायेगा। वेतन जो 08 हजार रुपये है वह 10 हजार रुपये कर देंगे। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता जो 22 हजार है वह 30 हजार, जो सचिवालीय भत्ता है वह 10 हजार से लेकर 15 हजार, चिकित्सीय भत्ता है 10 हजार से लेकर 20 हजार, दैनिक भत्ता 750 से लेकर 01 हजार, जनहित कार्य में 400 से लेकर 800, रेल यात्रा 02 लाख 50 हजार से लेकर 03 लाख 25 हजार होगी। इसी तरह से कूपन इसमें से 10 हजार प्रतिमाह से अनधिक निजी वाहन के लिये वह 10 हजार से लेकर के 18 हजार पेट्रोल और डीजल के लिये बढ़ाया जायेगा। भूतपूर्व सदस्यों की भी मान के उसका सरकार मान रही है कि 08 हजार से लेकर के 10 हजार बढ़ाया जायेगा। एक वर्ष में जो प्रत्येक वर्ष के मास में अतिरिक्त पेंशन बढ़ाई जाती है, वह 700 से लेकर 1000, रेल यात्रा कूपन 60 हजार से 80 हजार और जो पारिवारिक पेंशन है उसको भी बढ़ाने का काम कर रही है, सरकार करेगी।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

एक बात छूट रही है। आप पूर्व विधायकों को कूपन 80 हजार कर रहे हैं तो इसमें जैसे विधायकों को डीजल के लिये कुछ देते हैं तो उनके कूपन से उनको भी कुछ अतिरिक्त कर दीजिये कि वे अपने डीजल का उपयोग कर सकें।

श्री अखिलेश यादव–

ठीक है, समझ गये। मा0 नेता प्रतिपक्ष का सुझाव ठीक है उसको शामिल कर लेंगे। इसके साथ–साथ मैं मा0 सदस्यों को क्योंकि पिछली बार मैंने नल दिये थे। इस बार पाइप वाटर सप्लाई और जहां जरूरत होगी वहां हैण्डपम्प देने का काम सरकार करेगी और लोहिया ग्राम भी दिये जायेंगे। कई मा0 सदस्यों ने कहा कि लोहिया ग्राम नहीं दिये गये हैं। इस बार सरकार ने यह फैसला लिया है कि लोहिया गांव में कहीं भी अनदेखी नहीं होगी और उनको भी सभी सदस्यों को दिया जायेगा।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री प्रदीप माथुर सहित विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

बिजली के लिए विचार करेंगे कि बिजली कितने मजरे और गॉव में दे सकते हैं। जो शहर में माननीय सदस्य हैं, उनको कुछ और देना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि पाइप वाटर सप्लाई जरूरत पड़ेगी तो हैण्डपम्प और शहरों के लिए पानी की टंकी दी जायेगी। शहरी विधायकों को तो पानी की टंकी चाहिए होगी। अगर हैण्डपम्प लग जाये तो ठीक, नहीं तो सबसर्मिल दिया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हैण्डपम्प्स की संख्या और कितने ग्राम लेंगे लोहिया ग्राम में।

श्री अखिलेश यादव–

लोहिया गांव में भी कहीं आपके साथ अन्याय नहीं होगा, जैसे हम अपने सदस्यों को दे रहे हैं, उसी तरह देंगे आपको भी। इसके साथ–साथ, जो समय–समय पर जो हो सकता है सरकार के कार्यक्रमों में और सरकार के फैसलों में सहयोग देते रहे हैं।

माननीय सदस्यों को कहीं शिकायत नहीं करनी पड़ेगी, मद्द, सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा और विधान परिषद् के कर्मचारियों ने बजट सत्र में जो मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, हमेशा की तरह उनके मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे मानदेय 6000/– से बढ़ाकर 7500/– करेंगे और दूसरी जो मांग है, उस पर हम विचार कर लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता भाजपा श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय नेता कांग्रेस श्री प्रदीप माथुर जी और माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल ठाकुर दलवीर सिंह जी, सभी माननीय सदस्यगण। माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा के इस बजट सत्र संचालन में जिस तरीके से आपने पूरे सदन के संरक्षक के रूप में सदन को संचालित किया। इसके लिए मैं मान्यवर, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ–ही–साथ, मान्यवर, इस बजट सत्र में कुछ मौकों को छोड़कर सकारात्मक चर्चा हुई, समस्याओं से सम्बन्धित सूचनाओं पर, सभी मदवार बजट पर, विस्तार से चर्चा करने का मौका भी मिला और मान्यवर, जैसा कि मैं दलीय नेताओं की बैठक में पहले ही इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर चुका था कि आपके निर्देश में हम सत्र के संचालन में पूरा भरपूर सहयोग देंगे। हम अपने पूरे विपक्ष के साथियों से मिल करके उस वादे पर पूरा–का–पूरा खरा उतरने का प्रयास किये हैं और हमारी कोशिश रही है कि प्रदेश की जितनी भी ज्वलंत समस्यायें हैं, वह विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से सदन में आए, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में जाएं। सारे मामलों का निस्तारण हो और मान्यवर, उसका एक सकारात्मक परिणाम रहा। यही नहीं ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को सत्ता पक्ष या विपक्ष के चाहे महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद प्रस्ताव रहा हो, चाहे माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण रहे हों या मदवार विभागों के बजट रहे हों। बड़ी तादात में माननीय सदस्यों ने अपनी सहभागिता निभाई। सदस्यों की चर्चा में होड़ को देखते हुए माननीय अध्यक्ष जी कभी कभी आप, व्यवस्थित करने के लिए जब उच्च स्वर में सदस्यों को डांटते थे तो आपको पीड़ा जरूर होती थी लेकिन जोर से डांटने पर सदन के माननीय सदस्यों को इस बात का आभास होता था कि कोई संरक्षक अपने परिवार के सदस्यों को व्यवस्थित करने के लिए कितना लालायित है और उस शोरगुल को भी आपने समय–समय पर संभाला। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी विपक्ष के साथियों ने सदन के संचालन में पूरा का पूरा सहयोग दिया और कई ऐसे मौके आये जब सरकार चाहती थी कि चर्चा न हो, उसके बावजूद हमने कोशिश करके चर्चा की स्थितियां पैदा की और चर्चा हुई, इसके लिए मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लोकदल, पीस पार्टी, अपना दल सभी के माननीय सदस्यों को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से विपक्ष में सबसे बड़ा दल होने के नाते बहुजन समाज पार्टी ने संयमित और अनुशासित तरीके से सदन के संचालन में सहयोग दिया मैं अपने सहयोगियों को भी बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर संसदीय कार्य मंत्री जी को हम धन्यवाद नहीं देंगें तो उनके साथ अन्याय होगा क्योंकि पूरे सदन के

संचालन में संसदीय कार्य मंत्री जी ने सरकार का नेतृत्व करते हुए जहां सरकार का भरपूर बचाव किया वहीं विपक्ष की ऐसी समस्यायें जहां उनको गम्भीरता से संज्ञान लेना था, संज्ञान भी लिया और निस्तारण का आश्वासन भी दिया। यही नहीं माननीय वरिष्ठ लोक निर्माण मंत्री जी ज्यादा से ज्यादा सदन में उपस्थित होते हुए इस सदन की गरिमा को बढ़ाते रहे उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। संसदीय कार्य मंत्री जी तमाम ऐसे मौके आये जब तमाम माननीय मंत्रियों की अनुपस्थिति होती थी, उनको अन्तः पीड़ा जरूर हुई लेकिन सरकार के संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते उन्होंने जिस बखूबी से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, माननीय मंत्रियों का अभाव नहीं खला, मैं उनको इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मान्यवर, सचिवालय के प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव के साथ विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, अनुभाग अधिकारी और यह रिपोर्टर भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि कभी कभी जब सदन अव्यवस्थित होता था। माननीय सदस्यगण बेल में आते थे, हाथापाई की नौबत तक आ जाती थी, बचाव के लिए मार्शल को आगे आना पड़ता था तो उस अव्यवस्थित सदन में भी रिपोर्टर्स जिस तरह से बखूबी बिना अपनी कलम रोके बातों को लिपिबद्ध करते रहे, मान्यवर, वह बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही साथ अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कम्पयूटर सहायक, सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी तथा शासन का संसदीय विधाई विभाग के कर्मचारी और अधिकारीगण भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होनें इस सदन के संचालन में अपने–अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी ऐसे मौके पर मैं पत्रकार बंधुओं को भी बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा वह चाहे प्रिन्ट मीडिया के पत्रकार बंधु हो या इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकार बंधु हों उन्होनें सुबह से शाम तक सदन की सारी कार्यवाही को अपने संसाधनों के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सदन की पूरी कार्यवाही को पूरे प्रदेश की जनता के समक्ष परोसने का काम किया, इसलिए मैं उनको भी बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी यहां पर विधान सभा के कर्मचारियों को बजट सत्र में कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा से कार्य करने के फलस्वरूप पुरस्कार स्वरूप पिछले समय से ज्यादा धन बढ़ाकर जो मानदेय देने की घोषणा किया है वह स्वागत योग्य है। इसी के साथ विधान मण्डल में कार्यरत अनुसेवकों को सीयूजी सिम उपलब्ध कराये जाने एवं वर्दी धुलाई भत्ता की धनराशि 40 रूपये से बढ़ाकर 200 रूपये प्रतिमाह किये जाने के सम्बन्ध में भी मैं ध्यान आकृष्ट करता हूं यही नहीं विधान मण्डल के रक्षकों की भांति विधान मण्डल के कार चालकों जो मान्यवर, आपकी भी कार चलाते हैं विधान मण्डल दल के नेताओं या तमाम समितियां हैं, समितियों के अध्यक्ष होते हैं उनकी गाड़ी चलाते हैं मान्यवर, वह आपके स्टाफ हैं उनको भी विधान मण्डल रक्षक की भांति 15 प्रतिशत का मानदेय उन वाहन चालकों को भी दिया जाय यह मैं अनुरोध करता हूं। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां घोषणा किया था कि विधान सभा के सुरक्षाकर्मियों को सचिवालय

के तृतीय श्रेणी कर्मियों के न्यूनतम वेतन देयक पे रु0 2000 के स्थान पर 2400 रूपया दिया जायेगा मैं चाहूंगा कि उसका भी कार्यान्वयन हो। और इसके साथ ही साथ मान्यवर, सेन्ट्रल हाल, वीआईपी कैफेटेरिया में कार्यरत कर्मचारियों को भी विधान सभा, विधान परिषद् कर्मचारियों की भांति मानदेय अगर उपलब्ध करायेंगे तो हम समझते हैं कि यह एक स्वागतयोग्य कदम होगा। इसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों को उनसे कनिष्ठ सहायक समीक्षा अधिकारियों से कम वेतन पा रहे को उनके बराबर वेतन करते हुए समय मान वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि कनिष्ठ के समान निर्धारित की जा चुकी है लेकिन उसका लाभ अभी तक उनको नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि यह लाभ उनको दिलाया जाय। मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं आज के इस मौके पर पुनः विशेष रूप से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके सचिवालय के अधिकारियों सहित सभी विधान सभा के रक्षकों को और मार्शल को भी मैं बहुत बहुत सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से इस सदन की जो गरिमा है कि इस सदन में प्रदेश से सम्बन्धित समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, सारी की सारी बाते यहां पर विधिवत् आये मान्यवर, वह हुई है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं इसके साथ ही साथ मुख्य मंत्री जी यहां से उठाकरके चले गये इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज बिना किसी मांग के जो यहां पर विधायकों को तमाम सुविधाएं दी हैं मैं उसका स्वागत तो करता हूं लेकिन अगर विधायकों की सुविधाओं को बढ़ायेंगे ओर विधान सभा क्षेत्र विकास निधि को नहीं बढ़ायेंगे तो मान्यवर, इन विधायकों को अपने क्षेत्र में इनके क्षेत्र की जनता दौड़ा दौड़ा करके खदेड़ने का काम करेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने भी माननीय सदस्य हैं चाहे विधान सभा के हों चाहे विधान परिषद् के हों उनका जो विधान मण्डल क्षेत्र निधि है मान्यवर, उसको बढ़ाने की अनुकम्पा करें क्योंकि वह किसी विधायक की नहीं और किसी व्यक्ति विशेष का लाभ नहीं बल्कि वह विधान सभा क्षेत्र का लाभ है जिसके माध्यम से क्षेत्र की जनता लाभान्वित होती है और सीधे क्षेत्र विकास से जुड़ता है इसलिए मैं मांग करूंगा। इसलिये मान्यवर मैं मांग करूंगा कि विधान मण्डल विकास क्षेत्र निधि को भी बढ़ाये जिससे कि विधायकों पर कोई अंगुली न उठा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी उपस्थिति से जो सदन की गरिमा समय–समय पर बढ़ाते रहे और विपक्ष के सुझावों को गंभीरता से लेते रहे, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, और अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता लोकदल, माननीय नेता पीस पार्टी, माननीय नेता अपना दल, सभी निर्दलीय विधायकगण, समाजवादी पार्टी सहित इस सदन के सभी माननीय सम्मानित सदस्यगण। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और आपके प्रति असीम कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं कि आपने 18 फरवरी, 2015

से प्रारंभ होकर इस सदन को आज तक चलाया और चाहे सुबह 11.00 बजे हों या चाहे रात्रि के 09.00 बजे हो, आपने जिस तन्मयता के साथ और जो रुचि लेकर इस सदन को चलाया निश्चित रूप से मैं आपके इस कृत्य की सराहना करता हूं। मान्यवर, जिस सहृदयता से आपने पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में भेद न समझकर सम्पूर्ण सदन के सदस्यों को एक संरक्षक के रूप में आपने जो अपना आर्शीवाद दिया मैं उसके लिए भी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हम उस परम्परा में पले और बढ़े हैं कि जिसमें एक गांव में अगर एक कन्या विदा होती थी, तो पूरा गांव रोता था। एक व्यक्ति का देहान्त होता था तो पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता था। चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो। हम यह चाहते हैं कि सम्पूर्ण सदन, हम इस सदन में किसी दल के रूप में हो सकते हैं, लेकिन बाहर एक इंसान हैं, एक व्यक्ति हैं और इंसानी फर्ज और इंसानी जज्बात को पूरी तरीके से मानते हुये उसकी कद्र करते हैं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी कभी–कभी टिप्पणी करते हैं और खासकर इस बात को लेकर तो मैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि ''उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे।'' और यह शब्दों से नहीं है, यह खाली शब्दों से नहीं है, बल्कि यह क्रिया–कलापों से भी है और व्यवहार से भी है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात को कई बार मान चुका हूं और आज फिर कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सियासतदान हैं। मैंने आपकी व्यक्तिगत सोच, आपके काम करने के जिस तरीकों से कभी इंकार नहीं किया है और आपके क्षेत्र में आपकी छवि बहुत अच्छी है। आप कातिल होने के बावजूद मुसलमानों के वोट ले लेते हो, क्योंकि वह कातिल आपका दल है, आप नहीं हैं। तो आप अपने आपको उससे मत जोड़िये, आपको मैं बिल्कुल अलग निगाह से देखता हूं और सच यह है कि नेता सदन और यह पूरा सदन आपको भाजपाई मानता ही नहीं है और इस इंतजार में है कि वह दिन कब आयेगा जब आप हमारी तरफ यहां आगे की पंक्ति में बैठे हुये नजर आओगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जिसका फल अच्छा हो, वह पेड़ कैसे खराब हो सकता है? यह संसदीय कार्य मंत्री जी को सोच लेना चाहिये कि जब फल अच्छा है तो पूरा पेड़, पेड़ की शाखायें, पेड़ के तने और पेड़ की जड़ें कभी खराब नहीं हो सकती हैं।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा श्री सुरेश कुमार खन्ना को एक कागज दिये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहाड़िया जी, आप इधर से ऊधर कागज पहुंचा रहे हैं। अभी आप मौर्या जी के पास कागज दे गये थे, अब आप फिर वहां कागज दे गये हैं, यह क्या तरीका है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, पहाड़िया जी 'मुसलसल बी जमालो' का काम कर रहे हैं। जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो अपने काम का एक कागज दे गये, नेता प्रतिपक्ष समझदार थे कि उन्होंने वह नहीं कहा। अब देखना यह है कि कहीं आप 'बी जमालो' के चक्कर में तो नहीं आ रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता सदन को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस सदन में काफी समय देकर और सम्पूर्ण सरकार का नेतृत्व करके सदन को ज्यादा से ज्यादा चलने का मार्ग प्रशस्त किया। सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से इस सदन के कार्यो के संचालन में सहयोग करके सबका मान बढ़ाया। माननीय नेता विरोधी दल का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपनी बुलन्द आवाज से न केवल इस सदन को बल्कि इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में एक संदेश देने का काम किया है। मैं माननीय माथुर साहब का भी धन्यवाद देता हूं और साथ ही माननीय दलवीर सिंह जी और जितने भी माननीय सदस्य हैं, खासतौर से पीस पार्टी और माननीय निर्दलीय सदस्य उन सबका भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी उपस्थिति से, अपने विचारों से इस सदन की गरिमा को भी बढ़ाया और इस सदन के मान को बढ़ाया। प्रमुख सचिव सहित यहां पर जितने स्टाफ मेम्बर्स हैं, उन सबका भी धन्यवाद देता हूं। मार्शल सहित जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं, उन सभी को धन्यवाद देता हूं और पत्रकार दीर्घा में बैठे हुये समस्त पत्रकार भाइयों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सदन के संचालन में किसी न किसी रूप में सहयोग देकर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया और एक तरीके से यहां की सम्पूर्ण कार्यवाही को जनहित में लाने के काम को भी आगे बढ़ाया। मान्यवर, पूरे मन से माननीय मुख्य मंत्री जी को तभी धन्यवाद दे सकते हैं, नेता विरोधी दल ने एक बात कही थी मैं उसी के संबंध में कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आपकी उदारता और सदाशयता मैनें सुनी है, मुझे व्यक्तिगत रूप से कभी आपसे मिलने का सौभाग्य मिला नहीं, एक बार मैनें कोशिश की थी, अपने सारे विधायकों के साथ, तो मैं निराश होकर लौटा था । मैं 11 साल के बाद एनेक्सी गया और सुना है कि आप बड़े उदार हैं और सुना यह भी है कि कोई आपके पास व्यक्तिगत रूप से जाता है तो उसका काम भी कर देते हैं, हमारे कई लोगों ने कहा भी मुझसे । लेकिन मुझे यह सौभाग्य कभी नहीं मिला। बहरहाल आप मुझसे यह भी शिकायत कह सकते हैं कि आपने कभी मुझसे कोई काम कहा भी नहीं। यह सही है कि व्यक्तिगत रूप से मैनें कभी कुछ कहा भी नहीं । मैं कहता भी नहीं हूं खुमार बाराबंकवी का एक शेर है– कि ए जज्बये खुद्दारी झुकने न दिया तूने, लिखने के लिये वरना सोने की कलम होते। लेकिन आज विशेष रूप से क्षेत्र की यह मांग है कि जब हम क्षेत्र में जायेंगे तो लोग कहेंगे कि विधायक जी तुम तो अपने लिये यह पूरा पिटारा ले आये और हमारे लिये क्या लेकर आये हो। तो हमने आपसे नल की इल्तजा की, यह चाहा कि विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि बढ़ा दी जाय, क्योंकि वह पूरे क्षेत्र के विकास पर खर्च होती है, कहीं नाली हैं, कहीं

पुलिया है, कहीं सड़क हैं, कहीं सी0सी0 मार्ग है, कहीं इलेक्ट्रीफिकेशन है तो ऐसे बहुत से कार्य हैं कि जो उस विधायक निधि के माध्यम से हो जाते हैं और इतनी महंगाई बढ़ गयी कि जो सवा करोड़ रूपया मिलता है, 25 लाख रुपया तो बीमारी में ही दे देते हैं। तो जो सवा करोड़ रूपया मिलता है उसमें पूरे क्षेत्र की मांगे पूरी नहीं हो पाती । तो मैं पूरे मन से धन्यवाद तो आपको तभी दूंगा जबकि इस पर आप विचार कर लें । हम आपकी सदाशयता के बारे में हरदम तारीफ सुनते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा कभी व्यवहार नही हुआ लेकिन आज यह हम जरूर चाहेंगे कि इस पर आप जरूर विचार करें और अगल बगल आप चाहें तो बात भी कर लें, क्योंकि आपने कहा कि हम अच्छे आदमी हैं। तो अच्छा आदमी कोई खराब बात क्यों कहेगा। बहरहाल मैं एक बार फिर से माननीय अध्यक्ष जी, आपके प्रति विनम्रतापूर्वक, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुये अपनी बात को पूरी करता हूं और मा0 मुख्य मंत्री जी सहित पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात को गम्भीरता से सुना और जो हमारे प्रति सम्मान रखा है मैं सबके प्रति एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, एक जो समीक्षा अधिकारियों की बात मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कही है मैं उस बात पर बल देता हूं, वेतन विसंगति को दूर करने की बात मा0 मुख्य मंत्री जी ने पहले कही थी सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों की, जो कि 35 से 40 कर्मचारी हैं मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा, चूंकि वेतन विसंगति है इसलिए इस पर विचार कर लें। समीक्षा अधिकारियों, सहायक समीक्षा अधिकारियों को उनसे कनिष्ठ सहायक समीक्षा अधिकारियों से कम वेतन मिलता है तो इसके बारे में विचार कर लें। इसी के साथ मैं एक पुनः सभी के प्रति आदर सहित सम्मान ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद्।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस विधान सभा में समदृष्टि से सभी विधायकों को बोलने का मौका दिया, सौहार्द्रपूर्ण तरीके से विधान सभा को चलाया और इसमें आपको महारथ भी हासिल है। जितने वक्ता आपके बोले हैं उसकी एक अच्छी–खासी संख्या है और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं मा0 नेता सदन जो कि नौजवान हैं, एक अच्छी सोच रखते हैं, विकास के प्रति उन्मुख हैं, प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं और संसदीय कार्यमंत्री जी का तो कहना ही क्या है इनसे तो कोई जिरह कर ही नहीं सकता है, हाथ के हाथ जवाब, हाथ के हाथ हिसाब ये कर देते हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। इसके अतिरिक्त कद्दावर मंत्री मा0 शिवपाल जी बिल्कुल मर्दों की तरह काम करते हैं मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। ये जो कहते हैं वह करते हैं।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मर्दों की तरह काम करते हैं तो बाकी क्या करते हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

तुम बताओ, तुम डॉक्टर हो तुम्ही बताओ। नेता प्रतिपक्ष जो कि देखने में जवान लगते हैं और आवाज भी उनकी बुलन्द है। इनकी आवाज भी बुलन्द है, जवान भी दिखते हैं परन्तु इनकी हवा कहां निकलती होगी यह सारा सदन जानता है, मैं उनका भी आभार

व्यक्त करता हूं। मा0 नेता, भाजपा ने मा0 अध्यक्ष जी जनसंख्या के ऊपर सवाल उठाया और बहुत कोशिश करते रहे, इनकी तमाम साध्वियां, इनके तमाम सन्त चालीस–चालीस बच्चों को पैदा करने की बात करते रहे इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, परन्तु ये बहुत बुलन्द हैं इसलिए सार्वजनिक रूप से हम 403 विधायक (इनको छोड़ करके) मिल करके यह प्रस्ताव करते हैं कि अगली बार इनका विवाह हो जाना चाहिए। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से यह भी मांग करता हूं कि मा0 खन्ना जी का विवाह कराने का आप प्रयास करें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

खन्ना जी, हां कर दें, दुल्हन तलाश करना मेरा काम है। सारा खर्चा मैं अपनी सैलरी से उठाऊंगा।

श्री प्रदीप माथुर–

सारे विधायक कन्ट्रीब्यूट करेंगे 5–5 हजार रुपए लेकिन ये हां तो कर दें बहुत बढ़िया शादी होगी और मान्यवर, ये मेरे साले भी लगते हैं, शाहजहांपुर मेरा ससुराल है और ये वहीं के हैं। इसके अतिरिक्त मा0 अध्यक्ष जी जो लोकदल के नेता हैं मा0 दलवीर सिंह जी, मैं आज इनको ताऊ की उपाधि दे रहा हूं। मैं मा0 नेता सदन से भी कहूंगा और मा0 नेता प्रतिपक्ष से भी कहूंगा कि चचा दलवीर को ताऊ की उपाधि से सम्मानित किया जाए। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो जाना चाहिए क्योंकि ताऊ हमेशा जनहित की बात करते हैं, 403 विधायकों के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं पक्ष और विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, बहत अच्छा सौहार्द्रपूर्ण वातावरण रहा। मैं पत्रकार गैलरी में बैठे समस्त पत्रकारजनों को भी बधाई देता हूं। प्रमुख सचिव जी, सभी का ध्यान रखते हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं। समीक्षा अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विधान सभा को चलाया और खास तौर से और खासतौर से माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रेस की ओर ध्यान है। आज जो बिल आप लाये उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने भगवान कृष्ण के बारे में सोचा उनकी धरती के बारे में सोचा, ब्रज के बारे में सोचा, मैं हृदय की गहराईयों से आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, पूरा धन्यवाद जब दूंगा जब यह हो जायेगा। यह सब बड़े ख़ुश तो हैं लेकिन क्षेत्र में जाते ही जूते पड़ेंगे। अधूरे खुश हैं। (श्री ओम प्रकाश के कुछ कहने पर) मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी ऐसी बातें मत करिये, आप चुप रहिये। मैं यह कह रहा हूं कि आज सबका दिल खुश कर दीजिए और अपने पिताजी के पथ पर चलिये। आपसे बहुत उम्मीद है यह तो (श्री दलवीर सिंह जी) कहते हैं कि अगले 50 साल तक आपकी धमक रहे, हम भी इनसे सहमति बनाते हैं और राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जायें आप परन्तु पिटारा आपने बहुत कम खोला है। थोड़ा मुझे कभी–कभी लगता है कि माननीय अध्यक्ष जी, कंजूसी की बात कर जाते हैं कि नहीं–नहीं और बगल में आपके संसदीय कार्यमंत्री जी रामपुर की चाकू–छूरी पेश करते रहते हैं, वहीं जहां आप कुछ चाहते हैं वहीं हलाल कर देते हैं। तो कम से कम हम सबकी भावनाओं को देखते हुए क्षेत्रीय विकास निधि की अभी आप घोषणा कर देंगें, बाद में होता रहेगा। मान्यवर, आपने हैण्डपम्पों के मामले में गोलमोल जवाब दिया। हैण्डपम्पों की आपने कोई संख्या

नहीं बतायी। अब आपने कहा या तो हम लोगों को काफी आपके यहां के चक्कर काटने पड़ेगे फिर बोलेंगे कि 50 दे दो। अब यह खन्ना जी तो आपके यहां आयेंगे नहीं, 11 साल से तो आये नहीं हैं, अब इन बेचारों को एक हैण्डपम्प नहीं मिलेगा। इसलिए या तो आप 100–100 हैण्ड पम्प की घोषणा कर दें और जो शहर और गॉव के मिक्स हैं उनको 150 हैण्डपम्प दे दें जैसे हमारी कान्स्टीट्युन्सी शहर की और देहात की है तो इस तरह का कुछ दे दीजिए, गोलमाल मत रखिये। हैण्डपम्पों की घोषणा कर दीजिए। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिला स्तर पर सभी विधायकों से 10–10 कि0मी0 सड़कें मांगी थी। आप देखिये पी0डब्लू0डी0 के एक्सियन्स के फोन सबके यहां गये थे उनके ए0ईज0, जे0ईज0 आये थे, 10–10 कि0मी0 सड़कों का प्रस्ताव मांगा था, हम सब लोग बहुत खुश हुए कि मुख्य मंत्री जी ने 403 विधान सभा क्षेत्रों के बारे में सोचा है परन्तु यह अभी झुनझुना दिख रहा है, यह झुनझुना बजा दीजिए मुख्य मंत्री जी 10 कि0मी0 सड़क वह आपके ही एकाउण्ट में जायेगा। देखिये जो भी काम होता है वह समाजवादी पार्टी की सरकार के नाम पर होता है। सबको पता है कि किसका पैसा है, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार ने दिया है, हम चाहे नारियल फोड़ आयें या कुछ करें, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि उसमें यदि सभी विधायकों का नाम भी लिख दिया जाए तो क्या जा रहा है? माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव उ0प्र0 द्वारा स्वीकृत उसमें नीचे छोटा सा नाम क्षेत्रीय विधायक प्रदीप माथुर का हो जाए तो क्या जाता है ? आप छोटा सा लिखवा दीजिए, हम लोग तो छोटे नाम में ही खुश हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी आप मथुरा गये, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि भरतपुर रोड़ पर एक गर्ल्स इण्टरकॉलेज की घोषणा कर दीजिए, वहां पर लड़कियों के लिए कोई भी स्कूल नहीं है बीसियों कि0मी0 तक। फाइनल राउण्ड में मैं कन्क्लूड कर रहा हूं और 403 माननीय विधायकों की तरफ से मैं कह रहा हूं कि अब आपके मुखारबिंद से कुछ और निकल जाये और हम सब लोगों का भला हो जाए तो बॉके बिहारी जी आप पर कृपा करेंगे। धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। (अगल–बगल के मा0 सदस्यों ने कहा कि आपको ताऊ की उपाधि दी गयी है।) मैं ताऊ जी नहीं, बाबाजी हो गया हूं अब। यहां पर पल्ली तरफ हमारे नाती बैठे हैं। (सदन से यह आवाज आयी कि आप सम्पूर्ण सदन के ताऊ हैं।) बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया, मैं आभारी हूं आपका। माननीय अध्यक्ष जी, आपने पूरा सत्र जिस अंदाज से, खूबसूरत ढंग से चलाया उसके लिए आपको कितना धन्यवाद दें, और कितनी तारीफ करें, जितनी भी तारीफ करें वह बहुत कम है। जब आप हमको डॉटते हैं तो किसी को लगता हो या न लगता हो, तब पहाड़िया से आप सम्बोधित करते हुए कहते हो, मुझे जब कहते हो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मुझे आप आशीर्वाद दे रहे हो। मैं अपनी तरफ से और पूरे सदन की तरफ से ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और आपकी यही स्टेमना आगे और लम्बे समय तक रहे। चाहे हम सुबह आपको 11.00 बजे देखते हैं, चाहे शाम को 9.00 बजे देखेत हैं उसी स्टाइल में उसी

क्षमता के साथ आप पूरे सदन की कार्यवाही को सम्पादित करते हैं, इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद। यह पूरा सदन पक्ष और विपक्ष मिलकर एक सदन है। हमारे सबके नेता, नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी हैं। हमें बड़ा गर्व है कि मैंने इनके पूरे 3 वर्ष के कार्य काल में अपने मुख्य मंत्री के मुंह से एक ही कठोर शब्द सुना है केवल। आप कहें तो बताऊँ, नहीं तो रहने दूं।

श्री अध्यक्ष–

काहे को बताइयेगा, न बताओ, रहने दीजिये।

श्री दलवीर सिंह–

बता दूं। केवल एक शब्द निकला है पूरे सत्र में अगर कठोर तो वह बी0जे0पी0 वालों को सम्बोधित करके कहा है कि यह बहुत चालू लोग हैं (हंसी) इससे ज्यादा तीन वर्ष में हमने कोई शब्द नहीं सुना। यह भी संसदीय है, संसदीय भाषा, असंसदीय नहीं। तो मैं उनके स्वभाव की तारीफ करूंगा। अगर पूरे हिन्दुस्तान के संसदीय मंत्रियों का कम्प्टीशन करा दिया जाय तो हमको फख्र होगा कि हमारे संसदीय मंत्री पूरे हिन्दुस्तान के संसदीय मंत्रियों में नम्बर वन रहेंगें। (मेजों की थपथपाहट) माननीय शिवपाल सिंह जी का कार्य–कलाप मैंने देखा है और दो–तीन सत्रों में देखा है। इन्होंने शायद ही किसी से मना किया होगा। जो भी गया होगा, सबको कृपा भाव, इस्माइलिंग फेस से यह कहा होगा कि ठीक है। हमारे जितने भी मंत्री बैठे हैं, सबने प्रयास किया है कि सभी की समस्याओं को हल करें और हम सब माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया है, पढ़ा है। और सभी मंत्रियों ने अपने अपने ढंग से इन समस्याओं का निदान करने का प्रयास भी किया है। मैं सभी मंत्रियों को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं और एक शब्द जरूर कहूंगा कि यह जो इतने दिन सत्र चला है सभी विधायक इस आशा से और बड़ी मेहनत करके एक एक पत्र लिखते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आते हैं, कम से कम इस सत्र में जितने पत्र संबंधित मंत्रियों को गये हों, जिन विभागों में गये हों उनका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो। मैं इन पत्रों के लिये कह रहा हूं जो अभी दिये गये हैं, बाद मे तो करेंगे ही। इसी तरह से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधायकों को समय देने में कभी कोताही नहीं की। विधायक चाहे वहां जायें, चाहे यहां जायें, चाहे रास्ते में जायं, वहां भी लाइन लगाकर जाते हैं हमारे दायें से, बांये से जाते हैं, आप डांटते भी रहते हैं लेकिन मुख्य मंत्री जी क्या करें, उनको भी 403 विधायकों को देखना है और हमको भी मौका कभी कभी मिलता है तो हम उनके व्यवहार के लिये तारीफ करते हैं। आप तो कभी –कभी नाराज हो जाते हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी का जैसा व्यवहार है वह तारीफ का है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि चप्पल उतार के जाना पड़ता था कहीं। आपके दरबार में कम से कम बात तो सुन लेते हैं, काम हो या न हो। (मेजों की थपथपाहट) बहुत अच्छा सदन चला। बहुत शुभ लक्षण हैं कि मुख्य मंत्री जी चले गये और जैसे ही वापस आये पूरे सदन को आशा बंधी, एक विश्वास बन्धा कि जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। मैं एक शब्द जरूर कहूंगा, आज जिस भावना से खन्ना जी ने बात रखी। पहली बार रखी है और मुझे आज पहली बार पता चला कि वह व्यक्तिगत काम के लिये कभी कहीं नहीं गये। मैं जरूर चाहूंगा, यह पूरा सदन

चाहेगा कि खन्ना जी की भावनाओं का आदर करते हुए चाहे विधायक निधि में आप कुछ भी बढ़ा लें चाहे 10 लाख बढ़ा लें लेकिन जरूर बढ़ा लें। खन्ना जी का सपना पूरा होना बहुत जरूरी है। (मेजों की थपथपाहट) और इनके शब्द बिल्कुल आर्शीवाद जैसे शब्द हैं। माथुर जी, और हमारी तो छोड़ो लेकिन खन्ना जी कभी कभी कहते हैं। मैं आज पहली दफे सुन रहा हूं कि कोई ऐसा भी अच्छा व्यक्ति हमारे यहां है जो व्यक्तिगत काम के लिये कहीं नहीं जाते हैं, इसके लिये इन्हें धन्यवाद भी दूंगा। इसी आशा के साथ मैं विश्वास भी करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इनकी बात जरूर मानेंगे और जरूर विधायक निधि बढ़ायेंगें। नेता प्रतिपक्ष जी ने तो हमारी सबकी बात कह दी लेकिन यह खन्ना जी कभी कभी कहते हैं इसलिये कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि आपने यह कहा था कि हम टंकी वाला सिस्टम लागू करेंगे। यह गांवों में अभी व्यवहारिक नहीं है। टंकी आप लगा रहे हैं, यह बहुत अच्छा काम है लेकिन गांवों में टंकी मेन्टेन नहीं हो सकती। शहरों में तो यह मेन्टेन नहीं हो पो रही है। गांवों में तो लोग उसमें ईंट पत्थर फेंक आयेंगें गोबर कूड़ा डाल आयेंगे, बेकार कर देंगे टंकी। आप अभी गांवों में जो हमको 100–200 नल देते थे, उसको रखिये और टंकी वाली आपकी जो योजना चल रही है, उसको चलाते रहिये। अभी किसानों के सम्बन्ध में एक बात आई। हमारे विधायकों को सबको पीड़ा है। यह बात सही है कि कई जिलों में 50 प्रतिशत से ऊपर क्षति हो गई है। कई जिलों में इससे थोड़ी कम हुई होगी। लेकिन क्षति ज्यादा हुई है या कम भी हुई है आप किसानों को सहायता जरूर दें। अब जैसे हमारा गाजियाबाद शामिल नहीं हुआ, जैसे अलीगढ़ पता नहीं शामिल हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं इनमें गेहूं सब बर्बाद हो गया। अब चाहे कम दें या बढ़ती दें आप सभी जिलों में किसानों को आर्थिक सहायता जरूर दें। किसान आपको आर्शीवाद देंगें। मैं इस आशा से कहना चाहूंगा कि अभी हमारे जो नये विधायक थे इनको बहुत उम्मीद है इनको आवास और फ्लैट दे दें। हम जितने पुराने लोग बैठे हैं उनको न दें क्योंकि सबको किसी न किसी मुख्य मंत्री काल में मिल गए थे।आप इनको जरूर दें क्योंकि इनकी अभी दो–दो चार–चार साल हुए हैं इनकी शादियां हुई हैं अभी यह नये–नये लड़के हैं तो इनको जरूर आवास और फ्लैट दे दें। खन्ना जी की बात पर पुनः जोर देते हुए कहना चाहूंगा कि इनकी बात जरूर रख लें चाहे दस लाख ही बढ़ा दें।पूरा सदन चाहता है इनकी बात जरूर रखी जानी चाहिए।इसी के साथ मैं बहुत–बहुत धन्यवाद् देता हूँ और पुनः आपको प्रणाम करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको प्रणाम करता हूं।

डा0 मो0 अयूब–

सबसे पहले मैं आपको सफल संचालन के लिए बधाई देता हूं और नेता सदन जो माननीय मुख्य मंत्री जी हैं इनसे विधायकों की ही नहीं अपितु प्रदेश की 22 करोड़ जनता की अपेक्षायें इनसे हैं और पूरी तरह से यह प्रयास कर रहे हैं और सभी की बातों को गम्भीरता से सुनते हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। उनके इस प्रयास को मैं बधाई देता हूं अपनी तरफ से, पूरी जनता की तरफ से बधाई देता हूं, मा0 संसदीय

कार्य मंत्री जी जो सफल संचालन कर रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जो सभी प्रतिपक्ष की समस्याओं को पूरी तरह से सुनते हैं और सभी को समान अवसर देकर के सभी को सम्मान के साथ, सभी को बोलने का, और अपना पक्ष रखने का अवसर देते हैं, और अपनी सहमति देते हैं मैं इसके लिए नेता प्रतिपक्ष को बधाई देता हूं। नेता भा0ज0पा0 खन्ना साहब को, नेता कांग्रेस प्रदीप माथुर जी को, नेता लोकदल और सभी मा0 सदस्यों को मैं बधाई देता हूं कि सभी ने इस सदन को संचालन करने में अपनी भूमिका निभाई है इसके लिए मैं सभी मा0 सदस्यों को बधाई देता हूं। पत्रकार बन्धुओं को मैं बधाई देता हूं, जितने कर्मचारी यहां कार्यरत हैं मैं उन्हें बधाई देता हूं। अन्त में मैं एक ऐसी घटना को, जो 21 तारीख को कोर्ट का फैसला हुआ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप उस चक्कर में मत पड़िए। बैठिए आप, आप जब कभी भी बोलते हैं यही करते हैं। नहीं सुना जाएगा, न ही आपका कुछ लिखा जाएगा।

(शोर)

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता लोकदल और अन्य नेतागण तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, आज इस सदन का आखिरी सत्र था। आज हम अनिश्चितकाल के लिए उठ रहे हैं। आपने जिस तरह से अपने क्षेत्र की समस्या उठाई, सरकार का ध्यान समस्याओं के प्रति आकृष्ट किया, उस जागरुकता के लिए मैं सबको धन्यवाद् देता हूं। मैं मंत्रीगणों को धन्यवाद् देता हूं कि प्रश्नकाल में जिस तरह से विपक्ष के सारे प्रश्नों का मा0 सदस्यों का जिस गम्भीरता से उत्तर दिया और सरकार की नीतियों को उत्तर के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाने का काम किया उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद् देता हूं बधाई देता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

अभी यहां अल्सूचित तारांकित प्रश्न 485 लाए गए थे और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत 24 प्रश्न हुए थे। अतारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत 227 हो गए थे और तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत 69 प्रश्न हुए थे और तारांकित प्रश्न में कुल 1110 प्रश्न लाए गए थे। जिसमें से 175 स्वीकृत हुए और अतांराकित प्रश्न के रूप में 537 स्वीकृत हुए थे अस्वीकृत 398 थे कुल 1110 तारांकित प्रश्न के रूप में आए थे, दूसरा अतारांकित प्रश्न कुल 2540 आए थे। जिसमें से 1688 स्वीकृत हुये थे और 852 अस्वीकृत हुये थे। जहां तक उत्तरित प्रश्नों की स्थिति है उसके अन्तर्गत 04 अल्पसूचित तारांकित प्रश्न और अल्पसूचित से 149 प्रश्नों को तारांकित में बदल दिया गया था। इसके अलावा कुल अतारांकित प्रश्न 1329 थे जिनके उत्तर आये। इसी तरह से हमारे मा0 सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को नियम–51 के माध्यम से उठाया। नियम–301 में कुल 794 सूचनायें भेजी गयी थीं जिसमें 385 स्वीकृत हुयी थीं और 409 अस्वीकृत हुयी थीं। इसी तरह से नियम–51 में भी बहुत बड़ी संख्या में, अभी आज वाला काउंट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मा0 सदस्यों ने नियम–51 के माध्यम से अपने–अपने क्षेत्र की

समस्याओं को उठाया और मुझे खुशी है कि कुछ लोगों ने नियम–56 में बहुत सूचनायें दी थीं। नियम–51 में कुल 1048 सचूनायें आयी थीं, जिसमें 637 अस्वीकृत हुयीं, 230 पर ध्यानाकर्षण हुआ, केवल वक्तव्य के लिये 135 स्वीकृत हुयीं और वक्तव्य के लिये 36 सूचनायें स्वीकृत हुयीं। उसी तरह से नियम–56 में 219 सूचनायें आयी थीं। वक्तव्य के लिये एक स्वीकृत मानी गयी, 15 पर ध्यान आकृष्ट किया गया और 203 अस्वीकृत हुयीं। इस तरह से बड़ी संख्या में मा0 सदस्यों ने विधान सभा की नियमावली के अन्तर्गत अपने क्षेत्र की, प्रदेश की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया। यह बहुत बड़ी संख्या है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और उन सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इन नियमों के अन्तर्गत मामले उठाकर अपने क्षेत्र की समस्या को हल किया। बहुत सारे सदस्यों ने मुझसे कहा कि आपने मेरी सूचना नियम–56 में ले ली तो मेरे क्षेत्र का यह काम हो गया। बहुत से लोगों ने कहा कि आपने मेरी सूचना नियम–51 में ले ली तो मेरा जो काम कभी नहीं होता था वह काम हो गया। हमनें हमेशा प्रयास किया है कि हर मा0 सदस्य के अपने विधान सभा क्षेत्र की जो कठिनाईयां रही हैं, नियमों के अन्तर्गत अगर सूचनायें दी हैं तो सरकार के माध्यम से उन सूचनाओं को भेजकर हमनें उनका निराकरण कराने का प्रयास किया है। हमनें कभी भेदभाव नहीं किया है। मौर्या जी, मैं पहले से ही जरा ऊंचा जरूर बोलता हूं। जैसा आप बोलते हैं वैसे मैं भी जोर से बोलता हूं। मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हमें इतने लोगों के बीच में रहना होता है। हम जब अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो देखते हैं कि 40 सदस्य हैं, 45 और 60 सदस्य हैं, 80 सदस्य हैं। 404 लोगों के बीच में कभी–कभी असुविधा हो जाती है, क्योंकि मा0 सदस्यों की भी समस्यायें हैं। वह अपनी समस्या उठाना चाहते हैं और हमारी समस्या है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से इसको आगे ले जायें तो कभी–कभी ऊँची आवाज में उन्हें मना करना पड़ता है, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं रहती है, न कभी उनके प्रति मैंने कोई दुर्भावना रखी है। (सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) मैं फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं और यह आग्रह करता हूं कि आज बजट पास हुआ है, इस बजट के माध्यम से आप लोग अपने–अपने क्षेत्र में जायेंगे और अपने क्षेत्र के विकास में रूचि लेंगे, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता की हमसे आशायें हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी जब होता है तो हमसे कह देते हैं कि मैं बाधक हूं। मैं बाधक नहीं हूं, लेकिन मैं जब बजटीय व्यवस्था को देखता हूं और अपनी सदस्य संख्या को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि यह पैसा हमें जनहित में ज्यादा खर्च करना चाहिये, हमें अपने हित में नहीं खर्च करना चाहिये। यह मेरी सोच रही है इसलिये कभी–कभी आपके विचारों से मेरे विचार नहीं मिले हैं, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने तो आज खजाना खोल दिया है। आपने तो बता ही दिया है, बजट में था पढ़ लेते, पत्रकार सबसे ज्यादा सबेरे मोटे कालम में वही सूचना छापेंगे कि विधायकों को क्या मिला है तो मैं फिर एक बार मा0 मुख्य मंत्री जी का, मंत्रि–मंडल के सदस्यों का और अगर ऐसे अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री के बारे में कुछ न कहा जाये तो हम समझते हैं कि इस विधान सभा के संचालन का कोई महत्व नहीं रहेगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने हर कठिन समय में, दुरूह समय में, जब कभी भी इस सरकार पर हमले हुये हैं, उन्होंने बड़ी बहादुरी से उसका जवाब दिया है और सदन में शांति स्थापित करने के लिये भी बड़ा

प्रयास किया है, हालांकि कभी–कभी उनकी वाणी से भी अशांति उत्पन्न हो जाती थी (हंसी), लेकिन उनके मन में कोई बात नहीं, जिस बहादुरी से इन्होंने इस सदन के संचालन में हमारा सहयोग किया, मैं उनके प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। मा0 शिवपाल जी, जिनके पास चार विभाग हैं, उन्होंने जिस ढंग से उपस्थित होकर सारे प्रश्नों का उत्तर गम्भीरता से दिया है, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) उन सभी मा0 सदस्यों का, और अगर अम्बिका चौधरी का नाम न लें तो बेकार है, इन्होंने हमेशा हमें सहयोग किया है। जब कभी कहीं अड़चन होती थी, यह पीछे से हमको सहयोग कर देते थे। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं सभी मा0 मंत्रियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और मैं उन मा0 सदस्यों का जिन्होंने बढ़–चढ़ करके हिस्सा लिया और बजट पर गंभीर भाषण दिया है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और मुझे आशा है, अगली बार जब सत्र आयेगा तो हमारे माननीय सदस्य काफी गंभीरता से विषयों का अध्ययन करके आयेंगे और प्रश्नों को यहां रखेंगे और उसका लाभ उठायेंगे। मैं फिर एक बार सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने प्रमुख सचिव का, सचिवालय के कर्मचारियों का, मार्शल का और जितने भी इसमें लोग हैं, मैं सब को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने सदन संचालन में पूरा सहयोग प्रदान किया। अगर पत्रकारों का नाम न लो तो, यह तो आज के नारद हैं, अगर इनका नाम न लिया जाए, क्योंकि यह खबर पहुंचाते हैं, मैं इनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। यहां बैठकर इन पत्रकार बन्धुओं ने हमारी सूचनाओं को, जो सूचनाएं आती थी, मैं सुबह अखबार में पढ़ता था कि क्या आया, क्या नहीं, उसमें इन्होंने कोई काट–छांट नहीं की और यथा रूप में जनता तक पहुंचाया और जो संदेश था हमारे विधान सभा का, उसको इन्होंने सही ढंग से जनता तक पहुंचाया, इसके लिए भी मैं इनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए, जिन्होंने मेरे प्रति आभार प्रकट किया, उनको धन्यवाद देते हुए, मा0 संसदीय कार्य मंत्री से कहता हूं कि वह प्रस्ताव रखें।

ख2.30 बजे, सदन की कार्यवाही अनिचितकाल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्ष– प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए ?

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ)

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष–

अब राष्ट्र–गान।

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।

भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 31 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिय स्थगित हुआ।)

लखनऊ :
दिनांक 26 मार्च, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 82 विधान सभा (144)–10–8–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।